लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation
Fumigated
On 29-11-83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८–९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४–३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१

आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४

उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४

विधेयक—पुरस्थापित २८३४

(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २८३४—३७

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . १८३७–३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३८

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२

खण्ड १ से ३ . . २८४२

पारित करने का प्रस्ताव २८४२

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८

औषधि (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१

पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९--२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . . २९०४--१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २९८८--९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९५० से १९५६ और १९५८ से २०३६ ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १९६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . ३२३९–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति ३२४०–४२

सभा का कार्य . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत ३२८०–९०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९१–९२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य . . . ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

1118 (Ai) LSD—17.

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५२१,३५२२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३५२१–२२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में भूकम्प	३५२२–२३
विधेयक—पुरस्थापित	३५२३–२४
१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० .	३५२३–२४
२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . .	३५२४
औषधि (संशोधन) विधेयक . . .	३५२४–३०
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५२४,३५२५–२९
खण्ड २ से ११ तथा १ . . .	३५२९–३०
पारित करने का प्रस्ताव .	३५३०
सभा का कार्य . . .	३५२४
सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	३५३०–३१
विचार करने का प्रस्ताव	३५३०–३१
खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ .	३५३१
विचार करने का प्रस्ताव	३५३१
बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	३५३२–५३
विचार करने का प्रस्ताव	३५३२–४९
खण्ड २ से १० तथा १	३५४९–५२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३५५२–५३
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक	३५५३–५६
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५५३–५६
दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . .	३५५७–६३
तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां . .	३५६३
दैनिक संक्षेपिका	३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक)	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० .	३५७३–९८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . .	३५९९–३६१२
अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ	३६१२–६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३६६४–६६
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३६६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सतरवां प्रतिवेदन . . .	३६६६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी	३६६७
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३६६७–७७
उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . .	३६७७–३७१२
नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	३७१२–१३
दैनिक संक्षेपिका . .	३७२१–२८
अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३७२९
दैनिक संक्षेपिका .	३७३०
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख .	३७३१–५४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११	३७५४–५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८	३७५७–९६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ .	३७९६–३८९३

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि . ३८६३
स्थगन प्रस्ताव ३८६३–६५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . . ३८६३–६४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन ३८६४–६५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही ३८६५
सभा का कार्य . . ३८६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८६६–६८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८६८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८६८
याचिका समिति—
कार्यवाही सारांश . . . ३८६९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—
कार्यवाही-सारांश . . ३८६९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
नवां प्रतिवेदन ३८६९
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन . . . ३८६९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—
दूसरा प्रतिवेदन ३८६९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ३८६९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी . ३८६९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण ३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . . ३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . . ३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची ३९०१
६. लखनऊ की छत्तर मंजिल में दरारें . ३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि ३९०२

पृष्ठ

प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—
श्री मोरारजी देसाई . . ३९०३

सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . ३९०३—०४

रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—
डा० प० सुब्बरायन . . . . . ३९०४—०६

प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य ३९०७

विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९०७
(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७
(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . . ३९०८—४५
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३९०८—३६
खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . . ३९३६—४४
पारित करने का प्रस्ताव . . . ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्तरवां प्रतिवेदन ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९४६—४७
१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का) ३९४६
२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . ३९४६
३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . . ३९४६
४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का] ३९४७

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ३९४७—५१

भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३९५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३९५४—६९

ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप . . . . ३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा

शुक्रवार, ९ सितम्बर १९६०

१८ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संस्कृत आयोग

\+
*१२३०. { श्री नरदेव स्नातक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सूपकार :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री १४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में शेष राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों के विचार प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर विचार किया जा चुका है; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां ।

(ख) आयोग की मुख्य सिफारिशों पर राज्यों आदि के विचार केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के सामने रखे गये थे ताकि वह उन पर विचार करके सरकार को सिफारिशें भेजे । संस्कृत बोर्ड ने यह तय किया है कि इन पर शेष विश्वविद्यालयों से राय प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

1118 (Ai) LSD.—1

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२३]

श्री नरदेव स्नातक : इसका उत्तर हिन्दी में भी दिया जाए।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न तो हिन्दी में नहीं था। उत्तर का अनुवाद किए देता हूं ।

(क) जी हां ।

(ख) जो मुख्य सिफारिशें थीं वे केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के सामने रखी थीं, और केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने कहा है कि जो भी सिफारिशें हैं उनके ऊपर सब यूनीवरसिटीज़ की राय आ जाए, उसके बाद उन पर विचार करेंगे; और

(ग) एक स्टेटमेंट लोक सभा की टेबल पर रख दिया गया है।

†**श्री सूपकार :** संस्कृत बोर्ड क्या कार्यवाही कर रहा है? क्या हमारे ताड़पत्र और अन्य पांडुलिपि के प्राकाशन की कोई योजना, संस्कृत में अनुसंधान की कोई योजना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य विवरण देखें। वह बहुत व्यापक विवरण है। उससे यह मालूम होगा कि संस्कृत की उन्नति के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जिसमें प्रकाशन कार्य भी शामिल है ?

श्री नरदेव स्नातक : मैं जानना चाहता हूं कि आयोग की सिफारिश पर किन प्रसिद्ध पुस्तकों की छपाई का कार्य हुआ है, यदि हुआ है तो उनका नाम बताया जाए और यह बताया जाए कि कितना काम हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विवरण में कहा गया है :

"लोकप्रिय संस्कृत पुस्तकें और अलभ्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने कुछ अलभ्य कृतियों के नाम पुन: प्रकाशन के लिये सुझाये हैं ।"

योजना तैयार की जा रही है और सरकार उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी ।

†**श्री सूपकार :** मेरा प्रश्न उन मदों के सम्बन्ध में है जो विवरण की ग्यारह मदों से परे हैं। सूची में उल्लिखित अनुसंधान योजना प्रारम्भिक बातों के बारे में है जैसे पाठ्य पुस्तकें तैयार करना किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या वेद, उपनिषद् और ऐसे ही अन्य प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अनुसंधान की कोई योजना है। पुन: प्रकाशन के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन पाण्डुलिपियों के कुछ समय बाद नष्ट हो जाने की सभावना है उन के प्रकाशन की कोई योजनायें सरकार के सामने हैं ?

†**डा० का० ला० श्री माली :** सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह बताया गया है कि कुछ सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है। अन्य सिफारिशों जैसे अनुसंधान का विकास, पांडुलिपियों का प्रकाशन, आदि पर केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने विचार नहीं किया है। शेष सभी विश्वविद्यालयों से सिफारिशें प्राप्त होते ही उन पर विचार किया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : विवरण में कहा गया है :

"केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के परामर्श से एक केन्द्रीय संस्कृत संस्था की स्थापना की योजना तैयार की जा रही है ।"

क्या मैं जान सकता हूं कि यह संस्था कब और कहां स्थापित की जा रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : हैदराबाद संस्कृत कालेज अपने अधीन ले लेने का प्रस्ताव है और उस के लिये हम एक योजना तैयार कर रहे हैं । मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता क्योंकि वहां की प्रबन्ध समिति और संगठन कर्त्ताओं से कुछ बातचीत अभी होनी है लेकिन हैदराबाद में एक इंस्टि-ट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : विवरण के पैरा ४ में यह बताया गया है कि केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने पुन: प्रकाशन के लिये कुछ अलभ्य ग्रंथों के नाम सुझाये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन कौन से ग्रन्थ हैं और क्या उन में वेद भी शामिल हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जिन पुस्तकों की सिफारिश की गई है उन के नामों की सूची मेरे पास नहीं है किन्तु मैं वह जानकारी माननीय सदस्य को सहर्ष दे सकूंगा ।

†श्री आचार : विवरण में कहा गया है :

"संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना तैयार की गई है और समाचार पत्रों द्वारा घोषित की गई है ।"

क्या मैं जान सकता हूं कि अगले वर्ष के लिये या कम से कम तीसरी योजना में इन संस्थाओं की सहायता के लिये कोई निश्चित रकम नियत की गई है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : तीसरी योजना में हम वह व्यवस्था काफी बढ़ाना चाहते हैं और हम ने १.२७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । १९६०-६१ में, संस्कृत के प्रचार और विकास के लिये हम ने ३,५०,००० रुपये की व्यवस्था की है ।

†श्री आचार : मेरा प्रश्न विवरण के पैरा ५ में उल्लिखित विशिष्ट संस्थाओं के बारे में है । उस में कहा गया है कि इन संस्थाओं या संगठनों को सहायता देने के लिये योजना तैयार की जा रही है । क्या उन की सहायता के लिये कोई विशिष्ट रकमें रखी गई हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : बजट में और योजना में जो कुछ रकम नियत की जायगी उस में से ही इन संस्थाओं को यह सहायता दी जायगी ।

†श्री भक्त दर्शन : इस विवरण में जो संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं, जैसे बनारस का विश्व-विद्यालय, उन को सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड है वह इस पर विचार करेगा, या यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन इन पर विचार करेगा, या सरकार सीधे इस पर विचार कर रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है और वह विश्वविद्यालय के विभागों की ओर भी ध्यान देता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि जब हैदराबाद संस्कृत विद्या के लिये प्रसिद्ध नहीं है तब उसे क्यों चुना गया ? अन्य स्थान जो संस्कृत विद्या के लिये प्रसिद्ध हैं या उस के केन्द्र हैं, क्यों नहीं चुने गये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह संस्था चुनने में हमारे सामने संस्कृत आयोग की सिफारिशें थीं । आयोग ने इस संस्था की बड़ी प्रशंसा की है । यह सर्वोत्कृष्ट संस्थाओं में से एक समझी जाती है और इसीलिये इनसे केन्द्रीच संस्कृत संस्था के तौर पर ले लेने के बारे में हम विचार कर रहें हैं।

†**श्री जयपाल सिंह :** इस बात को देखते हुए कि विश्व के अधिकतर पुस्तकालय मूल्यवान प्राचीन पांडुलिपियों को अधिक प्रामाणिक, कम खर्चीली तथा सुलभ बनाने के लिये उस की फोटो-स्टेट प्रतियां तैयार करते हैं, क्या संस्कृत आयोग ने किसी समय इस विषय पर विचार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह तो एक सुझाव है जिसे मैं केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के सामन रखूंगा ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या सरकार ने इस आयोग की सब से महत्वपूर्ण इस सिफारिश को कि संकृत एक अतिरिणत राज्यभाषा बनाई जाये, कार्यान्वित करने की संभावना पर आगे विचार किया र ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं समझता हूं कि मैं ने काफी विस्तार से इस विषय की विवेचना की है कि संस्कृत को राज्यभाषा बनाना संभव नहीं है किन्तु हम ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वे त्रि-भाषा सूत्र कार्यान्वित कर सकती हैं जहां प्रादेशिक भाषाओं के साथ संस्कृत को भी अनिवार्य पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल किया जा सकता है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इस समय संस्कृत के को तीन विश्वविद्यालय हैं—कुरुक्षेत्र, तिरुपति और काशी विश्वविद्यालय, उन तीनों की स्थिति पर्याप्त दयनीय है । क्या यह अच्छा नहीं होगा कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में एक संस्कृत का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जहां तक केद्रीय सरकार का ताल्लुक है, वह हैदराबाद के इंस्टी-च्यूशन के विकास के लिये योजना बना रही है और उस पर विचार किया जा रहा है । कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी को वैसे तो संस्कृत विश्वविद्यालय कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में उस में संस्कृत का कुछ अधिक काम है नहीं । वाराणसी में ज़रूर एक अच्छा संस्कृत विश्वविद्यालय है । यू० पी० गवर्नमेंट उस को चला रही है । कोई वजह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार उस को ले ले ।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** इस बात को देखते हुए कि हमारी अधिकतर राष्ट्रीय भाषाओं का आधार संस्कृत है, क्या सरकार उसे अनिवार्य विषय बनाने के बारे में सोच रही है, खास कर जब से यह भाषा माध्यमिक स्कूलों में लगातार चार वर्षों से पढ़ाई जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । जहां तक स्कूलों में संस्कृत चालू करने का सम्बन्ध है, हम ने पहले ही राज्य सरकारों से सिफारिश की है । वर्तमान परिस्थिति में इस सूत्र से परे जाना हमारे लिये संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती इलापालचौधरी :** नवद्वीप से बराबर ही यह मांग रही है कि वहां के संस्कृत कालेज को कुछ सहायता दी जाये और उसे संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया जाये। क्या उसे कुछ सहायता दी जायगी ताकि कालेज अपने कार्य बढ़ा सके और धीरे धीरे वह विश्वविद्यालय बन सके ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह आशा नहीं करते कि मैं इसी दशा में कोई वचन दे दूं । मुझे किसी प्रार्थना या प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है किन्तु यदि कोई हो तो सरकार निश्चय ही उस पर विचार करेगी ।

†**श्री सम्पत :** अभी तक कितने राज्यों ने त्रि-भाषा सूत्र कार्यान्वित किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें, तो मैं सहर्ष उस का उत्तर दूंगा ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या यह सच है कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

†**डा० का० ला०श्रीमाली :** केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड में इस विषय पर पूरी चर्चा हुई थी और हमने यह मंजूर कर लिया था कि स्कूलों मे तीन भाषाओं को पढ़ाई होनी चाहिए और संस्कृत प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ पढ़ाई जा सकती है । इसलिये एक अतिरिक्त भाषा के तौर पर स्कूलों में संस्कृत चालू करना संभव नहीं हो सकेगा। वास्तव में, जबर्दस्ती करने से भाषाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलता। यदि लोगों को संस्कृत का महत्व समक्षझा दिया जाये तो वे स्वतः अपनी इच्छा से संस्कृत का अध्ययन आरम्भ कर देंगे । इसलिये हमारी नीति संस्कृत को प्रोत्साहन देने और विकास करने की है और लोगों को यह सुझाव देने की है कि वे अपने इच्छा से संस्कृत पढ़ें । मैं समझता हूं कि वे अपनी इच्छा से संस्कृत पढ़ें । मैं समझता हूं कि सैकेन्डरी स्कूलों में उसे अनिवार्यतः चालू करने की अपेक्षा इस तरह संस्कृत का अधिक हित होगा।

†**श्री सूपकार :** जब कि भारत सरकार प्राथमिक स्कूल अध्यापकों और कालेज के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने का समर्थन करती है, क्या परंपरागत संस्कृत टोल और पाठशालाओं आदि में शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगने की कोई योजना बोर्ड के सामने है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अभी तक यह प्रस्ताव संस्कृत बोर्ड के सामने नहीं आया है ।

†**श्री च० द० पांडे:** इस बात को देखते हुए कि इस देश में भाषाओं के बारे में इतनी कटुता है क्या सरकार संस्कृत को सरल बनाने की आवश्यकता पर विचार करेगी, जिस से हर जगह संस्कृत समझी जा सके और लोग उसे आसानी से सीख सकें क्योंकि संस्कृत भाषा सीखना कठिन है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह तो कार्यवाहीं के लिये एक सुझाव है और संस्कृत बोर्ड इस पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवेली लिग्नाइट परियोजना में उत्पादन

+

†*१२३१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निवेली लिग्नाइट परियोजना के उत्पादन-कार्यक्रम में गड़बड़ पड़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यक्रम के अनुसार चलने के लिये क्या कदम उठाए गऐ हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) जी नहीं। तापीय विद्युत् केन्द्र और उर्वरक संयंत्र चालू होने की संभव तारीखों को ध्यान में रख कर बनाये गये उत्पादन-कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** करीब कितना उत्पादन हुआ है और लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुआ है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वर्तमान प्रगति तो ज्यादा बोझ हटाने और तापीय विद्युत् केन्द्र स्थापित करने तक ही सीमित है। अभी लिग्नाइट खान से नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि जब तक उस का उपयोग नहीं होता तब तक वह नहीं निकाला जा सकता। ज्योंही उसके उपभोक्ता यूनिट पैदा हो जायेंगे त्योंही उनके उपभोग के लिए लिग्नाइट भी निकाला जायगा।

†**श्री तंगामणि :** यह तापीय संयंत्र कब से चलने लगेगा और खनन कार्य भी संभवतः कब से चालू हो जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** तापीय विद्युत् केन्द्र का पहला यूनिट जो सोवियत संगठन के सहकार्य से स्थापित किया जा रहा है, संभवतः १९६१ के आखिरी तिमाही में चालू हो जायगा। उर्वरक योजना के सम्बन्ध में यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन जून, १९६३ में प्रारम्भ होने वाला है। मिट्टी धोने की योजना एक सहायत योजना है। आशा है कि यह संयंत्र भी १९६१ की तीसरी तिमाही में चालू हो जायगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच नहीं कि परियोजना अधिकारियों को भूमिगत जल के दबाव पर नियंत्रण रखने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है, और लिग्नाइट को सतह पर लाने के लिए क्या वैकल्पिक योजनाएं बनायी गयी हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस परियोजना की एक विचित्र कठिनाई यह है कि भूमिगत जल ऊपर की ओर उछलता है इस पर नियंत्रण पाने का एकमात्र मार्ग यही है कि काफी मात्रा में पानी की निकासी हो। नलों (पम्पस्) के बारे में परीक्षण शुरू किये गये हैं और काफी बड़े पैमाने पर नलों द्वारा पानी की निकासी के अतिरिक्त, जल का ऊपर की ओर दबा कम करने का और दूसरा कोई वैकल्पिक तरीका समझ में नहीं आता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० र० अरुमुगम** : देश में उर्वरक की कमी को देखते हुए सरकार निश्चित तारीख से पहले उर्वरक संयंत्र चालू करने की योजना क्यों नहीं बना सकती ? निश्चित तारीख से पहले उर्वरक संयंत्र चालू करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शीघ्रता में भी कुछ समय तो लगता है।

†**श्री नरसिंहन्** : कितने बकेट ह्वील एक्सकेवेटर चालू किये जा चुके हैं और अभी कितने चालू किये जाने हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि दो चालू किये जा चुके हैं।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : मैसूर और और अन्य राज्यों को कोयले की जगह लिग्नाइट भेजने की क्या गुंजाइश है और वह कब किया जायगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : गुंजाइश तब पैदा होगी जबकि हम ईंटें (ब्रिकेट्स) तैयार करने लगेंगे और वह उस जगह की जरूरत से अधिक होंगी। तभी मद्रास राज्य से बाहर, निकटवर्ती क्षेत्रों में उन्हें भेजने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : ईंटें तैयार करने का काम कब शुरू होगा और कितनी मात्रा में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ईंटें बनाने और कार्बनीकरण का संयंत्र संभवतः १९६३ की तीसरी तिमाही में चालू हो जायगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : लिग्नाइट उठाने-धरने की प्रक्रिया में दहन रोकने के लिए कोई पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह मान लेता हूं कि निगम सामान्य सुरक्षा उपाय कार्यान्वित करेगा।

†**श्री नरसिंहन्** : पिछली बार यह बताया गया था कि एक्सकेवेटर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और सरकार उन्हें योजना के अनुसार काम कराने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार को उन प्रयत्नों में सफलता मिली है और यदि हां तो कहां तक ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अभी कुछ समय पहले हमने बताया था कि दो बकेट ह्वील एक्सकेवेटर आ चुके हैं। अभी और कितने चालू होंगे इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि अलग प्रश्न पूछा जाये तो मैं जानकारी इकट्ठी कर लूंगा।

†**श्री स० र० अरुमुगम**: क्या सलेम क्षेत्र में इस्पात संयंत्र चालू करने से पहले, परीक्षण के लिए लिग्नाइट के नमूने पूर्व जर्मनी भेजे गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अभी नहीं, क्योंकि आवश्यक मात्रा में अभी लिग्नाइट नहीं निकाला जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में बालकों के लिये संग्रहालय

+

†*१२३२. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री ११ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में बाल-संग्रहालय स्थापित करने के सिलसिले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : नई दिल्ली में बाल संग्रहालय की योजनाओं और अनुमानों का परीक्षण और उनमें फेर-बदल इस बीच किया जा चुका है । संभवत: बहुत शीघ्र ही उनका अन्तिम निर्णय हो जायेगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या ऐसे संग्रहालय दूसरे शहरों में भी बनाये जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । यहां तक कि मौजूदा इमारत की लागत का अनुमान भी बहुत ऊंचा मालूम होता है और हम नहीं जानते कि वर्तमान वित्तीय स्थिति में हम यह इमारत बनवा सकेंगे या नहीं ।

†**श्री त्यागी** : इस इमारत की लागत का अनुमान कितना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पहले वह २०,२०,१६२ रुपये था । अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने १४,५०,२९३ रुपये का अनुमान दिया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वर्तमान वित्तीय कठिनाई को देखते हुए क्या इस संग्रहलय का निर्माण स्थगित करने का सरकार का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरी अपनी राय यह है कि वह स्थगित नहीं किया जाना चाहिये लेकिन इमारत की लागत कम करने का अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए ।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

***१२३३. श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ राज्य-क्षेत्रों में शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये उसी तरह का विधान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जैसा कि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक विधान बन जाने की संभावना है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को ध्यान में रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जोतों की अधिक से अधिक सीमा और सामान्य सम्पत्ति की अधिक से अधिक सीमा में कोई बराबरी नहीं है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि जोतों की अधिकतम सीमा और शहरी सम्पत्ति की सीमा में कुछ बराबरी नहीं होती है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस का क्या कारण है ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो एक लम्बा सा सवाल है । जोतों की सीमा के सवाल का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जोतों का बटवारा इस तरह से हो कि अधिक से अधिक उत्पत्ति हो, गावों की आमदनी बढ़े और शहरी सम्पत्ति की सीमा का यह मतलब होता है कि जो आमदनी होती है उस को कम किया जाये । दोनों में जो मैं ने कहा बराबरी नहीं है, उस का अर्थ यही होता है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में लिखा गया है कि शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने का परिणाम यह होगा कि देश की उत्पादन शक्ति पर उस का प्रभाव पड़ेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि अचल सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने से क्या कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उन पांच समितियों में से एक के सदस्य हैं, जो नियुक्त की गयी हैं । योजना में जो सिफारिशें की गयीं हैं, उन के ब्यौरे की यह छानबीन करें और आवश्यक फेर बदल का सुझाव दें । हम अभी प्रश्नकाल में योजना में किये गये प्रस्तावों का फैसला नहीं कर सकते ।

श्री ब्रजराज सिंह: सरकार की दलील यह है कि शहरी सम्पत्ति पर अगर कोई सीमा लगाई जायेगी तो उस से उत्पादन को हानि पहुंच सकती है । इस बात को मानते हुए क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिस से उद्योग और खास तौर से छोटे उद्योग गांवों में ले जाये जा सकें जिस से गांवों और शहरों की आमदनी में जो बहुत भारी विषमता है, वह कुछ दूर हो सके ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां, उपाय हो रहा है, रोज हो रहा है ।

†**श्री बा० चं० कामले** : सरकार की इस राय के क्या कारण हैं कि जोन की अधिकतम सीमा शहरी अचल सम्पत्ति की सीमा में कोई बराबरी नहीं है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : पहला अन्तर यह है कि खेती की जमीन अनादि काल से इस देश में राज्य की सम्पत्ति समझी गयी है । दूसरी सम्पत्ति के साथ यह बात नहीं है ।

†**श्री सोनावने** : क्या कारण है कि जोन की अधिकतम सीमा ही निर्धारित की गई है और शहरी सम्पत्ति पर कोई अधिकतम सीमा लागू करने का विचार नहीं है ? क्या हमारे संविधान के अधीन यह भेद भाव नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य योजना सम्बन्धी समितियों में इस की चर्चा करें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण

†*१२३५. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों के परित्राण के सम्बन्ध में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् ने क्या सुझाव दिये हैं ;

(ख) क्या परिषद् के सदस्य-राज्यों ने इन सुझावों को कार्यान्वित किया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की कार्यवाही, जिस में भाषाई अल्पसंख्यकों के परित्राण पर विचार करने के लिये परिषद् द्वारा स्थापित अनुसूचिकीय समिति की रिपोर्ट के बारे में परिषद् के निश्चय बताये गये हैं, और समिति की रिपोर्ट की प्रति संसद्-पुस्तकालय में रख दी गयी है। कार्यवाही की प्रतियां संबंधित राज्य सरकारों को कार्यान्यवन के लिये भेजी दी गयी हैं।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच है कि मद्रास के जिन स्कूलों में तेलुगु माध्यम है वे बन्द किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री दातार** : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। वास्तव में मद्रास सरकार ने ये सभी सिफारिशें कार्यान्वित करने का निश्चय पहले ही कर लिया है।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सरकार को मालूम है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की रिपोर्ट में उन्होंने इन विषयों का काफी विस्तार से विवेचन किया है और यह मद्रास में हुई प्रगति से अधिकतर संतुष्ट हैं ?

†**श्री दातार** : यह बिल्कुल ठीक है।

†**श्री बा० चं० कामले** : आसाम राज्य में वर्तमान उपद्रवों को देखते हुए क्या सरकार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये दिये गये परित्राणों की मात्रा और किस्म के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी ?

†**श्री दातार** : जो सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये हैं और जो राज्यों के पुनर्गठन से पहले सभा पटल पर रखे गये परिपत्र में उल्लिखित हैं उन पर फिर विचार करने की कोई बात नहीं है ?

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या आगामी जनगणना में भाषाई अल्पसंख्यकों को परित्राण देने के लिये कोई उपाय प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है जिस से उन की यथोचित गणना हो सके?

†**श्री दातार** : कोई विशेष कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है। अल्पसंख्यक भाषाओं की उचित रूप से गणना होगी और वह माननीय सदस्य के प्रयोजन के लिये पर्याप्त होगी।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** : क्या यह सच है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को दिये गये परित्राण ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किये जा रहे हैं ? भाषाई अल्पसंख्यकों को दिये गय पूरे परित्राणों का उन्हें उचित अंश मिले इस ओर ध्यान देने के लिये क्या सरकार आगे और किन्हीं कार्यवाहियों पर विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : माननीय सदस्य अनुसचिवीय समिति का प्रतिवेदन पढ़ लें। उस में इस प्रश्न पर पूर्णतया विचार किया गया है और दक्षिण मंडल परिषद् के सब सदस्यों ने इसे स्वीकार किया है। अब यह कार्यान्वित किया जा रहा है। इन फैसलों में इस प्रश्न पर बड़े संतोषजनक और व्यापक ढंग से विचार किया गया है।

†श्री तंगामरिण: क्या सरकार विभिन्न सरकारों से प्रार्थदा करेगी कि वे अन्य राज्यों में अल्प-संख्यक भाषा स्कूलों में पढ़ाने के लिये अध्यापक भर्ती करें, विशेष मद्रास सरकार केरल राज्य के लिये तामिल के अध्यापक भर्ती करें जहां ऐसे अध्यापकों की कमी है?

†श्री दातार : यह भिन्न प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य ने कोई सुझाव देना है तो मैं निश्चय ही वह राज्य सरकार को भेज दूंगा।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्यों में गणना करने वालों के तथ्य संबंधी अज्ञान के कारण इस ओर या उस ओर स्फीति या अस्फीति आंकड़े हो जाते हैं, सरकार इस के लिये क्या करने का विचार करती है कि ऐसा न होने पाये और जनगणना प्रतिवेदनों को समय समय पर चुनौती न दी जा सके?

†श्री दातार : माननीय मंत्री जनगणना विभाग द्वारा जारी विभिन्न फार्मों को देख लें। उन में वे सब बातें हैं जो माननीय सदस्य के मन में हैं। अभिलेख को शुद्ध रखने का प्रयत्न किया जाये।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि कुछ राज्यों में गणना के समय राज्य सरकारों को कुछ बातों की व्याख्या करने का विवेक दिया जाता है, जो गणकों को दी जाती हैं? उदाहरणार्थ पिछली बार, आसाम में पिछली जनगणना में देशी भूमिधारियों की जनगणना की गई थी और व्याख्या राज्य सरकारों ने की थी जिस के कारण बहुत सी विपरीत बातें हुई, जिन के बारे में आसाम के गणना अधीक्षक श्री बाहवाई ने आलोचना की थी। क्या माननीय मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि ऐसी बातें फिर न होने पायें?

†श्री दातार : यह सामान्य प्रश्न है और मुख्य प्रश्न दक्षिण के राज्यों के बारे में है। यदि माननीय सदस्य को कोई सुझाव देना है तो मैं उस की जांच के लिये जनगणना महा पंजीयक के पास भेज दूंगा।

†श्री आचार : क्या सरकार को विदित है कि केरल के पिछले चुनावों में कासेरगोड तालुकों में कन्नड़ जानने वाले काफी अधिकारी नहीं मिले, जिस कारण माल मलयालय जानने वाले पदाधिकारी वहां नियुक्त किये गये और असुविधा पैदा की गई?

†श्री दातार : मुझे इस का पता नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य के कहने पर हमने राज्य सरकार को कुछ भागों में कन्नड़ भाषा के बारे में कुछ मामलों के सम्बन्ध में लिखा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुशासन समिति की रिपोर्ट

+

†*१२३६. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सूपकार :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या शिक्षा मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या विश्वविद्यालयों में छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या का अध्ययन करने वाली समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। जब आयोग प्रतिवेदन पर विचार कर चुकेगा उस के पश्चात्।

(ग) अभी आयोग को इस प्रतिवेदन पर विचार करना है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इस विषय में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने केवल यह कहा है कि आयोग जब प्रतिवेदन पर विचार कर चुकेगा उस के पश्चात् मैं इस की एक प्रति सभा पटल पर रखूंगा।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या अनुशासन बढ़ रहा है या घट रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्थिति बहुत बेहतर है।

†**श्री त्यागी** : क्या इन सिफारिशों से विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना पैदा होगी या ये केवल दंड आदि के भय से उन पर अनुशासन लादना चाहती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह अनुशासन के बारे में बड़ा व्यापक प्रश्न है। मैं समझता हूं कि विभिन्न उपाय करने होंगे। एक ओर हमें विद्यार्थियों में अनुशासन का भाव पैदा करना होगा। और साथ ही विद्यार्थियों को यह भी अनुभव करना चाहिये कि अध्यापकों और विश्वविद्यालय अधिकारियों के प्राधिकार को भी कायम रखना है।

†**श्री सूपकार** : सरकार कितनी देर तक इन सिफारिशों पर विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** बहुत समय नहीं हुआ। आयोग जब इन पर विचार कर चुकेगा उस के पश्चात् सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री भक्त दर्शन : कमीशन ने क्या माननीय मंत्री जी को कोई सूचना दी है कि कब तक इस बारे में.वह फैसला कर लेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कोई तिथि तो निश्चित नहीं की है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही इस में कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अविकसित देशों में विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव, विकास कार्यों की धीमी प्रगति या सुस्त उन्नति के प्रति व्यग्रता का चिह्न होता है, क्या इस समिति ने इस पहलू पर भी विचार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे मतानुसार, विद्यार्थियों के अनुशासन का विकसित या अविकसित अर्थ-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं होता। विद्यार्थियों का अनुशासन, अन्ततोगत्वा उनके सामने सामने पुरानी पीढ़ी के लोगों द्वारा रखे गये मूल्यों और रिवाजों पर निर्भर होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस तर्क की अनुमति नहीं देता। क्या पुरानी प्रथा या पिछड़ापन विद्यार्थियों को जलाने और घरों आदि को आग लगाने को कहती है ? (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री त्यागी** : नेता लोग इसका संचालन करते हैं.........

†**अध्यक्ष महोदय :** संसार की अत्यधिक पिछड़ी हुई जातियां भी अनुशासित हैं। यह शिक्षा पर निर्भर नहीं बल्कि पालन पोषण पर निर्भर है। माता पिता को, अध्यापकों को ध्यान रखना चाहिये; समूचे समाज को भी प्रगति करनी चाहिये। सब जगह हड़ताल होती है यदि कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान के पर्चे सख्त होते हैं तो हड़ताल हो जाती है। इसलिये क्या इसका यह अर्थ है कि इसके पश्चात् स्वयं विद्यार्थी प्रश्न पत्र बनायें, कापियों की जांच करें, और परीक्षाएं करें और उनमें पास हो जायें ? हम कहां जा रहे हैं ? मुझे समझ में नहीं आता। समूचे भारत में जो कुछ हो रहा है संसद् द्वारा उस की निन्दा की जाने की बजाये, हम उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं किसी के प्रति कोई बुरी बात नहीं कह रहा। परन्तु यहां ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी। यह विभीषिका है। प्रत्येक माता पिता डरता है कि उसके लड़के हड़ताल में शामिल न हो जायें। ऐसी परिस्थितियों में मैं सब सदस्यों को अपील करूंगा कि वे यहां ऐसी कोई बात न कहें जिससे अनुशासन पैदा हो। वे इस देश के भावी मन्त्री बनने वाले हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** मुझ पर मिथ्या आरोप लगाया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं। माननीय सदस्य को बार बार स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह स्वयं सन्देह में हैं कि उनका स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया है। अत्यधिक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण अच्छा नहीं होता। आसाम सम्बन्धी चर्चा में मैंने उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर दे दिया था। वह न केवल इस ओर से बोले बल्कि उस ओर से भी बोले कि वह उत्तरदायी नहीं थे और उनके विरुद्ध परोक्ष रूप से आरोप लगाये गये थे। मैंने उन्हें स्पष्टीकरण के लिये पूरा समय दिया था। मैं उनका स्पष्टीकरण स्वीकार करता हूं, दूसरें करें या न करें।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** जब मैंने यह प्रश्न रखा मेरे सामने इन सब घटनाओं का चित्र नहीं था। केवल एक बात मेरे मन में थी कि सभी अविकसित देशों में अनुशासन स्वाभाविक होता है। परन्तु मेरे प्रति अनिष्ट किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इस पर आश्चर्य है। मैं अपने देश को अविकसित मानने को तैयार नहीं। अच्छा व्यक्ति धनी या शक्तिशाली नहीं भी होता। हमारी पुरातन संस्कृति है जिसमें सामाजिक मुल्य सेवा और त्याग पर निर्भर होते हैं, शक्ति और धन पर नहीं। संसार में कलह है, शक्ति और धन अच्छाई पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इसका यह अर्थ हो रहा है कि भला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिये। कोई देश निर्धन होते हुए भी अत्यन्त सुसंस्कृत देश हो सकता है। यह खेद की बात है कि हमारे लोग अपने आप को अविकसित कह रहे हैं। मैं कभी इसकी सराहना नहीं कर सकता। मैं यह बात कहे जाने के लिये इस संसद् को अनुमति नहीं दूंगा कि हम अविकसित हैं। योजना और उद्योग के विषय में हम कह सकते हैं कि हम अविकसित हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री हेम बरुआ :** समूचे संसार में समाज शास्त्री और अन्य लोग कहते हैं कि अविकसित देशों के युवकों में देश की कभी प्रगति या तुरन्त विकास के प्रति व्याकुलता होती है और ये बातें हो रही हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

राजा महेन्द्र प्रताप : अगर धार्मिक और सदाचार की शिक्षा दी जायेगी तो इंडिसिप्लिन नहीं रह जायेगी।

मैसूर की सोने की खानें

†१२३८. **श्री मोहम्मद इमाम :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार स्वर्ण क्षेत्र में स्थित मैसूर स्वर्ण खान को बन्द किया जा रहा है;

(ख) क्या इस खान में नई चट्टानें तोड़ने के गम्भीर प्रयत्न किये गये थे ; और

(ग) इस खान के बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों और श्रमिकों की छंटनी की जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा):** (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** इन मैसूर खानों में नई चट्टानें तोड़ने का कोई प्रयत्न किया गया है और इस खोज कार्य पर कितना खर्च किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** अभी मेरे पास खानों पर हुए व्यय के सही आंकड़ें नहीं हैं। परन्तु लगातार जांच हो रही है। राष्ट्रीयकरण के बाद प्रयत्न किये गये, परन्तु दुर्भाग्य से, अभी तक हमें कोई लाभदायक चट्टान नहीं मिली।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** कुछ समय पूर्व यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यह खान बन्द होने वाली है और सब मजदूरों की छंटनी की जाएगी। मैं इसकी सचाई जानना चाहता हूं। इस खान को जारी

†मूल अंग्रेजी में

रखने के लिये नई चट्टानें और नये निक्षेप ढूंढने की आवश्यकता है । क्या इन खानों को अधिक समय तक कायम रखने के लिये यह किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: दुर्भाग्य से, नये निक्षेप ढूंढने के हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं और उस क्षेत्र में बड़ें पैमाने पर निक्षेप उपलब्ध न होने के कारण यह सम्भव है कि बड़े पैमाने पर छंटनी करनी पड़े । परन्तु हमेशा यह प्रयत्न किया जाता है कि मैसूर खानों के फालतू मजदूरों को अन्य दो खानों, चैम्पियन रीफ और नन्दी युग में भेज दिया जाए । जब सरकार ने ये दो खानें ली थीं तो यह अनुमान लगाया गया था कि हमारे प्रयत्नों के परिणाम में से सम्भवतः कुछ निक्षेपों की खोज हो जाएगी । परन्तु अभी तक हम सफल नहीं हुए । हमारे प्रयत्न अभी जारी हैं । हमें आशा है कि हमें कुछ नई चट्टानें मिलेंगी और तब समूची स्थिति ठीक हो जाएगी ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : मेरी सूचना यह है कि नई चट्टानें ढूंढ़ने और विकास कार्य करने के लिय कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि अधिकारियों ने इन खानों को बन्द करने का फैसला किया है । इन खानों के लिय हमने प्रतिकर के मैसूर सरकार को भारी राशि दी है ।सरकार इनकी दीर्घायु के लिय तथा इन से सोना निकालने के लिय क्या प्रयत्न कर रही है ? मैं समझता हूं कि वहां चट्टानें हैं और यदि उचित मात्रा में रुपया खर्च किया जाय तो नयें अयस्क तोड़ना सम्भव होगा ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं समझता हूं कि सरकार को शिल्पिक मत के अनुसार चलना बेहतर होगा । निस्सन्देह हमने अधिक सोना अयस्क निक्षेप ढूंढ़ने के लिय पूर्ण प्रयत्न किया है । यदि हमें नहीं मिला, तो यह हमारा दुर्भाग्य है, परन्तु हम अधिक निक्षेप ढूंढ़ने के प्रयत्न जारी रख रह हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : भारत में चार से कम सोने की खाने हैं, और मैसूर सोना खान से अधिक उत्पादन होता हैं । फिर क्या बात है कि मन्त्री जी ने जो मित्र खींचा है वह इतना राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इतना बुरा क्यों है जबकि राष्ट्रीयकरण से पूर्व उत्पादन का चित्र इससे काफी अच्छा था ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं इन खानों के राष्ट्रीकरण की पूरी कहानी का उलेख नहीं करना चाहता । इस सदन के सदस्यों को वें तथ्य भली भांति विदित हैं और व उन बातों को याद करें कि उस समय क्या हुआ था । परन्तु मेरी बात केवल मैसूर की स्वर्ण खानों के बारे में है और अन्य खानों के बारे में नहीं है जहां निक्षेपों के अच्छे अवसर हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कोलार क्षेत्रों के समीप, लगभग ३० या ४० मील दूर, भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने व्यापक खोज कार्य किया है। उसके बाद, सतत नक्श बनाये गय हैं और निक्षेपों की यात्रा ढूंढी गई थी । वह कार्य अब किस स्थिति पर है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे पास ये ब्यौरे नहीं हैं, परन्तु यह तथ्य है कि कालार स्वर्ण क्षेत्र के पास भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग अधिक विक्षेप ढूंढ़ने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहा है और हमें आशा करनी चहिये कि हमें कुछ अधिक अच्छे ज्ञेत्र प्राप्त होंगे ।

†**श्री आचार** : मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इस खोज कार्य पर कितना व्यय किया जा रहा है । इस काम के लिये किन विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है, क्या वे विदेशी हैं या भारतीय और कितने लोग काम कर रहे हैं तथा वहां किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अयस्कों के निक्षेप ढूंढ़ने के लिये हमारे पास काफी विशेषज्ञ हैं और हमें इस काम के लिये विदेशी विशेषज्ञ मंगवाने की जरूरत नहीं हैं । मेरे सभा सचिव ने पहले बताया

†मूल अंग्रेजी में

है कि उनके पास इनके आंकड़े नहीं हैं। पृथक प्रश्न पूछा जाए तो उस का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा।

†**श्री बासप्पा** : क्या इन चट्टानों के विक्रय में मैसूर सरकार का मत जान लिया गया है। यदि हां, तो इस विषय में उसका ठीक मत क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं ने ये मेरी सरकार का विचार बता दिया है। यदि माननीय सदस्य इच्छुक हैं, तो हम मैसूर सरकार से भी पूछ सकते हैं।

पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम राशि

+

†*१२४०. { **श्री रा० चं० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न श्रेणियों के पिछड़े हुए वर्गों के लिये मूलतः निश्चित की गयी अधिकतम धन-राशियों पर राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात पुनः विचार किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(क) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रा० चं० माझी** : कुछ राज्यों को वर्ष के मध्य में इन परिवर्तनों की सूचना दी गई है। क्या इस से उन की कल्याण योजनाओं में किसी प्रकार की रुकावट आई है ?

†**श्री दातार** : शोधित अधिकतम सीमा संबंधी सूचना विभिन्न राज्यों को समय पर दी गई थी।

†**श्री बा० चं० कामले** : सरकार ने शोधित अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की है ?

†**श्री दातार**: यह लेखा विवरण है जिस में पिछड़ी श्रेणियों के विभिन्न वर्ग छिपे गये हैं।

†**श्री बा० चं० कामले** : केवल चार या पांच छोटे वर्ग हैं। और वह आसानी से उन के बारे में अधिकतम सीमा बता सकते हैं।

†**श्री दातार** : मैं कसौटी बता देता हूं। वह यह थी कि एक राज्य से दूसरे में लोगों का स्थानान्तरण। इसलिये अधिकतम सीमा में शोधन करना पड़ा और जिन की जनसंख्या अधिक थी उन्हें अधिकतम सीमा दी गई।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'हां' में दिया था। यदि हां, तो क्या क्या उन राज्यों के बारे में कोई परिवर्तन किया गया है, जिन पर राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ?

†**श्री दातार** : उन के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों की परीक्षा-पद्धति

+

†*१२४१. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या शिक्षा मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों की परीक्षा-पद्धति में सुधार करने के प्रश्न की जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या सरकार सैकंड्री और प्राइमरी स्कूलों में भी परीक्षा प्रणाली में सुधार करने का विचार कर रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : प्रस्ताव है और इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई की जा चुकी है ।

†श्री हेम बरुआ: क्या इस समिति के अन्तिम परीक्षाओं के परिणामों को विद्यार्थियों के काम के आन्तरिक अनुमान के साथ मिलाने, अर्थात् विद्यार्थियों की योग्यता को निर्धारित करने में संबंधी रिपोर्ट पर ध्यान देने के लिये कोई सुझाव दिया है और यदि हां, तो इस विशिष्ट सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक संचित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर दे ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कितना समय दिया गया था, और इस मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : आप जानते हैं कि यह यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन की कमेटी है, इसको गवर्नमेंट ने नियुक्त नहीं किया है । यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन एक आटोनामस संस्था है । उनको दरखास्त की जाएगी कि जितनी जल्दी हो सके इस रिपोर्ट को पेश कर दें ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या समिति ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली की त्रुटियां बताई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वर्तमान परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों में रटने की आदत पैदा करती है और वे बहुत उद्देश्यवान नहीं होते । यह सुझाव दिया गया है कि इन दो मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए सुधार करने की जरूरत है और बहुत देर से इस निक्षेप पर शिक्षाविदों में चर्चा हो रही है । हमें इस मामले पर विचार करने से पूर्व इस समिति के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : एक बात बड़ी जोर से अनुभव की जा रही है कि कालेजों में पाठ्यक्रम पूरे नहीं किये जाते । क्या इस दोष को ठीक करने या पाठ्यक्रमों को कम करने के लिये कार्रवाई की गई है तथापि विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम पूरे कर सकें या अध्यापक अपेक्षित संख्या में प्रवचन दे सकें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कार्रवाई का सुझाव है । मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तक प्रतीक्षा करें ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस समिति ने परीक्षाओं के बीच समय रखने, विद्यार्थियों का चुनाव करने और सोद्देश्य परीक्षण करने का सुझाव दिया है, यदि हां, तो क्या इन बातों पर विचार किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: ये सब बातें विचाराधीन हैं।

श्री जांगड़े : क्या सरकार के सामने यह बात भी विचाराधीन है कि परीक्षा के बाद एक साल तक उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी होगी और वह भी उन की योग्यता में सहायक होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या वर्तमान परीक्षा प्रणाली इससे भिन्न है और क्या कोई किसी सामाजिक कार्य को ध्यान में रखा जा रहा है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि मैं ठीक समझ सका हूं तो माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या परीक्षा के लिये राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य रूप से मानी जाएगी । यह पृथक मामला है जिसकी जांच की जा रही है । इस का इस समिति विशेष से कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या समिति ने स्थानीय परीक्षाओं संबंधी अपने अनुभव या विदेश की स्थितियों के अध्ययन के आधार पर उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन्हें कुछ विदेशी शिक्षा शास्त्रियों से भी इस समस्या की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था ।

कोयले से संश्लिष्ट तरल ईंधन का उत्पादन

+

†*१२४२. { **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री रा० चं० माझी** : **श्री नेक राम नगी** : **श्री न० म० देब** : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले से संश्लिष्ट तरल ईंधन का उत्पादन करने के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर द्वारा एक अग्रिम परियोजना चालू की गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस तरल ईंधन का आविष्कार उपरोक्त संस्था द्वारा किया गया है ;

(ग) क्या इस परियोजना का कार्य शुरु हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अग्रिम परियोजना के अन्तर्गत प्रति दिन कितना उत्पादन होता है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) अग्रिम संयंत्र २० दिन तक लगातार सफलतापूर्वक चलाया गया और उसने ६४ गैलन प्रतिदिन उत्पादन किया । आशा है कि यह १०० गैलन शोधित तेल तक बढ़ जाएगा, जिस के लिये यह बताया गया है ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या संश्लिष्ट तेल के विभिन्न उपयोगों के बारे में प्रयोग किये गये हैं और यदि हां, तो किन विभिन्न प्रदेशों में उनका क्या परिणाम निकाला है ?

†श्री हुमायून् कबिर : स्पष्ट है कि प्रयोग किये गये हैं । अन्यथा, अशोधित तेल पैदा नहीं किया जा सकता था ।

†श्री सुबोध हंसदा : इस संश्लिष्ट तेल की उत्पादन लागत क्या है ?

†श्री हुमायून् कबिर : यह भारतीय संस्था के कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रयोगशाला स्तर पर किया जा रहा है । इसलिये अभी मेरे पास इस की लागत का कोई पृथक हिसाब नहीं आया ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या खड्गपुर प्रौद्योगिकी संस्था में किया गया अनुसंधान हैदराबाद अनुसंधान प्रयोगशाला में पहले से किये गये काम के साथ, जहां इसी प्रकार का तरीका निकाला गया है, मिलाया गया है ?

†श्री हुमायून् कबिर : मेरी सूचना यह है कि इस क्षेत्र में दो रसायनों पर काम हो रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड्गपुर और केन्द्रीय तेल अनुसंधान संस्था, जीलगोर । हैदराबाद में ठीक इसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है ।

†श्री च० द० पांडे : यह तेल कितने प्रतिशत प्राप्त होता है और इस का क्लोरोफिल मूल्य कितना है ? क्या इस कोयले का क्लोरोफिल मूल्य, कोयले की तुलना में, साधारण तेल से कम है ?

†श्री हुमायून् कबिर : इस तरीके का मुख्य लाभ यह है कि हमारे पास निम्न श्रेणी के कोयले के बहुत बड़े निक्षेप हैं जो धातुशोधन तथा अन्य कामों के लिये उपयुक्त नहीं हैं, परन्तु हमें उनमें संश्लिष्ट पेट्रोल मिल सकता है, और यह संश्लिष्ट पेट्रोल किसी दूसरे पेट्रोल के समान होता है ।

†श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था में भी यह प्रयोग किया गया है । इस प्रयोग का वहां पर क्या परिणाम निकला है और क्या इस ईंधन का उत्पादन व्यापारिक आधार पर करने के प्रश्न की जांच की गई है ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैं ने यह नहीं कहा कि 'वही' प्रयोग है । मैं ने कहा था 'वैसा ही' प्रयोग । यह एक शिक्षा संस्था है और यहां पर घटिया किस्म के कोयले के विधायन (प्रोसेसिंग) का काम हाथ में लिया गया है । जब यह काम शुरू किया गया था, तब हमें पेट्रोल की सप्लाई सम्बन्धी अपनी स्थिति का पता नहीं था और हम ने सोचा कि यह उचित होगा कि संश्लिष्ट पेट्रोल बनाने के लिये, जहां तक हो सके, कोयले का इस्तेमाल किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्या यह सच है कि संश्लिष्ट पैट्रोल बनाने की योजना सरकार द्वारा एक बार इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि इस का उत्पादन बड़ा महंगा है और अन्य किस्मों की तुलना में इस को उपयोग करने में भी अधिक खर्च आता है ?

†श्री हुमायून् कबिर : एक दृष्टिकोण यह भी है किन्तु हमें दो अनुभव प्राप्त हुए हैं जिन के कारण इस प्रश्न पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है । जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की समूची अवधि में संश्लिष्ट पैट्रोल का इस्तेमाल किया जाता रहा था । और हमारे सामने दक्षिण अफ्रीका की सरकार का उदाहरण भी है । उन्होंने २५०,००० टन संश्लिष्ट पैट्रोल की क्षमता वाले एक संयं का निर्माण किया है । अतः जहां पर ट्रोल आसानी से उपलब्ध नहीं होता और घटिया किस्म का कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है, वहां पर इस के इस्तेमाल की सम्भावनाओं की जांच करना वांछनीय है ।

†श्री त्यागी : साधारण पेट्रोल की तुलना में इस की लागत कितनी है ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि एक शिक्षा संस्था में अनुसंधान के रूप में इस की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में अभी प्रयोगशाला में कार्य हो रहा है । अग्रिम संयंत्र में जब इस का उत्पादन एक प्रकार से व्यापारिक आधार पर होने लगेगा तब हम इस की लागत के बारे में आंकड़े दे सकेंगे ।

†श्री गोरे : क्या जर्मनी से, जहां पर इस का उत्पादन और इस्तेमाल बड़े मामाने पर किया जाता था, इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है ?

†श्री हुमायून कबिर : जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे फिशर ट्राप्श प्रक्रिया[1] कहते हैं । दरअसल संश्लिष्ट पैट्रोल बनाने के दो तरीके हैं और दोनों जर्मनी के हैं । दूसरी प्रक्रिया को बर्गियस कोयला हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया[2] कहते हैं । इस सम्बन्ध में हमें जर्मनी से दो उत्पादन-एकक मिले हैं; एक तो जल-गैस उत्पादक (generator) है और दूसरा रियेक्टर (reactor) है । अन्य मशीनों के नमूनों और उन मशीनों का निर्माण संस्था में स्वयं किया गया है । मैं समझता हूं कि यह एक बधाई का विषय है ।

इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*१२४३. श्री मोहम्मद इलियास : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और रूरकेला से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है ; और

(ग) क्या सभी विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाया जा चुका है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) से (ग). परियोजनाओं की ओर से भूमि और मकानों का प्रतिकर, अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा तय किये गये दरों के अनुसार दिया गया है । इन तीनों संयंत्रों और सम्बद्ध बस्तियों के लिये भूमि प्राप्त करने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास की ओर राज्य सरकारें ध्यान दे रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Fischer Tropsch Process.

[2] Bergius Coal Hydrogenation Process.

यह पता चला है कि दुर्गापुर के लगभग सभी विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाया जा चुका है। रूरकेला से विस्थापित व्यक्तियों के लिये उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास बस्तियां बसानी शुरू की हैं।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को रूरकेला और भिलाई में काम पर लगाने की सरकार की कोई योजना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: जहां तक उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिन की जमीन अथवा मकान लिये गये हैं, उन को प्रतिकर देने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें इन्हें पुनः बसाने का काम कर रही हैं। अन्य बातें समान होने पर, इन लोगों को इन परियोजनाओं में काम पर लगाने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या इन लोगों को 'इन्सपेक्टोरेट' में काम पर लगाने के लिये सरकार की इन लोगों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ? क्या इस कार्य के लिये कोई टेक्निकल स्कूल खोला गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : केवल विस्थापित व्यक्तियों के लिये पृथक प्रशिक्षण योजना की आवश्यकता नहीं है। वे अन्य प्रशिक्षण योजनाओं में भाग ले सकते हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : इन विस्थापित परिवारों के कितने लोग रूरकेला में नौकरी चाहते थे और उन में से कितने लोगों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री सूपकार** : क्या रूरकेला से विस्थापित सभी व्यक्तियों का पुनर्वास हो चुका है अथवा कोई ऐसी योजना है जो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुई ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जैसा कि संसदीय सचिव ने बताया है इस योजना का ब्यौरा राज्य सरकारों से उपलब्ध हो सकता है क्योंकि इन व्यक्तियों के पुनर्वास का काम राज्य सरकारें कर रही हैं। हमारे पास केवल इतनी जानकारी है: रूरकेला में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप २,४४४ परिवार विस्थापित हुए थे। कुछ परिवारों को छोड़ कर, जिन्हों ने अपना प्रबन्ध स्वयं किया था, शेष सभी परिवारों का पुनर्वास उड़ीसा-सरकार द्वारा किया गया था। इस कार्य के लिये सरकार ने दो बस्तियां बसाई थीं जहां १,७७१ परिवारों को मकान बनाने के लिये मुफ्त जमीन दी गई और निर्माण कार्य के लिये राज्य-सहायता प्रदान की गई। इन में से अधिकतर व्यक्ति काश्तकार हैं इसलिये इन लोगों से अधिग्रहण की गई भूमि के स्थान पर इन लोगों को खाली जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये मुक्त भूमि दी जा रही है। इस जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये १,०० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से राज-सहायता भी दी जा रही है। इस से यह प्रकट होता है कि राज्य सरकारें उन को बसाने के लिये, जहां तक हो सकता है, सब कुछ कर रही हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रूरकेला से विस्थापित व्यक्तियों ने रूरकेला बस्ती में प्लाट लेने के लिये आवेदन पत्र दिये थे और यदि हां, तो क्या उन लोगों को कोई प्लाट अथवा दुकानें दी दी गई हैं जिस से वे अपना काम कर सकें और अपना गुजारा कर सकें ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ये ब्योरे की बातें हैं और मेरे पास इस की जानकारी नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : पिछले वर्ष, जब यह प्रश्न पूछा गया था, तो मैं ने बताया था कि इन विस्थापित व्यक्तियों में अधिकांश लोग आदिवासी हैं और सरकार ने उन्हें शहरों में जमीनें दी हैं और

†मूल अंग्रेजी में

ये जमीनें दस दस मील दूर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अब क्या स्थिति है ? ये लोग काश्तकार हैं इसलिये वे अपने धान के खेतों से दस मील दूर नहीं रह सकते।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे इस समय इस बारे में जानकारी नहीं है और यह सच है कि किसी व्यक्ति का निवास-स्थान उस के काम की जगह से दूर नहीं होना चाहिये।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** प्रश्न के भाग '(ग)' में यह पूछा गया है कि "क्या सभी विस्थापित व्यक्तियों को पुन: बसाया जा चुका है ?" इसलिये मंत्री महोदय के पास इस समय तक सारी जानकारी पहुंच जानी चाहिये थी।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने काफी विस्तृत विवरण दिया है। उन्हों ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है वह किसी एक खास व्यक्ति को बस्ती में दुकान आदि मिलने के बारे में हैं। मुझे इस की सूचना नहीं है।

बम्बई में इथोपिया के सालिसिटर और अवैतनिक व्यापार-प्रतिनिधि (कौंसल) की गिरफ्तारी

+

†*१२६४-ख. { **श्री खाडिलकर :**
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने श्री आई० एस० कांगा नामक व्यक्ति को, जो इथोपिया के सालिसिटर और व्यापार-प्रतिनिधि (कौंसल) हैं, यात्रियों के चैकों, विदेशी मुद्रा और तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य के एक हीरे को चोरी छिपे लाने के आरोप में अप्रैल, १९५९ में गिरफ्तार किया, और यदि हां, तो इस मामले का व्योरा क्या है ;

(ख) क्या इस संबंध में किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नजरबन्द अथवा गिरफ्तार किया गया, और यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं और पुलिस ने इस मामले के सम्बन्ध में किन किन व्यक्तियों और स्थानों की तलाशी ली ;

(ग) क्या कोई मुकदमा शुरू किया गया है, और यदि हां, तो किस के विरुद्ध ;

(घ) क्या बम्बई के मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त श्री कांगा को रिहा कर दिया है और यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ङ) क्या मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि इस तस्कर व्यापार की वास्तविक जिम्मेदारी नानूभाई जवेरी, सर्राफ के भतीजे और नानूभाई उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री मनहर भगत पर है;

(च) क्या श्री भगत को पहले गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा नानूभाई जवेरी के घर की तलाशी भी ली गई थी किन्तु उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस निर्णय को देखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (छ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२४]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर :** निर्णय से यह स्पष्ट है कि श्री कांगा को जो पैकेट दिया गया था वह नानूभाई जवेरी के हिस्सेदार श्री मनहर भगत ने दिया था । यह जनेवा ले जाया गया और इस पर जूनागढ़ की मोहर थी। मनहर भगत और नानूभाई जवेरी के विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ? किस की सलाह पर ऐसा नहीं किया गया ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैंने विवरण में ब्यौरे सहित सभी बातें बता दी हैं । इसमें उल्लेख है :

> "श्री जवेरी की दुकान और मकान की, जिसमें श्री मनहर भगत रहते थे, सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गयी । किन्तु श्री जवेरी और भगत के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले, इसलिये चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट से उन्हें छोड़ने का आवेदन किया गया और केवल श्री कांगा के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ।"

†**श्री खाडिलकर :** मेरे पास निर्णय की प्रति है और उससे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मैजिस्ट्रेट ने मुकदमे के बारे में कोई आदेश नहीं दिये, तथापि जूनागढ़ की मोहर बरामद हुई थी । इसका सम्बन्ध पैकेट के हस्तान्तरण से है. . . . . .क्या यह मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे सकता । यह बड़े नाजुक मामले हैं और सरकार ने सरकारी वकील की सलाह के अनुसार कार्य किया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** विवरण में यह लिखा है कि श्री जवेरी और श्री भगत के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण उन्हें छोड़ा गया और श्री कांगा के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ।

किन्तु कांगा के विरुद्ध मुकदमा चलाने के पश्चात् निर्णय से पता चलता है कि बाद में साक्ष्य उपलब्ध हो गये थे । क्या सरकार का अब उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** कोई नया प्रमाण अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मेरा कहना यह है कि मुकदमे के दौरान मोहर आदि के मिलने से परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है । क्या सरकार का अब श्री जवेरी और श्री भगत के विरुद्ध मुकदमा चलाने का विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मेरा ख्याल है कि साक्ष्य के आधार पर मुकदमा चलाना आवश्यक नहीं । हम इस मामले पर विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं और जहां तक हो सका, उन्हें जुर्माना किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का कहना है कि क्या मोहर के मिलने से उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये एक ठोस साक्ष्य नहीं मिल गया ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह कोई नई चीज़ नहीं थी । ये सब चीज़ें विधि मन्त्रालय के सामने थीं और इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह दी गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न संख्या १२३६ के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** : मैं प्रश्न संख्या १२३६ के बारे में एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं नम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष को यह कहने का अधिकार है कि अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार का होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष 'निष्क्रिय' नहीं है । उसे कुछ गलतफहमियां दूर करनी पड़ती हैं। मुझे यह अधिकार है कि मैं किसी सदस्य को कहूं कि वह किसी खास प्रकार का प्रश्न न पूछें जिससे किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा होने की आशंका हो।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंट सेन्टर[1], बालासोर

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. डा० सामन्त सिंहार** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बाढ़ आने से बालासोर के प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंट सेंटर (प्रमाण और प्रयोग केन्द्र) को कोई नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो कैसा नुकसान पहुंचा है;

(ग) सम्पत्ति तथा शस्त्रास्त्र की कितनी हानि हुई है;

(घ) बाढ़ के दौरान कितने प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी शिविरों में रह रहे थे; और

(ङ) क्या बाढ़ के दिनों में वे शिविर रहने योग्य थे और बाढ़ के कितने घण्टे पश्चात् उनके रहने के वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की गयी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**डा० सामन्त सिंहार** : कितने प्रतिरक्षा कर्मचारी शिविरों में रह रहे हैं और उनके लिये स्थायी मकानों की व्यवस्था करने में कितना समय अथवा वर्ष लगेंगे ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : लगभग २०० व्यक्ति, जिनमें जूनियर कमीशण्ड अधिकारी और अन्य पदों के व्यक्ति और उनके परिवार शामिल हैं, वहां रहते हैं। ये अस्थायी निवास स्थान हैं। देश भर के सभी प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये स्थायी निवास स्थान की व्यवस्था करने में कुछ समय लगेगा ।

†**श्री सूपकार** : ये लोग कब से अस्थायी निवास-स्थानों में रह रहे हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरा ख्याल है कि हम मुख्य प्रश्न से अन्य प्रश्नों की ओर जा रहे हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : : प्रमाण केन्द्र में कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : किसी सैनिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या नहीं प्रकट की जा सकती । हां, उनके स्थायी निवास स्थान की व्यवस्था करने के लिये काम शुरू करने के लिये सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Proof and Experiment Centre.

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि वहां पर बाढ़ आयी थी किन्तु मन्त्री महोदय कहते हैं कि वहां बाढ़ नहीं आयी । उन्हें यह सूचना कहां से मिली है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : पिछले वर्ष बाढ़ आयी थी । माननीय सदस्य को उसकी सूचना शायद अब पहुंची है ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११.**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री त० ब० विठ्ठल राव :
श्री प्रभात कार :
श्री कोडियान :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ और २५ सितम्बर, १९६० को होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन की कार्य-सूची में से 'सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध' की मद को निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किन्हीं मन्त्रालयों ने इसको शामिल करने पर आपत्ति की थी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) सरकार ने इस बीच यह निश्चय किया है कि 'सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध' मद को कार्य-सूची में शामिल किया जाये तथा इसके कुछ पहलुओं पर सम्मेलन में खुले रूप में चर्चा की जा सकेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस बात की सूचना प्रतिरक्षा फैडरेशन, रेलवे कर्मचारी फैडरेशन आदि को भेज दी गयी है ताकि वे सम्मेलन में भाग ले सकें ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस सम्मेलन में भाग लेने वाले केन्द्रीय कार्मिक संघों को इसकी सूचना दे दी गयी है अथवा दी जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जैसा कि सभा को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बहुत से संघों की मान्यता वापस ले ली गयी है । इस मान्यता के अभाव में वे इस सम्मेलन में कैसे भाग ले सकेंगे ? इसके अतिरिक्त क्या इस सम्मेलन में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के अन्य संघों को यदि सदस्य के रूप में नहीं तो क्या प्रेक्षक के रूप में बुलाया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : इस सम्मेलन का अपना गठन और प्रक्रिया है । मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों अथवा अन्य संघों का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा है कि 'औद्योगिक सम्बन्धों' के कुछ पहलुओं पर विचार किया जायेगा । ये पहलू क्या हैं ? और क्या इस पर त्रिपक्षीय-स्तर पर चर्चा करने की बजाय द्वि-पक्षीय स्तर पर चर्चा करने के लिये कोई प्रबन्ध किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : यहां पर श्रम संगठनों को, जिस पहलू पर वे चाहें, चर्चा करने का अवसर मिलेगा। किन्तु जहां तक द्वि-पक्षीय बात का सम्बन्ध है, बाद में ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा कि श्रमिक सरकारी कर्मचारी अपने विचार प्रकट कर सकें।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : 'सरकारी क्षेत्र की नौकरियों' से सरकार का क्या अभिप्राय है? क्या इनमें केन्द्रीय सरकार की वे सेवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें अत्यावश्यक सेवायें कहा जाने लगा है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयुध कारखाने, टेलीफोन उद्योग आदि भी इसमें शामिल हैं?

†श्री नन्दा : यहां 'सरकारी क्षेत्र' का अर्थ व्यापक रूप में लिया जाता है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : द्विपक्षीय सम्मेलनों के आयोजन का कार्य श्रम मन्त्रालय का है किन्तु काफी समय से इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। क्या अब इस सम्बन्ध में कुछ किया जायेगा?

†श्री नन्दा : अभी हाल ही में हुई घटनाओं से स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ गया है।

†श्री तंगामणि : माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा है कि 'सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध' को भी कार्य-सूची में शामिल किया गया है। क्या कार्य-सूची में त्रिपक्षीय वार्ता की सर्व-सम्मत सिफारिशों को सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू करने की बात को भी रखा जायेगा?

†श्री नन्दा : कार्य-सूची में एक और मद इस बारे में है। भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने के बारे में।

†श्री एन्थनी पिल्ले : त्रिपक्षीय सम्मेलन के पहले परिपत्र में यह मद कार्य-सूची में शामिल है किन्तु अब एक और नोटिस दिया गया है जिसके द्वारा इसको कार्य-सूची में से निकाल दिया गया है। अब हमें यह सूचना दी जा रही है कि इसे पुनः शामिल कर लिया गया है। क्या मैं इन सब बातों का कारण जान सकता हूं?

†श्री नन्दा : यदि माननीय सदस्य को इस मद के शामिल किये जाने पर सन्तोष है तो इससे उनका समाधान हो जाना चाहिये।

†श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्नोत्तर से यह प्रतीत होता है कि इस मद का सम्बन्ध केवल सरकारी क्षेत्र से है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में सदस्यों अथवा कम से कम प्रेक्षकों के रूप में बुलाया जायेगा?

†श्री नन्दा : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

†श्री एन्थनी पिल्ले : क्या श्रम मन्त्रालय ने इस विषय पर चर्चा के लिये कोई नोट तैयार किया है और क्या इस नोट में हड़ताल करने के अधिकार, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित होने के अधिकार और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अनुशासन संहिता को लागू करने के प्रश्नों को शामिल किया गया है?

†श्री नन्दा : हम इस बारे में नोट का परिचालन करके सदस्यों के लिये चर्चा के क्षेत्र को सीमित नहीं करना चाहते।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जवाहर सुरंग

***११६३. श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री केशव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर सुरंग का पूर्वी मार्ग कब तक बन कर तैयार हो जायेगा; और

(ख) उसके लिये अनुमानतः कितने व्यय की व्यवस्था की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जवाहर सुरंग का पूर्वी रास्ता भी यातायात के लिये जुलाई, १९६० को खोल दिया गया था। सुरंग में अभी कुछ छोटे निर्माण कार्य होने बाकी हैं जिन को सुरंग के एक रास्ते का यातायात बन्द कर उसे दूसरे रास्ते से चालू कर पूरा किया जा सकता है ।

(ख) १.९१ करोड़ रुपये ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में योगी पर प्रयोग

†***११९४. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में पहले एक योगी पर और उसके पश्चात् "सामान्य" व्यक्तियों पर कुछ प्रयोग किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रयोगों के परिणामों का मूल्यांकन किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो ये परिणाम क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२५**] ।

रेलगाड़ियों में जंजीर का खींचा जाना

†*११९५. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में कुछ विद्यार्थियों ने खतरे की जंजीर खींच कर दिल्ली-सोनीपत रेलगाड़ी को १८ मिनट तक खड़ा रखा;

(ख) इन अपराधी यात्रियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) पिछले एक वर्ष में दिल्ली-सोनीपत क्षेत्र में जंजीर खींचने की कितनी घटनाओं की सूचना मिली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ३०–६–६० को समाप्त होने वाले वर्ष में २५० घटनायें।

उच्च-स्तरीय तुंगभद्रा नहर

†*११६६. श्री रामी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च-स्तरीय तुंगभद्रा नहर योजना के प्रथम चरण को कार्यान्वित करने के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में, जिसे कई दौरों में पूरा किया जायेगा, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने अपनी प्रस्थापनायें भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के प्रथम चरण को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२६]।

ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी

*११६७. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री २८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ स्टेशनों और कुछ सेक्शनों पर मैसर्ज ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के पुस्तकें बेचने के एकाधिकार के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मेसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के साथ जो ठेके हुए हैं उनकी शर्तों में संशोधन किया जा रहा है ताकि जिन स्टेशनों पर व्हीलर के बुक स्टाल नहीं हैं, वहां दूसरे ठेकेदार बुक स्टाल रख सकें और जिन स्टेशनों पर इस समय व्हीलर के बुक स्टाल हैं वहां व्हीलर के द्वारा नहीं बल्कि अन्य लोगों के द्वारा कुछ निर्दिष्ट संस्थाओं की पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि बेची जा सकें।

विलम्ब-शुल्क और घाट-शुल्क[1]

†*११६८. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के व्यापारियों द्वारा भारतीय रेलवे को १९५८–५९ और १९५९–६० के वित्तीय वर्षों में कितना विलम्ब-शुल्क और घाट-शुल्क अदा किया गया ;

(ख) क्या व्यापारियों की ओर से रेलवे बोर्ड को कोई अभ्यावेदन किया गया था कि रेलवे को बैंक की छुट्टी वाले दिन विलम्ब-शुल्क और घाट-शुल्क नहीं लेना चाहिये क्योंकि उन दिनों में बैंकों से रेलवे-रसीदें नहीं मिल सकतीं ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Demurrage and wharfage.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)—

१९५८–५९ .	. ३ . ६३ करोड़ रुपये (अनुमानतः)
१९५९–६० . .	. ३ . ८२ करोड़ रुपये (अनुमानतः) ।

(ख) और (ग). जी, हां । बैंक की छुट्टी वाले दिन को विलम्ब-शुल्क और घाट-शुल्क के लिये 'बिना काम का दिन' मानने की प्रार्थना पर विचार किया गया परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया ।

"पुनर्नवा"

†*११९९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेद अनुसंधान परिषद्, दिल्ली ने "पुनर्नवा" नाम की एक ऐसी भारतीय बूटी की खोज की है जिस से चश्मे की सहायता के बिना आंखों की देखने की शक्ति पुनः प्राप्त हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस औषधि के व्यापक आधार पर प्रयोग की सम्भावनाओं की जांच की गई है ; और

(ग) इस का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). 'पुनर्नवा' औषधि का परीक्षण किया जा रहा है और इस बारे में अभी कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती ।

मालवाही जहाजों और मुसाफिरों के ले जाने वाले जहाजों की खरीद

†*१२००. **श्री प्र० के० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने मुसाफिरों को लाने ले जाने वाले जहाजों को खरीदने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने इन जहाजों के स्थान पर मालवाही और तेलवाहक जहाज़ खरीदने का निश्चय किया है ;

(ग) राष्ट्रीय नौवहन-बोर्ड की सिफारिशों से भिन्न कार्यवाही करने का क्या कारण है ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने देश की माल और तेल के यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं पर भी विचार किया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ५ यात्री जहाजों के खरीदने की सिफारिश की है, तीन भारत/ब्रिटेन सेवा पुनः चालू करने के लिये और दो इस समय भारत/मलाया और भारत/पूर्वी अफ्रीका की सेवाओं पर चल रहे जहाजों के स्थान पर लगाने के लिये ।

(ख) और (ग). तृतीय योजना में नौवहन के लिये आवंटित ५५ करोड़ रुपये की सीमित धनराशि को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा मालवाही जहाजों, टैंकरों आदि की खरीद के लिये सिफारिश किये गये लक्ष्य में ढील देनी पड़ेगी । तथापि, दो यात्री जहाजों की खरीद के बारे में विचार करना सम्भव हो सकता है ।

(घ) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण दस्तकारों का प्रशिक्षण

†*१२०१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास खंडों में उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य और ग्रामीण दस्तकारों के प्रशिक्षण पर पुर्नविचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई पाठ्यक्रम समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२७**] ।

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों और स्वायत्तशासी बोर्डों के विचार आमंत्रित किये गये हैं । इन विचारों के प्राप्त हो जाने और मंत्रालय के इन पर विचार किये जा चुकने के बाद सिफारिशों पर कार्यवाही करना आरम्भ किया जायेगा ।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मेडिकल आफिसर

†*१२०२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार के अस्पतालों के वरिष्ठ मैडिकल आफिसरों को बाहर रोगियों को देखने कीं अनुमति है अथवा उन्हें रोगियों को देखने के लिये बाहर भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिये कोई शुल्क लिया जाता है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में मैडिकल आफिसर कितनी बार बाहर गये अथवा भेजे गये ; और

(घ) क्या इस कार्य के लिये सरकार को कोई धन प्राप्त होता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

यूनानी जहाज का मर्मागोआ के निकट जमीन से टकराना

†*१२०३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'रीता' नाम का १०००० टन का यूनानी भारवाहक जहाज़ १ जुलाई, १९६० को प्रातः काल मार्मागोआ से आध मील दूर जमीन से टकरा गया तथा उस के दो टुकड़े हो गये और 'जगज्योति' नामक भारतीय जहाज उस की सहायता के लिये गया ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय जहाज ने क्या सहायता दी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां । यह दुर्घटना गोआ बन्दरगाह के प्रवेश द्वार के लगभग ४।। मील दक्षिण में हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारतीय टैंकर एम० एस० 'जग ज्योति' ने बहुत कठिन परिस्थितियों में पड़ कर और अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल कर एस० एस० 'रीता' के चालकों के २५ सदस्यों को बचाया और उन को बम्बई लाया। बचे हुए व्यक्तियों को भारतीय जहाज पर आराम से रखा गया।

बिजली से चलन वाली गाड़ियां

†*१२०४. श्री कालिका सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के रेलवे सलाहकार ने बरमिंघम की मैट्रोपोलिटन कैमल कैरिज एण्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड द्वारा बनाई गई ९० मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली डीजल विद्युत् सुख-सुविधापूर्ण रेलवे गाड़ी (लक्जरी ट्रेन) में यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह कैसी लगी ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड विद्युत् से चलने वाली उपरोक्त प्रकार की गाड़ियों की खरीद के बारे में बातचीत कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो बातचीत का स्वरूप क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ऐसी सुख-सुविधापूर्ण गाड़ियों (लक्जरी ट्रेन) के निर्माण के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(च) इन गाड़ियों में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) यह गाड़ी अधिकतम ९० मील की रफ्तार से चली और इस में चढ़े व्यक्ति बड़े आराम से रहे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सामान्यतः प्रत्येक प्रथम श्रेणी के डिब्बों में ३६ यात्री बैठ सकते हैं और द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में ४२ यात्री।

माल ढोने वाली मोटर गाड़ियों में होने वाले लदान का रजिस्टर्ड भार

†*१२०५. श्री अ० मु० तारिक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में माल ढोने वाली मोटर गाड़ियों के लिये लादे जाने वाले माल का रजिस्टर्ड भार निर्धारित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया ;

(ख) क्या किसी राष्ट्रीय राजपथ पर चलने वाली मालवाही गाड़ियों में लादे जा सकने वाले माल का रजिस्टर्ड भार भारत सरकार द्वारा सिफारिश किये गये भार से कम है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में है तो इस वजन को भारत सरकार द्वारा सिफारिश किये गये स्तर तक लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२८]**

हिमाचल प्रदेश में वृक्षों को काटना

†*१२०६. { **श्री नेक राम नेगी** :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हिमाचल प्रदेश में रक्षित राज्य वनों में व्यापारियों और अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को की जा वाली बिक्री द्वारा प्रति वर्ष जितने वृक्ष काटे जाते हैं वे वन-विभाग द्वारा उगाये जाने वाले वृक्षों से बहुत अधिक होते हैं जिस के परिणामस्वरूप वन वृक्षों से विहीन होते जा रहे हैं और भविष्य में राज्य वनों से राजस्व प्राप्त होने की संभावना कम होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** :(क) जी, नहीं। प्रति वर्ष वृक्ष काटने का कार्य कार्यकारी योजना के अनुसार होता है और इस से वन वृक्ष-विहीन नहीं होते। खाली जगहों को भरने के लिये बीज डालने और पौधे लगाने के लिये सदैव उचित उपाय किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र और गुजरात को मध्य प्रदेश से गेहूं तथा चावल का संभरण

*२०७. **श्री जांगड़े** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात को मध्य प्रदेश द्वारा गेहूं और चावल दिये जाने के बारे में जो बातचीत चल रही थी उस का क्या परिणाम हुआ ; और

(ख) यदि करार सम्पन्न हो गया है, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

कृषिमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) और (ख). गेहूं की पूर्ति के लिये कोई करार अभी तक नहीं हो पाया है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगे गये मूल्य पर चावल लेने से इन्कार कर दिया है पर मैसूर सरकार ने १३,००० टन चावल लेना स्वीकार कर लिया है। शेष लगभग ६००० टन चावल भी मैसूर सरकार को देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

मथुरा में दुर्घटना

†*१२०८. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री १ अगस्त, १९६० को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ जुलाई, १९६० को यमुना रेलवे पुल के पास १२ अप कुमाऊं एक्सप्रेस में मारे गये २५ व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी रकम दी गई है ; और

(ग) लोगों को रेलगाड़ियों की छतों पर चढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१. यात्रियों द्वारा गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने को रोकने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा छापा मारना ।

२. छतों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ११८ (२) के अधीन व्यवहार करना जिस में पचास रुपये तक के जुर्माने और रेलगाड़ी से हटाये जाने तक की व्यवस्था है ।

३. छतों पर यात्रा करने से रोकने के लिये और ऐसी यात्रा के खतरों को बताने के लिये यात्रियों को सूचित करने के बारे में रेलवे स्टेशनों पर नोटिसों और तस्वीर-शुदा पोस्टरों का प्रदर्शन ।

त्रिपुरा में पंचायतों के निर्वाचन

†*१२०९. { **श्री दशरथ देव** :
श्री हाल्दर :

क्या **सामुदायिक विकास और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में पंचायतों के निर्वाचन न कराने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या निर्वाचन कराने के लिये आवश्यक नियम बनाये और प्रकाशित किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन के कब तक तैयार और प्रकाशित किये जाने की संभावना है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) और (ख). आवश्यक प्रारूप नियम तैयार कर लिये गये हैं जिन में निर्वाचन करने सम्बन्धी नियम भी हैं । उन्हें अभी प्रकाशित नहीं किया गया है ? । नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् निर्वाचन किये जायेंगे ।

(ग) अक्तूबर, १९६० के पिछले दिनों तक ।

रेनिगुन्टा–तिरुपति लाइन

†*१२१०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्कोनम और रेनिगुन्टा के बीच दोहरी लाइन बिछाई जायेगी और दूसरी लाइन तिरुपति होते हुए रेनिगुन्टा जायेगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रश्न पर विचार किये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्कोनम और रेनिगुन्टा के बीच २३ मील लम्बी लाइन को दोहरा किया जा रहा है परन्तु तिरुपति होते हुए दूसरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अर्कोनम-रेनिगुन्टा दोहरी परियोजना में रेनिगुन्टा और तिरुपति के बीच बड़ी लाइन के कनेक्शन को शामिल नहीं किया जा सकता ।

भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा बिना टिकट यात्रा

†*१२११. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के अभी हाल ही में दिल्ली में हुए सम्मेलन के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के ६९ कार्यकर्त्ताओं ने बम्बई से दिल्ली तक बिना टिकट यात्रा की ;

(ख) क्या रेलवे कमचारियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के सम्मेलन में जाने के लिये बम्बई से दिल्ली आ रहे एक शिष्टमण्डल के टिकटों की खण्डवा और इटारसी के बीच यात्रा टिकट परीक्षकों के एक डिवीज़नल दस्ते ने जांच की और उन में से ६९ व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते पाये गये । भुसावल के डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने यह मामला केन्द्रीय रेलवे मुख्यालय को भेज दिया ।

(ग) सम्बन्धित यात्रियों से किराया और अतिरिक्त शुल्क वसूल कर लिया गया ।

बम्बई में टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध, गाड़ी में यात्रियों के बिना टिक प्रवेश करने को न रोकने के लिये, उचित कार्यवाही की गई है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

†*१२११-क. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में योग्य पदाधिकारियों के होने के बावजूद जो वरिष्ठ अधिकारियों का काम संभाल सकते हैं, बहुत से वरिष्ठ पदाधिकारियों के कार्यकाल में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली के केवल चार वरिष्ठ पदाधिकारियों की सेवा में वृद्धि की गई ।

(ख) देश में अधिक उच्च अर्हता प्राप्त और अनुभवी वैज्ञानिकों की कमी ।

दक्षिणी चावल जोन

†*१२१२. **श्री वारियर :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार को सूचित किया है कि उन का विचार अपने राज्य से दक्षिणी जोन के अन्य राज्यों को चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ;

(ख) इस प्रतिबन्ध से दक्षिणी जोन के राज्यों में संभरण और वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) आगामी कुछ महीनों में आन्ध्र प्रदेश से चावल के दिर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग जाने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार का क्या प्रतिकारक उपाय करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). राज्य सरकारों को किसी भी अन्त-र्राज्यीय खाद्यान्न के भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार नहीं है । यह अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है । अतः आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । अभी हाल ही में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया था कि राज्य के कुछ भागों में वर्षा न होने और सूखा पड़ने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश से धान और चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार करे । तथापि, दक्षिणी जोन में अन्य राज्यों पर इस के फलस्वरूप पड़ने वाले उल्टे प्रभाव को देखते हुए ,यह फैसला किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश से खाद्यान्न के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाये परन्तु कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरी करने के लिये केन्द्रीय भंडार से अधिक संभरण किया जाये ।

रेलवे के ठेके

*१२१३. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकी :
श्री नारायण दीन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ठेकेदार कई स्टेशनों पर चाय के स्टाल चलाने का ठेका ले सकता है ;

(ख) क्या इस प्रकार के ठेकों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस प्रकार उपलब्ध होने वाले ठेकों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के उम्मीद-वारों को ध्यान में रखा जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). वर्तमान आदेशों के अनुसार यह ज़रूरी है कि ठेकेदारों को आम तौर पर दो से ज्यादा स्टेशनों पर ठेके न दिये जायें और इन स्टेशनों

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पर उन के बिक्री-यूनिट चार से ज्यादा न हों। इन आदेशों को अमल में लाने का काम प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ग) जी, हां।

नगर आयोजन संगठन, दिल्ली

†*१२१४. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर आयोजन संगठन का विचार निकट-भविष्य में कुछ क्लर्क भर्ती करने का है ;

(ख) यदि हां, तो जबकि इस संगठन का विघटन किया जा रहा है तो इस भर्ती का क्या कारण है ;

(ग) क्या १ मार्च, १९६० को छंटनी शुरू होने से पहले कोई समिति इस बात का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई थी कि छंटनी के बाद काम की क्या स्थिति रहेगी और यदि हां तो उस समिति की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) क्या नगर आयोजन संगठन में कर्मचारियों की पुनः भर्ती होने के समय सरकार का विचार छंटनी किये गये कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी। तथापि प्रधान ने वरिष्ट प्रविधिक पदाधिकारियों के परामर्श से कार्यभार का मूल्यांकन किया और छंटनी के बारे में एक कार्यक्रम बनाया गया।

(घ) इस बारे में वर्तमान आदेशों के अनुसार आवश्यक प्राथमिकता दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में एक पशु-चिकित्सक द्वारा आत्म-हत्या

†*१२१५. **श्री ब्रज राज सिंह :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री आसर :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री सुगन्धि :
श्री ओहड़ :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान २१ अगस्त, १९६० के हिन्दी 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि डा० पार्थसारथी नाम के एक ३९ वर्षीय युवा पशु-चिकित्सक ने मध्य प्रदेश में ११ अगस्त, १९६० को आत्म हत्या कर ली ;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण उन्हें आत्महत्या करने पर बाध्य होना पड़ा ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जांच करने का आदेश दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो क्या जांच की जायेगी और उस की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). डा० पार्थसारथी वर्ष १९५३ के मध्य से मध्य प्रदेश सरकार के अधीन काम कर रहे थे । अतः उन के आत्महत्या करने के कारणों के बारे में उसी सरकार को पता होगा । इस बारे में किसी जांच के बारे में आदेश उसी सरकार द्वारा दिया जायेगा ।

हावड़ा और कटक के बीच रेलवे लाइन

†*१२१६. **श्री संगणा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर हावड़ा से तालचेर हो कर कटक जाने वाली एक वैकल्पिक लाइन बनाई जाये ताकि बार बार आने वाली बाढ़ों के कारण संचार-व्यवस्था के पूर्णतया अस्त-व्यस्त होने की संभावना को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) राज्य सरकार ने प्रदीप पत्तन से निर्यात के लिये राउरकेला से बने हुए सामान और लौह-अयस्क को ले जाने के लिये राउरकेला से तलचर तक एक लाईन बिछाने की सिफारिश की है ।

(ख) यह प्रस्ताव तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नई लाइनों की सूची में सम्मिलित नहीं है और इस लाइन को निकट भविष्य में बिछाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

हावड़ा और पुरी के बीच रेल-सेवा

†*१२१६-क. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) हावड़ा और पुरी के बीच आने जाने वाली सीधी गाड़ियां २६ अगस्त, १९६० को पुनः चालू हो गई थीं, जैसाकि उन के १७ अगस्त, १९६० के वक्तव्य में बताया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो वे पूरी तरह से कब चालू हुई थीं ;

(ग) रेलवे मार्ग में आई हुई दरारों की मरम्मत करने में विलम्ब होने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या रेलवे लाइन के टूटने के स्थान के दोनों ओर शटल गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था की गई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं । यद्यपि १७ अगस्त के वक्तव्य में निर्देशित पुल संख्या २३९ पर रेलवे लाइन २५-८-६० को, एक दिन पूर्व, चालू कर दी गई थी,

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जेनापुर और हरिदासपुर के बीच और दरारों के पड़ जाने के कारण हावड़ा और पुरी के बीच सीधी गाड़ियां पुनः चालू न की जा सकीं।

(ख) सीधी गाड़ियों का चलना ६ सितम्बर, १६६० को आरम्भ किया गया था।

(ग) १७ अगस्त के वक्तव्य में निर्दिष्ट दरारों की मरम्मत करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। अन्य दरारें बहुत बड़ी थीं और कई दिनों तक भारी वर्षा होती रही। सारे क्षेत्र में पानी भर गया जिस के फलस्वरूप मरम्मत-कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) दक्षिण में पुरी और हरिदासपुर के बीच शटल गाड़ियां हर समय चल रही थीं। उत्तरी की ओर वे २५-८-६० तक, हावड़ा और बस्ता के बीच और रूपसा और भद्रक के बीच चल रही थीं, जिस दिन पुल संख्या २३६ पर गाड़ियों का चलना पुनः आरम्भ किया गया। उस के बाद जेनापुर और हरिदासपुर स्टेशनों के बीच १० मील का रास्ता छोड़ कर जहां पर बड़ी दरारों के कारण किसी गाड़ी का चलाना संभ नहीं था, हावड़ा और जेनापुर के बीच गाड़ियां चल रही थीं।

रेलवे में आम हड़ताल

†*१२१६—क. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ब्रज राज सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ जलाई से १६ जुलाई, १६६० तक जिन रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी उन्हें उन की छुट्टी तथा उपदान (ग्रेच्युटी) आदि लाभ नहीं मिलेंगे क्योंकि कार्यालयों में उन के अनुपस्थित रहने से यह माना गया है कि उन की नौकरी टूट गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई हिदायतें भेजी हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में विभिन्न रेलों के जनरल मैनेजरों द्वारा जारी किये गये परिपत्रों की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) क्या इस अवधि को वेतन सहित और वेतन-रहित छुट्टी मान कर इस अनुपस्थिति को क्षमा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क). (ख) और (घ) इस बारे में स्थायी आदेश हैं कि अवैध हड़तालों में भाग लेने के कारण रेलवे कर्मचारियों की अनुपस्थिति से सेवा में तोड़ (ब्रेक) हो जाता है। तोड़ से पूर्व की सेवा छुट्टी, भविष्य निधि में विशेष अंशदान आदि सुविधा के लिये नहीं गिनी जाती। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर कोई विशेष आदेश जारी नहीं किये गये हैं। प्रत्येक मामले पर जनरल मैनेजर द्वारा गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है और वह सेवा में तोड़ की माफ़ी के लिये रेलवे बोर्ड को सिफ़ारिश करते हैं। सेवा में तोड़ को केवल राष्ट्रपति की मंजूरी पर ही समाप्त किया जाता है और इस अवधि को 'काम पर न आना' माना जाता है और छुट्टी नहीं।

(ग) जी, हां। एक या दो मामलों में।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

ओलबकोट में क्रिसोटिंग[1] संयंत्र

†*१२१६-ग. **श्री जीनचन्द्रन** : क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओलवकोट जंकशन (दक्षिण रेलवे) पर स्थित क्रिसोटिंग संयंत्र पश्चिम बंगाल से आवश्यक तेल न मिलने के कारण बन्द हो गया है ; और

(ख) संयंत्र के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रास्वामी)** : (क) क्रिओसोट तेल के दो टैंक वैगन न मिलने के कारण, जिन को रास्ते में देर हो गई थी, २४ से २७ अगस्त तक इस संयंत्र में स्लीपर बनाने का काम रुका रहा ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि संयंत्र में २८ अगस्त से बराबर काम हो रहा है ।

दिल्ली में बाढ़

*१२१६-घ. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री च० कृ० नायर :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांव बवाना के मूहाने (एस्केप) की ओर से आने वाले पानी में डूब गये हैं और बहुत से क्षेत्र में बाढ़ आ गई है ;

(ख) कितने गांवों पर इस का प्रभाव पड़ा है और इस विषय में दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन गांवों में से पानी को निकालने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

(घ) अनुमानतः कितनी क्षति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) जी हां । ग्राम बुद्धपुर नांगली पूना के निकट बवाना मुहाना में २७-८-६० को हुई दरार के कारण कुछ ग्राम प्रभावित हुए हैं ।

(ख) बवाना मुहाना में दरार के कारण ५ ग्राम प्रभावित हुए हैं । बवाना मुहाना का रख-रखाव पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन 'पश्चिमी जमुना नहर वृत्त' को करना होता है । बवाना मुहाना के दरार को बन्द करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने तुरन्त ही बोरियां दीं और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से दरार को बन्द करने का काम आरम्भ कर दिया । पश्चिमी जमुना नहर वृत्त ने भी दरार को बन्द करने के काम को हाथ में ले लिया । दरार बन्द कर दी जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Creosoting Plant.

(ग) जमीन का झुकाव बुरारी नाला की ओर है । यह नाला उत्तर-दक्षिण की ओर बहता है । फालतू पानी इस नाले की ओर बहने लगता है और फिर अन्त में जमुना नदी में जा मिलता है । अलीपुर ब्लाक के अधिक प्रभावशाली निकास के लिये एक निकास योजना अनुसंधान अधीन है ।

(घ) हानि का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है ।

जापान को मत्स्य-पालन प्रतिनिधिमंडल

†*१२१७ { **श्री अ० मु० तारिक :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री सै० अ० मेहन्दी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
डा० सामन्तसिंहार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में जापानी उद्योगपतियों के सहयोग से मछली पकड़ने की कम्पनियां खोलने की संभावनाओं की जांच करने के लिये जापान में भेजे गये सरकारी प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) प्रतिनिधिमंडल पर कितना व्यय किया गया और वह जापान में कितने दिन रहा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२६**]

भाखड़ा दुर्घटना जांच की रिपोर्ट

†*१२१८ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
श्री सूपकार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहम्मद इलियास :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से भाखड़ा दुर्घटना संबंधी जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३०]**

राज्य परिवहन उपक्रम

†*१२१९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य परिवहन उपक्रमों के हितों की देखभाल करने के लिये परिवहन विभाग में एक टेक्निकल सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव की जांच का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा व्यापारियों के कमीशन की अदायगी के प्रश्न की जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) राज्य परिवहन उपक्रमों के हितों की देखभाल करने के लिय ब्रिटेन में एक सम्पर्क कार्यालय स्थापित करने के विषय में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालर में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है है ।

विवरण

(क) प्रश्न में उठाई गई तीनों बातों पर अप्रैल, १९६० में बंगलौर में हुए राज्य परिवहन उपक्रम के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में आगे विचार किया गया । सम्मेलन ने सिफारिश की कि परिवहन विभाग उपक्रमों के हितों की देखभाल करने के लिये संयुक्त सचिव के रैंक का एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करे । । एकमत से यह भी निर्णय किया गया कि इस पदाधिकारी पर व्यय उपक्रम बराबर बराबर देगा । सम्मेलन की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और परिवहन विभाग में एक पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ख) सब उपक्रमों की ओर से संभरण कर्ताओं से संयुक्त रूप से बातचीत करने के लिये एक समिति स्थापित की गई है जिस में विभिन्न राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रतिनिधि हैं । उन्हों ने मोटरगाड़ी निर्माताओं से बातचीत आरम्भ कर दी है ।

(ग) यह प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है ।

गंडक परियोजना

*१२२०. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री झूलन सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक परियोजना में ३१ जुलाई, १९६० तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना की प्रगति बहुत धीमी है ; और

(ग) इस परियोजना के पूरे होने में संभवतः कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

बेटिग्राह तक मुख्य पूर्वी नहर का तथा डान शाखा नाहर का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा चुका है। भू प्राप्ति के कार्य को आरम्भ करने के लिये भू प्राप्ति नक्शे तैयार किये जा रहे हैं। भयसालोटन में बराज स्थल पर स्टाफ के आवास के लिये मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रामनगर बेटिग्राह, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, गोरौल, छप्परा, गोपालगन्ज तथा मसरख में मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । बगाहा से भयासालोटन तक की सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है । बराज स्थल से दो मील के अन्तर में एक कच्ची "लैंडिंग ग्राऊंड" बनाई जा चुकी है । इस्पात की प्राप्ति के लिये आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण की जा चुकी हैं ?

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लगभग ८ साल ।

बकिंघम नहर

†*१२२१. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री तंगामणि : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बकिंघम नहर में नौवहन की व्यवस्था में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की सरकारों को क्या सहायता दे रही है और निकट भविष्य में देने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

विवरण

पुनरीक्षित द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बकिंघम नहर के विकास के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । यह प्रस्ताव है कि आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाली बकिंघम नहर पर मिट्टी हटाने का कार्य करने के लिये ड्रेजर खरीदने के लिये पांच पांच लाख रुपया दिया जाये । ड्रजर खरीदने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्राक्कलन दिये थे, जो मंजूर कर लिये गये हैं । अभी हाल ही में उन्हों ने चालू वित्तीय वर्ष में २.५ लाख रुपये का अनुदान मांगा है ताकि वे ड्रैजर खरीदने पर कुछ व्यय को पूरा कर सकें। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

२. ड्रेजर की खरीद के लिये विस्तृत प्राक्कलन देने के लिये मद्रास सरकार से कहा गया है और उन को उचित अनुदान देने से पहले चालू वित्तीय वर्ष में जो धनराशि वह खर्च करना चाहते हैं, उस पर विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

हावड़ा-नागपुर मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियां

*१२२२. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर युद्धपूर्व समयानुसार डाक और यात्री रेलगाड़ियां चलाने, और इन रेल गाड़ियों के समय को कम करने और इन की रफ्तार बढ़ाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या हावड़ा-नागपुर सैक्शन पर युद्ध से पहले चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ियां फिर से चलाई जायेंगी और यदि हां, तो किस तारीख तक ; और

(ग) हावड़ा-नागपुर लाइन के दोहरे हो जाने के बाद कितनी नई रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३१]**

ऐलोपैथिक औषधियों की टिकियां

†*१२२३. { **श्री नेकराम नेगी** :
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर ऐलोपैथिक औषधियों की टिकियों पर उन के नाम नहीं खुदे होते ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि टिकियों पर नाम (संक्षिप्त अथवा पूरे) न होने के कारण जनता और सरकारी कर्मचारियों को डाक्टरों द्वारा बताई गई विभिन्न टिकियों को पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस कारण जनता या सरकारी कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को पता नहीं है ।

(ग) सरकार ऐसा कानून नहीं बनाना चाहती कि गोलियों पर उन का नाम लिखा जाये क्योंकि लागत में वृद्धि के अतिरिक्त यह जानकारी प्राप्त करना मरीजों के लिये आवश्यक नहीं है। नुस्कों पर दवाई देते समय विक्रेता अथवा औषधालय ग्राहकों को खुराक और उन के इस्तेमाल के बारे में आवश्यक परामर्श देते हैं ।

विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन

†*१२२४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५९–६० और १९६०-६१ में अब तक गेहूं और चावल के संबंध में अलग अलग राज्यों ने कितनी मांग की थी और उन्हें कितना अनाज दिया गया ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद विभिन्न राज्यों की खाद्यान्न की आवश्यकताओं के बारे में समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है और उसके अनुसार उनको संभरण किया जाता है ।

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में (जुलाई तक) केन्द्रीय भंडार से अन्य राज्यों को दिये गये गेहूं और चावल की वास्तविक मात्रा के बारे में बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३२]**

दिल्ली में टिटेनिस के रोगी

†*१२२५. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के अस्पतालों में आज तक कितने टिटेनस के रोगी प्रविष्ट किये गये और उनमें से कितने मर गये ;

(ख) इस रोग के फैलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस रोग की रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जनवरी १९६० से जुलाई १९६० तक प्रविष्ट किये गये टिटेनस के ५०२ रोगियों में से २६७ रोगियों की मृत्यु हुई।

(ख) टिटेनस-टिटनस दण्डाणुओं के कारण होता है । इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत मिट्टी, गलियों की धूल तथा जानवरों की विष्टा है, और यह मनुष्य पर उसके किसी घाव के प्रत्यक्ष अथवा, अप्रत्यक्ष रूप से दूषित हो जमाने से फैलता है ।

(ग) यह जानने के लिये कि अस्पतालों में अथवा किसी अन्य रूप में इसमें कोई विशेष सुधार किया जा सकता है या नहीं, गतवर्ष एवं इस वर्ष टिटेनस के रोग का विस्तृत अध्ययन किया गया । दिल्ली नगर निगम अथवा दिल्ली प्रशासन या केन्द्रीय सरकार के किसी अस्पताल में उपचार पाने वाले समस्त व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर, एण्टी-टिटेनस टीका मुफ्त लगाया जाता है ।

पाकिस्तान पर नहरी पानी संबंधी बकाया रकम

†*१२२६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान से 'विवाद ग्रस्त' रकम और 'अविवाद ग्रस्त' बकाया रकम की वसूली के संबंध में कोई प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : नहरी पानी के संभरण के लिये 'विवाद ग्रस्त' अथवा 'अविवाद ग्रस्त' रकम के बारे में पाकिस्तान से कोई रकम नहीं मिली है । इस मामले पर अभी भी दोनों सरकारों में पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

बरवाडीह-बिजूरी लाइन

***१२२७. श्री डांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरवाडीह-बिजूरी लाइन के निर्माण के बारे में १९४९–५० में शूरू किये गयें कार्यो की, जिन पर एक करोड़ और ७० लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं, वर्तमान स्थिति क्या है :

(ख) निर्माण-कार्य रोक दने क क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त धन खर्च करन क बाद भी निर्माण निकट भविष्य में पूरा नहीं हो सकगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त धन खर्च करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) अभी इस सवाल पर विचार किया जा रहा है कि प्रस्तावित बरवाडोह–बिजुरी लाइन के बरवाडीह-सरनडीह सेक्शन के बाकी काम को पूरा किया जाय या उसे बिलकुल छोड़ दिया जाय ।

(ख) खर्चे में कमी करने की बड़ी जरूरत थी जिसकी वजह से यह काम मार्च, १९५० में रोक दिया गया ।

(ग) तीसरी आयोजना के मसौदे में इस काम की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(घ) कोयला-खान जांच समिति, १९४५ की सिफारिश पर इस सेक्शन के बनाने का काम शुरू किया गया था । इस क्षेत्र की कोयला-खानों के भविष्य के बारे में इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता ।

दिल्ली-पटना ट्रंक टेलीफोन लाइन

***१२२८. श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में अब तक कितने दिन दिल्ली और पटना के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन खराब रही ; और

(ख) दिल्ली-पटना ट्रंक लाइन पर नियमित सेवा सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) दिल्ली-पटना के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन थोड़ी थोड़ी देर के लिये कई दिन खराब रही । १९५८ के दौरान में इस प्रकार की खराबी कुल मिलाकर २२० दिन हुई । इसी तरह १९५९

---

†मूल अंग्रेजी में

में २१८ दिन तथा जनवरी से अगस्त, १९६० तक १३६ दिन खराब रही, फिर भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जब कि लाइन लगातार कई दिनों तक खराब रही हो।

१९५८ के दौरान में इस परिपथ पर औसतन परिपथ हानि प्रतिदिन ४·८ घंटे थी। इसी तरह १९५९ में यह हानि ४·३ घंटे और जनवरी से अगस्त, १९६० तक यह हानि ४·३ घंटे थी।

(ख) उक्त टेलीफोन परिपथ पहले सुदूर संचार प्रणाली पर बनाया गया था, जिन्हें खराबी होने पर दूसरी लाइनों पर मार्ग देने के लिये प्राथमिकता क्रम में दूसरे स्थान पर रखा जाता था। मार्च, १९५९ में उसे ऐसी प्रणालियों पर स्थानान्तरित कर दिया गया जिन्हें प्राथमिकता क्रम में अपेक्षाकृत ऊंचा स्थान दिया जाता है, और उसके बाद से इसकी कार्यक्षमता में थोड़ा सुधार हुआ है। नई दिल्ली और लखनऊ के बीच जमीन के भीतर डाली गयी केवल वाहक प्रणाली पर स्थानान्तरित हो जाने के बाद निकट भविष्य में इसकी कार्यक्षमता में आगे और सुधार होने की आशा है।

रेडियो लाइसेंसों का नवीकरण

†*१२२९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो लाइसेंसों का नवीकरण न होने से डाक और तार विभाग को भारी हानि उठानी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वार्षिक हानि का अनुमान लगाने और उस के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) कितने ही लाइसेंसों का नवीकरण नहीं होता परन्तु उन में से अधिकांश का फिर नवीकरण हो जाता है। अतः यह कहना कठिन है कि इस कारण कोई हानि होती है या नहीं ?

(ख) और (ग). गैर-नवीकरण के मामलों के बार में डाक-घर सर्किल के मुख्यालयों को बताते हैं जो इस बारे में रेडियो के स्वामियों से बातचीत करते हैं। परिणामों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(क) लाइसेंस किसी अन्य डाक-घर में नये कराये पाये जाते हैं।

(ख) रेडियो सेट या तो खराब पाया जाता है या वह बेचा हुआ पाया जाता है।

(ग) लाइसेंसदार अपने लाइसेंस को अतिरिक्त शुल्क देकर नया कराते हैं।

(घ) लाइसेंसदार पर अभियोग चलाया जाता है।

(ङ) लाइसेंसदार का पता नहीं चलता।

रेंड बांध परियोजना

*†१२२९-क. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री फतहसिंह घोंडासर :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेंड बान्ध के ब्लाक संख्या ३८ में दरारें पड़ गई हैं और उस के परिणामस्वरूप १२०० गैलन

†मूल अंग्रेजी में

पानी प्रति घंटा बह रहा है और इस दरार को भरने के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि रेंड बांध में कोई दरार नहीं पड़ी है ।

हिर्री खानों से प्राप्त डोलोमाइट

†*१२३४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिर्री खानों से प्राप्त डोलोमाइट पर प्रति टन लागत अनुमानतः कितनी आती है ;

(ख) खान शुरू होने के पहले वर्ष इसकी प्रति टन लागत कितनी थी ; और

(ग) एक टन डोलोमाइट पर आज कल कितनी लागत आती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). भिलाई में हिर्री खानों से प्राप्त डोलोमाइट के संभरण की प्रति टन अनुमानित लागत २४ रुपये है । इन खानों के कार्य का यह अभी पहला ही वर्ष है और सितम्बर १९५९ से मार्च, १९५० तक की अवधि में भिलाई में संभरण की औसत लागत २१.१९ रुपये प्रति टन रही ।

झीलों में जलजीव अनुसंधान

†*१२३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर की डलझील और उड़ीसा की चिल्का झील में किये जा रहे जलजीव-अनुसन्धान कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग ने, देश की वनस्पति की सामान्य खोज के दौरान हाल के वर्षों में काश्मीर की डल तथा अन्य झीलों व उड़ीसा की चिल्का झील का समावेषण किया है । काश्मीर क्षेत्र का समन्वषण सम्बन्धी प्रतिवेदन भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के 'रेकर्डस्' (खण्ड १८, संख्या २) में प्रकाशित किया गया है । इस में डल तथा अन्य झीलों से प्राप्त की गई वनस्पति का भी उल्लेख है । चिल्का झील से प्राप्त वनस्पति संग्रह का अध्ययन किया जा रहा है और इस क्षेत्र की वनस्पति के संबंध में कुछ 'पेपर' वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किये गये हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन स्थानों के जलजीव-अनुसन्धान के लिये कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है क्योंकि वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का वनस्पति सम्बन्धी सर्वेक्षण सारे देश में होना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मीन क्षेत्र अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता ने चिल्का झील मीन क्षेत्र के विकास के लिये अगस्त, १९५६ में चिल्का झील अनुसन्धान एकक स्थापित किया था ।

डाली राझरा खानों का यंत्रीकरण

†*१२३९. **श्री प्र० के० देव :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने को लौह-अयस्क की सप्लाई करने के लिये डाली राझरा खानों के यंत्रीकरण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यंत्रीकरण-कार्यक्रम कब समाप्त होगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (स दार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). डाली राझरा लौह अयस्क खानों के यंत्रीकरण का काम अब काफी आगे बढ़ चुका है । आशा है कि यंत्रीकरण का काम सितम्बर, १९६० में पूरा हो जायेगा । क्रशिंग और स्क्रीनिं प्लान्ट संभवतः शीघ्र ही चालू हो जायगा ।

त्रिपुरा में ईसाई धर्म-प्रचारक

†*१२४४. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के कुछ भागों में हलमा और रियांग जाति के लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य त्रिपुरा के भूतपूर्व शासक के आदेशों के अनुरूप है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दाता९)** : (क) त्रिपुरा की कछ आदिम जातियों के, जिन में हाल्मा और रीयां जातियों भी शामिल हैं, कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है ।

(ख) ऐसे किसी आदेश का पता नहीं है फिर भी त्रिपुरा दरबार की यह नीति थी कि इस क्षेत्र में प्रत्येक नये धर्म के प्रचारकों को हतोत्साहित किया जाये । भारत संघ की, त्रिपुरा जिसका अंग है, एक धर्म निरपेक्ष नीति के कारण किसी धर्म के प्रचार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

पाकिस्तान से पेंशनों की रकमों का प्राप्त होना

†*१२४५. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९५५ से जून १९५९ तक भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले अवकाश-प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के निवृत्ति-वेतनों (पेंशन)

---

†मूल अंग्रेजी में

के एक देश से दूसरे देश को हस्तान्तरण संबंधी प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों में संबंधित व्यक्तियों को अदायगी करने की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कितनी रकम का हस्तान्तरण किया जाना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अभी इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

(घ) मालूम नहीं ।

निकोबार में सहकारी समिति

†*१२४६. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने निकोबार द्वीपों के लिये 'कासोनिल' सहकारी समिति की योजना को किन आपत्तियों के कारण रद्द कर दिया था ; और

(ख) निकोबार के व्यापार के संभालने के लिये एक उपर्युक्त संगठन की स्थापना के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) प्रस्तावित कासोनिल समिति के आधे से अधिक अंश एक परिवार के पांच सदस्यों द्वारा लिये जाने थे। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के औसतन अंश डेढ़ लाख रुपये के होते । यह बात सहकारी समितियां अधिनियम, १९११ की धारा ५(ख) के विरूद्ध है जिस में यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि किसी सदस्य के अंश एक हजार रुपये से अधिक नहीं होने चाहियें।

(ख) सरकार निकोबार के व्यापार को राज्य व्यापार निगम को सौंपने की योजना पर विचार कर रही है ।

मध्य प्रदेश में खनन

*१२४७. **श्री जांगड़े** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश में खानों से निकाले जाने वाले किसी भी खनिज पदार्थ पर होने वाले लाभ में मध्य प्रदेश सरकार को भी हिस्सा दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : केवल कोयले के विषय में प्रार्थना प्राप्त की गई है । वह भी केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के कोरबा क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली नई कोयला खान के प्रबन्ध और

†मूल अंग्रेजी में

आर्थिक मदद में भाग लेने के लिये हैं। आशा है कि राज्य द्वारा लिये जाने वाले भाग का अंग तथा विवरण का आखिरी फैसला इस वर्ष के अन्त तक किया जायेगा। जब और जैसे ही न्यायत: हिस्सा लेने की बात तै होगी उस के बाद ही व्यवसाय के कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ या हानि में राज्य को इसका भाग बांट दिया जायेगा।

सामाजिक अन्याय

†*१२४८. **श्री बा० चं० कामले :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने संविधान के ४६वें अनुच्छेद में उल्लिखित समाज के "कमजोर अंगों" की व्याख्या की है ताकि सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करने और उन्हें हर किस्म के शोषण से बचाने का उद्देश्य पूरा किया जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की, जिनका अनुच्छेद ४६ में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, व्याख्या की गयी है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने "जनता के कमजोर अंग" की व्यापक परिभाषा देना आवश्यक या व्यावहारिक नहीं समझा।

विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी

†*१२४९. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित भारतीय राजदूत ने अभी हाल ही में सरकार को सुझाव दिया है कि उन भारतीय विद्यार्थियों को जो यथोचित रूप से साधन सम्पन्न तथा ज्ञान सम्पन्न न हों, अध्ययन के लिये विदेशों में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का व्योरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस संबंध में कोई निदेश किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). यह सुझाव दिया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को वहां की परिस्थितियों की अच्छी तरह जानकारी दी जानी चाहिये।

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यह सुझाव दिया गया है कि विदेश जाने के लिये इच्छुक विद्यार्थियों के लिए पुनर्नवीकरण पाठ्यक्रम का प्रबन्ध किया जाये ।

(ङ) इस विषय में विचार किया जा रहा है ।

जैसलमेर में तेल के लिये सर्वेक्षण

†*१२५०. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री चांडक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज का कार्य पिछले दो वर्षों से स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 'स्टेनवाक' कम्पनी ने इस क्षेत्र में तेल की खोज के लिये कोई प्रस्ताव रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रक्रिया है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस विषय पर विचार हो रहा है ।

कुर्क न हो सकने वाले वेतन की अधिकतम सीमा

†*१२५१ { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह नियम, जिस के अनुसार १०० रु० तक का वेतन दीवानी अदालत की डिग्री के कारण कुर्क नहीं हो सकता, १९३० से पहले बनाया गया था जब कि जीवन-निर्वाह व्यय आज से बहुत कम था ;

(ख) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंहगाई भत्ता को मूलभूत वेतन में मिलाने से उन सरकारी कर्मचारियों पर, जिन के वेतनों में दीवानी अदालतों द्वारा की गई डिग्री के कारण कटौती होती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' में हो, तो क्या सरकार का विचार कुर्क न हो सकने वाले वेतन की अधिकतम सीमा १०० रु० से बढ़ा कर ३०० रु०

---

†मूल अंग्रेजी में

कर के (जैसा कि क्षय रोग के रोगियों के भोजन-व्यय के सिलसिले में किया गया है) कर्मचारियों को कुछ सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस तिथि से , और यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) १९३७ में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में यह संशोधन किया गया था कि किसी सरकारी नौकर का १०० रू० तक का वेतन और शेष रकम का आधा हिस्सा कुर्क नहीं किया जा सकेगा।

(ख) और (ग). व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ पर विधि आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है, इसलिये, यह मामला भी उन के विचारार्थ सौंप दिया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बहरों को फोटोग्राफी का प्रशिक्षण

†*१२५२. **श्री बं० च० मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहरे व्यक्तियों के अखिल भारतीय संघ ने मंत्रालय को बहरे व्यक्तियों को फोटोग्राफी का प्रशिक्षण देने के संबंध में एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब पेश की गई थी; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, १९५७ में एक आवेदन-पत्र सीधे प्राप्त हुआ था । फिर अक्तूबर, १९५८ में, दिल्ली प्रशासन के जरिये एक संशोधित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) २,०७३ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है ।

बाल नाट्यशालाएं

†*१२५३. **श्री संगामणि** : क्या **वैज्ञानिकक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बालकों के लिये नाट्यशालाएं विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी हैं और किन किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इन नाट्यशालाओं को क्या सहायता दी जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने विधान सभा की पुरानी इमारत को बाल-नाट्यशाला के रूप में बदल दिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एम० ई० एस० (मेरठ) का पम्प कर्मचारी

†*१२५४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० (सैनिक इंजीनयरिंग सेवा), मेरठ के गैरिसन इंजीनियर के कार्यालय में पम्प पर काम करने वाले एक कर्मचारी के, जिसका २७ अगस्त, १९५५ को काम करते हुए देहान्त हो गया था, उपदान (ग्रैच्युटी) के दावे के बारे में अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इस दावे के संबंध में अन्तिम निर्णय में विलम्ब का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों पर है ;

(घ) क्या मृतक की विधवा पत्नी को क्वार्टर खाली करने का नोटिस दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मीटर पम्प पर काम करने वाला एक अस्थायी कर्मचारी, श्री सन्तराम का पम्प हाउस के आहाते में २७-८-१९५५ को देहान्त हो गया था। न्यायालय द्वारा जांच और पुलिस की छान-बीन से यह पता लगा कि मत्यु बीमारी के कारण हुई । चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन मृत व्यक्ति की सेवा के ब्यौरे की जांच से लेका परीक्षा अधिकारी संतुष्ठ नहीं हैं, इसलिए उसकी विधवा को दिये जाने वाले उपदान के दावे के बारे में अंतिम निर्णय नहीं किया गया है । चूंकि विधवा को सरकारी क्वार्टर पाने का अधिकार नहीं है और वह सरकारी क्वार्टर में रह रही है इसलिये उसे क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया गया है । उस के दावे के निबटारे के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

कर्मचारयों को मिलने वाले उपदान (ग्रैच्युटी) पर कर

†*१२५५. **श्री खीमजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों को दिये जाने वाले उपदान पर कर लगता है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों को दिये जाने वाले उपदान पर कर नहीं लगता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर 'हां' में हो, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां । गैर-सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों को प्राप्त उपदान पर कर, भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन "वेतन से आय" मद के अधीन, लगता है । फिर भी, यदि उपदान कम से कम पांच साल की पुरानी सेवा के संबंध में हो, तो करदाता को भारतीय आय कर अधिनियम की धारा ६०(२). के उपबन्धों के अधीन, जिस के अन्तर्गत रियायती दर पर कर लिया जाता है, कर दाता को कुछ सहायता दी जाती है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संशोधित सेवा निवृति वेतन नियमों के अधीन १६ अप्रैल, १६५० के बाद प्राप्त मृत्य एंव सेवा निवृत्ति उपदान तथा संशोधित सेवा निवृत्ति नियमों से मिलती जुलती योजना के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त उपदान के भुगतान भी भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ७(१) की व्याख्या २ के परन्तुक के अधीन "कर" मुक्त हैं ।

(ग) सरकार द्वारा दिया गया मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान एकीकृत सेवानिवृति वेतन योजना का एक भाग है । यह योजना इस मान्यता पर आधारित है कि उपदान पर कर नहीं लिया जायेगा । यह परिणाम प्राप्त करने के लिए विधि में विशेष रूप से संशोधन किया गया है ।

सामान्य बीमा व्यवसाय

†*१२५६. { **श्री राधा रमण** :
श्री पहाड़िया :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ग्लोब और स्टैण्डड आदि बीमा कम्पनियों ने अपना सामान्य बीमा का व्यवसाय बन्द कर दिया है ;

(ख) जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् कुल कितनी कम्पनियों ने अपना काम बन्द कर दिया है और इसका कुल कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उन के बन्द होने के क्या कारण हैं और भविष्य में देश में काम करने वाली ऐसी कम्पानयों की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां, इंडियन ग्लोब इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने अपना व्यवसाय न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को दे दिया है जब कि स्टैन्डर्ड जनरल एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने केवल अपनी कुछ शाखाएं बन्द कर दी हैं । इस कम्पनी का हेड आफिस अभी भी व्यवसाय कर रहा है ।

(ख) जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद १५ भारतीय और २३ गैर-भारतीय कम्पनियों ने अपना सामान्य बीमे का व्यवसाय बन्द कर दिया है । इस से कुल कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विधि के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि कम्पनियां हस्तान्तरण, समामेलन, स्वेच्छा पूर्वक बन्दी या परिसमापन आदि के कारण सरकार को सूचित करे और न ही बीमा अधिनियम सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह व्यवसाय बन्द कर देने या और किसी को सौंप देने के सम्बन्ध में कम्पनियों के अधिकार में हस्तक्षेप करे।

भारतीय वायु सेना केन्द्र, गुड़गांव

***१२५७. श्री भक्त दर्शन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना सिगनल केन्द्र, गुड़गांव में आग की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट पर निर्णय करने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस बारे में अंतिम निर्णय देर से देर कब तक होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख) : प्रतिवेदन पर निर्णय ले लिया गया है। क्योंकि विषय में कुछ उलझने हैं और कई अधिकारियों से विचार विमर्श आवश्यक था, विलम्ब अनिवार्य था।

हिमाचल प्रदेश में विपणन अधिनियम लागू करना

†*१२५८. श्री पद्म देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूत पूर्व पेप्सू राज्य का विपणन अधिनियम हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार आलू के बीज के विपणन तथा कृषकों को उनका उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) इस अधिनियम को हिमाचल प्रदेश में लागू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : हिमाचल प्रदेश के आलू के बीजों के विपणन के प्रश्न पर पिछले वर्ष विचार किया गया था और ऐसा अनुमान किया गया कि आलू के व्यापार के स्वतंत्र यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने से मार्कीटों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः यह निर्णय किया गया कि व्यापार को प्रतिबन्ध रहित ही रहने दिया जाए।

अफ्रीकी घोड़ों की बीमारी

†*१२५९. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** :
श्री कमल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर (राजस्थान) में स्थित ६१वीं केवलरी के घोड़े अफ्रीकी घोड़ों की बीमारी से ग्रस्त हो गये थे ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, इस रोग के परिणाम स्वरूप कितने घोड़े मर गये अथवा मार दिये गये ?

†प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) जी, हां।

(ख) ३६ घोड़े मर गये और ४६ घोड़े नष्ट हो गये।

भारतीय हज नोट

†*१२६०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जद्दा और मक्का की मंडियों में भारतीय हज नोट चोर बाजार में बड़े ऊंचे भाव पर बिक रहे हैं और चोर बाजार करने वालों को प्रति सौ रुपये के नोट पर २१–२५ प्रतिशत लाभ हो रहा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: जी नहीं, जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हज नोट ऊंचे भाव पर नहीं बिक रहे हैं।

बंगाल में तेल की खोज

†*१२६१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बंगाल में तेल की खोज करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अभी इस विषय पर विचार करना बाकी है।

औद्योगिक प्रबन्ध पूल

†*१२६२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रबन्ध पूल के प्रत्येक वर्ग (ग्रेड) में कितने ऐसे पद हैं, जिन्हें भरना अभी शेष है ;

(ख) इन पदों को किस प्रकार भरा जायेगा ;

(ग) क्या इस सेवा के नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(घ) इस पदाली में भविष्य में किस प्रकार भर्ती की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). स्थिति बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाएं

†*१२६३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ वर्ष से लेकर २४ वर्ष की आयु तक भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं में बैठने के अवसरों को ३ से घटा कर २ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस निर्णय पर पुर्नविचार करने और पुराना नियम लागू करने के अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के अवसरों को तीन से घटा कर दो तक सीमित करने का निश्चय लोक सेवायें (भरती के लिये योग्यतायें) समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में यह निश्चय १९६१ और उसके बाद होने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लागू किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बैंकरों का प्रतिनिधि मण्डल

†*१२६४. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रि-सदस्यीय बैंक मिशन ने अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण तथा विकास बैंक के अध्यक्ष को २१ पृष्ठों का एक संयुक्त पत्र लिखा है, जिसे नई दिल्ली, रावलपिंडी और वाशिंगटन में एक साथ प्रकाशित किया गया और जिसमें यह कहा गया है कि "यह योजना (भारत की तीसरी योजना) हर लिहाज से एक बड़ी योजना है और यदि इसमें से कुछ परियोजनाओं को निकाल कर इसे अधिक अच्छी प्रकार क्रियान्वित करने योग्य बनाया जा सके, तो हमारे विचार में यह एक अच्छी बात होगी" ; और

(ख) यदि हां, तो इस विशिष्ट सुझाव के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

(ख) त्रि-सदस्यीय बैंक मिशन की रिपोर्ट अप्रैल, १९६० में प्राप्त हुई थी। इस बीच तीसरी पंच वर्षीय योजना की रूप रेखा का प्रारूप प्रकाशित हो चुका है। रूप रेखा का प्रारूप तैयार करते समय इस बात की पूरी पूरी सावधानी बरती गयी है कि सम्पूर्ण योजना कार्यान्वित करने योग्य तथा देश के साधनों के अन्तर्गत हो।

अकाली आन्दोलन

†*१२६४-क. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थल-सेना के मुख्य कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने दिल्ली में चल रहे अकाली आंदोलन में भाग लिया ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन सैनिक-कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). सेना मुख्य कार्यालय के किसी सैनिक कर्मचारी ने इसमें भाग नहीं लिया। एक असैनिक क्लर्क ने इसमें भाग लिया था, उसे गिरफ्तार किया गया और सैनिक अधिकारियों के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वह इस समय निलम्बित (सस्पैंड) कर दिया गया है ।

बैंक आफ चाइना

†*१२६४–ग. **श्री आसर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कलकत्ता और बम्बई में स्थित बैंक आफ चाइना भारत–विरोधी प्रचार और जासूसी का अड्डा बन चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक के दो उच्च अधिकारियों को भारत छोड़ने के आदेश दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बैंक आफ चाइना ने बैंक में भारतीय कर्मचारी नियुक्त करने का भारत सरकार का अनुरोध मानने से इंकार कर दिया है ;

(घ) यदि हा, तो सरकार द्वारा क्या कायवाही की गई है ; और

(ङ) बैंक आफ चाइना में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनमें कितने कर्मचारी भारतीय हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है यद्यपि बैंक के एक या दो कर्मचारियों के विरूद्ध सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) दो पदाधिकारियों को भारत में और अधिक रहने के लिये अनुमति नहीं दी गयी थी और उन्हें देश से बाहर चले जाने के लिये आदेश दिया गया था।

(ग) सरकार को जो जानकारी मिली है उससे यह मालूम होता है कि १ जनवरी, १९५४ से १ जनवरी, १९५९ के बीच, १ हजार रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले गैर-भारतीय पदाधिकारियों की संख्या १७ से १३ हो गयी है और १००० से १५०० रुपये के वेतन क्रम में एक भारतीय पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

(ङ) ज्ञात हुआ है कि कलत्ता और बम्बई के कार्यालयों में १०० से अधिक कर्मचारी हैं और उनमें लगभग एक तिहाई भारतीय हैं।

आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन

†*१२६५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आयुध कारखानों की इस्पात का उत्पादन करने की क्षमता का सन्तुलन और आधुनिकीकरण की प्रस्थापनाओं पर विचार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : ऐसी प्रस्थापनाओं पर सक्रिय विचार हो रहा है ।

पन्ना की हीरे की खानें

†*१२६६. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री सै० अ० मेहदी : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन्ना स्थित हीरे की खानों का वर्तमान उत्पादन १९५३ के उत्पादन का लगभग एक तिहाई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में इतनी अधिक कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन खानों में हीरों का उत्पादन बढ़ा कर कम से कम पहले जितना करने के उपायों का पता लगा रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) इतनी अधिक कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(१) राज्य सरकार के "शैलो एरियान" में कम लैंसदारों में काम किया ।

(२) पन्ना डायमन्ड माइनिंग सिन्डीकेट ने, जो हीरो के बड़े बड़े उत्पादकों में से एक है, अपनी खानों में काम करना बन्द कर दिया ।

(ग) जी हां ।

घाटे वाली कोयला खानों का मिलाया जाना

†*१२६७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० च० सामन्त : }

†क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि घाटे वाली कोयला खानों के अनिवार्य एकीकरण संबंधी विधान पेश करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : बिल के प्रारूप पर अभी विचार हो रहा है ।

ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमें

†*१२६८. { **श्री पांगरकर :**
श्री बैं० च० मलिक : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्वविद्यालयों द्वारा ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमों को मान्यता दिये जाने के संबंध में भारत के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की रिपोर्ट इस बीच मिल गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जी नहीं ।

आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र

†*१२६९. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक मध्यम दर्जे का इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में प्रस्थापनायें भेजी हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). कच्चा माल, पानी सप्लाई, परिवहन सुविधायें आदि उपलब्ध होने के बारे में कुछ सामग्री आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है और साथ ही यह प्रार्थना की गयी है कि एक इस्पात संयं स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जाये । तीस ी पंच वर्षीय योजना में छो ` यूनिटों से २ लाख टन कच्चा लोहा उत्पन्न करने की कल्पना की गयी है और उसे ध्यान में रखते हुये टेक्नीकल समिति इस प्रस्थापना का परीक्षण कर रही है ।

प्रादेशिक सेना क पदाधिकारियों के लिये स्टाफ कालेज कोर्स

†*१२७०. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के पदाधिकारियों को स्टाफ कालेज कोर्स के लिये प्रवेश मिल सकता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जी नहीं ।

(ख) प्रतिरक्षा सेवायें कर्मचारी कालेज (डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कालेज) मुख्यतः फार्मेशन हैडक्वार्टस में स्टाफ आफिसर्स के तौर पर नियुक्ति के लिये नियमित पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये है । प्रादेशिक सेना पदाधिकारियों में से जितने व्यक्तियों को स्टाफ आफिसर्स के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है और उन्हें डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व

†*१२७१. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की आठवीं रिपोर्ट के भाग २ के पृष्ठ ३६० और ३६१ की ओर आकृष्ट किया गया है जिनमें केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कुल स्थायी कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े दिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२० की उप-धारा (४) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिये कोई कदम उठाया गया है अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) : जी हां ।

(ख) सरकारी सेवा की सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार ने कई कार्यवाहियां की हैं । अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाहियां बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३४]**

(ग) अनुच्छेद ३२० के उपखंड (४) द्वारा सरकार को कोई शक्ति नहीं दी गयी है । उससे केवल कुछ मामलों में लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है ।

लिग्नाइट परियोजना, पालना

†*१२७२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर जिले में पालना नामक स्थान की लिग्नाइट परियोजना को अन्तिम रूप देने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी राजस्थान सरकार इस विषय पर विचार कर रही है । उसे यह सुझाव दिया गया है कि आयोजन आयोग के परामश से यह परियोजना उसकी तीसरी योजना में शामिल कर ली जाये ।

(ख) इस स्थिति में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में तेल का सर्वेक्षण

†*१२७३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी नामक स्थान में पिछले कुछ समय से तेल की खोज का कार्य जारी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस संबंध में लगभग कितना व्यय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) उझानी में स्ट्रक्चरल कुआं संख्या १ २६–८–६० को साफ किया गया था और २–९–१९६० को उसकी २३३ मीटर खुदाई की गयी थी ।

(ग) रिग और दूसरे साज सामान, आवासन और नीव संबंधी कार्य पर अब तक ४९ हजार रुपया खर्च किया गया है ।

नई दिल्ली नगरपालिका में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधि

†*१२७४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के चुने हुये प्रतिनिधि का स्थान समाप्त करने के सरकारी निश्चय के विरोध में कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत-रूप से और कर्मचारी-परिषदों के माध्यम से बहुत से अभ्यावेदन भेजे गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्य कल्याण अधिकारी पर बहुत से कामों का दायित्व होने के कारण, उनके लिये सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न बस्तियों में जाना और उनकी दिन-प्रतिदिन की कठिनाइयों को देखना संभव नही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सरकारी कर्मचारियों के चुने हुये प्रतिनिधि को नई दिल्ली नगरपालिका में पुनः एक स्थान देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तीन कर्मचारी-परिषदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ख) मुख्य कल्याण पदाधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कल्याण पदाधिकारियों और कर्मचारी कल्याण संगठनों के बराबर सम्पर्क में रहता है और समय समय पर नई दिल्ली को उन बस्तियों में भी जाता है जहां सरकारी कर्मचारी रहते है ताकि वह कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सके ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ।

दिल्ली में हथ गोला

१२७४-क. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६० के तीसरे सप्ताह में दिल्ली के एक बस-स्टाप पर सूरजभान नामक एक व्यक्ति के पास, जो रोहतक का रहने वाला है, एक हथगोला पाया गया और कहा जाता है कि यह हथगोला वह एक ट्रक ड्राइवर की हत्या करने के लिये लाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में इससे पहले विस्फोटों में इस प्रकार के बमों का प्रयोग होता रहा है और यह सन्देह है कि ये बम काश्मीर से लाये जाते थे ;

†मूल अंग्रेजी में]

(ग) यदि हां, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का एक दस्ता यह पता लगाने के लिये कि यह बम कहां से लाया गया है, काश्मीर गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने क्या पता लगाया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ग). १५ अगस्त, १९६० को दिल्ली पुलिस ने रोहतक जिले के सूरजभान नामक व्यक्ति से, जब वह करोल बाग में शादीपुर बस स्टैंड पर एक बस से उतर रहा था, हथगोला बरामद किया । उसे तुरन्त गिरफ्तार किया गया । उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसकी छानबीन की जा रही है ।

(ख) अगस्त, १९५९ में दिल्ली में हथगोले के दो विस्फोट हुये थे । इसके लिये कोई सबूत नहीं है कि वे काश्मीर से लाये गये थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट परीक्षा

†*१२७५. **श्री प्र० के० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी परीक्षार्थियों को जिन्होंने १९५५, १९५७ और १९५८ में हुये असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट परीक्षाओं में ४५ प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, संघ लोक सेवा आयोग ने "अर्हता प्राप्त" घोषित कर दिया था और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के ३ से ४ वर्ष पश्चात भी कोई स्थान खाली होने की स्थिति में उन लोगों की पदोन्नति की गयी थी ;

(ख) क्या सरकार ने कभी इन विभागीय परीक्षाओं का प्रतियोगी स्वरूप कायम रखा था और यदि हां, तो १९५५, १९५७ और १९५८ की परीक्षाओं के बचे हुये व्यक्तियों को १९५८ और १९५९ में क्यों तरक्की दी गयी ;

(ग) क्या यह सच है कि १९५९ में हुई परीक्षा में "अर्हता प्राप्त" परीक्षार्थियों में से सब का नाम प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गयी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से संघ लोक सेवा आयोग को पूर्व स्थापित पद्धति का अनुसरण करने के लिये क्यों नहीं कहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५५, १९५७, और १९५८ में आयोजित असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट (नियमित अस्थायी संस्थापन) परीक्षाओं के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने जिन जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की थी उन सब को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अस्थायी संस्थान की तीसरी श्रेणी में नियुक्त कर दिया गया था । १९५५ में हुये परीक्षा के सफल ३३ उम्मीदवारों को छोड़कर जिनकी नियुक्ति १९५७ की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साथ १९५८ में की गयी थी, इन परीक्षाओं में सफल सभी उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने के वर्ष में ही नियुक्त किया गया था । परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के तीन चार वर्ष पश्चात्, नियमित अस्थायी संस्थान की तीसरी श्रेणी में ऐसी किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की गयी ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५५ में हुई परीक्षा के बचे हुये ३३ सफल उम्मीदवारों को १९५७ में हुई परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साथ १९५८ में इसलिये नियुक्त किया गया था कि नियमित अस्थायी संस्थान की तीसरी श्रेणी में काफी रिक्त स्थान उपलब्ध थे। जहां तक १९५७ और १९५८ की परीक्षाओं का संबंध है, यद्यपि पहले अनुमान यह था कि नियमित अस्थायी संस्थान की तीसरी श्रेणी में बहुत कम उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकेगा, किन्तु अन्त में यह निश्चय किया गया कि सभी सफल उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया जाये, इसलिये कोई भी सफल उम्मीदवार बाकी नहीं बचा। किन्तु इससे परीक्षाओं के प्रतियोगितात्मक स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) जी नहीं। संघ लोक सेवा आयोग को यह सूचित किया गया था कि परीक्षा के परिणाम के आधार पर ५० नियुक्तियां करने का विचार है किन्तु आयोग ने ७८ उम्मीदवारों को (जिनमें ९ उम्मीदवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के थे और जिनका योग्यताक्रम में स्थान नीचे था) नियुक्त करने की सिफारिश की थी। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियां करने की सिफारिश आयोग अपने स्वविवेक से करता है और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नही करती।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

पंजाबी विश्वविद्यालय

***१२७५-क. श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पंजाब राज्य सरकार को पंजाबी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अनेक राज्य केन्द्र की अनुमति लिये बिना ही विश्वविद्यालय खोल रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाबी विश्वविद्यालय की स्थापना से पंजाब में चल रहे साम्प्रदायिक आन्दोलन को बल मिला है; और

(घ) क्या केन्द्र उक्त विश्वविद्यालय के लिये वित्तीय अनुदान देगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयोग ने अपनी तीसरी वार्षिक रिपोर्ट में यह लिखा है कि नये विश्वविद्यालयों की स्थापना में या तो उनकी सलाह ली ही नहीं जाती और यदि ली भी जाती है तो केवल रस्म पूरी करने के लिये।

(ग) पंजाबी विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। उसकी स्थापना से पंजाब के साम्प्रदायिक आन्दोलन को बल मिलेगा या नहीं यह प्रश्न मुख्य रूप से राज्य सरकार के विचार करने का है।

(घ) इस प्रश्न के उठने का अभी समय ही नहीं आया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय विनियोजन केन्द्र

†*१२७६. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कालिका सिंह :

क्या वित्त मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिये अखिल भारतीय विनियोजन केन्द्र स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक पंजीकृत संस्था के रूप में भारतीय विनियोजन केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इसका एक शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) भी होगा जिसमें मुख्यतः बैंकिंग और उद्योग से सम्बन्धित गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे। भारतीय विनियोजन केन्द्र की स्थापना और उसके प्रारम्भिक कार्य में मदद देने के लिये २० जून, १९६० को भारत सरकार और अमरीकी टेकनिकल कोआपरेशन मिशन के बीच दो परियोजना करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इन करारों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी हुई हैं। शासी निकाय की रचना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने जा रहा है।

कारगिल-लेह सड़क

†*१२७७. **श्री प्र० के० देव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर—कारगिल-लेह सड़क पर जो जो दर्रे और अन्य ऊंचे इलाकों को शीत ऋतु में यातायात के लिये खुला रखने के वास्ते बर्फ साफ करने के यन्त्रों का आर्डर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये यन्त्र कब प्राप्त हो जायेंगे; और

(ग) इन यन्त्रों की लागत कितनी है और इन्हें किन देशों से मंगाया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

(ख) और (ग). अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†*१२७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक हवाई यात्रा एजेंट ने पेरिस होकर लन्दन और न्यूयार्क जाने के लिये ६२ यात्रियों के साथ एक झूठा करार किया ;

(ख) क्या एनफोर्समेंट शाखा के कर्मचारियों ने उसके कार्यालय पर छापा मारा था;

(ग) क्या यात्रियों को १ और २ सितम्बर, १९६० को प्रस्थान करना था;

(घ) कानून का क्या उल्लंघन किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) पूछताछ का क्या परिणाम निकला है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) सरकार को यह जानकारी मिली थी कि मेसर्स जनरल टूर्ज एण्ड ट्रेवेल्स ने कुछ यात्रियों को पेरिस होकर नई दिल्ली से लन्दन और न्यूयार्क ले जाने और दो दिन तक लन्दन में उनके ठहरने का खर्च उठाने की व्यवस्था की थी। यह ज्ञात हुआ था कि इस प्रयोजन के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा भारत के रिजर्व बैंक की मंजूरी के बगैर अनधिकृत रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी थी।

(ख) जी हां।

(ग) ७० यात्रियों का एक जत्था ३१ अगस्त, १९६० को एयर फ्रान्स से रवाना हुआ। १६ यात्री कराची से एयर फ्रान्स सर्विस पकड़ने के लिये रैन इंडियन एयरवेज से दिल्ली से रवाना हुए। इस दल का कोई भी यात्री १ या २ सितम्बर को नहीं रवाना हुआ।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (क) में बताया गया है।

(ङ) और (च). एन्फोर्समेन्ट निदेशालय ने एजेन्ट और मालिक के मकानों की तलाशी ली थी और उसके फलस्वरूप कुछ कागजात पकड़े गये। रवाना होने से पहले यात्रियों से सम्पर्क स्थापित किया गया था और उनके बयान लिखे गये थे। इन बयानों से इस बात की पुष्टि होती है कि यात्री एजेन्ट ने लन्दन में दो दिन तक उनके रहने का खर्च उठाने की व्यवस्था की थी।

आंध्र प्रदेश की सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये लोहा तथा इस्पात

†२३४९. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) आवश्यक जानकारी की आन्ध्र प्रदेश सरकार से अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

गांवों में बिजली

†२३५०. **श्री पांगरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष १९६०–६१ में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये कोई प्रस्ताव अभी तक केन्द्रीय सरकार को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाल वाले जहाज़[1]

†२३५१. श्री न० म० देब : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए पाल वाले जहाजों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ख) यह कार्य किन किन स्थानों पर प्रारम्भ करने का विचार किया जा रहा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) समस्त सम्भावित निर्माण केन्द्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के पश्चात् तथा प्राप्त सूचना के आधार पर उन्नत किस्म के पाल वाले जहाजों के निर्माण कार्य को तीन चुने हुए केन्द्रों में, अर्थात् एक सौराष्ट्र के तट पर, एक मलाबार कोंकण तट पर, एक दक्षिण-पूर्वी तट पर, प्रोत्साहन देने का विचार किया जा रहा है। परन्तु इन केन्द्रों के सही स्थानों के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। जैसे ही विभिन्न प्राविधिक बातों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो जाएगा योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर लिये जाने की आशा है।

केरल में डाक तथा तार कर्मचारी

†२३५२. श्री ईश्वर अय्यर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में डाक तथा तार विभाग के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) १२ जुलाई, १९६० को अथवा उसके बाद केरल राज्य में डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारी मौअत्तल किये गये हैं;

(ग) ऐसे कर्मचारियों में से कितने १२ जुलाई, १९६० को अथवा उसके पश्चात् नौकरी से निकाल दिये गये; और

(घ) मौअत्तल किये गये कर्मचारियों में से कितनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई जो अभी तक चालू है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) ७०११।

(ख) १३९१।

(ग) २३७ कर्मचारी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर नौकरी से हटा दिये गये। अभी तथा ३७ पदाधिकारियों का पुनरीक्षण किया गया है और उन्हें फिर नौकरी में ले लिया गया है। अन्य मामलों में पुनरीक्षण जारी है।

(घ) मौअत्तल किये गये ११५४ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी जिनमें से २६४ मामले अभी विचाराधीन हैं।

पंजाब में आटे की खपत

†२३५३. श्री बी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आटा, मैदा, सूजी और गेहूं की भूसी की अनुमानित वार्षिक खपत (टनों अथवा मनों में) कितनी है; और

(ख) इस समय राज्य में इनमें से प्रत्येक का कितना उत्पादन होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sailing Vessels.

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) सही विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु पंजाब में जो २० लाख टन गेहूं पैदा होता है उसमें से अधिकांश पंजाब में ही आटे के रूप में और कुछ मैदा, सूजी और भूसी के रूप में खप जाता है ।

(ख) पंजाब में आटे की मिलों का उत्पादन लगभग ४०,००० टन प्रति माह है । इसके अतिरिक्त बहुत सी चक्कियां भी हैं । गेहूं के विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं है परन्तु १९५९ में रोलर मिलों में २४,००० टन मैदा और ५,००० टन से कुछ अधिक सूजी बनाई गई ।

दिल्ली में ढोर

†२३५४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ढोरों की वर्तमान संख्या उनकी नस्ल के अनुसार कितनी है;

(ख) उनमें से कितने उपयोगी हैं और कितने बेकार हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपयोगी ढोरों की संख्या बढ़ाने और बेकार ढोरों की संख्या कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) ८ वीं अखिल भारतीय पशुधन गणना (१९५६) के अनुसार दिल्ली में २,३५,५३९ ढोर थे जिनका ब्यौरा इस प्रकार है : ३ वर्ष से ऊपर के नरों की संख्या ३६,७७७; ३ वर्ष से ऊपर की मादाओं की संख्या ८२,२७७ और बछड़ों की संख्या १,१६,४८५ है ।

(ख) उसी गणना के अनुसार ६२८ नर और २३९ मादायें बेकार थीं ।

(ग) उपयोगी ढोरों की संख्या बढ़ाने और बेकार ढोरों की संख्या कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(१) प्रजनन हेतु अच्छे नस्ल के सांडों का सम्भरण ।

(२) ऊंची किस्म के हरियाना सांडों और ओसरों के पालन के लिये दस रुपए प्रति बछड़े के हिसाब से सहायता मंजूर करना ।

(३) गौशालाओं के संसाधनों को ढोरों के प्रजनन में लगाना ।

(४) ढोर प्रदर्शनियों तथा दूध निकालने की प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

(५) ढोरों का कृत्रिम गर्भाधान ।

(६) बेकार सांडों और नर बछड़ों को बधिया करना ।

(७) आवारा ढोरों को पकड़ना और उनमें से बेकार ढोरों को गुलारभोज के गोसदन भिजवाना ।

दिल्ली की सड़क दुर्घटनाओं में डी० टी० यू० की बसें

†२३५५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में १ अप्रैल, १९६० से अभी तक ऐसी कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं जिनमें डी० टी० यू० (दिल्ली परिवहन) की बसें अन्तर्ग्रस्त थीं ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : ब्यौरा निम्न प्रकार है :

महीना	दुर्घटनाओं की संख्या		
	बड़ी	छोटी	योग
अप्रैल, १९६०	४	११४	११८
मई १९६०	२	११२	११४
जून, १९६०	४	१२४	१२८
जुलाई, १९६०	६	१२२	१२८
योग	१६	४७२	४८८

अगस्त के आंकड़ों का संकलन दिल्ली परिवहन द्वारा अभी तक नहीं किया गया है

विशाखापटनम पत्तन

†२३५६. **श्री वी० चं० शर्मा:** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में [illegible] कृपा करेंगे कि विशाखापटनम् पत्तन के विकास के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): चार अतिरिक्त बर्थों के निर्माण के लिये टेंडर पत्र सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। और टेंडर शीघ्र ही आमन्त्रित किये जायेंगे।

उन चार बर्थों में से दो में स्थापित किये जाने वाले अयस्क लदान संयंत्र के लिये नक्शे और प्राक्कलन परिवहन विभाग से सम्बद्ध विकास सलाहकार द्वारा तैयार किये जा चुके हैं और उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

बिना टिकट यात्रा

†२३५७. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६० से आद्यतन कितने यात्री बिना टिकट चलते पकड़े गए ;

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि की यह संख्या कितनी थी ; और

(ग) कौन सी रेलवे में सब से अधिक बिना टिकट के यात्री पकड़े गए ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). १ अप्रैल, १९६० से ३० जून, १९६० तक बिना टिकट के २२.३ लाख यात्री पकड़े गए जब कि पिछले वर्ष इसी दौरान २१.३ व्यक्ति पकड़े गए थे ।

(ख) अप्रैल से जून, १९६० के बीच उत्तर रेलवे में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब से स्लीपरों का संभरण

†२३५८. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब वर्ष १९६० में सलीपरों का सम्भरण कर सका है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोशालाओं क प्रबन्ध का प्रशिक्षण

२३५९. **श्री म० ला० द्विवेदी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् ने गोशालाओं के प्रबन्ध का प्राशक्षण देने के लिये गुजरात राज्य में एक केन्द्र खोला है ; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब से चल रहा है और इस पर कितना व्यय हुआ है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) फरवरी, १९६० से । इस केन्द्र के चलाने पर लगभग २३,००० रुपये वार्षिक व्यय का अनुमान है ।

लक्ष्मीबाई नगर में सी० एच० एस० डिस्पेंसरी

†२३६०. **श्री रामकृष्ण गुप्त**: क्या स्वास्थ्य मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्ष्मीबाई नगर स्थित अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय में ११ अप्रैल, १९६० को हुई एक क्लर्क की मृत्यु के कारणों की जांच कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) स्वर्गीय श्री कुन्दन लाल धवन की मृत्यु के संबंध में जांच अधिकारी से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से ज्ञात होता है :

(१) कि रोगी की मृत्यु हृदयगति रुक जाने से हुई ; और

(२) जिन चिकित्सा कर्मचारियों ने श्री कुन्दन लाल धवन का इलाज किया था उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवायें

†२३६१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के संबंध

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने देश में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के विकास और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकारों की विभिन्न कार्यवहियों के समन्वय की दृष्टि से एक केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है ।

यमुना जल विद्युत परियोजना

†२३६२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच में यमुना जल विद्युत परियोजना के संबंध में पुनरीक्षित प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को जांच के लिए भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर आयोग ने क्या राय व्यक्त की है ; और

(ग) उस परियोजना को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होता ।

विमान भाड़े की दरें

†२३६३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २९ अप्रैल, १९६० को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १८२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान सेवा निगम के भाड़े की दरों का पुनरीक्षण किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). भारतीय विमान सेवा निगम ने विमान परिवहन परिषद की सिफारिश के अनुसार आधारभूत माल दरों और अतिरिक्त सामान दरों की संगणना पूरी कर ली है और उसे अनुमोदनहेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया है । इन पुनरीक्षित दरों पर सरकार की स्वीकृति शीघ्र मिल जाने की आशा है । वैसा हो जाने पर निगम १ नवम्बर, १९६० से पुनरीक्षित दरों को लागू करने का विचार कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भांडागार निगम

†२३६४. { श्री रामकृष्ण गुप्त
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १५ फरवरी, १६६० अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्त राज्य भाण्डार निगमों के लिए एक संयुक्त आत्मबीमा योजना और एक सामान्य निर्माण अभिकरण की स्थापना के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : राज्य तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगमों के लिए एक संयुक्त आत्मबीमा योजना के निर्माण में कुछ कानूनी तथा प्रविधिक कठिनाइयों का पता लगा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगमों के कृत्यों में, जैसे कि कृषि उत्पाद (विकास एवं भाण्डागारिता) निगम अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत विनिहित किए गए है, खातेदारों के स्टाक के संबंध में बीमे का कृत्य सम्मिलित नहीं है। अत: संयुक्त आत्म-बीमा योजना के स्थान पर प्रत्येक भाण्डागार निगम के लिए एक क्षतिपूर्ति योजना प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है जिससे प्रत्येक निगम खातेदारों की समस्त जोखिमों के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगा—केवल खतरनाक माल को छोड़कर जिनका बीमा कम्पनियां करती रहेंगी। इस योजना की राज्य भाण्डागार निगमों से सिफारिश की गई है और राज्य सरकारों से राज्य भाण्डागार अधिनियमों तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के संबंधित उपबन्धों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि राज्य भाण्डागार निगमों को उन मामलों में बीमा कम्पनियों से अनिवार्य बीमा कराने से छूट मिल सके जिनमें निगम खातेदारों की हानि की क्षतिपूर्ति करने को तैयार हों।

सामान्य निर्माण अभिकरण की स्थापना का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है क्योंकि अधिकांश राज्य भाण्डागार निगम राज्य लोक कर्म विभाग के माध्यम से स्वयं ही निर्माण कार्य करना चाहते हैं।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

†२३६५. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या रेलवे मंत्री २६ अप्रैल, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८४८-क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हसन-मंगलौर रेल सम्पर्क के निर्माण का प्रस्ताव किस अवस्था में है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जिन नई लाइनों को सम्मिलित किया है उसमें हसन-मंगलौर रेलवे नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियां

†२३६६. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामजी वर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि के संबंध में छूट देने के लिए दिल्ली की सहकारी गृह-निर्माण समितियों के मामलों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). समस्त सोसाइटियों के मामले अभी तक विचाराधीन हैं। परन्तु जुलाई, १९६० में किए गए निर्णय के अनुसार कुछ बस्तियों को, जिनके नक्शे स्थानीय समर्थ प्राधिकारी द्वारा पास कर दिए गए थे, दिल्ली प्रशासन की उस अधिसूचना के पर्यालोकन से छूट दे दी गई थी जिसके अनुसार ३४,०७० एकड़ अर्जित की जाएगी । ऐसी केवल एक बस्ती एक सहकारी समिति, अर्थात् स्वतंत्र सहकारी गृह-निर्माण समिति की थी ।

टिनेवेली केप कमोरिन लाइन

†२३६७. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री २६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने टिनेवेली से केप कमोरिन तक की प्रस्तावित रेलवे लाइन के संबंध में यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जांच अभी भी जारी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे समय सारिणी

†२३६८. श्री म० रा० मुनिस्वामी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे समय सारिणी कितनी भाषाओं में छपती है ;

(ख) चालू वर्ष में प्रत्येक भाषा की कितनी प्रतियां छापी गईं ; और

(ग) प्रत्येक भाषा की ये समय सारिणियां किन क्षेत्रों में जनता को उपलब्ध की जाती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) :

भाषा जिसमें समय सारिणियां छापी गईं	१९६० में अब तक छापी गईं कुल प्रतियां
अंग्रेजी	६,३८,०००
हिन्दी	९६,०००
आसामी	९००
बंगाली	८,४४०
गुरमुखी	६,३००
उड़िया	५,०००
तेलगू	१७,०००
तामिल	३५,०००
मलयालम	१०,०००
कन्नड़	७,०००

(ग) विभिन्न भाषाओं की समय सारिणियां किसी क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र की यात्रा करने वाली जनता की मांगों के अनुसार उपलब्ध की जाती हैं।

महाराष्ट्र को खाद्यान्नों का संभरण

†२३६९. श्री पांगरकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने खाद्यान्नों की अपनी कितनी मासिक आवश्यकता बताई है और राज्य की कितनी मांग पूरी कर दी गई है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : महाराष्ट्र सरकार की खाद्यान्नों की मई, जून तथा जुलाई १९६० की मासिक मांग तथा प्रत्येक महीने में उनको दी गई मात्रा नीचे दी जाती है :—

		महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत मासिक आवश्यकता		मांगों पर किया गया संभरण	
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
मई, ६०	जिले	१७,८२५	११,२९०	१७,०४५	११,११९
	बम्बई नगर	८,८५७	७,६६२	८,८५७	७,७६२
जून, ६०	जिले	६,०००	५,४६०	५,७००	५,४३०
	बम्बई नगर	१०,९७०	७,५१२	१०,९७०	७,५१२
जुलाई, ६०	जिले	१६,७७०	६,२००	१५,८८०	६,०२०
	बम्बई नगर	१०,३३३	८,९५८	१०,३३३	८,९५८
	जोड़	७०,७५५	४७,०९२	६८,७८५	४६,७०१

पूरे अगस्त महीने के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं।

†मूल अंग्रेजी में

इन आंकड़ों में उस गेहूं के संभरण के आंकड़े शामिल नहीं हैं, जो महाराष्ट्र के जिलों तथा बम्बई नगर को आटा मिलों को दिया गया है।

दिल्ली में मत्स्य पालन

†२३७०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में दिल्ली में देहाती क्षेत्रों में कितने तालाब मत्स्य पालन के योग्य बनाये गये ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनका कितना लक्ष्य रखा गया था ; और

(ग) इस संबंध में कितनी सहायता दी गई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ग्यारह।

(ख) पचास तालाब।

(ग) तालाबों आदि के सुधार पर ५० प्रतिशत व्यय की सहायता सरकार देती है। अच्छे तालाबों में इनका भंडार बनाने के लिये 'फ्राई' तथा 'फिन्गरलिंग' प्रकार की मछलियां मुफ्त में दी जाती हैं और प्राविधिक सलाह भी मुफ्त दी जाती है। जाल से मछलियों को पकड़ने तथा इनको बाजार में बेचने के बारे में भी सहायता दी जाती है।

खराब स्लीपरों का संभरण

†२३७१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के बलियापट्टम स्थान से बम्बई की एक फर्म ने खराब स्लीपरों का संभरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है ;

(ग) क्या रेलवे पुलिस इन स्लीपरों की हिफाजत कर रही है ;

(घ) जांच कब की गई थी ; और

(ङ) फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने में देर के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) केरल के बलियापट्टम स्थान से किसी भी बम्बई की फर्म ने कोई भी खराब स्लीपर नहीं दिया है। परन्तु संभरण तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा १९५५-५६ में वैगन फ्लोर बोर्ड के लिये दिये गये आर्डर पर मिले 'वैगन फ्लोर' बोर्ड खराब थे। इन फ्लोर बोर्डों में से कुछ का केरल के बलियापट्टम स्थान से संभरण हुआ था।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) विशेष पुलिस संगठन ने सितम्बर १९५६ में जांच की थी और पुलिस ने ७-९-५६ को फर्म के तथा काष्ठ निरीक्षक पदाधिकारी के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर कर दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) मुकदमा दायर करने के स्थान केरल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर फर्म ने आपत्ति उठाई और लगभग २ वर्ष से उच्चतम न्यायालय में अपील लम्बित थी। उच्चतम न्यायालय ने अभी मुकदमे को पूना में विशेष न्यायाधीश द्वारा सुने जाने के आदेश दिये हैं।

अखिल भारत सर्व सेवा संघ और सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†२३७२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारत सर्व सेवा संघ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शीघ्र आगे बढ़ाने के बारे में रुचि ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सर्व सेवा संघ के नेताओं ने उनसे इसके बारे में चर्चा की है; और

(ग) देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शीघ्र आगे बढ़ाने में उन्होंने किस सीमा तक सहायता दी है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :** (क) अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने जनता को शिक्षित करने तथा पंचायती राज और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए उचित वातावरण तैयार करने में सहायता देने की इच्छा जाहिर की है।

(ख) जी हां।

(ग) सर्व सेवा संघ में भी अच्छे कर्मचारियों की कमी है। मंत्रालय ने सभी अच्छे कर्मचारियों का उपयोग करने का पूरा प्रयत्न किया है।

सामुदायिक विकास खंडों में उद्योग

†२३७३. **श्री सं० म० मेहदी :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास खण्डों में नये उद्योगों के विकास के लिए क्या दीर्घकालीन कार्य आरम्भ किए गए हैं ; और

(ख) औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओं में समाज के विकेन्द्रीयकृत ढांचे के कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :** (क) सामुदायिक विकास खण्डों में नये उद्योगों के विकास के लिए जो कार्य किये गये हैं उनमें से कुछ ये हैं :—

(१) उद्योगों के सघन विकास के लिए २६ अग्रिम परियोजनाओं की स्थापना और खण्डों में इनकी वृद्धि के लिए निर्णय करना।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास खण्डों में अग्रिम परियोजनाओं तथा ग्राम्य औद्योगिक बस्तियों में लघु औद्योगिक बस्तियों की स्थापना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) अग्रिम क्षेत्रों तथा अग्रिम चुने हुए क्षेत्रों में, विकास योजनायें बनाने के काम में सहायता के लिए औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के निर्धारण के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण।

(४) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विभिन्न लघु उद्योग संस्थाओं के द्वारा औद्योगिक विस्तार सेवा की स्थापना।

(५) नमूने की योजनायें बनाना तथा उन्हें उपलब्ध करना।

(६) देहातों में बिजली लगाना।

(७) प्रशिक्षण सुविधाओं आदि की स्थापना।

(ख) अभी इसका पता नहीं लगाया जा सकता।

इर्विन अस्पताल

२३७४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इर्विन अस्पताल, दिल्ली में १९५९–६० में कितने नये वार्ड बनाये गए हैं ;

(ख) वहां और कितने बिस्तरों की व्यवस्था की गई है ;

(ग) प्रयोगशाला सहायकों (लेबोरेटरी असिस्टेंटों) के प्रशिक्षण पर किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक भी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) १. प्रयोगशाला सहायकों को अध्ययन कार्य के लिये भत्ते के रूप में २००) रु० दिये गये।

२. प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में रु० ४१२९.२१ न० पै० दिये गये।

(घ) १९५९–६० में पांच प्रयोगशाला सहायक प्रशिक्षित किये गये।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे किये गये व्यक्ति

२३७५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में दिल्ली में ऐसे अस्पतालों में जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों का एक्स-रे किया गया ; और

(ख) इन व्यक्तियों को क्या क्या रोग थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अजनी में रेल की टक्कर

†२३७६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजनी-नागपुर पैसेंजर गाड़ी के पिछले हिस्से और एक शंटिंग इंजन में ११ जून, १९६० को टक्कर हुई थी जिसके फलस्वरूप गाड़ी के ड्राइवर के सख्त चोट लगी और शंटिंग इंजन के ड्राइवर और फायरमैन के हल्की चोटें आई ;

(ख) यदि हां, तो टक्कर किस प्रकार हुई ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). १२ जून, १९६० को लगभग ००.५९ बजे जब अजनी-नागपुर (ए) लोकल ट्रेन अजनी स्टेशन पर पीछे की ओर जा रही थी उस समय ड्राइवर ने गाड़ी को लाल सिग्नल होने पर सिग्नल से परे ढकेल दिया जिसके फलस्वरूप गाड़ी का पिछला हिस्सा अजनी लोको शेड से आते हुए एक शंटिंग इंजन से टकरा गया ।

लोकल ट्रेन के ड्राइवर के सख्त चोट लगी और शंटिंग इंजन के ड्राइवर और आगवाला के हल्की चोटें आईं ।

(ग) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के साथ उचित कार्यवाही की जा रही है ।

भ्रष्टाचार के मामले

†२३७७. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६० को उत्तर रेलवे पर भ्रष्टाचार के कितने मामले लम्बित थे; और

(ख) मामले किस प्रकार के थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १ अगस्त, १९६० को न्यायालय में लम्बित मामले तथा विभागीय कार्यवाही के लम्बित मामले १०२ थे ।

(ख) मामले निम्न प्रकार के थे :—

१. आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अधिक धन का इकट्ठा किया जाना ;

२. घूस लेना ;

३. धोखाघड़ी ;

४. सरकारी धन का दुरुपयोग ;

५. रिकार्डों में झूठी बातें लिखना ;

६. रेलवे की वस्तुओं तथा मजदूरों का दुरुपयोग ;

---

†मूल अंग्रेजी में

७. पास तथा पी० टी० ओ० का ग़लत इस्तेमाल ;

८. निम्न स्तर का माल स्वीकार करना;

९. ठेकेदारों को अधिक माल दे देना, और

१०. नाप पुस्तकों में गड़बड़ी ।

रेल की पटरियों का बदलना

†२३७८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे मंत्री २६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वार कुल रेल-पथ (ट्रैक) का बदलना आवश्यक है ; और

(ख) रेल पटरियों के बदलने के काम को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १–४–१९६० को अनुमानतः ५६९२ मील की रेल के पूरे ट्रैक को बदलने की तथा २२९५ मील की रेल पटरी बदलने की आवश्यकता थी । ब्योरे नीचे दिए जाते हैं :

रेलवे	पूरे ट्रैक का बदलना	रेल की पटरी बदलना
	मील	मील
मध्य .	१५७३	२२१
पूर्व .	३२३	६६
उत्तर . .	५१६	३१३
पूर्वोत्तर .	३४०	८२०
पूर्वोत्तर सीमान्त	१२४	४६
दक्षिण	१३२१	४३१
दक्षिण पूर्व	६८८	२६९
पश्चिम	८०७	१२९
जोड़	५६९२	२२९५

(ख) दूसरी योजना में १.४.६० तक पटरी बदलने के काम में यह प्रगति हुई कि ४२५० मील का पूरा ट्रैक बदल दिया गया तथा १२०० मील की रेल की पटरी बदल दी गई । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी ट्रैक बदल देने का कार्यक्रम बना लिया गया है ।

स्थानीय करों की बकाया रकम

†२३७९. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री रायगाड़ा (उड़ीसा) की नोटिफाइड एरिया काउंसिल के स्थानीय करों की बकाया रकम के बारे में १८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). रायगाडा नोटिफाइड एरिया काउंसिल ने उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत १ अक्तूबर, १९५७ से 'होल्डिंग टैक्स' की मांग की थी। क्योंकि रेलवे प्रशासन पर वर्तमान अधिसूचना के अधीन 'हाउस टैक्स' देने की जिम्मेदारी है इसलिये यह शंका उत्पन्न हुई कि क्या रेलवे प्रशासन को 'होल्डिंग टैक्स' देने के लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरकार को अब यह परामर्श दिया गया है कि रेलवे प्रशासन पर पहले जिस सम्पत्ति के लिए 'हाउस टैक्स' को देने की जिम्मेदारी थी उसी सम्पत्ति के लिए 'होल्डिंग टैक्स' देने की भी उस पर जिम्मेदारी है। नोटिफाइड एरिया काउंसिल द्वारा मांगी गई टैक्स की रकम के औचित्य की जांच करने के लिये रेलवे प्रशासन को लिखा जा रहा है।

रेलवे पर दुर्घटनायें

†२३८०. { श्री सुबिमन घोष :
श्री नलदुर्गकर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में, ज़ोनवार, जनवरी से जून १९६० तक कितनी दुर्घटनायें निम्न कारणों से हुईं : १. टक्करें (२). रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने (३). लैवल क्रासिंग पर रेलगाड़ी के सड़क पर चले जाने (४). रेल गाड़ियों में आग लग जाने से ;

(ख) कितने मामलों में मृत्यु हुई और प्रत्येक ज़ोन में कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए ;

(ग) इनमें से कितने मामले, ज़ोन वार, निम्न कारणों से हुए :—१. व्यक्तियों की गलती २. रेलवे कर्मचारियों से अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की गलती ३. उपकरणों की खराबी जैसे (क) यंत्र (ख) पटरी और (ग) बिजली, ३. पटरी में तोड़ फोड़ ४. दुर्घटना के कारणों का पता न लगना और ५. न्यायाधीन अथवा अन्तिम रूप न दिए गए कारण।

(घ) कितने कर्मचारियों को, ज़ोनवार, दण्ड दिए गए ;

(ङ) रेलवे को, ज़ोनवार, कितनी हानि हुई ; और

(च) रेलवे को, ज़ोनवार, कितना प्रतिकर देना पड़ा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (च). विवरण संबद्ध है।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३६]।

सियालदह डिवीजन में बिजली की रेलगाड़ियां

†२३८१. { श्री सुबिमन घोष :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में किस वर्ष में बिजली की रेल गाड़ियां चलने लगेंगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस काम पर लगे हुए इंजीनियरों के सामने कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जिनके कारण काम में देर हो रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार इस काम के बारे में सलाह लेने के लिए इंजीनियरों को विदेश भेजना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री ((श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) वर्तमान तार संचार को डाक तथा तार विभाग द्वारा भूमिगत केबलों के द्वारा बदलने के बाद तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की पूरी सप्लाई करने के बाद सियालदह डिवीजन में बिजली से चलने वाली उपनगरीय रेल गाड़ियां प्रक्रमों में १९६२–६३ से लेकर १९६३–६४ तक चलाई जाने लगेंगी।

(ख) सियालदह डिवीजन के कुछ विभागों पर तार संचार के केबल रेलवे ट्रैक ने अति निकट होने के कारण ए० सी० करन्ट के नुकसानदेह प्रभावों को दूर करने के कुछ कठिनाई सामने आ रही हैं।

(ग) और (घ). तीन इंजीनियरों को विदेश भेजा गया था जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे कांग्रेस संस्था की विस्तृत बैठक में सिग्नलिंग तथा संचार पर बिजली के प्रभाव और उत्तम तथा बिना बाधा के संचार के बारे में बातचीत हुई। यह दल जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भी गया और वहां के विशेषज्ञों से बातचीत की। दल ने लौटकर यह सिफारिश की है कि सियालदह-नैहारी के बीच विभाग पर बूस्टर ट्रान्सफारमर लगाये जायें। उनकी सिफारिश विचाराधीन है।

विनय नगर के निकट नीचे का पुल

†२३८२. **श्री राम गरीब** : क्या **रेलवे** मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में विनय नगर रेलवे स्टेशन के निकट नीचे का पुल बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : साफ पानी की पाइप लाइन जो सड़क के आर-पार थी और जिसके कारण काम रुका पड़ा था अब नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने यहां से हटा दी है। सितम्बर, १९६० के अन्त तक नीचे का पुल बन जाने की आशा है।

उपनगरीय क्षेत्र का विस्तार

†२३८३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे पर बर्दवान से दुर्गापुर तक उपनगरीय रेलगाड़ी चलाने के लिए उपनगरीय क्षेत्र के विस्तार के लिए क्या कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। पूर्व रेलवे को एक अभ्यावेदन मिला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभागीय क्षमता और कार्यवहन कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव है ।

पहले दर्जे के डिब्बे

†२३८४. **श्री परूलेकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले दर्जे के डिब्बे कितने दिन चल जाते हैं ;

(ख) पहले दर्जे के ऐसे डिब्बे कितने हैं जिनकी यह अवधि समाप्त हो गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि १९५९ में इनके उत्पादन को रोकने के आदेश दे दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पहले दर्जे के डिब्बे ३० वर्ष तक चल जाते हैं। परन्तु व्यवहारत : डिब्बों को उनकी दशा के आधार पर ही सेवा से हटाया जाता है।

(ख) ५९३ ब्राडगाज, ४८२ मीटरगाज, तथा १३४ नैरोगाज के पहले दर्जे के डिब्बे ३० वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विमानों की खरीद

२३८५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत ने असैनिक उड्डयन के लिये किन किन देशों से विमान खरीदे हैं; और

(ख) कितने विमान खरीदे गये; और

(ग) कितने विमान खरीदने के लिये करार किया गया है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) १९५८ और १९५९ में सिविल एविएशन के लिए हवाई जहाज अमेरिका और इंगलैण्ड से खरीदे गये थे ।

(ख) आठ ।

(ग) दो ।

गया–मुगलसराय विद्युतीकरण

†२३८६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया और मुगलसराय के बीच रेलवे विद्युतीकरण योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे बोर्ड तथा ब्रिटिश इंसुलेटेड कैलेन्डर्स केबल्स (बी आइ सी सी) ग्रुप के बीच २५ केबी, ५० साइकिल्स ए० सी० रेलवे विद्युतिकरण के ओवरहैड उपकरणों की स्थापना तथा संभरण के लिये मुख्य ठेके तथा और ठेकों की समय अनुसूची समेत मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २५ के बी, एसी, सिंगल फेज, ५० साईकिल पर गया-मुगलसराय विभाग में बिजली लगाई जा रही है। पूर्व रेलवे पर इस विभाग में जो १२६ रूट मील (लगभग ३०१ ट्रैक मील) लम्बा है सबसे अधिक गाड़ियां चलती हैं और दूसरी योजना में इसको सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इस विभाग पर बिजली लगाने में लगभग ८.१३ करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ख) ब्रिटिश इंसुलेटिड कैलेन्डर्स केबल्स लिमिटेड को ओ० एच० ई० फिटिंग का तथा ओ० एच० ई० उपकरण की पूरी स्थापना का ठेका दिया गया है परन्तु इसके ओ० एच० ई० खंभों के ढाँचे के लिए इस्पात रेलवे देगी। फर्म अधिकांशतः देसी सामग्री तथा जनशक्ति का उपयोग करेगी। इस विभाग के ओवर हैड उपकरणों के विद्युतिकरण संगठन योजनायें बनायेगा। ठेके की शर्तों के अनुसार ओवर हैड उपकरण का काम ५ मई, १९६०, आर्डर देने की तिथि से, १४ महीने में पूरा हो जायेगा। चालू होने की तिथि से १२ महीने की अवधि तक स्थापनाओं के संतोषजनक काम की गारंटी फर्म ने दी है।

कोयले के वैगनों का बीच में रोक लिया जाना

२३८७. { **श्री अरविन्द घोषाल**
श्री बि० दास गुप्त : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च १९६० में झरिया की कोयला खानों (जैसे बस्ताकोला कोयला खान) से जो कोयले के वैगन मूल रूप से कुछ प्राइवेट उपभोक्ताओं के नाम बुक किये गये थे, उनको रेलवे के अपने इस्तेमाल के लिये रास्ते में ही रोक लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किसके आदेश से ऐसा किया गया ; और

(ग) कितने वैगन इस तरह रोके गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, कोयले के कुछ वैगनों को, जो झरिया कोयला खान क्षेत्र की खानों से मूल रूप से प्राइवेट उपभोक्ताओं के नाम बुक किये गये थे, रेलवे के इस्तेमाल के लिये मार्च, १९६० में ले लिया गया था ; उस समय रेलवे में कोयला का स्टाक बहुत ही कम रह गया था और डर था कि कहीं महत्वपूर्ण ट्रेन सर्विसों को बन्द न करना पड़े।

(ख) इन कोयला वैगनों को समय समय पर संशोधित किये गये कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ के अधीन ले लिया गया था ; इस आदेश के अनुसार, जब कोयला कहीं भेजा जा रहा हो तो सरकार ऐसा कर सकती है।

(ग) माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहते हैं कि झरिया कोयला खान क्षेत्र की बस्ता-कोला खान से मूलतः प्राइवेट उपभोक्ताओं के नाम कितने वैगन बुक किये गये और रेलवे के इस्तेमाल के लिये बीच में से ही ले लिये गये। अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

श्रीसेलम विद्युत परियोजना

†२३८८. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री २९ अप्रैल, १९६० को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २९११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने श्रीसेलम विद्युत परियोजना की जांच कर ली है और उसका अनुमोदन कर दिया है;

(ख) परियोजना की लागत क्या है;

(ग) परियोजना द्वारा कितने यूनिट बिजली पैदा की जायेगी; और

(घ) क्या परियोजना को वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) परियोजना प्रतिवेदन की अभी जांच हो रही है।

(ख) अनुमानित लागत ४९.७७ करोड़ रुपये है।

(ग) योजना के अन्तर्गत श्रीसेलम में और नागार्जुनसागर में क्रमशः ३,३०,००० किलोवाट और १००,००० किलोवाट की क्षमता के विद्युत संयंत्र लगाये जाने हैं। इन संयंत्रों द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली १६,८२० लाख के० डब्ल्यू० एच० प्रति वर्ष होगी।

(घ) उत्तर नकारात्मक है।

पोर्ट ब्लेयर में जलाने की लकड़ी तथा मछली की कमी

†२३८९. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूह में बहुत सारे और बहुत क़ीमती जंगल होने तथा पोर्ट ब्लेयर के इन जंगलों के बीच में स्थित होने के बावजूद भी, पोर्ट ब्लेयर में जलाने की लकड़ी के दाम कलकत्ता या बम्बई से भी कहीं ज्यादा क्यों हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लकड़ी न मिलने के कारण अन्दमान द्वीपसमूह के लोग अपने मकान नहीं बनवा सकते और न ही लोक निर्माण विभाग कोई निर्माण-कार्य कर सकता है; और

(ग) अन्दमान द्वीपसमूह के चारों तरफ़ समुद्र होने और सरकार का एक मत्स्य पालन विभाग होने के बावजूद भी, पोर्ट ब्लेयर बाजार में मछली की सख्त कमी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि बताई गई है। चैथम सॉ मिल्स की कटी हुई जलाने वाली लकड़ी ५.७५ रुपये प्रति कोर्ड के भाव से बिकती है, जो बम्बई या कलकत्ता के भाव से बहुत कम बताया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पोर्ट ब्लेयर के बाजार में मछली की कोई कमी नहीं है। जो १००० पौंड मछली रोज़ाना मछली बाजार में लाई जाती है वह स्थानीय मांग को पूरा करने के लिये काफ़ी होती है। पिछले पांच वर्षों में बाजार में आने वाली मछली की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती ही रही है। संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-

१९५५-५६ .	६०.०६ मीट्रिक टन मछली
१९५६-५७	८३.२० ,, ,, ,,

†मूल अंग्रेजी में

१९५७-५८ .	९४.५०	मीट्रिक टन मछली
१९५८-५९ .	११७.९०	,, ,, ,,
१९५९-६० .	. १२४.९४	,, ,, ,,

मत्स्य पालन विभाग मछली पकड़ने की नौकाओं और अन्य उपकरणों में सुधार करके मत्स्य-पालन के विकास के काम में लगा हुआ है; यह विभाग वाणिज्यिक स्तर पर मछली पकड़ने का काम नहीं करता लेकिन लगभग २०० मछुओं को ज्यादा मात्रा में मछली पकड़ने के लिये सुविधायें देता है ।

अन्दमान के बन

†२३९०. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या खाद्यान्न तथा कृषि मंत्री ९ दिसम्बर, १९५९ को पुनर्वास तथा बस्तियां बनाने से सम्बन्धित साफ किये गये जंगलों के विषय में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट कार्नवालिस क्षेत्र के निकट (यथा पगलीपुर, ब्लेयर बे इत्यादि) के वाणिज्यिक महत्व के वृक्षों को वन विभाग अंदमान द्वारा नहीं काटा गया तथा वहां से बिल्कुल लकड़ी नहीं निकाली गई जब कि ये क्षेत्र मैसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी को पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों के बाहर आते हैं और उनमें वाणिज्यिक महत्व की काफी लकड़ी है; और

(ख) मैसर्स पी० सी० रे एन्ड कम्पनी ने १४७९ पेड़ों को बिना काटे ही क्यों छोड़ दिया ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) पोर्ट कार्नवालिस क्षेत्र का निकटवर्ती क्षेत्र पी० सी० रे एण्ड कम्पनी को पट्टे पर दिया हुआ है । लायसेंस की शर्तों के अनुसार यह कम्पनी ऐसे क्षेत्रों से वाणिज्यिक महत्व के पेड़ों को काट सकती है । इसलिये वन विभाग को ये पेड़ छोड़ देने पड़े हैं ।

(ख) सरकार को इन कारणों का पता नहीं है ।

लाटू-करीमगंज रेलवे लाइन

†२३९१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९६० के अन्त में या अप्रैल के पहले सप्ताह में ढाका में भारत और पाकिस्तान के मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सिलहट होकर लाटू-करीमगंज रेलवे लाइन को खोलने के बारे में कोई चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लाटू-करीमगंज सेक्शन पर सवारी गाड़ियों का आना जाना १-८-६० से पुनः चालू हो गया है । जहां तक मालगाड़ियों के आने जाने का सम्बन्ध है, इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्दमान यार्ड स्टेशन पर गोलीकांड

†२३९२. **श्री सुबिमन घोष**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ जुलाई, १९६० को या उसके आसपास पूर्वी रेलवे के बर्दवान यार्ड रेलवे स्टेशन पर गोली चलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण;

(ग) क्या कोई जांच हुई है; और

(घ) जांच से क्या पता लगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) १२-७-६० को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल के मौके पर, बांका नाला, बर्दवान के निकट रेलवे लाइन पर प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने धरना दे दिया और कुछ हिंसात्मक कार्यवाही भी की। १० डाउन एक्सप्रेस का ड्राइवर जख्मी हो गया और पूर्वी केबिन के शीशे तोड़ डाले गये। बर्दवान के अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की अध्यक्षता में पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और उसका पत्थरों की बौछार से स्वागत किया गया। अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और कुछ सिपाही जख्मी हो गये। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गोली चलाई, सात बार। गोली चलाये जाने के फलस्वरूप कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) और (घ). बर्दवान के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा जांच की गई थी। उसकी रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा है।

खड़गपुर में लोहे के कबाड़ की बिक्री

२३९३. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खड़गपुर में कितना लोहे का कबाड़ बेचा गया; और

(ख) क्या यह लोहे का कबाड़ किसी लोहे के कारखाने को बेचा गया था ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

साल	मात्रा (टनों में)
१९५७–५८	लगभग २५५५
१९५८–५९	,, ४५९०
१९५९–६०	,, १०६५५

(ख) जी हां, नीचे लिखे कारखानों को :--

(१) भारतीय इलेक्ट्रिक स्टील कम्पनी,

(२) हिन्दुस्तान आयरन एण्ड स्टील कम्पनी,

(३) टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी,

(४) ईशापुर, कानपुर और मुरादनगर की आर्डनेंस फैक्ट्रियां, और

(५) राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखाने।

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर जले हुये कोयले की बिक्री

२३६४. श्री जांगड़े : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर कितना जला हुआ कोयला (सिंडर) : बेचा गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : १-१२-५७ से ३१-३-६० तक ३१६३३ टन सिंडर बेचा गया। दिसम्बर, १९५७ से पहले कोयले की छाई हटाने और शेड की सफाई के लिए मेहनताने के रूप में ठेकेदार को सिंडर दे दिया गया था। लेकिन शर्त यह थी कि रेलवे काम के लिए ठेकेदार मुफ्त सिंडर देगा और रेल-कर्मचारियों को सिंडर नियत दर पर बेचा जायेगा।

मध्य प्रदेश के लिये डाक तथा तार विभाग का सर्कल

२३६५. श्री जांगड़े : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के लिये डाक तथा तार-विभाग का अलग सर्कल स्थापित करने का निश्चय किया है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और अन्य सर्कल किस आधार पर बनाये गये थे ; और

(ग) मध्य प्रदेश के लिये अलग सर्कल बनाने के लिये वही आधार न मानने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मध्य प्रदेश के लिये डाक-तार का अलग से परिमण्डल बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग). मौजूदा डाक-तार परिमण्डलों का व्यापक पैमाने पर पुनर्गठन करने की सरकार की नीति नहीं है जब तक कि डाक-तार विभाग के दृष्टिकोण से इस तरह का कदम उठाना नितान्त आवश्यक तथा अनिवार्य न हो। आन्ध्र तथा मैसूर परिमण्डलों का जो हाल ही में पुनर्गठन किया गया था उसकी मंजूरी इसी आधार पर दी गई थी तथा मध्य प्रदेश में अलग से परिमण्डल बनाने के प्रस्ताव के लिये वे ही आधार लागू नहीं होंगे।

मथुरा के लिये विशेष रेलगाड़ियां

†**२३६६. श्री तंगामणि :** क्या रेलवे मंत्री १ अगस्त, १९६० को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९६० में गोवर्धन मेले के मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे पर मथुरा के लिये विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी विशेष गाड़ियां चलाई गईं ; और

(ग) इस वर्ष बहुत ज्यादा भीड़ होने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) :** (क), और (ख). मथुरा में गोवर्धन के मेले के सिलसिले में पूर्वोत्तर रेलवे ने ७-७-६० को शाम को (यमुना पुल पर हुई दुर्घटना के एक दिन पहले) एक विशेष रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी, परन्तु पर्याप्त यात्री न होने के कारण यह गाड़ी बाद में कैंसल करनी पड़ी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दो विशेष रेलगाड़ियां, जिनमें प्रत्येक में तीन तीसरे दर्जे के डिब्बे, दो पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के मिले-जुले डिब्बे और दो तीसरे दर्जे के लगेज और ब्रेकवान मिले हुए डिब्बे थे, चलाई गई थीं। इसमें से एक गाड़ी ८–७–६० को कासगंज से मथुरा छावनी तक और दूसरी ९–७–६० को मथुरा छावनी से कासगंज तक चलाई गई थी। इसके अलावा, स्थान और डिब्बों की उपलब्धता के अनुसार, पूर्वोत्तर रेलवे पर मथुरा और वृन्दावन के बीच गाड़ियों में तीसरे दर्जे के अतिरिक्त डिब्बे लगाये गये थे।

उत्तर, पश्चिम और मध्य रेलवे के स्टेशनों से गोवर्धन मेले के लिये मथुरा जाने वाले यात्री नहीं थे; इसलिए इन रेलों द्वारा प्रबन्ध नहीं किया गया।

(ग) यात्री यातायात कोई बहुत ज्यादा तो नहीं था, परन्तु अचानक जरूर था।

मथुरा में दुर्घटना

†२३९७. श्री तंगामणि : क्या रेलवे मंत्री रेल दुर्घटनाओं के बारे में १ अगस्त, १९६० को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ८ जुलाई, १९६० को १२ अप कुमाऊं एक्सप्रेस में यात्रियों को गाड़ी की छत पर से उतारने के लिये क्या प्रयत्न किये गये थे;

(ख) इन कोशिशों के बावजूद भी कितने यात्री डिब्बों की छतों पर ही रहे आये; और

(ग) इन यात्रियों को छतों पर से उतारने के लिये गाड़ी को किसी बीच के स्टेशन पर क्यों नहीं रोका गया?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) दुर्घटना वाले दिन गोवर्धन मेले के सिलसिले में मथुरा जाने के लिये १२ अप कुमाऊं एक्सप्रेस पकड़ने के लिये यात्रियों की एक बहुत बड़ी भीड़ (जिसकी पहले से आशा नहीं थी) हाथरस सिटी स्टेशन पर जमा हो गई, कुछ यात्री जब उन्हें गाड़ी के अन्दर जगह नहीं मिली––डिब्बों की छतों पर चढ़ गये। इसमें कोई शक नहीं है कि रेलवे अधिकारियों ने सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से उन यात्रियों को नीचे उतार दिया था। ऐसा लगता है कि जब गाड़ी फिर रवाना हुई तो कुछ लोग कुछ डिब्बों की छतों पर किसी तरह दुबारा चढ़ गये और रेल कर्मचारियों को इस बात का पता नहीं चला।

(ख) इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि कुल कितने लोग वस्तुतः डिब्बों की छतों पर चढ़े।

(ग) १२ अप कुमाऊं एक्सप्रेस काठगोदाम और आगरा फोर्ट के बीच चलती है और हाथरस सिटी और मथुरा छावनी स्टेशनों के बीच किसी स्टेशन पर नहीं रुकती।

पश्चिम रेलवे पर पानी वाले

†२३९८. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित स्टेशनों पर पानी वालों को पानी

†मूल अंग्रेजी में

देने के डिब्बे (मग), धोने का सोडा और अन्य सुविधायें नहीं दी जातीं ताकि वे स्वच्छ और साफ बर्तनों में से शुद्ध पानी दे सकें :

१. रींगस
२. रेवाड़ी
३. बांदीकुई
४. पालनपुर
५. जैपुर
६. अमरगढ़
७. कोटा
८. देवदर
९. मिलाड़ी
१०. भरभर
११. डीसा
१२. धासा और

(ख) यदि हां तो सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ;

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). उपरोक्त सभी स्टेशनों पर पानी वालों को पर्याप्त संख्या में मग या हैंडल वाले लोटे और । अथवा टम्बलर दिये हुए हैं ताकि यात्रियों को साफ़ व शुद्ध पानी दे सकें ।

पीने के पानी के बर्तनों को साफ़ करने के लिये धोने का सोडा प्रयोग नहीं किया जाता । बर्तनों की सफाई राख, मट्टी या साबुन से की जाती है और बाद में उन्हें साफ पानी से धो दिया जाता है ।

पीने का पानी रखने के बर्तनों को साफ़ और ढका हुआ रखना पड़ता है ।

मध्य प्रदेश में जल संभरण योजनायें

२३९९. श्री जांगड़े : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धन राशि नियत की गई ; और

(ख) १९६०–६१ में कितनी धन राशि नियत की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ५९.१८ लाख रुपये ।

(ख) १२०.०० लाख रुपये की एक राशि अस्थायी रूप से नियत कर दी गई है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे की रेलगाड़ियों पर से भोजन यान को हटाना

†२४००. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह बताया गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर हावड़ा और वाल्टेयर के बीच रेलगाड़ियों में से भोजन यान हटा देने से यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : तीसरे दर्जे में भीड़भाड़ को दूर करने के लिये ४–१–६० से हावड़ा-मद्रास मेल गाड़ी में से हावड़ा-वाल्टेयर के बीच दक्षिण पूर्व रेलवे भोजन यान सेवा हटा ली गई थी। यह सेवा हावड़ा तथा कटक के बीच १–७–६० से पुनः चालू कर दी गई और कटक तथा वाल्टेयर के बीच इन गाड़ियों पर भोजन यान चलाने की आवश्यकता ही नहीं है।

दक्षिण पूर्व रेलवे को आदेश दे दिये गए हैं कि कटक और यालटेयर के बीच भोजन व्यवस्था ठीक रखे जिससे यात्रियों के लिए भोजन का उचित प्रबन्ध हो सके।

वातानुकूलित डिब्बे

†२४०१. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मद्रास हावड़ा मेल में लगने वाले वातानुकूलित 'कूपे', नियमित वातानुकूलित डिब्बे जैसे हावड़ा काल्का मेल तथा अन्य मेल गाड़ियों में लगाये जाते हैं, के समान सुविधाजनक नहीं होते हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : प्रतिदिन हावड़ा-मद्रास मेल गाड़ियों में आंशिक वातानुकूलित डिब्बा जिसमें ८ वातानुकूलित तथा १२ पहले दर्जे की बर्थे होती हैं, लगाया जाता है। १४ बर्थ वाले पूरे वातानुकूलित डिब्बे को इस आंशिक वातानुकूलित डिब्बे के स्थान पर लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

माल डिब्बों का आवंटन

†२४०२. { श्री भोलानाथ विश्वास :
श्री फ० गो० सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पकूर से पत्थर ले जाने के लिये निर्बाध रूप से माल डिब्बों के व्यादेश किये जाने की नीति को बदल कर प्रति दिन १२५ माल डिब्बे देने के लिये क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया है जब कि अगस्त, १९५८ से मार्च १९५९ तक की निर्बाध व्यादेश अवधि में माल डिब्बों का औसतन प्रति-दिन संभरण ८९.३ रहा; और

(ख) क्या यह सच है कि यह व्यवस्था केवल पकूर के लिये है और किसी अन्य पत्थर भेजने वाले समीप के स्टेशनों, उदाहरणतः कोटलापुकूर, बदारवा, बकूदी तिनपहाड़, तालझारी, महाराजपुर और मिर्ज़ाचौकी, पर लागू नहीं है जहां कि निर्बाध व्यादेश और संभरण नीति चल रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) पकूर में व्यादेशों के मंजूर करने और माल-डिब्बों के संभरण की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि पकूर में पत्थर का भरा जाना एक सीमित कोटे पर होता है। यह कोटा अब बढ़ा कर १३५ वैगन प्रति दिन कर दिया गया है। वैगनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सदैव यथासम्भव अधिकाधिक वैगनों का संभरण करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्देशित कालावधि से पहले उसके दौरान और उसके बाद प्राथमिक परिवहन अनुसूची के अधीन 'क' से 'घ' तक की यातायात के मदों के व्यादेश निर्बाध रूप से स्वीकार किये जाते हैं। मद 'ङ' के अधीन यातायात के लिये व्यादेश मंजूर करते समय व्यादेशक की प्लाट की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी, हां। केवल पकूर में ही मद 'ङ' के लिये व्यादेश व्यादेशक की प्लाट क्षमता के अनुसार सीमित हैं और दैनिक कोटे के आधार पर ही उनको संभरण किया जाता है। यह व्यवस्था अन्य स्टेशनों पर नहीं है जहां कि पत्थर के परिवहन की मांग कम है।

चीनी के कारखाने

†२४०३. श्री जाधव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५९-६० के सीज़न में राज्य-वार सहकारी और प्राइवेट चीनी के कारखानों की क्या संख्या है;

(ख) विभिन्न कारखानों में वर्ष १९५९-६० के सीज़न में कितना गन्ना पेरा गया और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के बारे में इनके पृथक् पृथक् आंकड़े क्या हैं; और

(ग) कितने प्रतिशत चीनी निकाली गई है?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३७]

(ग) अखिल भारतीय आधार पर २२ अगस्त, १९६० तक ९.९२ प्रतिशत चीनी निकाली गई।

फसल प्रतियोगिताएं

†२४०४. श्री यादव नारायण जाधव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० ऋतु में प्रमुख खाद्य और व्यापारिक फसलों के लिये कोई फसल प्रतियोगिताएं की गई थीं; और

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रति एकड़ कितनी पैदावार हुई थी ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : १९५९-६० में दो फसल प्रतियोगिता योजनाएं चल रही हैं, अर्थात् (१) कृषि उपज बढ़ाने के लिये सामुदायिक पारितोषक, और (२) किसानों में प्रत्येक फसल के आधार पर प्रतियोगिता। पहली योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य और जिला जिसने खरीफ और रबी में कुल अनाज उत्पादक में पिछले तीन वर्षों की औसत उपज से १५ प्रतिशत या अधिक पैदावार बढ़ाई है, उन्हें क्रमशः ५०,००० रुपये और १०,००० रुपये का परितोषक पाने का अधिकार है। ये पारितोषक अधिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिये हैं। दूसरी योजना के अन्तर्गत, किसानों में गांव और खण्ड स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई थीं; जिनमें से बाढ़ की फसलों के लिये जिला, राज्य और अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिये चुनाव किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

१९५९–६० इन में दोनों योजनाओं के अन्तर्गत उपज वृद्धि और प्रति एकड़ पैदावार वृद्धि को दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३८]

अरानियार परियोजना

†२४०५. श्री वेंकटा सुब्बैया : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास ने अरानियार परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार को सौंप दी है; तथा

(ख) जल के वितरण, प्रबंध तथा नियंत्रण के बारे में दोनों सरकारों में हुए समझौते की शर्तें क्या हैं ?

†सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) मद्रास सरकार ने लिखा है कि उन्होंने उक्त अरानियार परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार को ३० जून, १९६० को सौंप दिया था।

(ख) मद्रास तथा आंध्र राज्य की सीमाओं के पुन: निर्धारण के बाद अरानियार परियोजना से सम्बद्ध विषयों के बारे में समझौता करने के लिये आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण-कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री, मद्रास के गृह मंत्री से हैदराबाद में १४ जुलाई, १९६० को मिले। दोनों राज्यों में परियोजना के अधीन न्यूनतम तथा बुनियादी आवश्यकताओं को देखते हुए यह तय हुआ :

(१) कि प्रति वर्ष १५ सितम्बर से १५ जनवरी तक मद्रास के लिए १०० करोड़ क्यूबिक फुट जल जलाशय से छोड़ा जायगा ;

(२) यदि जलाशय में प्रयोग करने योग्य जल की मात्रा ४० करोड़ घनफुट जल से कम हो तो मद्रास तथा आंध्र के लिये उचित रूप से तय किये गये तरीके से ही जल दिया जायेगा ;

(३) यदि जलाशय में पानी काफी हो तो दूसरी फसल की सिंचाई के लिये प्राथमिकता आंध्र प्रदेश को मिलेगी और फिर जो पानी बचेगा उसे मद्रास राज्य की दूसरी फसल की सिंचाई के लिये छोड़ा जा सकेगा ;

(४) इस परियोजना पर जो लागत आएगी उसे दोनों सरकारें उसी अनुपात से अदा करेंगी जिससे उनको जल मिलता है ;

(५) चालू फसल से आगामी दस फसलों तक यदि अनुभव के आधार पर यह पाया जाय कि इस प्रबंध में फेर बदल करने की आवश्यकता है तो दो फसली वर्षों की समाप्ति के बाद दोनों सरकारें मिल कर समझौते में उचित फेर बदल कर सकती हैं।

रेलवे के खलासी और भंगी

२४०६. श्री बाल्मीकी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष श्रेणी ४ के कर्मचारियों में कितने खलासी और भंगियों को उच्च श्रेणी के पदों पर पदोन्नत किया गया ; और

(ख) उन पदों के नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्रौर (ख). सूचना मंगाई जा रही है श्रौर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण रेलवे में आमिषभोजी संस्थापन[1]

†२४०७. श्री वें० ईयाचरण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के विभागीय आमिषभोजी संस्थापनों की संख्या कितनी है ;

(ख) ठेकेदारों द्वारा ऐसे कितने भोजनालय चलाये जा रहे हैं ;

(ग) इस समय कितने निरीक्षक इन भोजनालयों का निरीक्षण करते हैं ;

(घ) उन में कितने वास्तव में आमिषभोजी हैं श्रौर कितने निरामिषभोजी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ५

(ख) ४१

(ग) तथा (घ). दक्षिण रेलवे के निरीक्षकों में से जिनकी संख्या १५ है, सभी आमिष एवं निरामिष भोजी भोजनालयों का निरीक्षण करते हैं। आमिषभोजी संस्थापनों के लिए अलग कर्मचारियों का प्रबन्ध करना कठिन है । निरामिषभोजी निरीक्षक ११ हैं श्रौर आमिषभोजी ४ ।

यात्री सुविधाएं

†२४०८. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध के रोपड़ नांगल बांध विभाग के बारे में पंजाब सरकार के साथ हुए समझौते की अवधि अब तक समाप्त हो चुकी है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उस विभाग को अपने अधीन लेकर यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों को सुविधाऐं प्रदान करेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं श्रीमान्, समझौता १९६८ में समाप्त होगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

अनाज की दूकानों के कर्मचारी

†२४०९. श्री यादव नारायण जाधव: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४२ से १९४८ तक विभिन्न रेलों की अनाज की दुकानों में कितने कर्मचारी थे ;

(ख) वे क्या काम करते थे ;

(ग) उन में से कितने लोग रेलवे में खपा लिये गये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उनको समय समय पर यह आश्वासन दिया जाता था कि उनकी नौकरी जारी रहेगी श्रौर उन्हें वे सभी लाभ मिलेंगे जो रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों को प्राप्त हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Non-Vegetarian Establishments

(ङ) क्या उन आश्वासनों पर अमल किया गया ; तथा

(च) किए गये निर्णय का स्वरूप क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) १६,८९८ ।

(ख) अनाज की दुकानों में ये कर्मचारी थे ;

(१) दूसरे विभागों से बदले गये स्थायी तथा अस्थायी लोग ;

(२) सभी विभागों के लिए रखे गये अस्थायी कर्मचारी जिन्हें पहले अनाज की दुकानों पर लगाया गया ;

(३) अनाज की दुकानों के लिए ही भर्ती किये गये अस्थायी कर्मचारी ।

(ग) १५,०२८ ।

(घ) सभी रेलवे कर्मचारियों को, जिन में अनाज की दुकानों के कर्मचारी भी शामिल थे, सामान्य आश्वासन दिया गया कि यदि वे वैकल्पिक पदों पर जाने से इन्कार नहीं करेंगे तो १५-९-४५ से पहले तथा इस तारीख तक भर्ती किये गये किसी व्यक्ति की छंटनी नहीं की जायगी ।

(ङ) जी हां, वरिष्ठता के मामले को छोड़ कर ।

(च) अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

तम्बारम्-चिंगलपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

†२४१०. श्री सुब्बैया अम्बलम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बारम तथा चिंगलपुर रेलवे लाइन के विद्युत्तीकरण का कार्यक्रम अनुसूचित गति से चल रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) तथा (ख). ऐसे असैनिक इंजिनीयरिंग काम अर्थात् पटरियों को दृढ़ बनाना, प्लैटफार्म बनाना, तथा पुलों पर यातायात सम्बन्धी स्थिति ठीक करना आदि पूरे कर लिये गये हैं। ऊपरी चीजों के निर्माण तथा अन्य चीजों की पूर्ति का काम शीघ्र किया जायेगा ।

अतिरिक्त भाड़ा लेना

†२४११. श्री कुम्भार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों द्वारा अधिक भाड़ा लेने के कारण अनेक लोगों ने वकीलों की मार्फत किराये की वापसी के लिये नोटिस भेजे हैं और अनेक लोगों ने दावे दायर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टेशन पहुंचाने वाली सड़कें

†२४१२. श्री संगण्णा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के नागपुर तथा रायपुर जंक्शनों के बीच के स्टेशनों में स्टेशनों तक सड़कें नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में तत्संबंधी व्यवस्था करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) सरकार को पता है कि निम्न स्टेशनों पर नगर तथा स्टेशनों के बीच सड़कें नहीं हैं :—

१. मुरीपार
२. बाकल
३. मुसरा
४. पनिया जोबी
५. दारेकासा
६. धनौली
७. गुदमा
८. खाट
९. रौराल
१०. चाचेर
११. कालुमना

(ख) चूंकि यहां पर सड़कें नहीं हैं इसलिए यहां फुटपाथों की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) जब राज्य सरकार संयोजक सड़कें बनायेगी तब एप्रोच सड़कों के निर्माण का विचार किया जायेगा ।

उड़ीसा में ऊपरी तथा नीचे के पुल

†२४१३. श्री संगण्णा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को दक्षिण-पूर्वी रेलवे में उड़ीसा में ऊपरी तथा नीचे के पुल बनाने के बारे में लिखा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी योजनाएं क्या हैं; और

(ग) उन्हें कब शुरू किया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१). निम्न स्थानों पर विद्यमान फाटकों के स्थान पर दस ऊपरी पुल :—

राष्ट्रीय राज पथ संख्या ६ पर सम्बलपुर के निकट ; झरसुगुडा के निकट; केसिंगा रेलवे स्टेशन यार्ड के निकट; बालूगांव के निकट; पुरुषोत्तम पुर रोड जंक्शन के निकट; पम्पोश के निकट; रायगढ़ के निकट; सम्बलपुर-झुरसुगुडा रोड पर बारहवें तथा अठारहवें मील के फाटकों पर दो ऊपरी पुल; सखी गोपाल के निकट एक।

(२) निम्न फाटकों के स्थान पर पांच नीचे के पुल :—

राष्ट्रीय राज पथ संख्या ५ पर, हल्दी पल्ली के निकट; रंभा स्टेशन के निकट; राष्ट्रीय राज पथ संख्या ५ पर, मील संख्या १०९।२—३ के निकट; कटक में दो पुल — एक तो तालदंड नहर तथा काठजुरी नदी के बीच और दूसरा कटक स्टेशन के उत्तर में ।

(ग) उड़ीसा सरकार से प्रार्थना की गयी है कि वे योजनाओं की संख्या बतायें जिन्हें वे तृतीय योजना में शामिल करना चाहेंगे तथा इन के निर्माण के लिए अपना हिस्सा देने की व्यवस्था भी करें । राज्य सरकार का उत्तर आने पर इन योजनाओं को १९६१–६२ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने की कार्यवाही की जायेगी । इस लिये इस समय यह कहना ठीक नहीं होगा कि उन्हें कब शुरू किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश के पंगी क्षेत्र में अनाज का अभाव

†२४१४. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की तहसील पंगी में काम करने वाले कर्मचारियों को अनाज प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि ६ महीने तक यह क्षेत्र शेष देश से अलग रहता है ; तथा

(ग) यदि हां, तो आगामी शीतकाल के लिये वहां कितना अनाज भेजा गया है तथा उसे रखने के क्या प्रबन्ध हुए हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) नहीं, श्रीमान् । सरकारी कर्मचारियों को सरकारी भंडार से रियायती मूल्यों पर गेहूं दिया जाता है ।

(ख) हां, श्रीमान्; सर्दी में यहां के अधिकांश लोग टिस्सा में उतर आते हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने तीन भंडार खोले हैं ; एक किल्लर में और दूसरा किश्तवाड़ में तथा तीसरा उदैपुर में। १५–८–१९६० को तीनों स्थानों पर ९४२ मन गहूं था और ४०० मन भेजा जा रहा था। १५० मन और गेहूं शीघ्र ही भेजा जायेगा। इतना अनाज वहां के लोगों की आवश्यकता के लिए सर्दी में काफी समझा जाता है ।

बिजली के उत्पादन के लिये कम शक्ति वाले टर्बाइन

२४१५. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री हेम राज :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विभिन्न पहाड़ी प्रदेशों में नदी नालों और झरनों से

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली का उत्पादन करने के लिये कम शक्ति वाले टर्बाइन लगाने की एक योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की मुख्य मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इल इस योजना को यथा सम्भव शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पर्वतीय क्षेत्रों के उन दूरस्थ स्थानों को जिन को ग्रिड प्रणाली से विद्युत्त संभरण नहीं किया जा सकता है, विद्युतीकरण के हेतु छोटे जल विद्युत यन्त्रों के लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) योजना के मुख्य अंग निम्न हैं :—

(१) छोटे पैमाने पर जल-विद्युत् उत्पन्न करने के लिये उपयुक्त सम्भावित स्थलों (पोटेन्शयल साइंट्स) के प्रावेक्षण सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान ;

(२) फलूम्स तथा पेनस्टाक के लिये लकड़ी जैसे कार्यों के लिये स्थानीय सामग्री का उपयोग ;

(३) छोटे जल केन्द्रों का प्रतिष्ठापन ;

(४) देश में छोटे जल-विद्युत् उत्पादक यन्त्रों का विकास एवं निर्माण ।

(ग) (१) केन्द्र प्रशासित प्रदेशों तथा जम्मू और काश्मीर में सम्भावित स्थलों के प्रावेक्षण सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत कमीशन में एक अनुसन्धान यूनिट बनाया गया था। यह यूनिट मणिपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थलों का प्रावेक्षण कर चुका है । अधिक विस्तृत अनुसन्धान तथा कार्यान्विन के लिये योजनायें सम्बद्ध प्रशासनों द्वारा चुनी जायेगी। उत्तर प्रदेश, असम तथा पंजाब इत्यादि जैसे राज्य इसी प्रकार के कार्यों को अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे ।

(२) भारत में इस उद्देश्य के लिये आवश्यक उत्पादक यन्त्रों तथा तत्सम्बद्ध साज-सामग्री को बनाने का विचार किया गया है । राज्य विद्युत बोर्डों तथा अन्य प्रशासनों को कहा गया है कि वे अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना में होने वाली छोटे जल विद्युत उत्पादन यन्त्रों की आवश्यकताओं की सूचना दें ।

(३) सरकार एक प्राइवेट फर्म के साथ भी बातचीत चला रही है। यह फर्म योजना के लिये आवश्यक उत्पादक यन्त्रों को बना रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत मलेरिया संस्था, दिल्ली

†२४१६. {श्री बाजपेयी :
{श्री दातार :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया संस्था में कर्मचारी कल्याण कैंटीन चलाई जाती है ;

(ख) यदि हां, क्या यह सरकारी है या इसे ठेकेदार चलाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि इसका हिसाब किताब ठीक तरह से नहीं रखा जाता ; और

(घ) अब तक इसमें कितना लाभ हुआ है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) कैंटीन का प्रबन्ध एक समिति करती है जिसमें ५ गजेटिड तथा ४ अ-गजेटिड कर्मचारी हैं जो उसी संस्था के हैं । उनका चुनाव होता है ।

(ग) कैंटीन का हिसाब ठीक तरह से रखा जाता है और समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाता है ।

(घ) यह "न लाभ न हानि" के आधार पर चलती है इस कारण लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में सड़क परिवहन निगम

†२४१७. श्री संगण्णा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार ने सड़क परिवहन निगम बनाने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

†२४१८. श्री ज० ब० सिंह बिष्ट : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था से सम्बद्ध राकफैलर संस्था के प्राध्यापकों ने संस्था के सुधार के लिये जो सुझाव दिये थे उन पर क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ख) क्या उनके प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) संस्था से सम्बद्ध रॉकफेलर संस्था के प्राध्यापकों ने जो सुझाव दिये हैं वे इस प्रकार के हैं :—

(१) सम्बद्ध डिवीजनों में काम का समायोजन ;

(२) स्नातकोतर विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में समायोजन;

(३) अतिरिक्त सामान तथा किताबों की व्यवस्था ;

(४) कतिपय अनुशासनों के बारे में गवेषणा कार्य को दृढ़ बनाना ;

(५) कुछ कामों के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था ;

(६) अधिक प्रयोगशालाओं तथा कार्यालयों की व्यवस्था ।

मद संख्या १ तथा २ पर सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है और आवश्यकता होने पर सनातकोत्तर परिषद को भी पूछा जाता है । सामान तथा पुस्तकों की प्राप्ति राकफैलर संस्था से की जा रही है । इससे मद संख्या ४ का काम भी दृढ़ बनेगा । जहा तक मद संख्या ५ तथा ६ का संबंध है, कुछ प्रयोगशालाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है और कुछ की व्यवस्था तीसरी योजना में की जा रही है । अधिक सामान की प्राप्ति तथा स्थान पर ही अतिरिक्त कर्मचारियों की बात निर्भर करती है । कर्मचारियों की व्यवस्था योजनाबद्ध रूप से की जाती है । तीसरी योजना में ऐसी व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

यमुना समिति

†२४१६. श्री मु० चं० जैन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना समिति के काम तथा निर्देशन पद क्या हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में यमुना पुल की रक्षा के नाम पर करनाल जिले की चटांग तथा राक्शी नदियों के जल के निकासन को रोक दिया गया है ; और

(ग) क्या इन नदियों के जल को निकालने के लिये कोई वैकल्पिक कार्य किया जा रहा है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) यमुना समिति मार्च, १९५५ में बनायी गयी थी । इसका उद्देश्य यमुना नदी क्षेत्र में (दिल्ली तक) बाढ़ नियत्रण योजनाओं को समन्वित करना था । समिति के मुख्य काम ये हैं :—

(१) दिल्ली, इसके आसपास के उपनगरों तथा दिल्ली के उत्तर रेलवे के पुल की रक्षा करना ताकि यहां पर पीछे के बाढ़ नियंत्रण उपायों के कारण जल का आधिक्य न हो ;

(२) इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के काम से पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को क्षति न पहुंचे ;

(३) यह व्यवस्था करना कि यमुना नदी के आरपार बने किसी नयी चीज के लिये पर्याप्त जलमार्ग की व्यवस्था हो ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) पंजाब सरकार ने कोई वैकल्पिक योजना नहीं भेजी ।

कृष्ण नगर, पश्चिमी बंगाल में परिवार नियोजन केन्द्र

†२४२०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ५ अगस्त, १९६० के अखबार "दर्पन" में छपी इस खबर की ओर गया है कि कृष्ण नगर, पश्चिमी बंगाल, के परिवार नियोजन केन्द्र का प्रबन्ध ठीक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

खसौली में रेलवे स्टेशन

२४२१. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुरू फतेहपुर रेलवे लाइन (पश्चिम रेलवे) के खसौली गांव में, जिसकी जनसंख्या १५०० है, रेलवे स्टेशन बनाने के लिये सरकार को एक प्रार्थना पत्र मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) रेल प्रशासन ने इस सुझाव की जांच की थी, लकिन पर्याप्त यातायात न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

रेलों पर उपाहार गृहों के ठेके

२४२२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपाहार-गृहों के ठेकेदारों को, जिन्हें १९५८ के बाद ठेके मिले हैं, मेज कुर्सी आदि का किराया देना पड़ता है जबकि उनसे पहले के ठेकेदारों से उनका कोई किराया नहीं लिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्टेशनों पर चाय तथा दूध के ठेकेदारों को यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के पास मिलते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने ठेकेदारों को ऐसे पास दिये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). आमतौर पर ठेकेदारों को फर्निचर की व्यवस्था स्वयं करनी होती है और यदि रेल प्रशासन ठेकेदारों को फर्निचर देते हैं, तो इसके संबंध में वर्तमान आदेश यह है कि उनसे उसका किराया वसूल किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ मामले नोटिस में आये हैं कि जिन ठेकेदारों से करार १९५८ से पहले किया गया था उनसे फर्निचर का किराया नहीं लिया जा रहा है। इस मामले पर आगे जांच की जा रही है।

(ग) और (घ). दूध और चाय बेचने वाले ठेकेदारों को पहले दर्जे के कार्ड पास नहीं दिये गये हैं। लेकिन वर्तमान आदेशों में इस बात की व्यवस्था है कि यदि रेल प्रशासन ठीक समझे तो काम की देखभाल के लिये ऐसे ठेकेदारों को सीमित संख्या में 'चेक पास' दे सकता है जिनको स्थावर दूकानों आदि का ठेका दिया गया है।

कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के लिये पुरस्कार

†२४२३. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने रफी अहमद किदवई स्मारक योजना के अन्तर्गत कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य के लिये पुरस्कार देने के उद्देश्य से निबन्धों की मांग की थी और निबन्ध प्राप्ति की अन्तिम तिथि ३० जून, १९५८ थी ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि, पशुपालन तथा सम्बद्ध विज्ञानों में काम करने वाले अनुसंधान कर्ताओं से आवेदन मागे थे ताकि १९५७ में उस क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिये रफी अहमद किदवई स्मारक पुरस्कार दिये जा सकें। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि ३० जून, १९५८ थी।

(ख) नहीं, श्रीमान्। परिणाम घोषित किये जा चुके हैं ; ३० अगस्त, १९६० को खाद्य तथा कृषि मंत्री ने पुरस्कारों का वितरण किया था।

नगर आयोजन संगठन

†२४२४. श्री जगदीश अवस्थी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर आयोजन संगठन में बहुत से स्टेनोग्राफरों की अभी हाल में पद अवनति कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी नहीं। नगर आयोजन संगठन में दो जूनियर स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति करके उन्हें वरिष्ठ स्टेनोग्राफर बना दिया गया था, बाद में पता चला कि ऐसा करना अनियमित था। अतः उनको फिर से अपने स्थान पर नियुक्त कर दिया गया।

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

†२४२५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने और दिल्ली दुग्ध संभरण योजना के लिये संभरण करने के हेतु पंजाब सरकार को कितना धन देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन पंजाब में सात स्थानों पर, जैसे बल्लभगढ़, पलवल, सोहना, बहादुरगढ़, खरखौदा, सम्पला और सोनीपत में दुग्ध एकत्रित करने और उसे ठंडा करने के लिये केन्द्र खोले जायेंगे । इन केन्द्रों के आसपास उत्पादकों की सहकारी समितिया खोलने का विचार है और प्रत्येक को ४ लाख रुपये की अग्रिम राशि देने का इरादा है ताकि वे इन सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को पशु खरीदने तथा उनके लिये चारा आदि खरीदने के हेतु मध्यम एवं अल्पकालीन ऋण दे सके ।

नौरोजीनगर, नई दिल्ली, के निकट श्मशान भूमि

†२४२६. श्री राम गरीब : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २६ अगस्त, १९६० के स्टेट्समैन (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें नौरोजीनगर (दक्षिण विनय नगर) के क्वार्टरों के निकट एक मृत शरीर को जलाने के संबंध में जो झगड़ा हुआ था ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के आधार पर दिल्ली नगर निगम के आदेशानुसार वहां पर मृत शरीरों को जलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस झगड़े की विस्तृत बातें क्या हैं ; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) . (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). चूंकि इस स्थान को अनधिकृत श्मशान भूमि समझा गया अतः वहां पर मृत शरीरों को जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने की हिदायतें देने वाला एक बोर्ड लगा दिया गया है ।

(घ) यह मामला दिल्ली नगर नगम के विचाराधीन है । इस वर्तमान श्मशान भूमि को बन्द करने का अधिकार दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के हाथ में है ।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

†२४२७. श्री कुन्हन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूपाल स्थित केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों पर टेलीफोन के बिलों की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्यीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय पर बकाया राशि कितनी कितनी है ;

(ग) उस बकाया राशि को इकट्ठा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इन संस्थानों में टेलीफोन काट दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी हां।

(ख) (१) केन्द्रीय सरकार के संस्थानों पर १३६२ रुपये बकाया हैं।

(२) राज्य सरकार के संस्थानों पर १८,४१२ रुपये बकाया हैं।

(ग) जिन लोगों ने निश्चित अवधि के भीतर बिलों का भुगतान नहीं किया उनके टेलीफोनों को काटने के बारे में कार्यवाही की गई थी।

(घ) जी हां, उन लोगों को छोड़ कर जिन्होंने भुगतान कर दिया था अथवा बाद में भुगतान किया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

†२५२८. श्री नि० बि० माईति : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के पदाधिकारियों ने कीटों पर नियंत्रण करने के संबंध में, कीटों की नयी किस्मों को छोड़कर जो कि अध्ययन की दृष्टि से ही महत्व रखती हैं, और क्या खोज की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संस्था में पिछले १६ वर्षों से कीटों के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण पर कार्य हो रहा है ; और

(ग) इस अवधि में इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३९]

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का विस्तार

†श्री नि० बि० माईति : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न डिवीजनों का विस्तार करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) इस संस्था के विभिन्न डिवीजनों में काम करने वाले अनुसंधान कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४०]

कर्मतार स्टेशन के निकट रेल में डकैती

†२४३०. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलवार, २३ अगस्त, १९६० की रात को जब तीन महिलाय महिला डब्बे में पूर्वी रेलवे के कर्मतार और मधुपुर स्टेशनों के बीच १५-अप बनारस एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थीं तो तीन सशस्त्र डाकुओं ने उनको घायल कर दिया और उन्हें लूट लिया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस घटना की विस्तृत बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). २३ अगस्त, १९६० को जैसे ही १५ अप बनारस एक्सप्रेस करमतार स्टेशन से रवाना हुई तो तीन अपराधी तीसरी श्रेणी के महिला डिब्बे में चढ़ आये । डकैती डालते समय उन्होंने उन महिलाओं के विरोध करने पर आक्रमण किया जिसमें से दो महिलाओं को तो चाकू के घाव आये और एक महिला को मामूली सी चोट आई । जैसे ही गाड़ी मधुपुर स्टेशन के बाहरी सिगनल पर आई तो उन डाकुओं में से एक ने खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी रोक ली और वे तीनों ही ३ सूटकेस तथा एक चांदी की हंसली लेकर, जो उन्होंने एक महिला के गले से उतारी थी, नौ दो ग्यारह हो गये ।

(ग) उन तीनों घायल महिलाओं को अस्पताल भेज दिया गया जहां ज्ञात हुआ कि उनकी ये चोटें साधारण किस्म की हैं । मधुपुर की जी० आर० पी ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३९४ के अधीन यह मामला दर्ज कर लिया और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें से दो ने तो यह स्वीकार कर लिया है कि यह कांड उन्होंने किया था ।

इन अपराधियों की अभी शनाख्त होनी बाकी है । चोरी की गई वस्तुओं की जांच अभी तक जारी है ।

राज्यों को चीनी का दिया जाना

२४३०. श्री खुशवक्त राय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६० तक चीनी का जो कोटा दिया गया था और जो उन्होंने नहीं उठाया उसकी चीनी किसके पास है ;

(ख) क्या यह चीनी कारखानों के पास है ;

(ग) क्या इस चीनी को फिर से बांटने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कारखानों के गोदाम खाली करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा अपने मासिक कोटे की न उठाई गई चीनी की मात्रा कारखानों के पास है और पुनः बांटने के लिये उपलब्ध है ।

(ग) और (घ) सम्बन्धित कारखानों में एक महीने के अन्दर न उठाई गई चीनी की मात्रा अगले महीने के लिये उनका निकासी कोटा निश्चित करते समय ध्यान में रखी जाती है ।

अंडमान द्वीप समूह

†२४३०-ख. सरदार अ० सिं० सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले वेतन आयोग (१९४७) की कुछ सिफारिशों को, जिन्हें कि केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया था, अन्दमान द्वीप समूह के वन विभाग में १६ अगस्त, १९४७

†मूल अंग्रेजी में

से लागू किया गया था जब कि अन्दमान के अन्य विभागों में उन सिफारिशों को १ जनवरी, १९४७ से लागू किया गया था ।

(ख) यदि हां, तो वन विभाग द्वारा क्रियान्वित करने में यह भेदभाव क्यों रखा गया ;

(ग) वार्षिक वृद्धि, पदोन्नति, तथा पेंशन आदि के मामले में इस आदेश का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ा ; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) से (ग). अन्दमान प्रशासन से यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिल जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में हाल तथा ओडीटोरिया

†२४३१. श्री ह० मधुसूदन राव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में १९५८-५९ और १९५९-६० के दौरान में कितनी शिक्षण संस्थाओं ने हाल तथा ओडीटोरिया बनवाने के लिये अनुदान मांगा है ; और

(ख) उस अवधि में किन किन संस्थाओं को यह अनुदान दिया गया (स्वीकृत अनुदान की राशि भी बताई जाये)?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४१]**

आयुध कारखानों का उत्पादन

†२४३२. श्री पांगरकर : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयुध कारखानों के विभिन्न स्टोरों में १९५९-६० के दौरान में कुल कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसकी पूर्ति हो गई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) विभिन्न आयुध कारखानों के स्टोरों में वर्ष १९५९-६० के दौरान में कुल कितनी राशि का उत्पादन हुआ है इसके बारे में अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं । लेकिन ऐसी आशा है कि लगभग २६ करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ होगा ।

(ख) जी हां ।

जहाजों को लोड लाइन के प्रमाण पत्र जारी किया जाना

†२४३३. सरदार अ० सिं० सहगल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लोड लाइन प्रमाणा

†मूल अंग्रेजी में

पत्र कब जारी किये गये थे तथा एम० वी० वारचा, एम० वी० पंकज, एस० एल० भीम, एम० वी० दाया, एम० वी० सलीम और एम० वी० सफीना का वार्षिक सर्वेक्षण कब किया गया था ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४२**]

एम० वी० अन्दमान तथा एम० वी० निकोबार

†**२४३४. सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ अप्रैल, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० के दौरान में "एम० वी० अन्डमान" तथा "एम० वी० निकोबार" ने हर बार बाहर जाने एवं वहां से वापस आने की यात्रा में कितने यात्रियों को ले गये, कितना माल ढोया, कितना किराया कमाया और माल ढोने से कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) उस वर्ष में इन जहाजों पर अलग अलग मद में कुल कितना व्यय हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४३**]

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर में ऐतिहासिक स्मारकों का सर्वेक्षण

†**२४३५. श्री सिध्दया** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में प्राचीन मन्दिरों और दूसरे ऐतिहासिक स्मारकों का सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण का कार्य किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) ३१ जुलाई, १९६० तक इस सर्वेक्षण पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** (क) जी हां।

(ख) अब तक जिन स्थानों का सर्वेक्षण हो चुका है उनकी पूरी सूची देना तो कठिन है। लेकिन पुरातत्व विभाग ने इन्डी, सिंदगी, बीजापुर जिले में मुदेबिहाल तहसील, और हवेरी, धारवार जिले में न्यादगी और रानाबेनमूर तहसील, टी नरसीपुर जिले में हेर्माजी, काननदकीपाल, कावेरीपुरम, सम्ब्देवानापुरम, मत्तालवादी, होसाहल्ली और चमराजानगर ताल्लुक जिले में बूदी टिट् में सर्वेक्षण किया है।

†मूल अंग्रेजी में

परिणाम

सर्वेक्षण के दौरान में पत्थरों के अतिरिक्त और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं।

(ग) ४७,६०३,०० रुपये ।

अस्पृश्यता का निवारण

†२४३६. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के विभिन्न ग़ैर-सरकारी संगठनों को पहली तथा दूसरी योजना में प्रति वर्ष अब तक अस्पृश्यता निवारण अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिये कितना रुपया दिया गया है ;

(ख) क्या वह धन उसी प्रयोजन के लिये व्यय किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों को जो रुपया दिया गया है उस धन को उसी प्रयोजन में व्यय करने के लिये उन पर क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) पूछी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४४**]। ये अनुदान राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये हैं और दोनों का अंशदान ५०–५० प्रतिशत है।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार के पास इस की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें, जो अनुदान देती हैं, उस धन के उचित उपयोग के सुनिश्चयन के लिये उत्तरदायी हैं।

(घ) विशिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन राज्य सरकारें ये अनुदान देती हैं और इन का उल्लेख उस अभिलेख में मिलता है जो अनुदान प्राप्त करने से पूर्व ये संगठन राज्य सरकारों के साथ करते हैं। शर्तों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४५**]

पंजाब में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कृषक

†२४३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कृषकों पर १९५९-६० के दौरान में वास्तविक कुल कितना रुपया व्यय किया गया ; और

(ख) इस से कितने कृषकों को लाभ हुआ ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) तथा (ख). वांछित जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†२४३८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या शिक्षा मंत्री ११ मार्च, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १००६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रत्येक मामले में जोकि पुर्नविचार समिति के अधीन विचाराधीन है कितनी कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या वह समिति अब भी कार्य कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) पुर्नविचार समिति की सभी मामलों के बारे में की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापकों पर 'कारण बताओ' के नोटिस जारी कर दिये थे। इन चारों प्राध्यापकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लेख याचना दाखिल कर दी और २५ अप्रैल १९६० को कार्यवाही रोकने के आदेश प्राप्त कर लिये। लेख याचना की सुनवाई उच्च न्यायालय में २४ अगस्त, १९६० को शुरू हुई लेकिन न्यायालय ने इसे इस आधार पर स्थगित कर दिया कि उन प्राध्यापकों में से एक प्राध्यापक ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील की थी जिस की सुनवाई के लिये १० अक्तूबर, १९६० निश्चित हुआ है।

फलस्वरूप इन चारों प्राध्यापकों की सेवायें अन्य ६ प्राध्यापकों के साथ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा १ जून, १९६० से समाप्त कर दी गई। इन में ९ प्राध्यापकों ने जिन में ये चार प्राध्यापक भी सम्मिलित थे कार्यकारिणी द्वारा उन की सेवायें समाप्त करने के विरोध में उच्च न्यायालय में लेख याचना दाखिल कर दी जोकि व्यय सहित १५ जुलाई, १९६० को खारिज कर दी गई। उन में से एक प्राध्यापक ने उच्चतम न्यायालय में उस के बाद अपील की है।

(ख) पुर्नविचार समिति अभी तक कार्य कर रही है।

हमीरपुर (पंजाब) में पोलीटेक्नीक

२४३९. श्री हेम राज : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** ८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हमीरपुर में तीसरा पोलीटेक्नीक खोलने के बारे में पंजाब सरकार के परामर्श से क्या निर्णय किया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से विस्तृत योजना प्राप्त हो गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). अब पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा खोले जाने वाले तीसरे पोलीटेक्नीक की जगह के बारे में अपने प्रस्ताव बदल दिये हैं। केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये राज़ी हो गई है कि इसे फीरोज़पुर ज़िले के गुरु नेग बहादुर गढ़ में खोला जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजन

†२४४०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में ३१ अगस्त, १९६० तक गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं में कुल कितना धन लगाया गया है ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितना धन और लगाया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में इन गैर-सरकारी क्षेत्रों की औद्योगिक परियोजनाओं में ५६३ करोड़ रुपये लगाये गये हैं। चूंकि विनियोजन के आंकड़े वर्ष भर के प्राप्त होते हैं अतः ३१ अगस्त, १९६० तक के आंकड़े बताना संभव नहीं है।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्रों में २६२ करोड़ रुपये और व्यय किये जायेंगे।

मुरादपुर में पैट्रोलियम निक्षेपों का सर्वेक्षण

†२४४१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादपुर में पैट्रोलियम निक्षेपों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मुरादपुर में अग्रेतर सर्वेक्षण का काम नहीं किया गया है, जिस 'फोल्ड बैल्ट' में मुरादपुर क्षेत्र स्थित है, वह 'बाउन्डरी फॉल्ट' के उत्तर में है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा जिस 'लाइनियर एन्टी क्लीनल फोल्ड' का मानचित्र खींचा जा रहा है वह 'बाउन्डरी फॉल्ट' के दक्षिण में है। इस क्षेत्र का ज्वालामुखी से जम्मू तक मानचित्र बनाया गया है। कट्रा के दक्षिण पश्चिम तक का मानचित्र बना लिया गया है, इस सतह पर गैस निकलने के कई स्थानों की जांच की गई है तथापि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वह स्थान गहरा कुआ खोदने योग्य नहीं था। आगामी मौसम में भी मानचित्र बनाने का काम जारी रहेगा।

पंजाबी भाषा का विकास

†२४४२. **श्री वी० चं० शर्मा**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाबी भाषा का विकास करने के लिये बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये पंजाब सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) अभी तक किन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) १९५९-६० में १४,००० रुपये।

(ख) राज्य सरकार ने अभी उस सम्बन्ध में हुई प्रगति का विवरण नहीं भेजा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने के नेपाली तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध कार्यमाही

†२४४३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री १६ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ फरवरी, १९६० को कलकत्ता में पकड़े गये दो नेपालियों के विरुद्ध, जिन के पास ६१४ तोले सोना बरामद हुआ क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) नेपाल से भारत में सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) इस मामले पर २५ जून, १९६० को कलकत्ता के सीमाशुल्क एडीशनल कलक्टर ने अपना निर्णय दिया। समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७ (८) व विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा २३क के अधीन सारा सोना व सोने के गहने जब्त कर लिये गये। उन दोनों नेपालियों के खिलाफ मामला की कार्यवाही रोक दी गई क्योंकि यह समझा गया कि उन्हों ने वहम के वशीभूत हो कर काम किया है।

(ख) भारत से काठमांडू के बीच सीधी उड़ान के समय, विमान, विमान चालकों व यात्रियों के सामान की सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है, भूमि के रास्ते तस्कर व्यापार को रोकने के लिये भारत नेपाल सीमा पर कई चौकियां स्थापित की गई हैं। सोना चांदी के बाजारों पर भी निगाह रखी जाती है तथा गोपनीय जानकारी एकत्र की जाती है।

(ग) तस्कर व्यापार पर रोक लगने के कारण नेपाल से सोने का तस्कर व्यापार लगभग बन्द हो गया है।

केन्द्रीय अंग्रेजी संस्था,[1] हैदराबाद

†२४४४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में अब तक केन्द्रीय अंग्रेज़ी संस्था, हैदराबाद ने कितनी राशि व्यय की है ; और

(ख) १९६०-६१ के दौरान संस्था द्वारा कितनी गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) ३१-१-१९६० तक ६६,९०० रुपये व्यय किये गये।

(ख) एक गोष्ठी व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन किया गया।

पंजाब में इस्पात पुनर्वेलन मिलें[2]

†२४४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में पंजाब में इस्पात के पुनर्वेलन मिलें खोलने के लाइसेंस जारी किये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Institute of English.

[2]Steel Re-rolling Mills.

(ख) यदि हां, तो वे किन फर्मों के नाम जारी किये गये हैं; और

(ग) इस चुनाव का मापदंड क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). पंजाब में किसी नई पुनर्वेलन मिल को लायसेंस जारी नहीं किये गये हैं ;

तथापि निम्नलिखित २ कारखानों को, वहां श्रमिकों की संख्या निश्चित संख्या से अधिक होने के कारण, लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश के अधीन १९५१ के उद्योग अधिनियम के अधीन लायसेंस जारी किये ये हैं

(१) मिल्खीराम हरगोपालदास स्टील रोलिंग मिल्स, जैतू

(२) गोपाल मिल्स, मंडी गोविन्दगढ़

यह सामान्य निश्चय किये जाने के उपरांत कि वर्तमान मिलों में से जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है उन्हें भी मान्यता दी जाय, निम्नलिखित ७ मिलों को लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५६ के अधीन मान्यता दी गई।

(१) बन्ता सिंह कर्तार सिंह लोहा तथा इस्पात रोलिंग मिल्स, मंडी गोविन्दगढ़

(२) धीमन इंडस्ट्रीज़, संगरूर

(३) वटन लाल अग्रवाल आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल्स, मंडी, गोविन्दगढ़

(४) आशाराम खुशीराम, अमलोह

(५) देशपेश स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़

(६) शिव सरस्वती आयरन एंण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, मंडी गोविन्दगढ़

(७) विजय फाउन्डरी एंड रोलिंग मिल्स, बटाला

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ के अधीन कार्य

†२४४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५५ के अधीन कार्य व प्रशासन के सम्बन्ध में केन्द्रीय या राज्य स्तर पर पुनर्विचार किया गया है;

(ख) क्या सक्षम न्यायालयों के समक्ष इस अधिनियम के अधीन रखे गये मामले के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो अधिनियम के जारी होने के उपरांत राज्यों में कितने मामले चलाये गये और कितने मामले निपटाये गये ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले कार्य और प्रशासन के सम्बन्ध में कोई पुनर्विचार नहीं किया है। भारत सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि किसी राज्य ने अधिनियम के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने का प्रयत्न किया है, केवल पंजाब सरकार ने पंजाब में इस अधिनियम के उपबन्धों की क्रियान्विति की जांच करने के लिये एक समिति बनाई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोर्णाक मन्दिर, उड़ीसा

†**२४४७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या १९६०–६१ के लिये उड़ीसा में कोर्णाक मन्दिर की मरम्मत करने के लिये कोई राशि मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मों० दास)** : (क) जी हां।

(ख) २२,०७५ रुपये ।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान

२४४८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के लिये शिक्षा निदेशालय में अलग कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने अध्यापकों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत सरकार ने हाल ही में कुछ आदेश निकाले हैं जिनके अनुसार विविध श्रेणियों के अध्यापकों को पुरानी तिथियों से उच्चतर वेतन मान दिये जाने चाहिएं । इसके फलस्वरूप बहुत से अध्यापकों के वेतन पुनः निर्धारित किये गये थे जिसके कारण अध्यापकों को कुछ बकाया राशि देनी पड़ी । बकाया राशि के कुल दावे २४८० थे । इनमें से अब तक ९४० का भुगतान किया जा चुका है । बाकी के दावों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किया जा रहा है ।

भारत के लिये क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

†२४४९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिये नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । बोर्ड का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात ही परिषद द्वारा इस प्रश्न पर अग्रेतर विचार किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूमि का अर्जन और अधिग्रहण

†२४५०. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **विधि** मंत्री ११ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तब से भूमि अर्जन व अधिग्रहण सम्बन्धी समूचे देश में एकरूप लागू होने वाले विधान के बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

† **विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** ११ फरवरी, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के उपरांत राज्य सरकारों के नाम पुनः स्मृतिपत्र भेजे गये और उनका ध्यान मामले की अत्यावश्यकता की ओर दिलाया गया। अभी तक प्रतिवेदन में की गई विधि आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में आठ राज्य सरकारों ने अपनी राय भेजी है। राज्य सरकारों तथा कुछ मंत्रालयों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस बीच ३० अगस्त, १९६० को, सरकारी स्तर पर राज्य प्रतिनिधियों का इस उद्देश्य से एक सम्मेलन किया गया था कि इस विषय में राज्य सरकारों की रायें मालूम हो सकें। उसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि इस प्रतिवेदन पर विचार करने में काफी समय लगेगा।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में आग बुझाने वाले कर्मचारी

†२४५१. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा संस्थापनों में आग बुझाने वाले कर्मचारियों की वर्दी में कुछ अन्य वस्तुएं भी शामिल करने के सुझाव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या नतीजे हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). जून, १९५७ में निश्चित वेतन क्रम के अनुसार सरकार ने अभी हाल स्थायी आधार पर प्रतिरक्षा संस्थापनों के आग बुझाने वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी रूप से वर्दी देना स्वीकार कर लिया है। डूंगड़ी वर्दी ३३$^1/_3$ से १०० प्रतिशत कर्मचारियों को जारी की जायेगी। सरकार ने यह सुझाव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है कि खतरनाक वस्तुएं यथा अम्ल, फासफोरस इत्यादि बनाने वाले संस्थापनों में नियुक्त आग बुझाने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा वस्त्र दिये जांय, तथापि क्योंकि ये वस्त्र उनकी वर्दी का अभिन्न अंग नहीं हैं, इसलिये उन्हें आग बुझाने सम्बन्धी गाड़ी के गोदाम की वस्तु समझी जाय। आग बुझाने वाली सेवाओं से सम्बद्ध कर्मचारी को वर्दी धोने का भत्ता तथा ड्राइवरों व फिटरों को वर्दियां देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति

†२४५२. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० म० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या निश्चय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सरकार समिति की सिफारिशों से सामान्यतः सहमत है और उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के सभी स्तरों—प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर—के लिये उपयुक्त साहित्य की रचना के लिये एक उपसमिति बना दी गई है।

देहरादून में वयस्क अंधों के लिय प्रशिक्षण केन्द्र

†२४५३. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **शिक्षा** मंत्री ३० मार्च, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देहरादून में वयस्क अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की कर्मशाला में अंधे श्रमिकों को अधिक राज-सहायता देने के प्रश्न की परीक्षा कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

घी का अपमिश्रण

†२४५४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घी में वनस्पति की मिलावट का पता लगाने की दृष्टि से वनस्पति में रंग के रूप में इस्तेमाल किये जाने के लिये उपयुक्त रसायन (केमिकल कम्पाउण्ड) के सम्बन्ध में चिरकालिक विषालुता परीक्षा[1] पूरी कर ली गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chronic Toxcity Tests.

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). रसायन के दो दलों से प्रयोगशाला पशुओं पर किये गये परीक्षण से जिगर और गुर्दों पर इसके विषाक्त प्रभाव का पता चला है। तीसरे दल के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली में सरकारी इमारतों पर सम्पत्ति-कर

†२४५५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम द्वारा २६ जनवरी, १९५० से पहले बनाई गई सरकारी इमारतों पर लगाये गये सम्पत्ति कर और अन्य इमारतों सम्बन्धी सेवा प्रभार (सर्विस चार्जेज) के बारे में अपने वास्तविक दायित्व का परिक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली वास्तविक रकम उनके कब्जे में सम्पत्ति की कर वाले मूल्यों के अनुसार होगी और वह मूल्य सम्बन्धित विभागों द्वारा दिल्ली नगर निगम के परामर्श से तय किया जायेगा।

विदेशी मुद्रा

†२४५६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वी० जे० पिल्लानी के मामले में मंजूर की गयी विदेशी मुद्रा से अधिक खर्च करने के बारे में जांच पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जी, हां। एन्फार्समेंट डायरेक्टर ने श्री वी० जे० पिल्लानी पर ७५० रुपये का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की पुलिस तथा असैनिक सेवाओं के नियम

†२४५७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के राज्य-स्तर पर पुलिस तथा असैनिक सेवा सम्बन्धी नियमों का प्रारूप तैयार हो गया है और उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) प्रारूप नियमों की अन्तिम रूप से परिनिरीक्षा की जा रही है।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन समिति

†२४५८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स के २ मई, १९६० के अंक में प्रकाशित एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो कि जीवन बीमा निगम की विनियोजन समिति के भूतपूर्व सदस्य, श्री सुब्बया, ने २९ अप्रैल, १९६० को कोडैकनाल में दिया था; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सत्य है कि विनियोजन अनुचित रूप से किये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस बात से सन्तोष है कि श्री सुब्बया द्वारा निर्देशित विनियोजन जीवन बीमा निगम पर लागू बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २७क के अनुसार है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल मुख्यालय में असैनिक कर्मचारी

†२४५९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सचिवालय के कर्मचारीवृन्द और सशस्त्र बल मुख्यालय के असैनिक संस्थानों के कर्मचारीवृन्द को मिलाने के प्रस्ताव के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा किये गये प्रस्तावों पर गृह-कार्य मन्त्रालय विचार कर रहा है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

†२४६०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसान परिषद् के नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और अन्य प्रयोगशालाओं के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य स्थानों को भेजा जा सकता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्थानान्तरण अखिल-भारत आधार पर अथवा प्रादेशिक आधार पर किया जाता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). ज्ञावैनिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के सब कर्मचारियों को सिद्धान्त रूप में भारत में किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। तथापि, जो कर्मचारी अखिल-भारतीय पदाली में है अर्थात् जूनियर लेखपाल हैं, उनके अतिरिक्त तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्यतः एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में नहीं भेजा जाता है।

हिमाचल प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण

२४६१. **श्री पद्म देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में उसके विलय से दो वर्ष पूर्व एक खनिज सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षकों का मत था कि वहां लोहे व तांबे के निक्षेप हैं परन्तु उनकी मात्रा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है; और

(ग) क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करेगी ?

खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग को इसका कोई ज्ञान नहीं है।

(ख) और (ग). लोहे के निक्षेप, जो विशेष लाभदायक नहीं हैं, तथा कच्चे तांबे के भूभण्डार भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित किये जा चुके हैं। ये भूभण्डार बहुत आशाजनक नहीं हैं इसलिये भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग का इस अवस्था में इस क्षेत्र में कार्य करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

हिमाचल प्रदेश म बौद्ध मठ

†२४६२. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश की पांगी और चीनी घाटियों में ऐसे बौद्ध मठ हैं जहां अधिकांशतः ऐसे तिब्बती लामा रहते हैं जो तिब्बत से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वहां आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लामा हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). केवल दो तिब्बती लामा, जो तिब्बत से आये थे चीनी घाटी में बौद्ध मठों में रह रहे हैं। उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली विश्वविद्यालय की सामान्य शिक्षा योजना

†२४६३. **श्री प्र० चे० बरूआ :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष आरम्भ की गई दिल्ली विश्वविद्यालय की सामान्य शिक्षा ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) मानव शास्त्रों और सामाजिक विज्ञान के विविध विषयों सम्बन्धी सामान्य शिक्षा लेक्चर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा बारह कालिजों में और विज्ञान सम्बन्धी लेक्चर विश्वविद्यालय (विज्ञान विभाग) में दिये गये । कुल लगभग ८६ वक्ताओं ने ये लेक्चर दिये । १९६०-६१ में योजना के अन्तर्गत कोई पाठ्यक्रम आयोजित करने का विचार नहीं है, परन्तु विश्वविद्यालय ने तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये अपने प्रस्तावों में सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना सम्मिलित की है ।

(ख) और (ग). एक रिपोर्ट तैयार की गई है परन्तु विश्वविद्यालय यह उचित नहीं समझता कि उसे प्रकाशित किया जाये ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लेखे

२४६४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विश्वविद्यालयों को अपनी आय तथा व्यय और अन्य गतिविधियों के बारे में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिये कोई हिदायतें दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विवरण किन वर्षों के बारे में प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) मार्च, १९६० में केन्द्र प्रशासित विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी गयी थी कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्टें छपते ही उनकी दस प्रतियां संसद् पुस्तकालय में भेज दें । इन रिपोर्टों में उन विश्वविद्यालयों के कार्यकलाप तथा आय व्यय का भी पूर्ण विवरण हो ।

(ख) उपर्युक्त सलाह के अनुसरण में दिल्ली विश्वविद्यालय की १९५७—५८ और १९५८—५९ की तथा विश्व-भारतीय विश्वविद्यालय की १९५८—५९ की वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं ।

बन्दे मातरम की तर्ज

†२४६५. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री नेकराम नेगी :
श्री वसुमतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके बाद वन्दे मातरम की तर्ज बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सूचना और प्रसारण मंत्री और श्री एन० एस० हरदीकर, संसत्सदस्य ने १२ अगस्त, १९६० को बन्दे मातरम की विभिन्न तर्जें सुनीं। इसके फलस्वरूप राग देश में बनाई गई छोटी तर्ज और राग मल्हार बनाई गई सहगान की तर्ज सुनी। नई तर्ज बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में सिनेमा के टिकटों की चोर बाजारी

†२४६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अब तक दिल्ली में कितने व्यक्ति सिनेमा के टिकटों की चोर बाजारी करने के अपराध में पकड़े गये हैं ; और

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) २१२ (३१ अगस्त तक)

(ख)	दोषसिद्ध	१२०
	दोषमुक्त	१
	जिन व्यक्तियों के अभियोग न्यायालयों में अनिश्चित पड़े हैं .	९०
	जिन व्यक्तियों के मामलों की जांच पड़ताल हो रही है	१

शेरपुर गांव (दिल्ली) के निवासियों को गृह-निर्माण ऋण

२४६७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेरपुर गांव (दिल्ली) के निवासियों को दिल्ली प्रशासन से मकान बनाने के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ऋण के लिए ६५ प्रार्थियों में से दो ने अपने प्रार्थना पत्र वापिस ले लिये और ४३ (प्रार्थियों) को ऋण मंजूर किया गया। शेष २० प्रार्थियों को ऋण प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि वे आवश्यक जमानत नहीं दे सके।

दिल्ली मे वृद्धा की हत्या

†२४६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जून, १९६० में शमशान जाते हुए एक वृद्ध स्त्री की लाश पकड़ी गई क्योंकि उसकी मृत्यु में किसी षडयन्त्र की शंका हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : पुलिस ने यह रिपोर्ट मिलने पर कि वृद्धा के मत्यु षडयन्त्र से हुई है, ८ जून १९६० को उसकी लाश उस समय पकड़ ली जब कि उसे शमशान भूमि के जाया जा रहा था। शव परीक्षा करने पर पता लगा कि मत्यु गला घुटने और आघात के कारण हुई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२।१२० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस ने चार व्यक्तियों को पकड़ा है।

भिलाई में गन्धक के तेजाब का कारखाना

†२४६९. { श्री प्र० के० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में गन्धक के तेजाब का कारखाना चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी है और अब तक कितना उत्पादन हुआ है : और

(ग) यह कारखाना देश की कितनी मांग पूरी कर सकेगा ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्। भिलाई में गन्धक के तेजाब का कारखाना ५, दिसम्बर, १९५९ को चालू हो गया था।

(ख) कारखाने के दैनिक उत्पादन क्षमता 'मोनोहाईड्रेट' के रूप में ५० टन है। कारखाने में ८ अगस्त, १९६० तक ५,१६४ टन गन्धक का तेजाब बना।

(ग) भिलाई में गन्धक के तेजाब का कारखाना मूलरूप में अमोनियम सल्फेट बनाने, और कच्चा बेंजॉल धोने और कोलतार उत्पादों के लिए तेजाब की मांग पूरी करने के लिए खोला गया है। व्यापार के लिए बहुत थोड़ा तेजाब भिलाई से मिल सकेगा।

दिल्ली की एक स्त्री का अपहरण

†२४७०. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ४ जून, के 'स्टेट्समेन' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि एक बस्ती बसाने वाले ने दिल्ली की एक स्त्री का अपहरण किया और पुलिस प्राधिकारियों को बहुत समय से विदित था कि राजधानी में एक 'काल-गर्ल' गिरोह है, परन्तु इसे वैधिक तथा प्रक्रियात्मक दिक्कतों के कारण न रोका जा सका ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें सचाई का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो नगर में 'काल-गर्ल' गिरोह के बारे में किन बातों का पता लगा है ;

(घ) गिरोह के लोगों के खिलाफ वैधिक कार्यवाही करने में क्या दिक्कतें हैं ; और

(ङ) इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†[मूल अंग्रेज़ी में]

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). मैंने प्रश्नास्पद समाचार समाचारपत्र में देखा है । सरकार को ऐसी किसी बुराई का पता नहीं है ।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आयुध कारखाना, खमरिया

२४७१. **श्री राम सिंह भाई वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर से प्रकाशित होने वाले दिनांक ५ अप्रैल, १९६० के साप्ताहिक 'जनसत्ता' के पृष्ठ १२ के स्तम्भ ४ में "दिन दोपहर मेगज़ीन का अपहरण' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित आयुध कारखाना खमरिया में गोला बारूद की चोरी सम्बन्धी समाचार में कितनी सचाई है ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): सरकार को प्राप्य सूचना के अनुसार, खमरिया की आर्मामेण्ट इन्स्पेक्टोरेट का एक कर्मचारी, जो उस सिब्बन्दी की वर्क्स कमेटी का सेक्रेटरी चुना गया था, एक खाली फ्यूज़ के १६ पीतल के अंश, ले जाते हुए, रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह पीतल के टुकड़े, पहले फैक्टरी की चार दीवारी के पास एक पुलिया के नीचे छुपे हुए थे । इन १६ अंशों की कुल लागत लगभग ८ रुपये होगी। जैसा, कि ५ अप्रैल, १९६० के, जबलपुर के, साप्ताहिक-पत्र जनसत्ता में बताया गया है, आर्डिनेन्स फैक्टरी खमरिया की लेबर यूनियन द्वारा, मामले को ठप करने का कोई यत्न नहीं किया गया। (उक्त समाचार पत्र में, इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से बहुत पहले) उस कर्मचारी को १-४-६० से सेवा से निवृत्त कर दिया गया था, और मामला, आगे की कार्यवाही के लिए, पोलीस के हाथों में दे दिया गया था ।

दिल्ली में महिला कालेज

२४७२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्च कक्षाओं के कुछ और महिला कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) कितने ऐसे कालेज कहां कहां खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी नहीं। किन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन से परामर्श करके डी० आर० पब्लिक ट्रस्ट एजुकेशन सोसाइटी को जुलाई, १९६० से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में लड़कियों का कालेज खोलने की आज्ञा दे दी है । जब तक विश्वविद्यालय प्रांगण में कालेज के लिए भूमि नहीं मिल जाती और भवन नहीं बन जाता तब तक वह २२ हार्डिंग एवेन्यू, नयी दिल्ली में चलेगा ।

भारतीय नौ सेना के जहाज की यात्रा

†२४७३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना का कोई जहाज़ हाल में दक्षिणी-पूर्वी एशिया की यात्रा पर गया था ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इसका कैसा स्वागत किया गया और उस पर क्या अनुभव प्राप्त हुए ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नौसेना अभ्यास के दिनों में दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों को जाने वाले हमारे जहाज़ों को सदैव ही हार्दिक स्वागत मिला है। इन यात्राओं के फलस्वरूप इन देशों के निवासियों और स्थानीय परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, इन यात्राओं से हमारे अधिकारियों तथा नौसैनिकों को हमारे सागरों से मिले हुए सागरों में व्यक्तिगत और बेड़ा संबंधी गहन अनुभव प्राप्त होता है।

एस० एस० ऐक्सचैकर

†२४७४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी भारवाहक जहाज 'एस० एस० ऐक्सचेकर" जमीन में धंस गया और नौसेना का एक जहाज़ मुसीबत में फंसे जहाज की सहायता के लिए ४ और ५ जुलाई, १९६० के बीच की रात को भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौसेना ने क्या सहायता की ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) हां, श्रीमान् । भारतीय नौसेना के दो जहाज 'हाथी' और 'गंगा', जिन्हें 'एस० एस० ऐक्सचैकर' को सहायता देने के लिए जाने का आदेश मिला था, ४/५ जुलाई की रात को बजाये ४ जुलाई को क्रमानुसार १०.०० बजे और १४.०० बजे कोचीन से गये ।

(ख) इन जहाज़ों ने ५ और ६ जुलाई को जमीन में धंसे हुए 'एस० एस० ऐक्सचैकर' को निकालने के बार बार प्रयत्न किये। उसके सामने का भाग और लम्बाई में एक तिहाई जहाज जमीन में धंस गया था और उसे निकालने के उपरोक्त प्रयत्न असफल रहे। घटना स्थल पर 'डच टग एलबे' के आने पर भारतीय नौसेना के दोनों जहाज़ १० जुलाई को कोचीन लौट आये।

ए० ओ० सी० (सेना आयुध कोर) में क्लर्क

†२४७५. **श्री म० रा० कृष्ण :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डनेंस कोर (सेना आयुध कोर) में कुल कितने असैनिक क्लर्क हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ए० ओ० सी० में १९४२/४३ में भर्ती किये गये लोअर डिवीज़न क्लर्क अब भी लोअर डिवीजन क्लर्क है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए पदोन्नति के क्या अवसर हैं ; और

(घ) क्लर्कों के कार्य से संबद्ध राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) अगस्त, १९६० के आरम्भ में ५५८३ ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) लोअर डिवीज़न क्लर्कों के लिए पदोन्नति की लाइन यह है कि वे उच्च श्रणी के क्लर्क/असिस्टेंट हैड क्लर्क/हैड क्लर्क और आर्डनेंस आफ़िसर (असैनिक) (प्रशासन) बन सकते हैं।

(घ) ३७।

देशी शराब का तस्कर व्यापार

†२४७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी शराब के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन क्या कार्यवाही करेगा ; और

(ख) राजधानी में मद्य-निषेध योजना कहां तक सफल रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जो भी कार्यवाही की जा चुकी है वही पर्याप्त समझी जाती है।

(ख) राजधानी में धीरे धीरे मद्यनिषेध लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन के द्वारा की गई अनेक प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही का अच्छा परिणाम निकला है।

लेनिनग्राड प्रदर्शनी में भारतीय दुर्लभ पाण्डुलिपियों का प्रदर्शन

†२४७७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६० में लैनिनग्राड प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गईं २००० वर्ष पुरानी प्रसिद्ध बौद्ध रचनाओं, "सधर्मपुण्डरीक" और बौद्ध दर्शन "कश्यपरिवर्त" संबंधी व्याख्या की पाण्डुलिपियों का मालिक कौन है ;

(ख) "यू० एस० एस० आर० एकेडेमी आफ साइन्सेस ओरियन्टोलाजी इंस्टीट्यूट" के भारतीय और मध्य एशियाई विभाग के हाथ ये पाण्डुलिपियां कैसे लगीं ; और

(ग) लेनिनग्राड प्रदर्शनी में ऐसी कितनी दुर्लभ्य भारतीय पाण्डुलिपियां प्रदर्शित की गईं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामल

†२४७८. **श्री कालिका सिंह** : क्या : **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में आजकल अलग अलग कितने, फौजदारी, माल और विविध मामले अनिर्णीत पड़े हैं और १९५६ में ऐसे मामले कितने थे ; और

(ख) अनिर्णीत पड़े रहने वाले मामलों की संख्या बढ़ने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

नोट

†२४७९. श्री कालिका सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जून, १९६० को १८६७,८८,४२,००० रु० के रिजर्व बैंक के नोट चल रहे थे ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में इसी तारीख को कितने नोट चल रहे थे ;

(ग) इन संख्याओं में यदि कोई वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अधिक नोट छापने का है ; और

(ङ) ३ जून, १९६० को भारत सरकार के एक रुपये के कितने नोट चल रहे थे ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तीन विभिन्न तारीखों को चल रहे नोटों की संख्या निम्न है :—

७-६-१९५७	१५८७,९३,९४,००० रु०
६-६-१९५८	१६०८,५८,५६,००० रु०
५-६-१९५९	१७५५,४२,९७,००० रु०

(ग) मुख्यकर विकास योजनाओं के लिए चलार्थ की आवश्यकता के कारण ही नोटों के परिचलन में वृद्धि हुई है ।

(घ) परिचलन में खराब हुए नोटों के बदले और आवश्यक वृद्धि की पूर्ति करने के लिए नोट छपते रहेंगे ।

(ङ) ३ जून, १९६० को भारत सरकार के एक रु० के १०८,२१,५४,००० नोट चल रहे थे ।

विदेशों में उच्च शिक्षा

२४८०. श्रीमती मिनीमाता : क्या शिक्षा मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने इस सत्र में मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्र-वृत्तियां दी हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : १९६०–६१ वर्ष की छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव केन्द्रीय शासन सेवा आयोग की सिफारिशें आ जाने पर किया जायेगा । ये सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं ।

प्रादेशिक सेना

†२४८१. श्री मोहम्मद इलियास : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना (कर्मचारी कृत्यों तथा नियमित कृत्यों) में कितने पूर्णकालिक अधि-कारी हैं ;

(ख) उनमें कितने अधिकारी नियमित सेना के हैं;

(ग) उन में कितने अधिकारी प्रादेशिक सेना के हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) नियमित सेना के अधिकारियों में कितने नियमित रूप कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं ; और

(ङ) इन में से कितने अधिकारियों ने कर्मचारी कालिज पाठ्यक्रम पास किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

(घ) नियमित सेना के लगभग ६२ प्रतिशत अधिकारी, जो प्रादेशिक सेना में काम कर रहे हैं, नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं ।

(ङ) चार ।

प्रादेशिक सेना

†२४८२. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० के बाद प्रादेशिक सेना में अब तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों के नाम अब भी नामावली में हैं; और

(ग) होने वाली प्रेडों में से ७५ प्रेड में उन में से कितने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख) यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

(ग) प्रादेशिक सेना के लगभग ६० प्रतिशत व्यक्तियों ने पिछले वर्ष हुई प्रेडों में से ७५ प्रतिशत प्रेडों में भाग लिया। इस वर्ष ७५ प्रतिशत प्रेडों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत संबंधी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

जीवन बीमा पालिसी का अध्यर्पण मूल्य

†२४८३. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोवन बोमा पालिसी के पहिले वर्ष के प्रीमियम का कितना भाग पालिसी के अध्यर्पण मूल्य में मिलता है ;

(ख) जीवन बीमा की नई पालिसी पर कितना व्यय होता है (पूर्ण जानकारी चाहिये) ; और

(ग) यदि यह बहुत है तो क्या सरकार का विचार इसे कम करने का है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) साधारणतया प्रथम वर्ष के प्रीमियम में से कुछ भी अध्यर्पण मूल्य में नहीं मिलता ।

(ख) और (ग). निगम को एजेन्टों के कमीशन, कार्यक्षेत्र अधिकारियों के वेतनों, डाक्टरों की फीस पालिसी के टिकटों और प्रचार पर, जो संस्थापन व्यय के अतिरिक्त हैं, व्यय करना पड़ता है। निश्चित राशि प्रत्येक पालिसी के अनुसार भिन्न होती है। परन्तु यह औसत रूप में प्रथम वर्ष के प्रीमियम का ८०—९० प्रतिशत तक होती है। प्रथम वर्ष के प्रीमियम का वह प्रतिशत जो निगम नये व्यापार पर व्यय करता है, वह उस से अधिक नहीं होता जो पहिले बीमा करने वाले को करना पड़ता था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

†२४८४. { **श्री संगण्णा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री श० च० गोडसोरा :
श्री बि० च० प्रधान : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से उड़ीसा के कुछ अनुसूचित आदिम जातियों के नाम १६५६ के अनुसूचित आदिम जाति की सूची (आदेश) से हटाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इन आदिम जातियों के नाम क्या क्या हैं ; और

(ग) नाम हटाने की सिफारिश करने के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों की सूची के बारे में उड़ीसा सरकार ने जो भी सिफारिश की है, वे भारत सरकार के विचाराधीन हैं और जब तक निश्चय नही हो जाता तब तक उन के नाम बताना लोकहित में नहीं है ।

कोयला खानों का ऐच्छिक संविलयन[1]

†२४८५. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अड़तालीस कोयला खानों के ऐच्छिक संविलयन के पच्चीस प्रस्ताव कार्यान्वित हो गये हैं ;

(ख) इन में से कितनी कोयला खानें लाभदायिक न थीं ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये किसी विधान का होना आवश्यक है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) मार्च १६६० तक ऐच्छिक संविलयन के स्वीकृत २५ प्रस्तावों में से चौदह प्रस्ताव कार्यान्वित हो गये हैं ।

(ख) अड़तालीस कोयला खानों में से चौंतीस कोयला खानें जो स्वीकृत प्रस्तावों से सम्बन्धित थीं, अलाभप्रद थीं ।

(ग) नहीं, क्योंकि इन मामलों में संविलयन ऐच्छिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Voluntary Amalgamation

हिमाचल प्रदेश मे हत्याएं

२४८६. { श्री नेकराम नेगी :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में १९५७ से ले कर अब तक कितनी हत्या, चो ी और डकैती की घटनायें हुई हैं ;

(ख) प्रतिवर्ष इन अपराधों में कितनी और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क)

	१९५७	१९५८	१९५९	१९६० (३० अगस्त १९६० तक)
हत्या				
महासू	५	४	७	२
मण्डी	५	१	२	३
चम्बा	२	३	३	४
सिरमुर	३	४	२	२
बिलासपुर	४	१	५	—
किन्नौर	—	—	—	—
	१९	१३	१९	११
चोरी				
महासू	१०४	१०५	६०	३०
मण्डी	७६	४३	३७	१०
चम्बा	४९	३८	६३	२६
सिरमुर	४३	५४	४५	२६
बिलासपुर	३३	३९	४७	२०
किन्नौर	—	—	—	—
	३०५	२७९	२५२	११६
डकैती				
महासू	३	३	२	—
मण्डी	—	—	—	—
चम्बा	१	—	१	—
सिरमुर	१	४	—	—
बिलासपुर	—	—	—	—
किन्नौर	—	—	—	—
	५	७	३	—

(ख) १६५७ को आधार वर्ष मान कर—

वृद्धि (+) कमी (—)		प्रतिशत
	हत्या	
१६५८	—६	—३१.५
१६५६	+६	+३१.५
	चोरी	
१६५८	—२६	— ८.३
१६५६	—२७	— ६.६
१६५८	+२	+४०
१६५६	—४	—५७.१

(ग) सन् १६६० के आंकड़ों से कमी प्रदर्शित होती है ।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तें

†२४८७. **श्री ब० चं० कामले :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों आदि से संबंधित अधिकतर विनियम उन अधिनियमों पर आधारित है जो भारत के संविधान के अधीन निरसित हो चुके हैं ; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों को भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०६ के उपबन्धों के अनुकूल बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आचरण, अनुशासन और चिकित्सा संबंधी नियम संविधान के लागू होने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद ३०६ के उपबन्धों पर आधारित किये गये हैं । सेवा की अन्य शर्तों अर्थात् वेतन, भत्ते, सेवा निवृत्ति वेतन, छुट्टी आदि संबंधी शर्तें अब भी मूल तथा अनुपूरक नियमों और असैनिक सेवा विनियमों के अधीन हैं । ये नियम जो विधियों का उपायोजन आदेश १६५० द्वारा लागू हैं संविधान की दृष्टि से उतने ही मान्य हैं जितने कि पूर्वोक्त नियम । २६ जनवरी १६५० से मूल तथा अनुपूरक नियमों और असैनिक सेवा विनियमों में वृद्धि तथा परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद ३०६ के आधार पर किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गंगा की घाटी में पुरातत्वीय खुदाई

†२४८८. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पास गंगा की घाटी में पुरातत्वीय खुदाई को तेज करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में चिट फण्ड सोसाइटियां

†२४८९. { श्री नक राम नेगी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ लिमिटेड चिट फण्ड सोसाइटियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या उनमें जनता द्वारा लगाया गया धन बिल्कुल सुरक्षित है;

(ग) क्या इस प्रकार की सोसाइटियों द्वारा गबन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का इन चिट फण्ड सोसाइटियों के लिये सरकारी सिक्यूरिटियों में कुछ प्रतिशत धन लगाया जाना निश्चित करके इन सोसाइटियों पर कुछ वित्तीय नियंत्रण करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली राज्य में कम्पनी एक्ट, १९५६ के अधीन पंजीबद्ध १४ कम्पनियां और बाहर पंजीबद्ध कुछ कम्पनियां दिल्ली में चिट फण्ड का काम कर रही हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ग) ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

(घ) और (ङ). दिल्ली में चिट फण्ड के विनियमन और नियंत्रण के लिए विधान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नव हिन्द गर्ल्स हायर सेकण्डरी स्कूल, दिल्ली

†२४९०. { श्री नेकराम नेगी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री ७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में किसी सहायता लेने वाले स्कूल को पुस्तकालय के लिये किसी प्रकार की प्रतिभूति लेने का अधिकार नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में रोहतक रोड पर स्थित नव हिन्द गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा ५ रुपये पुस्तकालय के लिये प्रतिभूति लिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त स्कूल द्वारा अन्य कितने विद्यार्थियों (कक्षावार) से पुस्तकालय के लिये प्रतिभूति ली गई है;

(घ) क्या यह सच है कि इस स्कूल ने इस पुस्तकालय के लिये ली गई प्रतिभूति की अब तक किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं दी है जो कि नियम विरुद्ध है; और

(ङ) सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सरकार ने केवल उन शुल्कों और निधियों की दरें निर्धारित की हैं जो कि दिल्ली में सहायता लेने वाले स्कूल अपने विद्यार्थियों से ले सकते हैं। पुस्तकालय की प्रतिभूति शुल्क और निधियों की श्रेणी में नहीं आती। सहायता लेने वाले स्कूलों को पुस्तकालय की प्रतिभूति लेने के लिये सरकार के अधिकार देने का प्रश्न नहीं उठता विशेष-रूप से तब जब कि यह धरोहर मात्र है और विद्यार्थी को स्कूल छोड़ते समय लौटा दी जाती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कक्षा

छठी	१३२
सातवीं	५४
आठवीं	६८
नवीं	५३
दसवीं	४२
ग्यारहवीं	६
कुल योग	३५५

(घ) और (ङ). जी हां। स्कूल के अधिकारियों से इस प्रकार लिये गये धन के लिये उपयुक्त रसीद देने और उसका उचित हिसाब रखने के लिये कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-कर विभाग के लिये भवन

†२४९१. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर कार्यालयों और कार्यालय के कर्मचारियों के लिये बड़े पैमाने पर कार्यालय तथा निवास के लिये भवन बनाने का कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का व्यौरा क्या है;

(ग) कब तक देश के सब आय-कर कार्यालय सरकारी भवनों में पहुंच जायेंगे; और

(घ) क्या फीरोज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) में आय-कर कार्यालय और केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के लिये भवन तथा निवासस्थान १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में बनाये जाने वाले हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). जी हां । न केवल आय कर विभाग के लिये अपितु केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अधीन अन्य विभागों के लिये भी कार्यालय और निवासस्थान के भवन बनाने के लिये ४-५ वर्ष का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है । ऐसे स्थानों की एक सूची साथ में लगी है जहां भवन बनाये गये हैं या बनाने का विचार है ।

(ग) यह कार्यक्रम उन्हीं स्थानों तक सीमित है जहां अत्यधिक आवश्यकता है । भारत के सब आय-कर कार्यालयों के लिये निकट भविष्य में विभाग के अपने स्थान की व्यवस्था करने का न तो विचार है और न ही यह सम्भव है ।

(घ) जी नहीं । परन्तु यह पता चला है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की ओर से फीरोज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक विस्तार केन्द्र बनाया जा रहा है ।

१. उन स्थानों की सूची जहां भवन बना दिये गये हैं

(क) कार्यालय भवन :

१. बम्बई (आय-कर भवन)
२. दिल्ली (आय-कर तथा केन्द्रीय आबकारी)
३. तेजपुर (आय-कर)
४. अहमदाबाद (आय-कर)
५. पूना (आय-कर)
६. नौगांव (आय-कर)
७. गोहाटी (आय-कर)
८. रांची (संयुक्त)
९. कोचीन (कस्टम हाउस)
१०. शिवसागर (केन्द्रीय आबकारी)
११. बर्दवान (संयुक्त)
१२. अगरतला (आय-कर)
१३. अमरतला (केन्द्रीय आबकारी)

---

†मूल अंग्रेजी में

१४. लखनऊ (संयुक्त)
१५. कराईकुडी (आय-कर)
१६. रत्नागिरी (संयुक्त)
१७. कांडला (कस्टम हाउस)
१८. भरतपुर (आय-कर)
१९. जालन्धर (संयुक्त)
२०. लुधियाना (संयुक्त)
२१. मझौलिया
२२. बाघरा
२३. रपौली
२४. परोरा
२५. राजपकर

(२२–२५) केन्द्रीय आबकारी रेंज कार्यालय

२६. करीमगंज (केन्द्रीय आबकारी)
२७. सेलम (आय-कर विभाग के लिये भवन खरीदना)
२८. कलकत्ता ('बैम्बू विला' को खरीदना)
२९. अलीपुरदुआर्स (केन्द्रीय आबकारी)
३०. भटिण्डा (संयुक्त)
३१. कोझिकोडे (आय-कर)
३२. कोयम्बटूर (आय-कर)
३३. कोयम्बटूर (केन्द्रीय आबकारी)
३४. रायपुर (संयुक्त)
३५. बम्बई (केन्द्रीय आबकारी)
३६. सिलचर (संयुक्त)
३७. कूच-बिहार (केन्द्रीय आबकारी)
३८. अमृतसर (संयुक्त)
३९. दीनहाता (केन्द्रीय आबकारी)
४०. अहमदाबाद (केन्द्रीय आबकारी)
४१. श्रीगंगानगर (संयुक्त)
४२. विजयवाड़ा (संयुक्त)

(ख) स्थल सीमा शुल्क केन्द्र :

१. कुल्टी	४. मनकेहर	७. डालू
२. मोरा	५. तुरा	८. महीन्द्रगंज
३. हॉलगेट	६. बाघमारा	९. सावरमुरघाट

१०. मोहरीघाट
११. रागना
१२. मनुघाट
१३. डलियाघाट
१४. महिशासन
१५. गेडे
१६. डॉकी
१७. सूतरकण्डी
१८. गोलकगंज
१९. अगरतला
२०. करीमगंज़

(ग) निवास स्थान :

१. कलकत्ता (४२ आय-कर अफसरों के फ्लैट)
२. नई दिल्ली (२० आय-कर अफसरों के फ्लैट)
३. कोचीन (कलक्टर का बंगला)
४. कूच बिहार (कर्मचारियों के क्वाटर)
५. बम्बई (आय-कर अफसरों के फ्लैट)
६. केसल रॉक (कर्मचारियों के क्वार्टर)
७. अमृतसर (गजेटेड अफसरों के लिये फ्लैट)
८. अहमदाबाद (आय-कर अफसरों के फ्लैट)
९. दिल्ली (४ फ्लैट केन्द्रीय आबकारी के गजेटेड अफसरों के लिय)
१०. कानपुर (१२ आय-कर अफसरों के फ्लैट)
११. सफदरजंग हवाई अड्डा (२० क्वार्टर सीमा-शुल्क कर्मचारियों के लिये)
१२. कोचीन (निरोधक अफसरों के क्वार्टर)

२. उन स्थानों की सूची जहां भवन मंजूर हो गये हैं किन्तु अभी तक पूरे नहीं बने

(क) कार्यालय भवन :

१. निजामाबाद (संयुक्त)
२. कलकत्ता (कस्टम हाउस अनेक्स)
३. मद्रास (कस्टम हाउस)
४. जब्बलपुर (संयुक्त)
५. मद्रास (आय-कर)
६. सूरत (केन्द्रीय आबकारी)
७. बंगलौर (संयुक्त)
८. पटना (संयुक्त)
९. विशाखापटनम् (कस्टम हाउस)
१०. कलकत्ता (आय-कर)
११. कानपुर (आय-कर)
१२. मदुरा (संयुक्त)
१३. बरेली (संयुक्त)

१४. गुंटूर (संयुक्त)

१५. रतलाम (संयुक्त)

१६. गोलाघाट (केन्द्रीय आबकारी)

१७. देहरादून (आय-कर)

१८. हजारी बाग (संयुक्त)

१९. मद्रास (केन्द्रीय आबकारी)

२०. कानपुर (केन्द्रीय आबकारी)

२१. मेरठ (संयुक्त)

२२. रायगढ़ (केन्द्रीय आबकारी)

२३. इलाहाबाद (संयुक्त)

२४. लखनऊ (संयुक्त अनेक्स)

(ख) स्थल सीमा शुल्क केन्द्र :

१. हफिटयागाछ

२. देवीगंज

३. पेटगोरा

४. हुसैनीवाला

५. हल्दीबाड़ी (कार्यालय भवन)

६. छांगड़ाबन्धु (रहने के क्वार्टर)

७. बाननहाट (रहने के क्वार्टर)

८. गजनडंगा (रहने के क्वार्टर)

९. गीतलदह (रहने के क्वार्टर)

१०. हल्दीबाड़ी (रहने के क्वार्टर)

११. राधिकापुर (रहने के क्वार्टर)

(ग) निवास स्थान :

१. मद्रास (आय-कर अफसरों के फ्लैट)

२. बम्बई वडाला (केन्द्रीय आबकारी गजेटेड अफसरों के फ्लैट)

३. गोरखपुर (आय-कर)

४. अहमदाबाद (आय-कर अफसरों के फ्लैट—दूसरा क्रम)]

५. कलकत्ता —तदैव—

६. बम्बई —तदैव—

७. दिल्ली —तदैव—

८. कानपुर —तदैव—

९. मद्रास —तदैव—

१०. धनबाद

११. कानपुर (केन्द्रीय आबकारी विभाग के कर्मचारी)

१२. बम्बई (शान्ता क्रूज)

१३. लखनऊ

१४. जलपाईगुड़ी

१५. धनुष्कोडी

१६. अमृतसर

१७. इलाहाबाद

१८. बंगलौर

१९. अलीपुरदुआर्स

२०. दिल्ली (गजेटेड अफसरों के—केन्द्रीय आबकारी)

३. उन स्थानों की सूची जहां भवन बनाने का विचार है

(क) कार्यालय भवन :

१. धुबरी (आय-कर)

२. धुबरी (केन्द्रीय आबकारी)

३. कटक (आय-कर)

४. मठधंगा (केन्द्रीय आबकारी)

५. सिलीगुड़ी (केन्द्रीय आबकारी)

६. विशाखापटनम् (आय-कर)

७. हैदराबाद (संयुक्त)

८. शिलौंग (केन्द्रीय आबकारी)

९. जोरहाट (केन्द्रीय आबकारी)

१०. डिब्रूगढ़ (संयुक्त)

११. किशनगंज (केन्द्रीय आबकारी)

१२. संबलपुर (संयुक्त)

१३. नासिक (संयुक्त)

१४. कोचीन (कस्टम हाउस अनेक्स)

१५. नागपुर (संयुक्त)

१६. अम्बाला (संयुक्त)

१७. कोटा (संयुक्त)

१८. पूना (केन्द्रीय आबकारी)

(ख) नान-गजेटेड कर्मचारियों के लिये निवास स्थान :

१. डिब्रूगढ़

२. बम्बई

३. विशाखापटनम्

४. अहमदाबाद

५. कांडला

६. मद्रास

७. कटक

८. कलकत्ता

९. नई दिल्ली

१०. भटिण्डा

(ग) सीमाशुल्क और केन्द्रीय आबकारी विभागों के गजेटेड अफसरों के लिये फ्लैट

१. मद्रास

२. कलकत्ता

(घ) स्थल सीमाशुल्क केन्द्र :

१. खवईघा

२. शेलाबाजार

३. भोलागंज

४. कालाशहर

५. बलोनिया

६. देमुगिरि

७. रक्सौल	१६. टुंगी
८. जयनगर	१७. हिली रोड
९. जोगबानी	१८. गीतलदह
१०. गेडे	१९. छांगड़ाबन्धु
११. पेट्रापोल	२०. बाननहाट
१२. हिंगलगंज	२१. राधिकापुर
१३. गजडंगा	२२. लालगोला घाट
१४. हरिदासपुर (पेट्रापोल रोड)	२३. रंगपुर
१५. कोतवाली गेट	२४. तिस्ता बाजार

मनीपुर में आदिमजातियों के उपद्रव

†२४९२. **श्री ब्रज राज सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री २४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने २ मई, १९६० को मनीपुर में हुए आदिमजाति के लोगों के उपद्रव के बारे में, जब दस व्यक्ति मारे गये थे, क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस उपद्रव का क्या प्रभाव पड़ा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, २ मई, १९६० को कूकी और हमारों के बीच गोली चली थी जिसके फलस्वरूप एक हमार मारा गया। यह आरोप कि वहां उपद्रव हुआ था और १० हमार मारे गये थे ठीक नहीं है।

शरारत करने वाले पकड़ लिये गये थे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई थी। गड़बड़ वाले क्षेत्र में और पुलिस तैनात कर दी गई थी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन ५ व्यक्तियों से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला आदेश दो मास के लिये लागू कर दिया गया था। प्रशासन के अफसरों ने गड़बड़ वाले क्षेत्र का अच्छी तरह दौरा किया और दोनों आदिम जातियों में सुलह करवाने के लिये उनके प्रतिनिधियों से सम्पक स्थापित किया गया। यद्यपि इस घटना के बाद लगभग ६ सप्ताह तक इक्का दुक्का वारदातें होती रहीं, किन्तु उस क्षेत्र में साधारण स्थिति लाने के लिये जो उपाय किये गये थे वे काफी हद तक पर्याप्त थे।

छोटा छतर मंजिल, लखनऊ

२४९३. **श्री खुशवक्त राय**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ के छोटे छतर मंजिल की इमारत सुरक्षित थी;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार किन शर्तों पर इसका प्रयोग करती थी;

(ग) क्या यह इमारत गिर गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) लखनऊ का छोटा छत्तर मंजिल ठीक हालत में था जब १९२५ में उसको उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया।

(ख) (१) इमारत की पुरातत्वीय विशेषतायें सुरक्षित रखी जायेंगी ?

(२) मरम्मत का कोई काम हाथ में लेने के पहले मरम्मत का अनुमानित खर्च पुरातत्व अफसर को प्रति-हस्ताक्षर के लिये भेजा जायेगा। (१९३५ में यह तबदीली हुई कि केवल खास मुरम्मतों के अनुमानित खर्च प्रति-हस्ताक्षर के लिये भेजना जरूरी है) ; और

(३) अगर ऐसा मौका आये कि पुरातत्व अफसर इमारत को बचाने के लिये राज्य सरकार को कोई जरूरी उपाये सुझाये तो उसके सुझाव पर उचित विचार किया जायेगा।

(ग) इसका एक भाग गिर गया है।

(घ) गिरे भाग का मलबा साफ किया जा रहा है। इमारत का अब भी जो भाग खड़ा है, उसे खतरनाक घोषित कर दिया गया है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का पुस्तकालय

†२४९४. **श्री हनुमन्त राव**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं और वहां प्रतिदिन कितने पाठक आते हैं, और

(ख) पुस्तकालय में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (ग) परिषद् के पुस्तकालय में १६,००० पुस्तकें हैं। प्रतिदिन औसतन १० अनुसन्धान करने वाले छात्र और भारतीय तथा विदेशी छात्र पुस्तकालय से लाभ उठाते हैं।

(ख) एक लाइब्रेरियन एक, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, दो लाइब्रेरी असिस्टेंट और पांच लोअर डिवीजन क्लर्क।

दिल्ली के स्कूलों के छात्रों से वसूल की जाने वाली निधियां

†२४९५. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में (१) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले (२) नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा चलाये जाने वाले (३) सहायता-प्राप्त स्कूलों के छात्रों से कौन-कौन सी निधियां वसूल की जाती हैं;

(ख) पहली प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षा तक के छात्रों से कितनी निधि वसूल की जाती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि छात्रों से किन्हीं विशिष्ट मदों के लिये निधि वसूल की जाती है किन्तु स्कूलों में वे सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४६**]।

(ख) इस सम्बन्ध में कक्षावार और स्कूलवार जानकारी न तो उपलब्ध है और न उसे एकत्र करना सम्भव है क्योंकि इसमें जितनी मेहनत लगेगी उसके अनुपात में प्राप्त होने वाली जानकारी महत्वपूर्ण नहीं होगी।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

२४९६. **श्री हनुमन्त राव:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कार्यक्रम विभाग ने पिछले वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम बनाया और इस विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) परिषद् को १९५०-५१ से १९६०-६१ तक अब तक प्रत्येक वर्ष कितना धन दिया गया; और

(ग) सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये परिषद् ने अब तक क्या काम किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४७**]

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सदन[1]

†२४९७. **श्री हनुमन्त राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सदनों में कितने छात्र रह रहे हैं और उन की देखभाल के लिये किसे नियुक्त किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** भारतीय सांस्कृतिक परिषद् द्वारा कलकत्ता और दिल्ली में चलाये जाने वाले अस्थायी अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सदनों में इस समय क्रमशः ४० और २६ विदेशी छात्र रह रहे हैं। मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सदन तो नहीं है, किन्तु वहां एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है जो ८ लोगों के रहने की व्यवस्था भी करता है। आशा है कि परिषद् द्वारा बम्बई में निकट भविष्य में एक अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास-एवं-क्लब चलाया जायेगा। वहां लगभग ३० छात्र रह सकेंगे और इस से अधिक छात्रों को क्लब की सुविधायें दी जायेंगी।

दिल्ली और कलकत्ता में छात्रों की देखभाल के लिये अवैतनिक वार्डन हैं ; कलकत्ता और मद्रास में उन की देखभाल के लिये भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के प्रादेशिक प्रतिनिधि भी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]International Students' House.

त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद्

†२४९९. { श्री दशरथ देव :
श्री हाल्दर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् की शक्तियों और कृत्यों को बढ़ाने के लिये भारत के साम्यवादी दल की त्रिपुरा राज्य समिति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार का त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् की शक्तियों और कृत्यों को बढ़ाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख).** ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति की मृत्यु की न्यायिक जांच

†२५००. { श्री दशरथ देव :
श्री हाल्दर :

क्या गृह-कार्य मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लोगों ने, जिन में विधिजीवी संगठन शामिल है, नालूनगर कालोनी के एक विस्थापित व्यक्ति बिशम्भरदास नामदास की जेल में हुई मृत्यु के कारणों की जांच की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कोई जांच करने जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां । श्री विशम्भरदास की मृत्यु की न्यायिक जांच कराने के लिये त्रिपुरा के एक-दो राजनीतिक दलों की ओर से और अगरतला विधिजीवी संगठन से भी प्राथनायें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) श्री नामदास की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उन्हें देखते हुए किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं है । मृत्यु के बाद की गई डाक्टरी परीक्षा के प्रतिवेदन से यह ज्ञात हुआ कि वृद्धावस्था में एकदम और लगातार कई दिनों तक अन्नत्याग के परिणामस्वरूप उत्पन्न कमज़ोरी से दिल का धड़कना बन्द हो गया । सदा की भांति सदर सब डिवीजन के सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट ने भी जांच की और उन की उपपत्तियों से डाक्टरी जांच के निष्कर्ष की पुष्टि की गई ।

रद्दी लोहे का निर्यात

२५०१. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० के पूर्वार्द्ध में नम्बर २, २ (ए) और ३ ग्रेड के कितने टन रद्दी लोहे (स्क्रैप) का निर्यात किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या नम्बर २, २(ए) और ३ बन्डलों की देश में खपत होती है ;

(ग) क्या यह सच है कि कबाड़ सम्बन्धी जांच समिति ने जो अनुमान लगाया था उस से १९५७ से १९५९ तक निर्यात किये नम्बर २, २(ए) और ३ बन्डलों का कुल निर्यात आधे से भी कम था ;

(घ) क्या सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि रद्दी लोहा निर्यात सम्बन्धी नीति की इस शर्त के फलस्वरूप, कि इस ग्रेड के किसी भी ग्रेड का निर्यात करने वालों को नम्बर २, २ (ए) और ३ बन्डलों के हर १० टन निर्यात करने से पहले देश में भट्टी चलाने वाले लोगों को १ टन नम्बर १ बन्डल (फ्रेश शीट कटिंग स्क्रैप) का संभरण अवश्य करना होगा, नम्बर २, २(ए) और ३ बन्डल के निर्यात में बाधा उत्पन्न होती है ; और

(ङ) यदि हां, तो रद्दी लोहा निर्यात सम्बन्धी नीति में से उक्त शर्त, जो नम्बर २, २(ए) और ३ बन्डल के नर्यात में बाधक सिद्ध हो रही है, क्यों नहीं हटा दी जाती ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). १९५७ में ७५,४७६ टन, १९५८ में ६१,९६६ टन, १९५९ में ७८,२२१ टन और १९६० के पूर्वार्द्ध में ३७,९४४ टन लोहे की चादरों के कबाड़ का निर्यात किया गया । इस प्रकार के रद्दी लोहे का, जिस को देश में काम में नहीं लाया जा सकता, निर्यात किया जा सकता है । नम्बर २, २ ए और ३ स्क्रैप कटिंग्ज़ आम तौर पर भट्ठियों के मालिकों द्वारा काम में नहीं लाये जाते ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) : इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि नम्बर २, २ए और ३ शीट कटिंग्ज़ (लोहे की चादरों के कबाड़) के प्रति १० टन पीछे नम्बर १ क्वालिटी शीट के १ टन के संभरण की जो शर्त कबाड़ निर्यात की नीति में रखी गई है वह निर्यात के लिये बाधक सिद्ध हो रही है किन्तु वास्तव में स्थिति यह नहीं है। नम्बर १ क्वालिटी शीट कटिंग्ज़ को निर्यातक घटिया किस्म के कबाड़ के साथ ले लेते हैं और चूंकि नम्बर १ क्वालिटी कटिंग को देश में काम में लाया जा सकता है इसलिये निर्यात नीति में यह शर्त रखी गई है कि ऐसा रद्दी लोहा देश में भट्टी चलाने वाले मालिकों को उपलब्ध किया जाना चाहिये ।

बैंकिग समवायों को लाइसेंस

†२५०२. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ के बाद क्या रिजर्व बैंक ने किसी भी बैंकिंग समवाय को लाइसेंस देने से मना कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के पूर्व ऐसे कितने बैंक थे, जिन्हें लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया ;

(ग) १९६०-६१ में कितने बैंकों को लाइसेंस देने से इनकार किया गया ; और

(घ) क्या इन बैंकों को लाइसेंस न देने का कारण बता दिया गया है और क्या उन्हें कारण उपस्थित करने का समुचित अवसर दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १३३ (जुलाई १९६० के अन्त तक)।

(ग) जनवरी-जुलाई १९६० की अवधि में तीन बैंकों को लाइसेंस देने से इनकार किया गया।

(घ) जी, हां।

विज्ञान मन्दिर

२५०३. **श्री भक्त दर्शन : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विज्ञान मन्दिरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) उन की स्थापना करने में क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :(क) विवरण साथ में लगा है।

(ख) २४ जगहों में से १९ का निरीक्षण किया गया और केवल ७ जगहें उपयुक्त पाई गईं। उपयुक्त जगहों पर विज्ञान मन्दिर खोलने की कार्यवाही हो रही है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश . .	(१) कोडुर, जिला कुड्डप्ह
केरल . .	(२) तिरूर, जिला कालीकट
मद्रास . .	(३) विल्लुपुरम्, जिला दक्षिण अर्काट
	(४) कोरुकठी, जिला तंजौर
महाराष्ट्र . .	(५) कराद, जिला उत्तर सतारा
	(६) केज, जिला मीर
गुजरात . .	(७) बलोद, जिला सूरत
मैसूर . .	(८) शिराल कोपा, जिला शिमोगा
उड़ीसा . .	(९) केन्द्रपारा, जिला कटक
	(१०) राजगंगपुर, जिला सुरेन्द्रगढ़
उत्तर प्रदेश . .	(११) मानिकपुर, जिला बांदा
	(१२) हमदिया, जिला इलाहाबाद
	(१३) परसिनपुर, जिला इलाहाबाद
	(१४) करचना, जिला इलाहाबाद
	(१५) चुनार, जिला मिरज़ापुर
	(१६) कान्द्री, जिला आगरा
	(१७) बरुत, जिला मेरठ

(१८) तारीखेत, जिला अलमोड़ा
(१९) धनौरा, जिला मुरादाबाद
(२०) ताजपुर, जिला बिजनौर
(२१) बसती, जिला बस्ती
(२२) पितौरा, जिला फरुखाबाद
(२३) शकुलापुर, जिला फरुखाबाद
पश्चिम बंगाल . (२४) बहारा, जिला मुर्शिदाबाद

तीर्थयात्री जहाज से सोना पकड़ा जाना

†२५०४. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जद्दा से आने वाले तीर्थयात्री जहाज से १३ अगस्त, १९६० को बम्बई गोदी के सीमाशुल्क अधिकारियों ने १ लाख रु० की कीमत का अवैध सोना पकड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता लगाने के लिये कोई जांच की गयी है कि यह सोना कौन लाया था; और

(ग) चोरी-छिपे सोना लाने के काम को रोकने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख). बम्बई गोदी में १३ अगस्त, १९६० को कोई सोना नहीं पकड़ा गया। लेकिन, १२ अगस्त, १९६० को जद्दा से आने वाले तीर्थयात्री जहाज के सामान का निरीक्षण करते समय श्री एस० एस० मोहमदी ने बम्बई पत्तन पर एक ट्रंक पाया, जिसका कोई मालिक नहीं था और जो यात्रियों के सामान के पास पड़ा था। उस ट्रंक को लेने कोई भी नहीं आया और पता लगाने पर यह मालूम नहीं हो पाया कि वह ट्रंक किसका है। देखने पर पता लगा कि उस ट्रंक में लगभग ९५,००० रु० की लागत के सोने के टुकड़े, सावरेन तथा सोने के आभूषण थे। इन चीजों को कब्जे में कर लिया गया है।

(ग) चोरी-छिपे सोना लाने-ले जाने सम्बन्धी कार्यों को रोकने के लिए अनेक वैधानिक तथा कार्यकारिणी उपाय काम में लाये जाते हैं। ये उपाय हैं :—

(१) चोरी-छिपे सोना लाने-ले जाने की छानबीन का काम करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं; (२) सन्दिग्ध जहाजों तथा विमानों की विधि-पूर्वक तलाशी; (३) समुद्र-सीमा तट तथा भूमि सीमा के प्रवेश योग्य क्षेत्रों में नियमित तथा आकस्मिक गश्त; (४) जानकारी मिलने पर तुरन्त कार्यवाही करना; (५) "धातु बोधक" नामक वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग। समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन भारी जुर्माना लगाने जिसमें अवैध सोने को जब्त कर लेना भी सम्मिलित है, की अतिरिक्त उपयुक्त मामलों मे मुकदमा भी चलाया जाता है, ताकि दण्ड देकर लोगों को इस काम से विमुख किया जा सके। केन्द्र में राजस्व गुप्तचर निदेशालय भी कार्य कर रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में चोर्यानियन को रोकने सम्बन्धी गतिविधियों को प्रभावी बनाने का प्रयत्न करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाना

२५०५. **श्री बाल्मीकी**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के भूतपूर्व हरिजन सैनिकों को पुनः बसाने के लिये कितने एकड़ भूमि कहां दी गई है;

(ख) क्या इसके लिये उन्हें कुछ धन देने को भी कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो कितना;

(घ) क्या यह सच है कि इस राशि के लिये उन्हें ऋण दिया गया है और भूमि के पट्टे उनके नाम में रजिस्टर नहीं किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) से (ङ). सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

खांडसारी पर उत्पादन शुल्क

२५०६. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में १ मार्च, १९५९ से आज तक खाण्डसारी पर कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह उद्योग इस शुल्क के कारण समाप्त होता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जो भी सूचना मिल सकी है उसे एक विवरण के रूप में सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४८]** ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) १ मार्च, १९६० से, खांडसारी उत्पादकों द्वारा शुल्क की अदायगी के लिए एक सम्मिलित शुल्क योजना जारी की गयी थी । हालांकि औसत दरों के अनुसार दिये जाने वाले शुल्क के मुकाबले ये दरें काफी कम थीं, लेकिन उत्पादकों की ओर से दरख्वास्त किये जाने पर और भी रियायत कर दी गयी और शुल्क की सम्मिलित दरों में २२ जुलाई, १९६० से ३१ अक्टूबर, १९६० तक के 'गलावट' मोसम के लिए एक-तिहाई की कमी कर दी गयी ।

मिशन-सम्पत्तियां

†२५०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से ऐसी कोई मांग की गयी है कि वह सभी मिशन-सम्पत्तियों को एक में मिला दे और एक चर्च अधिनियम बनाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जिला सिरमूर की रामका तहसील के तहसीलदार

†२५०८. { श्री रामौल :
श्री नेकराम नेगी :
श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमूर जिले की रामका तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार व गबन के कुछ आरोप हैं;

(ख) यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं; और

(ग) क्या उन आरोपों की जांच की गयी थी या की जा रही है और उसका क्या परिणाम रहा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) आरोप यह है कि तबादले पर, उन्होंने एक जाली रसीद के आधार पर अपने सामान के भाड़े की मांग की थी ।

(ग) इस सम्बन्ध में जांच हो रही है ।

हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम

२५०९. श्री पद्म देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५३ की धारा २७ तथा ८३ अभी तक लागू नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). यद्यपि हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५३ छब्बीस जनवरी, १९५५ को लागू किया गया था, परन्तु अधिनियम के बिचौलिया के निरसन से सम्बन्धित कुछ उपबन्ध, जिनमें धाराएं २७ और ८३ भी सम्मिलित हैं, लागू नहीं किये जा सके, क्योंकि अधिनियम की मान्यता पर उच्चतम न्यायालय और न्याय कमिश्नर (हिमाचल प्रदेश) के न्यायालय में आपत्ति की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम को एक स्थिति में शक्ति पार घोषित किया था किन्तु हिमाचल प्रदेश की विधान सभा (संविधान तथा क्रियाविधि) वैधकरण अधिनियम, १९५८ के अधीन इसे मान्यता दी गई। इस प्रकार की मान्यता प्राप्त अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय में दी गई लिखित याचिकाओं द्वारा फिर आपत्ति उठाई गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस अधिनियम को मान्यता देने वाले न्याय की घोषणा अप्रैल, १९६० में की गई। तब से, धारा २७ (३) के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान करने और धारा २७(४) के अन्तर्गत किरायेदारों को स्वामित्वाधिकार देने तथा धारा ८३ को लागू करने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक जानकारी को इकट्ठा करने के लिये कार्यवाही की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिरिया गांव के आदिवासी

†२५१०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंवभूम जिले, थाना मनचारपुर, गांव चिरिया के आदिवासियों को उनके मकानों और जमीनों से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय की लौह अयरक खानों ने इन जमीनों का अर्जन कर लिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चावल बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र देने के बहाने निरक्षर गांव वालों के अंगूठा निशान लिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) से (ग). सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रामनाद में लौह अयस्क के निक्षेप

†२५११. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क का पता लगाने के लिए भूतत्वीय विशेषज्ञ रामनाद जिले के तिरुपट्टम तालुका के बदाकुडिपट्टि नामक स्थान पर गये थे;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों ने जो उपपत्तियां दीं उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वहां उपलब्ध लौह अयस्क की मात्रा तथा उसके प्रकार का कोई निर्धारण किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) उस क्षेत्र में लौह अयस्क का पता लगाने के लिए मद्रास सरकार का एक अधिकारी गया था ।

(ख) और (ग). बताया गया है कि उस क्षेत्र में कोई समुचित लौह अयस्क निक्षेप नहीं है ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†२५१२. **श्री बा० च० कामले :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में जिन लोगों ने अपने को (१) अनुसूचित जातियों (२) अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित करने के लिए अभ्यावेदन दिये हैं, वे किस वर्ग के हैं; और

(ख) उन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) और (ख). अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं और उनसे कहा गया है कि वे इस मामले में राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी करें । जिन लोगों ने ऐसे अभ्यावेदन भेजे हैं, उनकी कोई सूची नहीं रखी गयी है और उनकी सूची बनाने में जितना समय व परिश्रम लगेगा, उसके मुकाबिले में उस सूची से कोई लाभ नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्टेनोग्राफ़र की परीक्षा

†२५१३. **श्री अमजद अली :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० में तीसरी श्रेणी के अंग्रेज़ी स्टेनोग्राफरों की भरती के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा ली जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-अनुसूचित/आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए भी ऐसी ही परीक्षायें ली जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या गैर-अनुसूचित/आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार १९६१ में कोई परीक्षा करायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). स्टेनोग्राफरों की एक सामान्य परीक्षा १९६० में होने वाली है । १९६१ में भी सम्भवतः एक परीक्षा होगी ।

दिल्ली का नारायण गांव

२५१४. { **श्री वाजपेयी :**
श्री आसर ।

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि अर्जन एक्ट के अन्तर्गत हाल ही में दिल्ली के नारायण गांव की लगभग ३०० बीघा भूमि ले ली गई है;

(ख) क्या यह सच है कि नारायण गांव के निवासियों ने यह सुझाव दिया था कि उनकी यह उपजाऊ भूमि लेने की बजाय नसीरपुर और नगल राया के बीच की भूमि ले ली जाये जो कि रेलवे लाइन के निकट है और गोदाम बनाने के लिये उपयुक्त है;

(ग) यदि हां, तो उनका यह सुझाव स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस भूमि के मालिकों को भूमि का दाम प्रचलित बाजार-भाव की दर से दिया जा रहा है;

(ङ) प्रचलित बाजार-भाव की दर से प्रतिकर न देने के क्या कारण हैं और वर्तमान प्रतिकर किस आधार पर दिया जा रहा है; और

(च) अब तक कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा चुका है और भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) एक अनाज गोदाम के निर्माण के लिये खाद्य मन्त्रालय के एक प्रस्ताव पर २ फरवरी, १९६० को लगभग १७० बीघा और ४ बिस्वा भूमि के एक टुकड़े का अभिग्रहण किया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गांव के निवासियों द्वारा सुझाई गई भमि उपलब्ध नहीं पाई गई थी क्योंकि वहां पर ब्राड गेज रेल साइडिंग के बनाने की सम्भावना नहीं थी और वह स्थान शहर से दस मील की दूरी पर स्थित था तथा उस स्थान का पक्की सड़क से सम्बन्ध नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). भूमि के मालिकों को भूमि अर्जन अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलेगा। भूमि अर्जन कलक्टर अधिसूचना के दिन के बाजारभाव तथा अन्य तत्सम्बधी तथ्यों को ध्यान में रखेगा। इसके अतिरिक्त उस मूल्य का १५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति के तौर पर तथा भूमि के अधिकार दिये जाने वाले दिन से लेकर प्रतिकर की वास्तविक भुगतान के दिन तक ६ प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा।

(च) तात्कालिकता के कारण भूमि का अभिग्रहण भूमि अर्जन अधिनियम, धारा १७ के उपबन्धों के अधीन किया गया था तथा भूमि पर २९-६-१९६० को अधिकार प्राप्त किया गया था। भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर का अनुमान अभी भूमि अर्जन कलैक्टर द्वारा किया जाना है।

दिल्ली में भूमि अर्जन आदेशों के विरुद्ध अपीलें

†२५१५. { **श्री वाजपेयी :**
श्री आसर : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अर्जन आदेशों के विरुद्ध दिल्ली भूमि अर्जन कलैक्टर के कार्यालय में १९४८ से अब तक (वर्षवार) कितनी अपीलें की गयी हैं;

(ख) अभी तक कितनी अपीलों के निर्णय हो चुके हैं;

(ग) अपीलों के सैशंस कोर्ट में भेजने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) अपीलों पर शीघ्रता से निर्णय करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ की धारा १८ के अधीन मामले को न्यायालय को सौंपने के लिये १९४८-४९ से अब तक भूमि अधिग्रहण कलैक्टर के पास निम्न प्रकार आवेदन पत्र आये :

१९४८-४९	३
१९४९-५०	३१
१९५०-५१	३२
१९५१-५२	१२
१९५२-५३	१३
१९५३-५४	७
१९५४-५५	२३
१९५५-५६	२
१९५६-५७	६
१९५७-५८	२००
१९५८-५९	१७४
१९५९-६०	३१७
योग	८१५

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ८१५ आवेदन पत्रों में से २६५ को जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है, जिसमें से उसने १२३ मामलों का निबटारा कर दिया।

(ग) और (घ). १९५८–५९ और १९५९–६० में अनेक योजनाओं को लागू करने के लिये सरकार ने बड़े पैमाने पर भूमियों का अधिग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि में बहुत ज्यादा आवेदन पत्र आये। भूमि अधिग्रहण विभाग को अभी हाल में और मजबूत कर दिया गया है और लम्बित मामलों का शीघ्रता से निबटारा हो जायेगा।

दिल्ली स्कूल अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के माता-पिता की संस्था

†२५१६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्कूल अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के माता-पिता की एक संस्था बनाई गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कार्य है और सदस्यता शुल्क क्या है; और

(ग) किन-किन स्कूलों में ऐसी संस्था बन गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां, कुछ स्कूलों में।

(ख) और (ग). ऐसी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्कूल की उन्नति तथा विद्यार्थियों के कल्याण के लिये तथा विद्यार्थियों के हित के लिये स्कूल की गतिविधियों तथा समस्याओं पर विचार करने के लिये अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के माता-पिता के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित किया जाये। दिल्ली में किन-किन स्कूलों में ऐसी संस्थाएं बन गई हैं और उनका सदस्यता शुल्क क्या है, यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४९]।

दिल्ली छावनी में पुलिस का छापा

†२५१७. **श्री आसर : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पुलिस ने दिल्ली छावनी में सेना के एक पदाधिकारी के घर छापा मारा और वहां ग्रीनेड तथा कुछ पुराने तार उनके हाथ लगे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वे ग्रीनेड जम्मू काश्मीर से लाये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १८ अगस्त, १९६० को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली छावनी में सेना के एक नायक के घर की तलाशी ली। वहां कोई गैर-कानूनी चीज़ नहीं मिली।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां

†२५१८. **श्री ब० चं० कामले** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के आरम्भ से सरकारी उद्योग क्षेत्र में श्रेणी १, २ और ३ की सेवाओं में कुल कितनी नौकरियां उपलब्ध हुईं ;

(ख) योजना के आरम्भ से सरकारी उद्योग क्षेत्र की १, २ और ३ की श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोगों को नौकरियां दी गईं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है और सब विस्तृत जानकारी उपलब्ध करना सम्भव नहीं है । इसे एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा उतना इससे लाभ नहीं होगा ।

हिन्दी असिस्टेंट

२५१९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन हिन्दी असिस्टेंटों की पदावनति की गई है उनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने जून, १९५९ में हुई हिन्दी असिस्टेंटों की परीक्षा पास की थी; और

(ख) यदि हां, तो अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की पदावनति करने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). जून, १९५९ की हिन्दी सहायकों की परीक्षा में पास हुए ऐसे तीन उम्मीदवार, जो अस्थायी प्रबन्ध के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भाग लेने वाले दिल्ली में स्थित मन्त्रालयों/कार्यालयों में पहले नियुक्त किये गये थे, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई सूची में उच्चतर स्थान-प्राप्त उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के लिये पदावनत किये गये थे । इन तीन उम्मीदवारों की भी नागपुर स्थित गणन और निरीक्षण निदेशालय में हिन्दी सहायक के तौर पर नियुक्ति की गई थी, परन्तु उन्होंने उस नियुक्ति से इंकार कर दिया तथा यथा समय दिल्ली में स्थित मन्त्रालयों/कार्यालयों में ही हिन्दी सहायक के तौर पर नियुक्ति के लिये इच्छा प्रकट की । क्योंकि उस समय दिल्ली में रिक्तियां नहीं थीं, उन्हें उनके अपर डिवीजन/लोअर डिवीजन के मूल पद पर पदावनत कर दिया गया । दिल्ली में रिक्तियां प्राप्त होने पर उनकी हिन्दी सहायक के रूप में नियुक्ति पर यथावसर विचार किया जायगा ।

राजस्थान में जिप्सम के निक्षेप

†२५२०. **श्री चांडक** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के नागोर क्षेत्र में जिप्सम की खोज के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस क्षेत्र में पाये गये जिप्सम को सरकार कैसे प्रयोग करना चाहती है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) नागौर क्षेत्र में खुदाई द्वारा जिप्सम ढूंढने का कार्य जारी है । कुल १८,४३२ फुट के ४२ सुराख खोदे गये हैं । अब तक सतह के तले के प्राप्त किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि वहां जिप्सम की बहुत सी तहें हैं जिनमें से सबसे ऊंची तह में अलग अलग टुकड़ों में जिप्सम की एक गहरी तह है । उत्तर के खण्ड में जिप्सम की तह की मोटाई १३८'

†मूल अंग्रेजी में

९" से ३२७' तक है जबकि दक्षिण खण्ड में यह मोटाई २६' फुट से ४१ फुट तक है और यह तह सतह से ३६० से ३७९ फुट तक की गहराई पर मिलती है।

यदि यह मान लिया जाये कि जिप्सम की तहें प्रत्येक सुराख के आधे मील के घेरे में हैं और उनकी मोटाई एक समान है तो अब तक खोज किये गये क्षेत्र में लगभग ४९९० लाख टन जिप्सम मिलने की सम्भावना है।

(ख) इस विषय पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। जब तक दो खण्डों में मिली जिप्सम की मुख्य तहों की मात्रा, मोटाई और सिलसिले का निश्चय करने के लिये वर्तमान जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके प्रयोग की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

खेरी में तांबे के निक्षेप

†२५२१. **श्री चांडक :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में भारतीय खान विभाग ने खेतरी में जो खनन कार्य आरम्भ किया है उससे ताम्बे की खानों से कितना कच्चा ताम्बा प्रतिवर्ष निकाला जाता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** खेतरी में अभी तक खनन कार्य नियमित रूप से आरम्भ नहीं किया गया।

पाकिस्तान से वापस आये व्यक्ति

२५२४. **श्री सुरजू पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने १९४७ के पश्चात् अस्थायी तौर पर पाकिस्तान जाने का विकल्प किया था और अब वे लौट आये हैं और उन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिये केन्द्रीय राजस्व विभाग को आवेदन पत्र दिये हैं;

(ख) उक्त अवधि में उनमें से कितने व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया गया है; और

(ग) उनमें से कितने (जिलावार) अब भी बेरोजगार हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे जितनी जल्दी हो सका सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

स्टाक एक्सचेंज में सट्टा

†२५२५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टाक एक्सचेंजों में सट्टा सम्बन्धी वर्तमान जोश की रोक-थाम के लिये वित्त मंत्रालय और कम्पनी विधि विभाग के बीच बातचीत हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस का व्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख). संयुक्त स्कन्ध समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) स्थापित करने, उन के विस्तार और उनकी वित्त व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों तथा अंशों के व्यापार के विनियमन आदि अन्य सम्बंधित विषयों की जांच, दोनों वित्त तथा वाणिज्य मंत्रालय इकट्ठे कर रहे हैं। सरकार जब महत्वपूर्ण निर्णय करेगी तो बता दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के अध्यापक

२५२६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अध्यापकों को वह बकाया राशि दे दी गई है जो बढ़े हुए वेतनक्रम के लागू होने के कारण उन्हें देय थी ;

(ख) यदि नहीं, तो वह कब तक दी जायेगी ; और

(ग) अब तक बकाया राशि न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ग). वेतन मानों के संशोधन के कारण जो नये वेतन निर्धारित किये गये उनके पुरानी तिथि से लागू किये जाने के कारण जो बकाया राशि अध्यापकों को देनी थी वह और तो सारी दे दी गयी है पर केवल वे दावे बाकी रह गये हैं जो बहुत पुराने और अवधिवाधित हैं तथा जिनमें महालेखाकार के यहां जांच की जानी आवश्यक है।

(ख) दावों को यथा-शीघ्र निपटाने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किया जा रहा है ।

सोने की कोलार की खानें

†२५२७. **श्री सुगंधि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोने की कोलार की खानों के राष्ट्रीयकरण के पहले तीन वर्षों में उन खानों से कितने सोने का उत्पादन किया गया ;

(ख) इन खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन में प्रतिवर्ष कितने सोने का उत्पादन किया गया ;

(ग) क्या हाल के वर्षों में सोने के उत्पादन में कुछ कमी हुई है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों में इस उपक्रम को कितना वार्षिक लाभ हुआ ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क)**—

१९५४	२२०,३१३ औंस
१९५५	१९३,९६७ औंस
१९५६ (११ महीने)	१७७,७१५ औंस

(ख) २९-११-१९५६ से ३१-३-१९५८ (१६ महीने पहली गणना अवधि) . . . . . २१७,९३८ औंस

अप्रैल १९५८/मार्च १९५९	१५०,७८१ औंस
अप्रैल १९५९/मार्च १९६०	१५३,४४२ औंस

(ग) हां, श्रीमान् । इसका मुख्य कारण यह है कि खानों को अधिक देर तक चलाने के विचार से खनन की गई कच्ची धातु की औसत मात्रा में क्रमशः कमी कर दी गई थी किन्तु इस कारण सोने के उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिये तुलनात्मक दृष्टि से खनन का टन-भार बढ़ा दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक और कारण यह है कि मैसूर की खान में खनन के स्थानों में, विकास स्थल पर लाभदायक नई कच्ची धातु न उपलब्ध होने के कारण, कमी हो गई है ।

(घ) २९-११-१९५६ से ३१-३-१९५८ तक	. .	२७.४५ लाख रुपये
अप्रैल, १९५८ से मार्च, १९५९ तक	.	१२.३९ लाख रुपये
अप्रैल १९५९ से मार्च १९६० तक	.	वार्षिक लेखे अभी तैयार नहीं हुए ।

"एड इंडिया" क्लब की बैठक

†२५२८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ल्ड बैंक सितम्बर १९६० में पेरिस में 'एड इंडिया' क्लब की एक बैठक करवा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में सम्मिलित होने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम तथा पद क्या हैं ; और

(ग) बैठक में किन बातों पर चर्चा की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं जायेगा । किन्तु बैठक के दिनों में परामर्श के लिये भारत के आर्थिक कार्य के महा आयुक्त श्री बी० के० नेहरू पेरिस में होंगे ।

पूर्व यूरोप के देशों के साथ ऋण सम्बन्धी करार

†२५२९. **श्री खोनजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पूर्व यूरोप के देशों में ऋण सम्बन्धी कितने करार हुए और उन में कितनी-कितनी राशि का अधिकार दिया गया ; और

(ख) ये करार किन-किन परियोजनाओं के लिये हैं और ऋण लौटाने की क्या शर्तें हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण नीचे दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५०**) / इन सब ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज और मूल का भुगतान रुपयों में किया जाना है जिन्हें मुख्य-मुख्य देश भारतीय साधन खरीदने में प्रयोग करेंगे ।

अमरीकन ऋण की वस्तुएं

†२५३०. **श्री खीमजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी. एल. ४८० और पी० एल० ६६५ के अन्तर्गत अलग-अलग अमरीकन ऋण की वस्तुओं की बिक्री से भारतीय रुपयों में कुल कितनी निधि उपलब्ध हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत में इन निधियों के रुपये को कैसे प्रयोग किया जाता है ;

(ग) क्या इन निधियों के रुपये में से कुछ अंश सरकारी अथवा गैर-सरकारी अभिकरणों को देने के लिए उपलब्ध हैं ? और

(घ) यदि हां, तो अब तक किये गये इन के वितरण के ढंग का ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५१]।

औद्योगिक वित्त निगम

†**२५३१. श्री खीमजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने भारत में पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने वालों को विदेशी व्यापारियों से स्थगित भुगतान के आधार पर सौदे करने में सहायता देने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये हैं ;

(ख) किन-किन फर्मों को यह सहायता दी गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में कार्य को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). औद्योगिक वित्त निगम आयात-कर्त्ताओं को यह सहायता देती है कि वह स्थगित भुगतान की प्रत्याभूति दे देती है। जिन फर्मों को यह सहायता दी गई है उनके नाम संलग्न विवरण में बताये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

कोलम्बो योजना से सहायता

†**२५३३. श्री खीमजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो योजना पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से भारत को सहायता के रूप में अब तक कितनी-कितनी राशि मिली है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५३]।

कुरुक्षेत्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति

२५३४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जो व्यक्ति स्नातकोत्तर एम० ए० की परीक्षा पास करते हैं उन्हें किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण बहुत से छात्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रविष्ठ नहीं हो रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में पंजाब सरकार को कोई निदेश दिये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) केन्द्रीय सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय के खर्च के लिये अब तक यदि कोई धन दिया है तो वह कितना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) भारत के विश्वविद्यालय इस विषय में स्वायत्त हैं कि वे आपस में अन्य विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता दें या नहीं ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"चेना—बासव—नायक"

†२५३५. **श्री सुगन्धि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी के कन्नड मंत्रणा बोर्ड ने पुनः यह सिफारिश की है कि "चेना–बासव–नायक" पुस्तक का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या साहित्य अकादमी के कार्यपालिका बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया है और उन्होंने क्या निर्णय किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) मंत्रणा बोर्ड की फिर से की गई सिफारिश पर कार्यपालिका बोर्ड ने विचार नहीं किया है ।

कोल्हुओं पर उत्पादन शुल्क

†२५३६. **श्री सुगन्धि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ोदा (गुजरात राज्य) में जो "बेबी आयल एक्सपैलर" (छोटे कोल्हू) बनते हैं उन पर ही उत्पादन शुल्क रियायती दर से लिया जाता है जबकि हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में 'डूप्ले' आयल एक्सपेलर के नाम से जो 'बेबी आयल एक्सपैलर' (छोटे कोल्हू) बनते हैं उन पर उत्पादन शुल्क की दर बहुत अधिक है जबकि उन की उत्पादन क्षमता बड़ोदा बेबी एक्सपैलर से बहुत कम है ; और

(ख) वनस्पति तेल के उत्पादन पर किस आधार पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सभी प्रकार के अथवा विशेषकर उन वानस्पतिक निर्गन्ध तेलों पर, जो विद्युत् शक्ति के ज़रिये तैयार किये जाते हैं, उस अवस्था में जबकि किसी वित्तीय वर्ष की प्रथम अप्रैल को या उस के पश्चात् ७५ टन तेल को जो घरेलू इस्तेमाल के लिये बेचा गया उत्पादन शुल्क से मुक्त किया गया हो, ११२ रुपये प्रति टन के हिसाब से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देना पड़ता है

उक्त तेलों के उन उत्पादकों को जो या तो एक एक्सपैलर (जिसका एक चैम्बर जो ३३ इंच से अधिक लम्बा न हो और उस का आन्तरिक व्यास ७ इंच से अधिक न हो) अथवा घानी/कोल्हू/पिंटो/चेखू/रोटरियों जिन की संख्या १२ से अधिक न हो अथवा एक एक्सपैलर (जिसका

---

†मूल अंग्रेजी में

एक चैम्बर जो २७ इंच से अधिक लम्बा न हो और आन्तरिक व्यास ५ इंच से अधिक न हो) और घानी/कोल्हू/पिंटों/चेखू/रोटरियों जिन की संख्या २ से अधिक न हो, से काम लेते हैं उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य करने का विकल्प दिया गया है जिसे "कम्पाऊंडिड लैवी स्कीम" कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक उपकरण की उत्पादन क्षमता को देखते हुए उत्पादन शुल्क की अलग-अलग दर नियत की गई है।

प्रादेशिक सेना के सैनिकों को कमीशन

२५३७. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रादेशिक सेना के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हों ने सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है, परन्तु जिन्हें अब तक कमीशन नहीं दिया गया है और जिन की सूची प्रादेशिक सेना के निदेशालय में है;

(ख) इन में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हों ने प्रादेशिक सेना के किसी पद पर काम करते हुए सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा पास की है और इस नाते वे विभागीय उम्मीदवार होने का दावा करते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना में नियुक्तियां करते समय परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति के नागरिक जीवन में स्थान को ध्यान में रखा जाता है;

(घ) क्या विभागीय उम्मीदवारों के लिये भी यह शर्त लागू होती है जबकि सरकार की घोषित नीति के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये कुछ प्रतिशत स्थान रक्षित रखे जाने चाहियें और उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये; और

(ङ) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर नकारात्मक हों, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेगी?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णमेनन)**: (क) सूचना, शायद, न केवल प्रादेशिक सेना के, उन व्यक्तियों के बारे में दरकार है, जिन्हों ने सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा पास की है, बल्कि दूसरों के बारे में भी। सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, चुने गये ६७ उम्मीदवारों को, कमिशन न दिये जाने का बड़ा कारण यह था, कि प्रादेशिक सेना में, जिस के लिये वह योग्य थे, रिक्त स्थान प्राप्य न थे। इन में से ५१ तो १९५७ में चुने गये थे, और शेष १६ हाल ही में। साधारण तौर पर, सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चुने जाने के पश्चात्, एक वर्ष के अन्दर अन्दर चुने गये उम्मीदवारों को, स्थानाभाव अथवा दूसरे कारणों-वश, जैसेकि मेडिकल कारणोंवश, अयोग्यता आदि, यदि कमिशन नहीं दिया जा सकता, तो उन्हें सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्ड के सामने दुबारा जाना पड़ता है। इन ५१ उम्मीदवारों को, दुबारा सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्ड के सामने भेजने के स्थान, उन के मामलों का, एक तदर्थ बोर्ड द्वारा पुनर्निरीक्षण किया गया। इन में से एक उम्मीदवार को अब तक कमिशन दिया जा चुका है, और शेष के बारे में, बोर्ड की सिफारिशें विचार अधीन हैं। कमिशन दिये जाने के लिये, हाल में चुने गये, १६ उम्मीदवारों के मामले का भी निरीक्षण हो रहा है।

(ख) भाग (क) में ऊपर दी गई कुल संख्या में से, ५ उम्मीदवार, इस समय, प्रादेशिक सेना में अन्य नियुक्तियों पर काम कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रादेशिक सेना में, किसी उम्मीदवार को कमिशन देने के लिये, उस की उपयोगिता आंकने के लिये, जो बात मुख्यतः ध्यान में लाई जाती है, वह है, अपने साथी आफिसरों, और जवानों का, जिन का उसे कमान करना होगा, विश्वास और सम्मान पाने की योग्यता ।

(घ) जो बात भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित की गई है, वह विभागीय उम्मीदवारों पर भी बराबर लागू होती है । विभागीय उम्मीदवारों को प्रादेशिक सेना में कमिशन देने के लिये, स्थानों की सुरक्षा, अथवा किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती ।

(ङ) यदि चुनाव का मानदंड, योग्यता को ही माना जाना है, तो वर्तमान नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं ।

प्रादेशिक सेना के कमांडिंग अफसर

२५३८. श्री भक्त दर्शन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रादेशिक सेना के कमांडिंग अफसरों का कार्यकाल चार वर्ष होता है ;

(ख) दिल्ली में प्रादेशिक सेना के ऐसे कितने कमांडिंग अफसर हैं जो अपना पाठ्यक्रम पूरा करने और विदेश सेवा पर जाने के बाद इन पदों पर चार वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) उन के दिल्ली में नियमों के विरुद्ध चार वर्ष से अधिक कार्य करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) प्रादेशिक सेना की स्थायी यूनिटों में, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के, स्थायी सैनिक आफिसरों की, कमांडिंग आफिसर के तौर पर नियुक्ति की अवधि ४ वर्ष है । प्रादेशिक सेना के आफिसरों की सूरत में यह अवधि ६ वर्ष तक भी बढ़ाई जा सकती है । मेजर, और उस से कम पद के स्थायी सैनिक आफिसरों की, कमांडिंग आफिसर के तौर पर नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष है, जो प्रादेशिक सेना के आफिसर की सूरत में ५ साल तक बढ़ाई जा सकती है ।

(ख) प्रादेशिक सेना की दिल्ली की किसी भी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर, इस नियुक्ति पर चार वर्ष से अधिक नहीं रहा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

'श्रमजीवी महिला होस्टल', कर्जन रोड, नई दिल्ली

†२५३९. श्री अ० क० गोपालन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चय किया गया है कि श्रमजीवी महिला होस्टल, कर्जन रोड, नई दिल्ली का प्रबन्ध केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अथवा किसी अन्य संस्था को सौंप दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कल्याण केन्द्र में दस्तकारी के अध्यापक

†२५४०. **श्री अमजद अली : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी परिवार कल्याण संस्था (गृह कल्याण केन्द्र) संघ के अन्तर्गत नये केन्द्र खोल रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह संघ दस्तकारी के अध्यापकों की नियुक्तियां किन शर्तों पर कर रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दस्तकारी के अध्यापकों के कोई निश्चित वेतनक्रम नहीं हैं और उन्हें ६० रुपये से ९० रुपये तक मासिक वेतन मिलता है जोकि बहुत कम है;

(घ) क्या इन दस्तकारी के अध्यापकों के लिये नियमित वेतनक्रम निर्धारित करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये वेतनक्रम कब से लागू किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कोई निश्चित वेतनक्रम नहीं है । आरम्भ में शिक्षक को ६० रुपये मानदेय मिलता है और परीक्षण काल समाप्त करने के पश्चात् जब उसे केन्द्र में लगाया जाता है तब काम को देखते हुए उस को जो मानदेय दिया जाता है वह ६० रुपये और ९० रुपये के बीच होता है । वर्ष में १२ दिन का आकस्मिक अवकाश और १५ दिन का साधारण अवकाश मिलता है । केन्द्रों में सप्ताह में ५ दिन काम होता है और काम का समय ११ बजे प्रातः से ४·३० सायं तक होता है जिस में आधे घंटे की छुट्टी होती है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुरातत्वीय महत्व की मूर्तियां

†२५४१. **श्री प्र० के० देव:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामी प्राणवन्दा ने उत्तर प्रदेश के कुमाऊं डिवीज़न में मूर्त्तियों का सर्वेक्षण किया और उन की एक सूची उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक-कार्य विभाग और भारत सरकार को एक सूची दी;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये मूर्तियां पुरातत्व की दृष्टि से रोचक और राष्ट्रीय महत्व की हैं ; और

(घ) उन के परिरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली ।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में चोरियां

†२५४२. **श्री प्र० के० देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चोरियों की संख्या बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, इन बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). १ जनवरी, १९६० से अगस्त, १९६० तक चोरी के ७८४ मामलों की रिपोर्टें मिलीं जबकि इस से पहले वर्ष की इसी अवधि में ७७९ चोरियां हुई थीं। ५ की वृद्धि साधारण बात है। पुलिस पैदल, साइकलों पर और मोटर-गाड़ियों में गश्त करती है और पूर्ण सतर्कता से काम हो रहा है।

नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी स्कूल

†२५४४. **श्री राम शरण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी स्कूल खोलने की योजना कार्यान्वित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ऐसे स्कूल खोले गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार नगरीय क्षेत्रों में गैर बुनियादी स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) यह योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना से राज्यों में लागू है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार खोले गये स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है इसलिये यह सम्भव नहीं की उन स्थानों के नामों की सूची तैयार की जाये जहां स्कूल खोले गये हैं। इसपर जितना समय और धन खर्च होगा उसके अनुसार उससे लाभ नहीं होगा।

(ग) जी हां। वस्तुतः धीरे-धीरे यह काम किया जा रहा है।

इस्पात की रोलिंग और रिरोलिंग मिलें

†२५४५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की (छोटे पैमाने की) रोलिंग और रिरोलिंग मिलों की स्थापना करने के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है ;

(ख) देश के अलग अलग राज्यों की इस्पात की रोलिंग मिलों का विवरण क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन छोटे पैमाने के उद्योगों को चलाने वालों को इस्पात के कोटे ठीक ढंग से नहीं दिये जाते ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और क्या निकट भविष्य में स्थिति में सुधार होने की कोई सम्भावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) इस वर्ष अप्रैल से लोहा और इस्पात नियन्त्रण आदेश के अधीन ऐसी छोटी रिरोलिंग मिलें लगाने और चलाने के लिये सामान्य

†मूल अंग्रेजी में

अनुमति दे दी गयी है जिनमें ५० से कम मजदूर काम करते हों। इन मिलों की स्थापना के लिये शर्त यह है कि इनके लिये कुछ भी उपकरण आयात नहीं किये जायेंगे और कच्चे माल के रूप में केवल स्थानीय रूप से उपलब्ध कबाड़ का ही उपयोग किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राज्यों में सरकारी मान्यता प्राप्त रिरोलिंग मिलों की संख्या इस प्रकार है :

आन्ध्र	१
आसाम	२
बिहार	३
महाराष्ट्र	१४
गुजरात	५
दिल्ली	८
जम्मू तथा कश्मीर	१
मद्रास और पांडिचेरी	२
केरल	१
उड़ीसा	१
पंजाब	७१
राजस्थान	६
मध्य प्रदेश	५
उत्तर प्रदेश	२८
पश्चिम बंगाल	२८

आम छूट देने के बाद से लगायी गयी छोटी रिरोलिंग मिलों की संख्या के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). आम तौर पर छोटी रिरोलिंग मिलों को कच्चे माल, अर्थात् नियन्त्रित स्रोतों से कबाड़ अथवा छड़ों का आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होता है। उनसे यह आशा की जाती है कि वह स्थानीय कबाड़ का उपयोग करेंगी। लेकिन क्योंकि छड़ें अपेक्षाकृत रूप से आसानी से मिल जाती हैं इसलिये अस्थायी रूप से उनमें से थोड़ी सी छोटी मिलों के लिये अलग कर दी गयी हैं।

विश्वविद्यालयों में मुद्रणालय

†२५४६. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यायों में से किसी ने अपने यहां मुद्रणालय की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). इलाहाबाद, अलीगढ़, गौहाटी, जादवपुर विश्वविद्यालयों और सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ ने मुद्रणालय लगाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता मांगी थी।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) आयोग ने अब तक चार विश्वविद्यालयों की योजनाओं का अनुमोदन किया है जो इस प्रकार है :—

विश्वविद्यालय	अनुमोदित लागत (अनावर्त्तक) रुपये
१. इलाहाबाद	४,८६,०००
२. अलीगढ़	१,८१,०००
३. जादवपुर	१,८१,०००
४. सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ	१,८१,०००

विद्युत निरोध और शीत कोठार सम्बन्धी अनुसंधान

२५४७. श्री खुशवक्त राय : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ में विद्युत् निरोध और शीत कोठार (इन्सूलेशन एण्ड कोल्ड स्टोरेज) अनुसन्धान योजा आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुसन्धान कार्य में कोई सफलता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) ठंडे कमरों के लिये भारत में मिलने वाले इन्सुलेशन पर अनुसन्धान करने के लिये सी० एस० आई० आर० ने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज के प्रोफेसर आर० एन० मेहरा को सहायता अनुदान दिया है ।

(ख) अनुसन्धान जारी है ।

(ग) जब काम पूरा हो जायेगा, उसके नतीजे का मूल्यांकन होग ।

दिल्ली के संध्याकालीन कालेजों में भर्ती

†२५४८. **श्री नेकराम नेगी :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्य **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा क`गे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय दूसरे वर्ष के बी० ए० के छात्रों (जिन्होंने इस वर्ष इण्टर की परीक्षा पास की है) सन्ध्याकालीन दयाल सिंह कैम्प कालेज और चित्रगुप्त रोड रोड पर स्थित डी० ए० वी० कालेज में भर्ती की व्यवस्था कराने में असफल रहा है;

(ख) दूसरे वर्ष की बी० ए० कक्षा में भर्ती के लिये शाम के इन दोनों कालेजों में से प्रत्येक में अब तक कुल कितनी-कितनी अर्जियां आई हैं;

(ग) उपर्युक्त दोनों सन्ध्याकालीन कालेजों ने कुल कितने छात्र भर्ती किये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पंजाब विश्वविद्यालय सभी विद्यार्थियों को भर्ती कर लेने के लिये राजी है लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना; और

(ङ) यदि हां, तो बचे हुए विद्यार्थियों की भर्ती के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के डिग्री कोर्स की दूसरे वर्ष की कक्षा में आम तौर पर सीधी भर्ती नहीं की जाती। केवल अपवादस्वरूप विश्वविद्यालय की शिक्षा-परिषद् के अनुमोदन से इस प्रकार की भर्तियां की जाती हैं। फिर भी, शाम के चारों कालेजों में अतिरिक्त सेक्शन खोल कर जहां भी सम्भव हुआ है इस प्रकार के विद्यार्थियों की भर्ती की पूरी कोशिश की गयी है।

(ख) और (ग)

	आवेदन करने वालों की कुल संख्या	भर्ती किये जाने वालों की कुल संख्या
दयालसिंह कालेज	६८५	१२०
पी० जी० डी० ए० वी० कालेज . .	८०	२२

(घ) क्योंकि सरकार पंजाब विश्वविद्यालय के कैम्प कालेज को क्रमशः बन्द करने का निर्णय कर चुकी थी इसलिये अब उस निर्णय के विपरीत काम करना उचित नहीं समझा गया। पंजाब विश्वविद्यालय से रस्मी तौर पर तो कोई प्रस्ताव किया ही नहीं गया था इसलिये भर्ती की व्यवस्था करने के लिये उस विश्वविद्यालय के राजी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।

(ङ) देशबन्धु कालेज (शाम के) में भर्ती के लिये अर्जियां देने वाले १४६ विद्यार्थियों में से १०५ को भर्ती कर लिया गया है और दिल्ली कालेज (शाम के) में भर्ती के लिये जिन ६७ विद्यार्थियों ने अर्जियां दीं थीं उनमें से भी ५० को भर्ती कर लिया गया है। भाग (क) के उत्तर में दिये गये स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी पात्र विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सका।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये यूनस्को की सहायता

†२५४९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये यूनेस्को भारत को कुछ सहायता देगा;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका उपयोग किन-किन परियोजनाओं में किया जायगा?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सम्भव है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिये यूनेस्को भारत को कुछ सहायता देगा।

(ख) और (ग). अभी यह तक यह निश्चय नहीं हुआ है कि इस सहायता का ब्यौरा क्या होगा और किस प्रकार की परियोजनाओं को सहायता दी जायगी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये यूनस्को की सहायता

†२५५०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये अब तक यूनेस्को से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) यह राशि किन-किन परियोजनाओं के लिये मिली थी?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३६,८४,२८८ डालर।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन परियोजनाओं के लिये यह सहायता मिली थी। उनका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५४]**

नागाओं द्वारा सम्पत्ति की लूट

†२५५१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सैनिक वर्दीधारी १० सशस्त्र नागाओं ने सोमवार २९–३० अगस्त, १९६० की रात को इम्फाल-दीमापुर रोड के मऊ-दीमापुर सेक्शन पर तग्रोबी में स्थित तीन दूकानों और ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर के मकान को लूट लिया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** बताया जाता है कि २९ अगस्त, १९६० की रात को करीब ११–३० बजे जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहने लगभग १० हथियार बन्द नागाओं ने तग्रोबी गांव में, जो मऊ के पुलिस थाने से लगभग ४ मील की दूरी पर स्थित है, तीन दूकानों और ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर के मकान को लूट लिया। तीनों दूकानों से लगभग १०३० रुपये की लेखन-सामग्री, कपड़े, घड़ियां आदि और ब्लाक डेवलपमेंट आफ़िसर के मकान से लगभग ६७३ रुपये की नक़दी और कपड़े ले जाये गये। मऊ पुलिस थाने में मुक़दमे दर्ज कर लिये गये हैं और छानबीन की जा रही है।

उड़ीसा में बाढ़

†२५५२. **श्री प्र० के० देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में तात्कालिक सहायता कार्य और दीर्घकालीन बाढ़-सुरक्षा कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार से ६२ करोड़ रुपये की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिये उड़ीसा सरकार ने ५०५ लाख रुपये का अनुदान मांगा है।

(ख) मांगी गयी रकम का अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :—

(१)	अनाहृत सहायता . . .	५० लाख
(२)	पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों और तटबन्धों की मरम्मत .	२७० लाख
(३)	माल-विभाग की सड़कों तटबन्धों और इमारतों की मरम्मत	२५ लाख
(४)	गैर-कृषकों को पुनर्वास अनुदान	५ लाख
(५)	चारे और पशु- न की सहायता	५ लाख
(६)	गांवों के स्कूलों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण	५ लाख
(७)	गृह-निर्माण अनुदान	१०० लाख
(८)	पीने के पानी का सम्भरण	२० लाख
(९)	चावल की राज-सहायता से बिक्री	२५ लाख
		५०५ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उड़ीसा में बाढ़ सहायता का खर्च पूरा करने के लिये २०० लाख रुपये की राशि (१०० लाख रुपये अर्थोपाय पेशगी के रूप में १०० लाख रुपये ऋण स्वरूप) मंजूर की गयी है।

नई दिल्ली का श्रमजीवी महिला होस्टल

†२५५३. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली की कर्जन रोड पर स्थित श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल में कमरों का किराया बढ़ा देने का निश्चय किया गया है :

(ख) यदि हां, तो किराये के मौजूदा क्रम और नये क्रम का व्यौरा क्या है;

(ग) क्या होस्टल में रहने वाली लड़कियों ने किराये में इस वृद्धि का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी शिकायतों पर विचार किया है; और

(ङ) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) नयी दिल्ली की कर्जन रोड पर स्थित श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल में रहने वाली लड़कियां कमरे का कुछ भी किराया नहीं देतीं। इसलिये किराये का कोई मौजूदा क्रम नहीं है; न उसे बढ़ाने का ही कोई सवाल है।

(ग) से (ङ). होस्टल में रहने वाली लड़कियों को दिये जाने वाले स्थान के लिये कुछ किराया वसूल करने का प्रश्न विचाराधीन है। होस्टल में रहने वाली लड़कियों ने इसका विरोध किया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१ के उत्तर की शुद्धि

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : दिनांक १६-८-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१ के भाग (ग) के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

> अपराधियों के खिलाफ़ मुक़दमा सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में फ़ाइल किया गया है और पहली सुनवाई ६ अगस्त, १९६० को हुई थी, जिस दिन दोनों अभियुक्त अदालत में पेश हुए थे। अगली सुनवाई १९ तारीख़ को होगी।

स्थगन प्रस्ताव

कोयला खान श्रमिक पंचाट की तथाकथित अकार्यान्विति

†**अध्यक्ष महोदय**: मेरे पास कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है। यदि यह इस सत्र का अन्तिम दिन न होता तो मैं उनका उल्लेख न करता। उनमें से पहला स्थगन प्रस्ताव संख्या ६७ श्री बि० दास गुप्त का है। उसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा वेतन सम्बन्धी कोयला खान श्रमिक पंचाट को कार्यान्वित न करने के कारण डाबर कोयला खान, आसनसोल में मालिकों और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अध्यक्ष महोदय]

मजदूरों के बीच बड़े पैमाने पर टक्करें हुईं, जिन के फलस्वरूप चार मजदूर जान से मारे गये और २६ घायल हुए। क्या इस घटना का कारण पंचाट की अकार्यान्विति ही थी? घटना कब हुई?

†**श्री वि० दास० गुप्त** (पुरुलिया): ७ तारीख को। मेरे पास उस कोयला खान के सम्बन्धित संघों की ओर से तार आये हैं। समाचारपत्रों की खबरों के अलावा, मेरे पास और भी रिपोर्टें हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: विधि और व्यवस्था का विषय राज्य के अधीन है। उसे यहां नहीं उठाया जा सकता। मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या पंचाट की अकार्यान्विति ही उस टक्कर का मूल कारण बनी थी?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिलने के बाद से अब तक के इस थोड़े से समय में मैंने जांच कराई है। जो भी हुआ, वह सचमुच एक दुःखपूर्ण घटना थी; पर वेतन सम्बन्धी पंचाट से उसका कोई ताल्लुक नहीं था।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर): सरकार ने छैः महीने तक कुछ नहीं किया। उन मामलों को भी यदि किसी मध्यस्थ को सौंप दिया जाता, तो ऐसी घटना न होती। संघ ने इन विवादों की सूचना श्रम आयुक्त को फरवरी में दे दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं माननीय मंत्री से इस मामले में और आगे देखने के लिये अनुरोध करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने लोगों की जान चली गई। लेकिन यह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। मैं मंत्री महोदय से सिर्फ अपील कर सकता हूं।

†**श्री नन्दा**: दोनों ही पक्षों की हानि हुई है। मालिकों की तरफ के भी कुछ व्यक्ति मारे गये हैं। मुझे सूचना मिली है कि पंचाट से उस घटना का कोई सम्बन्ध नहीं था।

उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन

अध्यक्ष महोदय: दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री वाजपेयी का है कई राज्यों द्वारा उर्वरकों के तस्कर-व्यापार की हिमायत करने के बारे में। इसके बारे में स्थिति क्या है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: माननीय सदस्य ने यह समाचार '**टाइम्स आफ इंडिया न्यूज सर्विस**', लखनऊ से लिया है। मैंने यह समाचार पढ़ा है। उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा है कि कुछ राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश से उर्वरक लेना चाहती हैं, हालांकि वह गैर-कानूनी है। मैंने अभी इसका सत्यापन नहीं कराया, क्योंकि बात गलत है। मैं नहीं समझता कि कोई भी जिम्मेदार मंत्री ऐसा वक्तव्य दे सकता है कि सरकार खुद उर्वरकों को काले बाजार में भेजने के लिये प्रयत्नशील है। हां, इतनी बात जरूर कुछ हद तक सच है कि उर्वरक काले बाजार में पहुंचते हैं। हम उसे बन्द करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच यह रहे थे कि यह कैसे किया जाये; उर्वरकों के अन्तर्राज्यीय वहन पर किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये या नहीं। तभी मद्रास सरकार ने सुझाव दिया कि अन्तर्राज्यीय ही नहीं, उर्वरकों को एक से दूसरे जिले में लाने-ले जाने पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिये। हम इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं। मद्रास सरकार का भय भी बड़ा स्वाभाविक सा है कि यदि किसी एक जिले को अधिक उर्वरक दिये जायें, तो वे दूसरे जिले मे पहुंच सकते हैं। इसलिये अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। निर्णय होने वाला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : २० अगस्त को उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर एमोनियम सलफेट की २०३९ बोरियां पकड़ी गईं थीं, जो मद्रास भेजी जा रही थीं। मद्रास में उर्वरकों की कमी मालूम पड़ती है। क्या सरकार मद्रास को अधिक उर्वरक नहीं दे सकती ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह भी उसी समाचार का अंश है। लेकिन इस सरकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं। मैंने अभी बताया है कि हम सोच रहे हैं कि हम राज्य सरकारों को इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये प्राधिकृत करें, या नहीं। हम इसके लिये तैयार थे, लेकिन तभी मद्रास सरकार की ओर से यह सुझाव आ गया। हम भी सोच रहे हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में उर्वरकों के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाना शायद ठीक ही रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ने वैसा वक्तव्य नहीं दिया होगा।

मैं इन दोनों में से किसी भी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

†**अध्यक्ष महोदय** : तीसरा स्थगन प्रस्ताव श्री स० मो० बनर्जी का है। उसमें कहा गया है कि स्थानीय अधिकारी उच्चाधिकारियों द्वारा भेजे गये अनुदेशों की भावना का अनुसरण न करके हजारों हड़ताली केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा से निकालने, सजा दिलाने या मुअत्तिल करने में लगे हैं। इसलिये केन्द्र का अविलम्बनीय हस्तक्षेप आवश्यक है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अनुदेश दिये थे और क्या स्थानीय अधिकारी सरकार के अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** अनुदेश दे दये गये हैं। तीन दिन पहले एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह सारी सूचना दी जा चुकी है। जिन सिद्धान्तों को सामने रख कर कार्यवाही की जानी चाहिये, वे भी बताये गये थे और उसमें आंकड़े भी दिये गये थे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और श्रम मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि सख्त कार्यवाही नहीं की जायेगी। लेकिन फिर भी मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मुकदमे वापस नहीं लिये जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारी उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं यही आश्वासन चाहता हूं कि उन कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा और सजा नहीं दिलाई जायेगी।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : ठीक से पेश न आने के अपराध में, बिना जांच पड़ताल के, लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव में मुख्य प्रश्न यह रखा गया है कि स्थानीय अधिकारी केन्द्र के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इसका व्यौरा दिया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि अब यदि उनका ध्यान कुछ खास उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जायेगा, तो वह अवश्य उसकी जांच करेंगे। इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**श्री तंगामणि** : लेकिन आदेश में रूपभेद किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न स्थगन प्रस्ताव के जरिये नहीं उठाया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : आज सत्र का अन्तिम दिन होने के कारण मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये एक अल्प सूचना प्रश्न भेजा था, जिसके बारे में मुझे अभी कोई खबर नहीं मिली है । यह प्रश्न अखबारों में छपने वाले कुछ समाचारों के बारे में था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आज हमारे लिये काम बहुत है । माननीय सदस्य कल बैठक नहीं चाहते हैं इसलिए आवश्यक है कि आज सरकारी कार्य समाप्त कर दिया जाये । एक विधेयक विचाराधीन है, उसे खत्म करना होगा । फिर गैर-सरकारी कार्य भी है । यदि इन सब मामलों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाया जायेगा तो वह ज़रूर इनको देखेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

फरीदाबाद विकास निगम अधिनियम को लागू न करने के बारे में वक्तव्य

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** मैं फरीदाबाद विकास निगम अधिनियम, १९५६ को लागू न करने के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–२३६७/६०]

मझले पत्तन विकास समिति का प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** मैं मझले पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–२३६८/६०]

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) इंजीनियर्स स्टील फाइल्स उद्योग को प्रदत्त संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(ख) दिनांक ७ सितम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या १८(२)–टी० आर०/६० ।

(ग) दिनांक ७ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या १८(२)–टी० आर०/६०

(घ) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में दी गई अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी, इस के कारण बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–२३६९/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : मैं श्री सु० कु० डे की ओर से कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २९ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी–२३७०/६०]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम' केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं डा० बे० गोपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(१) समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८६।

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८७।

(३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८९, जिस में दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६८६ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल टी २३७१/६०, २३७२/६० तथा २३७३/६०]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम तथा चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (मैं निम्न पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९९७।

(ख) दिल्ली गेहूं तथा गेहूं की चीजें (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९९९।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा से पार लाने ले जानें पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १०२९ ।

(७) चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत चावल कूटने का उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंसिंग) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२८ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल टी २३७४/६० और २३७५/६०]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही–सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की ग्यारहवें सत्र में हुई (छियासठवीं से इकहत्तरवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

कार्यवाही–सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की ग्यारहवें सत्र में हुई (सत्ताईसवीं और अट्ठाइसवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही–सारांश

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की ग्यारहवें सत्र में हुई इक्कीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति

कार्यवाही—सारांश

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति की ग्यारहवें सत्र में हुई (पैंतालीसवीं से सैंतालीसवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाभ पद संबंधी संयुक्त समिति

कार्य-वाही—सारांश

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं लाभपद संबंधी संयुक्त समिति की (सातवीं से तेरहवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

नवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

याचिका समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

दूसरा प्रतिवेदन

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं लाभपद संबंधी संयुक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छंटनी

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> 'पुनर्वास वित्त प्रशासन के बन्द होने के परिणामस्वरूप २५० कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी ।'

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५५]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : आज ध्यान दिलाने के बारे में पांच नोटिस और हैं। नियम १९७ (३) के अन्तर्गत एक दिन में ऐसा एक ही विषय सभा में उठाया जा सकता है। परन्तु आज सत्र का अन्तिम दिन होने के कारण अन्य नोटिसों को भी कार्यसूची में रख दिया गया है। इन के बारे में वक्तव्य संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा-पटल पर रख दिये जायें।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अधीन, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के नम्न विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के संबंध में एक वक्तव्य दें :–

> "केन्द्रीय सरकार के शेष कर्मचारियों के संशोधित वेतन-क्रमों को निश्चित करना और केन्द्रीय सरकार के लगभग सभी उपक्रमों में कर्मचारियों के नये वेतन-क्रमों का लागू न किया जाना।"

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं सभा-पटल पर एक वक्तव्य रखता हूं।

वक्तव्य

२ अगस्त, १९६० की अधिसूचना जारी करने के बाद, ३१ अगस्त, १९६० को एक और अधिसूचना जारी की गई है, जिस में ४ मंत्रालयों/विभागों के अर्न्तगत बहुत से पदों को शामिल किया गया है। अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है।

२. प्रतिरक्षा सेवायें प्राक्कलन की ओर से जिन असैनिक कर्मचारियों को वेतन मिलते हैं, उन के सम्बन्ध में एक अधिसूचना एक सप्ताह के अन्दर जारी होने की आशा है, उस में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकांश असैनिक कर्मचारियों के वेतन-क्रम सम्मिलित होंगे।

३. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के शेष कर्मचारियों के वेतन-क्रमों की जांच चल रही है और उस में काफी प्रगति हो रही है। कुछ और मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक और अधिसूचना दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर जारी हो जायेगी। आशा है कि अगले कुछ ही महीनों में यह सारा काम पूरा हो जायेगा, केवल कुछ ही अलग-अलग पदों या पद-समूहों को छोड़ कर।

४. सूचना के दूसरे भाग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि नये वेतन-क्रमों की कार्यान्विति में वेतन-क्रमों को अन्तिम रूप देना और बकाया राशि का भुगतान करना शामिल है। नये वेतन-क्रमों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सरकार के असैनिक विभागों के अन्तर्गत बड़े-बड़े औद्योगिक उपक्रमों से सम्बन्धित नये वेतन-क्रमों की घोषणा तो की जा चुकी है। उस में रेलवेज़ शामिल हैं। हां, सरकारी क्षेत्र के समवाय उस में शामिल नहीं हैं। मैंने १५ फरवरी, १९६० को लोक-सभा में अपने एक भाषण में इन समवायों के बारे में स्पष्ट कहा था कि न तो यह सम्भव है और न सरकार चाहती ही है कि अपने अधीन इन समवायों और स्वायत्त संगठनों से भी वे ही वेतनक्रम और भत्ते और सेवा की शर्तें लागू करने के लिये कहे जो वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में किये गये निर्णयों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. बकाया राशि का भुगतान तो तभी किया जा सकेगा जब कर्मचारी लोग अपनी पसंद बतायें कि वे नये वेतन-क्रम चाहते हैं या पहले के। इसके लिये चार महीने का समय दिया गया है। भुगतान में विलम्ब न होने देने के विचार से पुनरीक्षित वेतन निर्धारण दावों की पूर्व लेखा-परीक्षा की व्यवस्था हटा दी गई है और अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि दावों को अन्तिम रूप देने और उनकी अदायगी का काम व्यक्तिगत कर्मचारियों की पसंद के बारे में सूचना मिलने के बाद यथा शीघ्र किया जाये। सभी कर्मचारियों का उत्तर आने तक इस काम को टाला न जाये।

मैसूर मे दुर्भिक्ष की स्थिति

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"मैसूर के कुछ जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति और सहायता के प्रस्तावित उपाय"

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५६]

पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण

†**श्री प्र० गं० देव** (अंगुल) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"पंजाब सरकार द्वारा खुले बाजार से गेहूं खरीदे जाने का समाचार और पंजाब की आटा मिलों के, अधिक मूल्य पर गेहूं मिलने के कारण, बन्द हो जाने की आशंका।"

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री :(श्री स० का० पाटिल)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५७]

गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची

†**श्री खुशवक्त राम** (खेरी) : नियम १९७ के अन्तर्गत में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से संबंधित अनुसूची के प्रकाशन में विलम्ब।"

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

लखनऊ की छतर मंजिल महल में दरारें

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"लखनऊ की छतर मंजिल में दरारें आ जाने का समाचार और वहां से केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था को हटाने के लिये किये गये उपाय ।"

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५९]

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं, २० अगस्त, १९६० को आस्ट्रेलिया से घोड़ों का आयात करने के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ पर श्री जयपाल सिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को ठीक करने वाला एक वक्तव्य, सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

आस्ट्रेलिया से घोड़ों का आयात करने के बारे में २० अगस्त, १९६० को जो तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ लोक सभा में पूछा गया था उस पर एक अनुपूरक प्रश्न श्री जयपाल सिंह ने पूछा था । उस सम्बन्ध में मेरे साथी सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया ने बताया था कि उन १४ घोड़ों के बारे में जिन्हें कि अस्वीकृत कर दिया गया था सरकार से अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहलवाया है । वास्तविक तथ्यों के बारे में अब सुनिश्चियन कर लिया गया है जो निम्न है :—

सरकार ने, मैसर्स होरे मिलर एन्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को जो कि आस्ट्रेलिया के संभरणकर्ता की ओर से काम कर रहे थे, सूचना दे दी थी कि भारतीय आयात विनियमों के अनुसार इन अस्वीकृत घोड़ों का संभरणकर्ता ही जो चाहे करे और इस मामले में जो हानि होगी उसके जिम्मेदार वे स्वयं ही होंगे और आवश्यकता पड़ने पर यदि फिर से उनको जहाज़ द्वारा भेजना हो तो उसका खर्चा भी वे स्वयं ही उठायेंगे । इस के बाद मैसर्ज होरे मिलर एन्ड कम्पनी ने आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के नाम आवेदन पत्र लिखकर प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास उसे भेजा जिसमें उससे उन अस्वीकृत घोड़ों को भारत में ही बेचने की अनुमति मांगी थी और प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्रार्थना की थी कि आवेदन पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है उनको वह प्रमाणित कर दे । काफ़ी जांच पड़ताल के बाद मैसर्स होरे मिलर एन्ड कम्पनी को सूचना दे दी गई कि वे आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक नई दिल्ली को सीधे आवेदन पत्र भेजें और यदि संयुक्त मुख्य नियंत्रक यह आवश्यक समझेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा आवेदन पत्र में लिखे गये तथ्यों को प्रमाणित कराया जाये तो वह उस आवेदन पत्र को प्रतिरक्षा मंत्रालय भेज देंगे और यह मंत्रालय अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन तथ्यों के बारे में सूचना दे देगा । आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक नई दिल्ली से यह आवेदन पत्र अभी तक मंत्रालय के पास नहीं आया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** म प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

जैसा कि सभा को ज्ञात है, इस समिति की नियुक्ति जून १९५८ में श्री महावीर त्यागी, संसद सदस्य की अध्यक्षता में की गई थी । इस समिति से कहा गया था कि वह करापवंचन खत्म करने तथा करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को दूर करने की समस्याओं पर समुचित ध्यान देते हुए प्रत्यक्ष कराधान की एकीकृत योजना को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक प्रशासकीय संगठन तथा प्रक्रिया लागू करने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श दें । समिति ने अपना प्रतिवेदन ३०-११-५९ को दिया और सरकार इस प्रतिवेदन पर तभी से विचार कर रही है । इस प्रतिवेदन के साथ जो सारांश संलग्न है उसको देखने से सभा को ज्ञात हो जायेगा कि इस प्रतिवेदन में ३६६ सिफारिशें की गई हैं । इन ३६७ सिफारिशों में से ५९ सिफारिशें तो ऐसी हैं जिनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं करनी है क्योंकि वे केवल सामान्य प्रक्रिया के बारे में हैं अथवा गवाहों द्वारा रखे गये सुझावों के निराकरण के बारे में हैं, इन गवाहों ने समिति के सामने अपनी गवाहियां प्रस्तुत की थीं । शेष ३०८ सिफारिशों में थोड़ा सा हेरफेर करने के बाद जब इनका फिर से वर्गीकरण किया गया तो इनकी संख्या २८९ रह गई । इनमें से सरकार २०५ सिफारिशों के बारे में अंतिम निर्णय कर चुकी है । शेष सिफारिशें अब भी विचाराधीन हैं । मैं सभा पटल पर एक विवरण रख रहा हूं जिस में समिति की कुछ महत्वपूर्ण उन सिफारिशों का उल्लेख है जिनके बारे में सरकार ने अंतिम निर्णय कर लिया है । इस विवरण के साथ सरकार के निर्णय भी संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया; देखिये संख्या एल० टी० २३८८/६०]**

यह विवरण दो भागों में बांटा है । भाग क में उन सिफारिशों का उल्लेख है जिनको पूर्णतः अथवा कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है और भाग ख में उन सिफारिशों का उल्लेख है जिनको सरकार स्वीकृत नहीं कर सकी है । स्वीकृत सिफारिशें या तो तुरन्त ही लागू कर दी जायेंगी अन्यथा उपयुक्त समय आने पर लागू कर दी जायेंगी । विधि में संशोधन करने वाली सिफारिशें व्यापक विधेयक बनाकर लागू की जायेंगी ।

इस समिति ने, प्रत्यक्ष करों के लागू करने में जो जटिल समस्या आती हैं उनकी जांच करने के बारे में, जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसके लिये मैं सरकार की ओर से उसकी सरहाना करता हूं ।

सूती कपडे के मूल्यों के बारे में वक्तव्य

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है अतः इसें यहां पढ़ा जाना चाहिये ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) यह वक्तव्य लगभग तीन पृष्ठों में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** आपको इसकी एक प्रति मिल जायेगी।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं, सूती कपड़ों के मूल्य के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६०]

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। समाचार पत्रों से यह प्रकट होता है कि सरकार कपड़ों के अगस्त १९५९ के मूल्यों में १९ प्रतिशत की और मोटे कपड़े के मूल्य में २५ प्रतिशत की वृद्धि करने को तैयार हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि मोटे कपड़े के उपभोक्ताओं पर इस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** अगर माननीय सदस्य मेरा वक्तव्य पढ़ें, तो उनको मालूम हो जायेगा कि इन बातों की उसमें सविस्तार चर्चा कर दी गई है। मोटे कपड़े के मामले में उपभोक्ताओं को काफ़ी कटौती मिलेगी। वैसे तो इस कटौती से मैं पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हूं लेकिन फिर भी भूतपूर्व मूल्यों की अपेक्षा इस दिशा में काफी सुधार हुआ है।

जहां तक कि कपड़ों पर मूल्य की मुहर लगाने की बात है वह तो मिलों द्वारा लगाई जायेगी। मैं विभिन्न प्रकार के कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे कपड़ों पर भी मुहर लगाई जायेगी जो कि पहनने के काम में नहीं आता। यह जानकारी मुझे भारतीय सूती मिल संघ से प्राप्त हुई है। सूती कम्बलों के मूल्य में भी कमी की गई है।

रजिस्टर्ड पत्र को गलत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** यह वक्तव्य ढाई पृष्ठों में है। मैंने एक वक्तव्य देने का वचन दिया था। क्या मैं इसे सभा पटल पर रखूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** आप इससे पढ़ दें।

वक्तव्य

†**डा० प० सुब्बरायन :** सभा को याद होगा कि श्री राम कृष्ण गुप्त के अल्प सूचना प्रश्न के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में ३१ अगस्त, १९६० को मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं इन सब बातों की पूरी जानकारी एकत्रित करूंगा कि किस प्रकार गैर सरकारी सतर्कता समिति के अध्यक्ष के नाम भेजा गया एक रजिस्टर्ड पत्र गलती से मुख्य मंत्री को दे दिया गया। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे स्पष्ट है कि ऐसा करने में किसी का कोई बुरा इरादा नहीं था और यह पत्र अकस्मात ही गलती से मुख्य मंत्री को दे दिया गया था।

संक्षेप में मामला यह है कि यह पत्र चंडीगढ़ सचिवालय के डाकखाने में आया था और गलती से मुख्य मंत्री के नाम जाने वाले रजिस्टर्ड पत्रों की विशेष सूची में चढ़ गया था क्योंकि मुख्य मंत्री के नाम से अथवा उनके पद के नाम से प्रतिदिन सैकड़ों रजिस्टर्ड पत्र आते हैं। डाक विभाग द्वारा एक दिन में आने वाले इन सभी पत्रों की एक ही सूची बनाई जाती है और पत्रों को देने के पश्चात् मुख्य मंत्री के कार्यालय के किसी पदाधिकारी से उस सूची में हस्ताक्षर ले

†मूल अंग्रेजी में

लिये जाते हैं। १५–७–१९६० को मुख्य मन्त्री के कार्यालय में उस सूची पर किसी दफ्तरी ने हस्ताक्षर कर दिये थे और शायद वह यह नहीं देख सका कि यह पत्र मुख्य मन्त्री के लिये नहीं था। मैं यह कहूंगा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि यह पत्र जान बूझ कर मुख्य मन्त्री के कार्यालय को दिया गया था। हालांकि गैर सरकारी सतर्कता समिति की नियुक्ति के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुये थे लकिन इस समिति की डाक को देने के बारे में डाकखाने को कोई विशेष अनुदेश नहीं दिये गये मालूम होते हैं। वास्तव में पंडित श्रीराम शर्मा, विधान सभा सदस्य, चण्डीगढ़ के नाम भेजा गया एक पत्र उसी दिन उन्हीं को पहुंचा दिया गया था। लेकिन इस पत्र पर केवल "अध्यक्ष गैर सरकारी सतर्कता समिति" पता ही लिखा था। बहुत से पत्र सरकारी सतर्कता समिति के अध्यक्ष के नाम भी आया करते हैं जिसके अध्यक्ष मुख्य मन्त्री हैं। प्राय कुछ पत्र सतर्कता समिति के नाम आया करते हैं और पते में इस बात का कोई उल्लेख नहीं होता कि वह सरकारी सतर्कता समिति के नाम हैं अथवा गैर सरकारी के। इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है इस पत्र को खोलने वाले क्लर्क ने "गैर सरकारी" शब्द प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा और न उसे ऐसी समिति के बारे में ही कोई जानकारी थी, अतः उसने साधारण तरीके से मुख्य मंत्री या सतर्कता समिति के नाम भेजे गये अन्य पत्रों के साथ यह पत्र भी रख दिया।

यह रजिस्टर्ड पत्र मुख्य मन्त्री के नाम आये अन्य पत्रों के साथ १५ जुलाई को मुख्य मंत्री के कार्यालय में दे दिया गया, और वहां इसे खोल कर मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया गया। न तो पत्र खोलने वाले पदाधिकारी ने और न मुख्य मन्त्री ने ही यह देखा कि यह पत्र गैर सतर्कता समिति के अध्यक्ष के नाम है। मुख्य मन्त्री ने यह समझ कर कि यह कोई शिकायत का पत्र है जो उनके पास आया है, उद्योग मन्त्री पंडित मोहनलाल के पास भिजवा दिया क्योंकि जिन बातों की शिकायतें थीं, उनमें कुछ बातें उन्हीं मन्त्री के विभाग की थीं। उद्योग मन्त्री के टिप्पण के साथ वह पत्र ९ अगस्त को मुख्य मन्त्री के कार्यालय में वापस भेज दिया गया और उसकी एक फाइल बनाकर उसे मुख्य मन्त्री को संबोधित करके पेश किया गया। मुख्य मन्त्री उस फाइल को पहले नहीं देख सके क्योंकि काम की अधिकता के कारण बहुत सी फाइलें इकट्ठी हो गई थीं।

इसी बीच १९ अगस्त को अखबारों में यह समाचार छपा कि वह पत्र गलत व्यक्ति को दे दिया गया है। यह देख कर मुख्य मन्त्री ने अपने कार्यालय को आदेश दिया कि उन कागजों को एकत्रित किया जाये जो उद्योग मन्त्री को भेजे गये हैं। यह फाइल २० अगस्त को उनके पास आई। तब मुख्य मन्त्री ने उस पत्र तथा उसके संलग्न पत्रों को गैर सरकारी सतर्कता समिति के अध्यक्ष पंडित श्रीराम शर्मा के पास भिजवा दिया। ये सारे कागजात उनके कार्यालय में २२ अगस्त को पहुंचे और पत्र में जो शिकायत की गई थी, उस पर उद्योग मन्त्री के जो टिप्पण थे, वे भी गैर सरकारी सतर्कता समिति के अध्यक्ष को दिखाये गये।

†**सरदार इकबाल सिंह** (फिरोज़पुर): इस पत्र में जो शिकायत थी क्या वह मुख्य मन्त्री के विरुद्ध थी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी नहीं। मुख्य मन्त्री के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): क्या इस शिकायत के करने वाले श्री राम प्यारा, विधान सभा सदस्य, से कोई पूछताछ की गई थी ? क्या इस बारे में उनसे पूछताछ करने के लिये डाक विभाग का कोई पदाधिकारी उनके पास गया था ?

†मूल अंग्रेजी में

डा० प० सुब्बरायन : जी नहीं, उन्होंने ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : क्या गैर सरकारी सतर्कता समिति के अध्यक्ष श्रीराम शर्मा ने पंजाब के मुख्य मन्त्री के नाम १ अगस्त के आसपास कोई पत्र लिखा था कि वह उनका पत्र लौटा दें। यदि हां, तो उनका यह पत्र जल्दी क्यों नहीं लौटाया गया ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मेरी अपेक्षा माननीय सदस्य को अधिक जानकारी मालूम पड़ती है। मैंने तो यह जानकारी मुख्य मन्त्री से एकत्रित की है और उन्होंने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : इस बारे में जांच किसने की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई जांच नहीं हुई थी ।

माननीय मन्त्री महोदय ने डाक विभाग के बारे में बहुत काफी बता दिया है । यह स्वीकार कर लिया गया है कि यह मामला गलती से पत्र देने का है । गलती से यह सरकारी सतर्कता समिति के अध्यक्ष के पास भेज दिया गया और मुख्य मंत्री ने इसे वापस कर दिया । इसे जल्दी क्यों नहीं लौटाया गया आदि प्रश्न पंजाब विधान सभा से पूछे जायें, यहां नहीं ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास उत्तर): एक औचित्य प्रश्न है । यहां आपने परिवहन तथा संचार मन्त्री को एक वक्तव्य पढ़ने की आज्ञा दी जिसमें उन्होंने पत्र को गलती से देने तथा बाद में एक मन्त्री से दूसरे मन्त्री के पास कागजात आने-जाने का उल्लेख किया गया है । जब उन्होंने इन सब बातों का उल्लेख किया है तो निश्चय ही हम संसद् सदस्यों को इस बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने औचित्य प्रश्न सुन लिया है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** एक औचित्य प्रश्न है. . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** एक औचित्य प्रश्न के साथ साथ दूसरा औचित्य प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

मैंने इस वक्तव्य को देने की अनुमति इसलिये दी थी कि अगर वह पत्र सही व्यक्ति को नहीं दिया गया था तो डाक विभाग से यह पूछा जा सकता है कि उसने जल्दी इस मामले की खोज क्यों नहीं की और सही आदमी को यह पत्र क्यों नहीं दिया । उस दिन एक प्रश्न पूछा गया था यह पत्र ठीक व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई । इस दौरान में क्या क्या हुआ देर क्यों हुई, इसका पता कैसे लगा आदि आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका विश्लेषण करना निश्चय ही आवश्यक है । सही आदमी को यह पत्र भिजवाने में देर हुई है । लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी प्रकार के प्रश्नों को पूछने की छूट है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त:** एक औचित्य प्रश्न है । भारतीय डाक विभाग अधिनियम के अधीन पत्र के लिफाफे आदि को रोकना अपराध है । इस वक्तव्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पत्र का लिफाफा उस व्यक्ति को अभी तक नहीं भेजा गया है जिसके नाम कि यह पत्र भेजा गया था । यदि यह बात ठीक है तो पंजाब के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही के लिये सुझाव है । माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात की जांच करें कि वह लिफाफा क्यों नहीं भेजा गया था । अगर माननीय सदस्य को वह पत्र भेजा गया होता तो क्या वह उसके लिफाफे को सुरक्षित रखते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्लास्टिक एबोनायड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे वक्तव्य

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : तारांकित प्रश्न संख्या ३५१ पर, जिसका उत्तर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने १२ अगस्त, १९६० को दिया था, अनुपूरक प्रश्न पूछते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया प्रैस, फरीदाबाद में, प्लास्टिक एबोनायड ब्लाक बनाने के लिये लगाई गई मशीन के बारे में कितनी प्रगति हुई है। मैंने वचन दिया था कि पूरी जानकारी मिलने के बाद मैं इस बारे में एक वक्तव्य दूंगा। चूंकि यह विवरण बहुत लम्बा है अतः मैं इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६१**]

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : श्री नन्दा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले अधिनियम को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री आबिद अली** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा डा० का० ला० श्रीमाली द्वारा ६ सितम्बर, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री मु० हि० रहमान अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री मु० हि० रहमान (अमरोहा) : जनाब वाला, दिल्ली प्राइमरी एजुकेशन बिल के सिलसिले में मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस की अहमियत और खूबी को मानते हुए जो मजहबी मकतब और पाठशालायें हैं उन को भी एक्जेम्प्ट यानी मुस्तसना किया जाय क्योंकि इस में मजहबी तालीम के साथ साथ प्राइमरी तालीम भी दी जाती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो कोर्स आप स्कूल के लिये बनायें ठीक ही कोर्स वह अपने अन्दर समोयें, बल्कि जरूरत इस बात की है कि जुगराफिया, तारीख, जनरल साइंस और इस किस्म के मजामीन जोकि आप सिलेबस में दर्ज करते हैं, अगर उस के मेयार के मुताबिक वह भी तालीम दे रहे हैं तो उन को यकीनन मुस्तसना करना चाहिये। इस की अहमियत इस से भी साबित होती है कि पिछले दिनों मोहतरम श्री प्रकाश, गवर्नर, बम्बई की चेअरमैनशिप में जो कमेटी इसलिये बैठी थी कि हमारी इस बुनियादी तालीम में एख्लाकी और मजहबी तालीम को किस तरह समोया जाय, उस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस में बहुत ज्यादा जोर इस पर दिया है कि शुमाली हिन्दुस्तान के अन्दर जो पहले मुल्ला मकतब में पढ़ाया करते थे, उस तरीकेकार को अगर आज भी अख्त्यार किया जाय तो वह ज्यादा मुफीद साबित होगा क्योंकि डिसिप्लिन, नज्म और जब्त, एख्लाकी कद्रें और एक खास किस्म का वह खयाल और जहन जोकि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर एख्लाकी ऐतबार से बहुत जरूरी है, और तालीम का जो सब से बड़ा मकसद है, वह उस के जरिये हासिल होता है।

यों तो मैं ने गुजारिश की थी कि फंडामेंटल राइट्स में माइनारिटीज़ को यहां तक भी हक दिया गया है कि वह अपनी च्वायेस के मुताबिक जो तालीमी इदारे कायम करना चाहेंगे वह कर सकेंगी और ऐसी सूरत में अगर उन्हें मजबूर किया जाय कि वे अपने मजहबी इदारों में बच्चों को न पढ़ायें बल्कि सरकारी स्कूलों में भेजें तो वह किसी तरह से कानून के मुताबिक सही नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो इस से भी अगली बात कहूं कि जो पाठशालायें हैं, मकतब हैं, उन में प्राइमरी तालीम भी शामिल है, उस का मेआर होना चाहिय, चाहे वह कोर्स उस के मुताबिक पूरा हो या न हो।

दूसरी गुजारिश यह है, जोकि बहुत अहम है, कि किताबें जो भी आप सिलेबस के मुताबिक तैयार करायें वह ठीक तरीके से करायें। पिछले दिनों जिन शिकायात का मैं ने आप से ज़िक्र किया था, मैं आप का शुक्रगुज़ार हूं कि आप ने उन की तरफ तवज्जह दी और उस की बदौलत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने भी अब तवज्जह दी है। मुझे उम्मीद है कि और स्टेट्स भी उन का खयाल करेंगी। कम से कम इस बात का ख्याल शुरु से ही होना चाहिये कि हमारी इस प्राइमरी तालीम के अन्दर इस किस्म की तालीम दी जाय कि एक तरफ नैशनलिज्म और सेकुलरिज्म को ज्यादा से ज्यादा कुव्वत मिले, दूसरी तरफ एख्लाकी और रूहानी कद्रें उजागर हों, तीसरी तरफ नज्म और डिसिप्लिन पैदा हो और चौथी बात यह कि कोई मजामीन उस में इस किस्म के न हों जो किसी दूसरे मजहब या धर्म के लिये तकलीफदेह हों या उस के लिये काबिले एतराज हों। इस के लिये आप को बहुत काफी तवज्जह देनी होगी। दिल्ली एक नमूना बन रहा है इस काम के लिये और आइन्दा स्टेट्स के अन्दर भी जब कम्पल्सरी एजुकेशन चलायेंगे तो उस के अन्दर भी यह एक नमूने के तौर पर पेश किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बेशक ग्राप ने ६ या ७ बरस से ले कर ११ बरस तक कम्पलसरी तालीम के लिये लाजिमी मुद्दत करार दी है। मैं समझता हूं कि यही मुद्दत ऐसी है कि इस हद्द तक अगर बच्चे अपने मजहबी इदारों में तालीम पायेंगे या प्राइमरी स्कूलों में तालीम पायेंगे तो ठीक है। अगर इस वक्त तक मिली जुली तालीम पाते हैं तो उस से कोई एख्लाकी नुक्सान नहीं होता, लेकिन उस से आगे इस बात की कोशिश नहीं होनी चाहिये। मैं इतना समझता हूं और बगैर किसी झिझक के कहने के लिये तैयार हूं कि हमारा मुल्क हर्गिज अपनी इन एख्लाकी कद्रों को ऐसी तालीम के हाथ फरोख्त करने को, बेच देने को, तैयार नहीं जोकि तालीम के मकसद के खिलाफ खुद हमारी एख्लाकी जिन्दगी को तबाह कर दें। आज ज्यादा उम्र में, १३, १४ या १५ साल की उम्र में मिली जुली तालीम के जो असरात और जो नतायज हैं वह हमारी आंखों के सामने हैं। हम उन को देखते हुए अपने बच्चों की तालीम के लिये महसूस करते हैं कि तालीम इन्सानियत और इन्सानी दुनिया में लोगों के दर्म्यान मुहब्बत पैदा करने के लिये है, तालीम खुदा की पहचान के लिये, अपने ईश्वर की पहचान के लिये है, लेकिन अगर तालीम का मकसद एख्लाकी कद्रों को तबाह करना हो जाय तो वह तालीम किसी काम की नहीं है और उस तालीम से जिहालत ज्यादा होती है। इस बिना पर मैं समझता हूं कि इस बात का खास तौर से लिहाज़ रक्खा जायेगा। मैं कोई लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता। मेरे यह तीन चार प्वाइंट हैं जिन के मुताल्लिक मैं ने खुसूसन गुजारिश की है और मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा अपने मोहतरम मिनिस्टर साहब से कि इस मामले की अहमियत सिर्फ इस बात से नहीं होगी कि आप इसी जगह इस की वजाहत फरमायें। बल्कि जिस तरह आप ने १० और ११ दो क्लाज़ों के अन्दर कुछ एग्ज़ेम्प्शन दिये हैं, उसी तरह एक क्लाज़ १२ का इजाफा कर के आप उस में वजाहत के साथ इस बात को लिख दें कि उन मजहबी पाठशालाओं या मकतबों में जिन में तालीम जारी है, अगर उन में प्राइमरी तालीम भी है, तो उन को यकीनन मुस्तसना कर दिया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरफ आप तवज्जह फरमायेंगे।

श्री त्यागी (देहरादून) : यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि यह सदियों से चली आने वाली एक कमी को पूरा करता है।

इस का उद्देश्य दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। लेकिन इस में निःशुल्क व्यवस्था कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में केवल कुछ आने फीस लगती है। इसलिये यह कोई बड़ा आकर्षण नहीं है। फिर इस में सारी व्यवस्था अनिवार्य बना दी गई है, जिस का आधार दण्ड का भय है। चाहिये यह था कि हर इलाके में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाती और फिर देखा जाता कि जनता उस को कितना पसन्द करती है।

मैं तो निःशुल्क शिक्षा का अर्थ यही समझता था कि बच्चों के माता-पिताओं को उन की शिक्षा पर एक भी कौड़ी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। संविधानकारों की यह ही धारणा थी। आज के जमाने में असल चीज़ तो किताबें और कागज़-पेंन्सिल वगैरह हैं, जिन पर बहुत अधिक खर्च होता है।

उस के जुटाने की तो कोई भी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है।

मौलाना साहब ने ठीक ही कहा था कि बच्चे के वास्तविक निर्माण का काल छः वर्ष की अवस्था तक होता है। यह तो बड़ी विचित्र सी बात है कि यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उस के अभि-भावक को दण्ड दिया जाये। हाल में कुछ दिनों से सरकार दण्ड के आधार पर अनिवार्य व्यवस्थायें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

करने पर बड़ा जोर देने लगी है। यह सरकार की कमजोरी की निशानी है। सरकार को कोशिश यह करनी चाहिये कि लोग विवशता से नहीं, बल्कि प्रेरित हो कर उत्साह के साथ सरकार द्वारा चलाये गये आन्दोलनों में भाग लें।

अनिवार्य शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि बच्चे को एक खास स्कूल में ही भेजा जाये। यदि मैं अपने बच्चों को घर पर ही और अच्छी शिक्षा देता हूं, तो भी सरकार को संतुष्ट हो जाना चाहिये।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : खण्ड १०(ख) की व्यवस्था देखिये। उस में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाये कि बच्चे को स्कूल न भेजने पर भी उस की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो रही है, तो उस में कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं।

†**श्री त्यागी** : उस खण्ड का मतलब है कि किसी दूसरे स्कूल में शिक्षा दी जा रही हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में स्कूल का कोई उल्लेख नहीं है।

†**श्री त्यागी** : लेकिन घर पर शिक्षा देने की अनुमति अधिकारियों से लेना भी एक अनावश्यक असुविधा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को विधेयक की भावना देखनी चाहिये।

†**श्री त्यागी** : विधि में कोई त्रुटि नहीं रहने देनी चाहिये, जिस से कि अनावश्यक मुकदमेबाजी की गुंजाइश रहे।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं तो समझता हूं कि माननीय सदस्य प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के पक्ष में हैं। और अगर हैं तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। आखिर कोई व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। यदि अभिभावकों को शिक्षा के बारे में मनमानी करने की छूट देनी है, तो फिर हमें शिक्षा को अनिवार्य बनाने की बात ही नहीं करनी चाहिये। जबकि संविधान में कहा गया है कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिये।

†**श्री त्यागी** : इस में तो उसे इतना अधिक अनिवार्य बनाया जा रहा है कि वह सिर-दर्द बन जायेगी। उपस्थिति-अधिकारी को संतुष्ट करना पड़ेगा कि घर पर शिक्षा की समुचित व्यवस्था है या नहीं। फिर उपस्थिति-अधिकारी की ओर से भेजे हुए लोग बार-बार जांच-पड़ताल करने आयेंगे। विधेयक को सरलतर होना चाहिये।

कई ऐसे भी लोग हैं जो १४ वर्ष की अवस्था तक लड़के-लड़कियों को एक साथ पढ़ने देने के विरोधी हैं। सह-शिक्षा की बजाय, तो वे उन को अशिक्षित ही रखना ज्यादा पसन्द करेंगे। वे नैतिक शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहेंगे।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुईं।]

इसलिये माननीय मंत्री को १४ वर्ष की अवस्था को घटाने का संशोधन स्वीकार करना चाहिये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक संवैधानिक प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : सारा संविधान इसी में लागू करने की जरूरत नहीं । उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को उच्चतर प्राथमिक स्तर तक शिक्षा मिल जाये । यदि कोई बच्चा इस ११ वर्ष में ही पूरा कर ले, तो उसे विवश नहीं किया जाना चाहिये । और फिर कई स्कूलों में बड़ा गोलमाल चलता है । सब से पहली जरूरत इस बात की है कि स्कूल ऐसे होने चाहियें जिन में नैतिकता-प्रेमी अभिभावक अपने बच्चों को भेजना पसन्द करें ।

हमें बच्चे की आयु पर जोर नहीं देना चाहिये । इसे विवशता और बल-प्रयोग के आधार पर लागू नहीं करना चाहिये । हम ने अभी दस वर्ष तक संविधान का पालन नहीं किया, तो अभी भी कुछ और दिन ठहर सकते हैं । सब से ज्यादा जरूरी है किताबें और कागज-पैन्सिल वगैरह निःशुल्क जुटाना । तभी प्राथमिक शिक्षा वास्तव में निःशुल्क होगी ।

†श्रीमती इला पाल चौधरी (नवद्वीप) : यह विधेयक देश में शिक्षा के लिये एक बड़ा अच्छा वातावरण तैयार कर देगा ।

यह एक आदर्श विधेयक है और इसे उचित समय पर प्रस्तुत किया गया है ।

अंशकालिक शिक्षा के बारे में एक बहस खड़ी हो गई है । मैं तो समझती हूं कि उसकी बड़ी जरूरत है हमारे जैसे देश में । इसमें एक और बड़ी अच्छी व्यवस्था यह है कि उपस्थिति अधिकारी की रिपोर्ट पर ही अपराध को हस्तक्षेप माना जायेगा । हर कोई जाकर अभिभावकों को तंग नहीं कर पायेगा ।

लेकिन इस इतने बड़े विधेयक में स्कूलों के अध्यापकों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है । अध्यापकों को दी जाने वाली सुविधाओं और उनके वेतनों को इस विधेयक में स्थान दिया जाना चाहिये ।

इंगलैंड के शिक्षा अधिनियम में अध्यापकों के लिये सिर्फ व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि वहां अध्यापकगण इसका निर्णय करते में भी भाग लेते हैं कि विधेयक में क्या क्या व्यवस्थायें की जायें ।

बच्चों के भोजन और जलपान की व्यवस्था को भी नियमों पर छोड़ दिया गया है । उसे स्पष्ट रूप से विधेयक में ही स्थान दिया जाना चाहिये था । आप चाहें उसे हर जगह कार्यान्वित न करें, पर वह विधेयक में तो रहनी चाहिये ।

यूनेस्को सम्मेलनों में बार बार कहा गया है कि यदि बच्चों के शारीरिक विकास की उपेक्षा की जाये, तो उनके मस्तिष्क का विकास भी नहीं हो पाता । इसलिये भारत जैसे देश में भोजन की व्यवस्था के साथ ही, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिये । स्वास्थ्य की जांच का काम सुयोग्य स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिये ।

सरकार शिक्षा संस्थाओं को जितना चाहे रुपया दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं । लेकिन जनता के रुपये-पैसों की रक्षा के लिये इस विधेयक में उन शिक्षा संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिये ।

दिल्ली और कलकता जैसे बहुभाषी क्षेत्रों के लिये यह भी जरूरी है कि विभिन्न भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय । बच्चों को उनकी मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

साथ ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि स्कूल बहुत दूर दूर नहीं होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

मदरसों और प्रारम्भिक संस्कृत पाठशालाओं को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये। उनमें धार्मिक शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन वे सामान्य शिक्षा की नींव तैयार करते हैं। इसलिये उनको यथा सम्भव हर सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

जब भी शिक्षा में कुछ सुधार करने की बात कही जाती है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये सभी निधियों और संसाधन जुटाने का बहाना बताकर कह दिया जाता है कि इतने संसाधन नहीं हैं। लेकिन स्कूली बच्चों के लिये भोजन, किताबें और स्टेशनरी तो ऐसी चीजें हैं कि उनकी व्यवस्था होनी ही चाहिये, चाहे योजना की अन्य मदों में कमी ही क्यों न करनी पड़े। आशा है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे। यह भावी राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न है।

मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करती हूं।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को देश भर में लागू करने के लिये हम यह पहला कदम उठा रहे हैं। इसकी कार्यान्विति इस ढंग से की जानी चाहिये कि राज्यों की सही रहनुमाई हो सके।

राष्ट्र की समृद्धि शिक्षा पर निर्भर करती है। इसलिये इसे अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिये।

इस योजना में कई कठिनाइयां पड़ेंगी, इसलिये हमें इसकी कार्यान्विति के लिये उचित पृष्ठ-भूमि पहले तैयार कर लेनी चाहिये।

स्कूल जाने लायक बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हम ऐसे बच्चों में से केवल १३ प्रतिशत को शिक्षा दे पाते हैं। स्कूलों की संख्या बड़ी कम है। उनके लिये न तो इमारतें हैं और न प्रशिक्षित अध्यापक ही। कई स्कूल ऐसी इमारतों में हैं, जहां हवा और रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे स्कूल भली प्रकार सुसज्जित होने चाहिये सभी सुविधाओं से।

विमति टिप्पणियों से पता चलता है कि दिल्ली में केवल ५०० स्कूल हैं, स्कूल जाने योग्य २,००,००० बच्चों के लिये। उनके लिये हमें ७००–८०० नये स्कूल और ३,०००–४,००० अध्यापक चाहियें।

इन सब पर हमें प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान व्यय की तीन गुनी राशि व्यय करनी पड़ेगी। इसी से मुझे इसके बारे में शंका होती है। इस योजना को कार्यान्वित करने का भार स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है, लेकिन उन पर पहले से काम का बोझ ज्यादा है। वे शायद यह दायित्व नहीं निभा सकेंगे।

मैसूर सरकार ने भी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना को कार्यान्विति का भार जिला बोर्डों को सौंपा था। १९३० से १९४० तक यह परीक्षण किया गया था। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी अपने हिस्से के संसाधन भी इकट्ठे नहीं कर पाये। सारी योजना असफल रही। बाद में राज्य सरकार को ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ी थी। तब से वह प्रगति करने लगी। मैं यह इसलिये कह रहा हूं, कि दिल्ली में भी यही कहानी फिर दोहराई जा सकती है। वर्तमान व्यय से तीन गुने व्यय के लिये राशि जुटाना आसान नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये सारी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये। हां, स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों से कुछ अंशदान लेने पर जोर दिया जा सकता है। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये कि स्थानीय प्राधिकार अपने को असहाय बता दे और सरकार असफलता की सारी जिम्मेदारी के लिये उसे दोषी ठहराती फिरे।

तृतीय योजना का लक्ष्य है ६ से ११ वर्ष तक की अवस्था के हर बच्चे को शिक्षा की सुविधायें जुटायी जायें, जिससे कि वह राज्य का एक योग्य, साक्षर और उपयुक्त नागरिक बन सके। लेकिन हम साक्षर किसे कहेंगे? क्या उसे जो कुछ अटक अटक कर अखबार पढ सके? उद्देश्य असल में उसे शिक्षित बनाना है। इंग्लैंड में १६ वर्ष तक की अवस्था तक निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा दी जाती है और तब व्यक्ति को शिक्षित माना जाता है। हम अपने यहां पांच वर्ष की शिक्षा में उतना नहीं कर पायेंगे। यदि बच्चा ११ वर्ष की अवस्था के बाद पढ़ाई जारी न रख सका, तो इतनी प्राथमिक शिक्षा से उसका कोई लाभ नहीं होगा, वह फिर निरक्षर बन जायेगा। शिक्षा कम से कम इतनी तो हो कि उसे आसपास की दुनिया की समझ आ जाये।

इसमें निःशुल्क शिक्षा का अर्थ यही लगाया गया है, और अभी तक राज्यों में यही होता आ रहा है, कि बच्चों को फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन शिक्षा पर जो दूसरे व्यय होते हैं, उनका क्या होगा? किताबें, स्लेट, कागज, पेंसिल और स्कूल जाने का खर्च कहां से आयेगा? हर बच्चे के माता-पिता इतना खर्च भी तो नहीं उठा पाते। निःशुल्क शिक्षा का मतलब तो यह होना चाहिये कि पढ़ाई के किसी भी खर्च के लिये बच्चे को मोहताज न रहना पड़े। उन्नत देशों में ऐसी ही व्यवस्था है। और तभी यह योजना सफल हो सकेगी।

चौथी बात यह कि अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा, जहां भी हो सके, सभी भाषाओं में दी जानी चाहिये। इसलिये सरकार को अरबी, इत्यादि भाषाओं में शिक्षा देने वाले स्कूलों को मान्यता देनी चाहिये।

हम इसके जरिये अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस जिम्मेदारी को साहस और निश्चय के साथ पूरा करना चाहिये। हमें अपने सीमित संसाधनों को देखकर चलना चाहिये, चादर के मुताबिक पैर फैलाने चाहिये, तभी इससे राष्ट्र का भला हो पायेगा।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक): सभानेत्री जी, जो विधेयक इस समय सदन के सामने रखा गया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से हमारे देश में एक ऐसे विधेयक की आशा की जाती थी और हम इंतजार में थे कि कब यह विधेयक हमारे सामने आये।

मैं माननीय मंत्री महोदय को जिन्होंने इस बिल को सदन के सामने पेश किया है धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक बिल हमारे इस सदन में रखा और यह प्रवर समिति से ज्यादा अच्छे रूप में आया है यह भी मैं मानने के लिये तैयार हूं और इसके लिये भी मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुये हैं कि जिन परिवर्तनों में इस बिल में जो धारायें रखी गयी हैं, वे विशेषकर दिल्ली की स्थिति को देखते हुये बहुत ही मुनासिब हैं, और उनसे दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा को जरूर प्रोत्साहन मिलेगा।

अभी यह विचार प्रकट किया गया है कि यह बिल सर्वांगीण पूर्ण नहीं है। यानी इसमें वे सारी बातें नहीं हैं जो कि होनी चाहिये थीं। मैं इसको स्वीकार करता हूं परन्तु यह भी देखना जरूरी होगा कि इस बिल को बनाने में इस बात की कोशिश अवश्य की गयी है कि यह आदर्श रूप से बने, परन्तु हमारे देश की आर्थिक स्थिति को देख कर और वातावरण को देखकर इसमें कुछ ऐसी धारायें

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधा रमण]

रखी गयी हैं जो आदर्श नहीं कही जा सकतीं। मैं समझता हूं कि समय मिलने पर उन धाराओं को संशोधन करके उसको ऐसा आदर्श बनाया जायेगा कि जिससे जो त्रुटियां आज इस बिल में दिखायी देती हैं वे दूर हो जायें।

सबसे बड़ी बात जिसकी ओर यहां माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है वह यह है कि इस बिल का उद्देश्य यह है कि हर बच्चा जिसकी आयु ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की है स्कूल में जाये। इसमे कुछ थोड़ी सी विचार में भिन्नता भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा जाये, तो कुछ का खयाल है कि ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाये। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान के अनुसार और हम सब की इच्छा के अनुसार यह आवश्यक है कि बच्चों को ६ वर्ष से १४ वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिये। इस विधेयक के अन्दर इस बात का प्रावीजन रखा गया है कि जहां ६ वर्ष से ११ वर्ष के बाद भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध हो तो वह कायम रखा जा सकता है, उसके लिये कोई रुकावट नहीं है। विशेषकर दिल्ली में जहां यह बिल लागू होगा, हम देखते हैं कि वहां पहले से ही यह घोषणा की गयी है कि ६ से १४ वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे स्कूलों में उनकी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होगी। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ऐसा और जगह भी हो। यह ठीक है कि उनके हाथ बन्धे हुये हैं और उनके पास इतनी धनराशि नहीं है कि वह सारे देश के अन्दर इस का प्रचार करें कि ६ से १४ वर्ष तक के जितने बालक हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिल सकें, परन्तु यह हमारा एक आदर्श है जिसको हमने कांस्टीट्यूशन में भी माना है कि हम अपने बच्चों को जिनकी आयु ६ से १४ तक हो ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि जिससे वह इखलाकी तौर पर और सामाजिक तौर पर आगे बढ़ सकें और आर्थिक तौर पर भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश को लाभान्वित कर सकें। यद्यपि इस बिल की धाराओं में हम यह चीज नहीं रख सके हैं लेकिन हम समझते हैं कि हमें इस आदर्श को प्राप्त करने में कामयाबी होगी, और अगर धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको प्रायरिटी देकर हम उसके लिये सरकार से कहेंगे और पलानिंग कमीशन से मांगेंगे और सारे देश के अन्दर ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे।

जिस समय यह बिल पहली बार सदन में आया था तो कुछ सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया था कि देश के कुछ हिस्सों में और खासकर गांवों में स्थिति ऐसी है कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते। अगर हमारे दिमाग में यह बात है कि माता पिता बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, तो हमको वह बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिये। आज हमारे देश में ऐसे कोई माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना न चाहते हों और ६ वर्ष तो क्या वह तो चाहते हैं कि अगर हो सके तो उनके बच्चों को ४–५ बरस से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाये। लेकिन हालत यह है कि कुछ आर्थिक कारणों से या कुछ घरेलू कारणों से उनको अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की सुविधा नहीं मिलती। मसलन दिल्ली में हजारों परिवार ऐसे हैं कि अगर उनके बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाय तो उनके परिवार छिन्न भिन्न हो जायें। यह बात नहीं है कि वह बच्चों को स्कूल में इसलिये नहीं भेजना चाहते कि वहां तालीम गलत है, बल्कि इसलिये कि वे बच्चे माता पिता को उनके काम में सहयोग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात की आवश्यकता होगी कि हम इस तरह के स्कूल खोलें जिनमें कि पार्ट टाइम शिक्षा दी जा सके और बच्चों को कम से कम थ्री आवर्स (तीन घंटे) की शिक्षा तो मिल जाये जिसके बिना बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं बन सकता। इसलिये मैं इस प्रावीजन का स्वागत करता हूं। इस प्रावीजन का लाभ उठाया जा सकता है। इसके मानी यह नहीं हैं कि जो पार्ट टाइम स्कूल होंगे उनमें कोई दूसरे किस्म की शिक्षा दी जायेगी। उनमें भी

वही शिक्षा दी जायेगी जो कि दूसरे स्कूलों में, जो कि चार पांच घंटे के लिये लगेंगे दी जाती है। लेकिन हो सकता है कि जितना लाभ उन लड़कों को होगा जो चार पांच घंटे के स्कूल में जायेंगे उतना पार्ट टाइम स्कूलों के बच्चों को न हो सके और शिक्षक उनको उतनी शिक्षा न दे पायें। जो लड़के सारे समय के स्कूलों में नहीं जा सकते वे इनसे फायदा उठा सकेंगे।

उन स्कूलों में जिनमें कि इस समय प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है कुछ स्कूल बेसिक कहे जाते हैं। हम भी चाहते हैं और हमारे देश के बहुत से नेता भी चाहते हैं कि देश में बेसिक स्कूल हों। लकिन हम समझते हैं कि इस बेसिक के नाम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो महात्मा जी का आइडिया था उसके अनुसार न शहरों में और न गांवों में ये बेसिक स्कूल चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा बेसिक स्कूल हों तो हम उनमें वे बुनियादी चीजें रखें जो कि उस वक्त हमारे दिमाग में थीं जबकि हमने इन स्कूलों की कल्पना की थी। और जो चीजें कि गांधी जी के दिमाग में थीं। आज हो यह रहा है कि इन बेसिक स्कूलों में उतनी भी शिक्षा नहीं मिल पाती जितनी कि दूसरे स्कूलों में मिलती है, लड़के न इधर के रहते हैं और न उधर के रहते हैं। बेसिक स्कूलों का यह उद्देश्य था कि लड़के को केवल किताब की ही शिक्षा न दी जाये, बल्कि हमारे किसानों और मजदूरों के लड़कों को ऐसी शिक्षा दी जाये कि जो उनकी रोजाना की जिन्दगी में काम आ सके और जिसके अनुसार वह अपनी जिन्दगी को ढाल सके और एक अच्छा इन्सान बन सके। लेकिन यह बात आज बेसिक स्कूलों में नहीं है। मैं समझता हूं कि इसकी सख्त जरूरत है।

आज यह कह देना कि हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर रहे हैं काफी नहीं है। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं अगर वह अच्छे इंसान नहीं बनते, अगर उनका इखलाकी तौर पर, सामाजिक तौर पर और चारित्रिक विकास नहीं होता, तो असली मानों में वह शिक्षा नहीं है। इसलिये जहां हम शिक्षा की बात कहें वहां हमको इन चीजों पर भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिये।

इस विधेयक में हमने एप्रूव्ड स्कूलों का जिक्र किया है। व कैसे हों हमने रूल्स के ऊपर छोड़ा है जो कि बाद को बनेंगे। आज हमारी यह स्थिति भले ही न हो कि हम एप्रूव्ड स्कूल उसको कहें कि जहां चरित्रवान टीचर हों, और पढ़ाने लिखाने का सामान अच्छा हो, अगर बिल्डिंग न हो तो कोई न कोई इमारत हो या झोंपड़ा हो, या किसी दरख्त के नीचे लड़के पढ़ते हों लेकिन उनको वहां विकास करने का, उभरने का, और ऊपर उठने का मौका मिलता हो, हमारा आदर्श भी यही होना चाहिये। मगर मैं समझता हूं कि आज हमारे एप्रूव्ड स्कूलों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। उनको हमें स्टेंडर-ड इज करना चाहिये और जो आवश्यक बातें हैं उनको उनके अन्दर शामिल करना चाहिये। मैं खास तौर पर अर्ज करूंगा कि गो कि हमारी दिल्ली में काफी स्कूल हैं लेकिन अभी भी कुछ स्कूल बहुत दूर दूर हैं और मां बाप रास्ते की भीड़ भाड़ की वजह से उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पसन्द नहीं करते। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो टेंट्स में लगते हैं और जिन के पास न कोई सामान है और न कोई जरिया है। इसका नतीजा यह है कि वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, वे बजाये इसके कि कोई अच्छी बातें सीखें, उलटी सीधी बातें सीखते हैं, जिससे मां बाप को तकलीफ होती है। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि शिक्षा के स्तर को, स्टैंडर्ड को, निर्धारित किया जाये और कम से कम वे चीजें वहां मुहैया हों जो बहुत आवश्यक हैं।

टीचर्ज के बारे में भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में टीचर की हालत अच्छी नहीं है। उसे बच्चों से कोई प्रेम नहीं है, बच्चों का विकास और तरक्की उसका लक्ष्य नहीं है। वह तो सिर्फ तन्ख्वाह झाड़ने के लिये तीस दिन स्कूल चला जाता है। इस वजह से वह बच्चों को वे बातें नहीं सिखा पाता है, जो कि उनको सिखाई जानी चाहियें।

[श्री राधा रमण]

अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की उसकी योजना सफलता प्राप्त करे, तो इन सब बातों पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। उसको यह तय करना पड़ेगा कि एपरूव्ड स्कूल कौन से हैं। जैसा कि मौलाना साहब ने कहा है, कई स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इसी तरह कई स्कूल ऐसे भी होंगे, जहां टेक्निकल शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, बढ़ई का काम, लोहार का काम सिखाया जाता है। अगर ऐसे स्कूल अपने यहां प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं, तो हम उनको एग्जेम्प्ट करें। हम उनको एपरूव्ड करें और उन के स्तर को ऊंचा उठायें।

मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि हमारे मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो ऐसी बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज़, सोशल सर्विस एजेंसीज शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि जब इस काम के लिये हमको बहुत धनराशि की आवश्यकता है, तो यह मुनासिब है कि इस प्रकार के प्राइवेट स्कूलों से भी हम फायदा उठायें। बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, जो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं और बहुत से गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि इन सबको स्टैंडर्डाइज कर के इनकी कम से कम आवश्यकताओं को पूरा किये जायें और बच्चों को वे सब एमिनिटीज़ दी जायें। उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिये और उनके पढ़ाने के तरीकों को बेहतर बनाया जाना चाहिये और साथ ही उनके लिये किताबों और खाने-पीने का भी इंतजाम करना होगा, जो कि अभी तो महज ख्वाब ही नजर आते हैं। लेकिन हमने उन ख्वाबों को सच्चा बनाकर दिखाना है। यह बड़ी खुशी की बात है कि यहां पर कार्पोरेशन के स्कूलों में मिड-डे मील या मिल्क दिया जाता है। आज इस देश में बच्चों को मिड-डे मील दिये जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनकी सेहत का मैयार ऐसा नहीं है कि जिस से हम को खुशी हो।

मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, ताकि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का हमारा विचार—जो बहुत ही स्वागत-योग्य है—पूरा हो और उसमें हमको पूरी सफलता मिले। दिल्ली एक छोटी सी जगह है। इस कम्पेक्ट एरिया में गवर्नमेंट एक मिसाल कायम करके दिखा सकती है। इसमें उसको सारे देश का और उन तमाम बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा, जो कि आइन्दा जमाने में उत्तरदायित्व संभाल कर हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले बनेंगे।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : दिल्ली जैसे एक से छोटे क्षेत्र में भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये बहुत बड़ी राशि चाहिये और अगर इसके साथ बच्चों को शिक्षा संबंधी अन्य सुविधायें भी जुटानी हों, तो स्पष्ट है कि और भी बड़ी राशि अपेक्षित होगी। इसलिये हमें अधिक महत्वाकांक्षी नहीं बनना चाहिये। दोपहर के खाने और दूध इत्यादि की सुविधायें केवल उन बालकों के लिए जुटानी चाहिये जिन को रोजी कमाने के लिये भी बहुत कुछ करना पड़ता है। इस के बारे में पं० ठाकुर दास भार्गव का संशोधन बड़ा उपयोगी है।

साथ ही और अधिक स्कूलों की बड़ी आवश्यकता है। स्कूल जाने योग्य अवस्था के सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिये अभी दिल्ली में ७६७ नये स्कूल चाहियें। स्कूली इमारतों की कमी दूर करने के लिये एक उपाय यह हो सकता है कि स्कूलों में पारियां लगाई जायें। एक सुबह, दूसरी दोपहर और तीसरी शाम की पारी।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी समस्या है विशेष स्कूलों की, जिनका उल्लेख खण्ड ११ में किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अंधे, गूंगे और बहरे बच्चों की शिक्षा के लिये क्या व्यवस्था कर रही है । सरकार को उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरी तौर पर विकसित नहीं हो पाते । उनको सबक समझ में नहीं आते । वे शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते । उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिये । यदि उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जायेगी, तो उन में हीनता की भावना पैदा हो जायेगी । कलकत्ता में एक-दो ऐसे स्कूल हैं । दिल्ली में भी खोले जाने चाहियें ।

सरकार को उड़िया और आसामी बच्चों के लिये, जहां उनकी संख्या पर्याप्त हो, उड़िया और आसामी भाषा के अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिये । यदि यह सब हुआ, तो यह योजना सफल रहेगी । आशा है सरकार इस के लिये पर्याप्त धन जुटायेगी ।

श्री नवल प्रभाकर : (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभानेत्री जी, जहां तक इस विधेयक के सिद्धांत का ताल्लुक है, मैं उसका समर्थन करता हूं । किन्तु मुझे भय है कि शिक्षा के सम्बन्ध में आज जैसी परिस्थिति दिल्ली की है, वह वैसी ही बनी रही, तो इस विधेयक में जो भी रखा गया है, जो भी इसका उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा, वह नहीं कि के बराबर ही पूरा होगा । आज दिल्ली में चार तरह के स्कूल हैं । एक तो वे स्कूल हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं । एक वे स्कूल हैं जो सरकार के अपने स्कूल हैं और वे भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं । तीसरे वे स्कूल हैं जिनको पब्लिक स्कूल कहा जाता है, जहां पर कि बड़ी बड़ी फीसें लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है । चौथे वे स्कूल हैं जो कि सेवा भाव से या मिशनरी ढंग से चलते हैं, सेवा भाव से जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है ।

जहां तक सरकार के स्कूलों का सम्बन्ध है, उनकी अवस्था को यदि देखा जाए, तो वह बड़ी ही दयनीय है । जब भी मैं ऐसे स्कूलों को देखने के लिये गया हूं तो मुझे देखने को मिला है कि अध्यापक बैठे हुए हैं, उन के पास ६५ या ७० या ७५ बच्चे बैठे हुए हैं । मैंने जब उन से पूछा कि आप इतने बच्चों को क्या पढ़ा लेते हैं, तो मुझे जवाब मिला है कि साहब पढ़ाना तो दर किनार, हम इनको एक जगह पर बिठाये रख सकें तो गनीमत समझिये । मैं चाहता हूं कि अब जब कि आप यह आवश्यक करने जा रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ना पड़ेगा तो उसका अगर यह परिणाम निकलता है कि एक अध्यापक के पास जितने बच्चे आज हैं, उन में वृद्धि हो जाए तो वह पढ़ाई नहीं होगी, उसको पढ़ाई नहीं कहा जायेगा । आज अगर एक अध्यापक के पास ७० बच्चे हैं और इस विधेयक के पास हो जाने के बाद यदि उस के पास १०० बच्चे हो जाते हैं, तो उसको पढ़ाई नहीं कहा जायेगा, निःशुल्क पढ़ाई की बात को तो छोड़ ही दीजिये । मैं ४० बरस से देखता आ रहा हूं कि निःशुल्क पढ़ाई तो यहां पर रही है लेकिन उसके साथ साथ कई दिक्कतें भी रही हैं । जब मैं छोटा सा था तो म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ा करता था । उस समय जो हालत थी, उसको जब मैं देखता हूं और आज की जो हालत है, उसको देखता हूं तो मुझे ज़मीन आसमान का अन्तर मालूम पड़ता है । जब हम पढ़ने जाया करते थे तो एक दिन भी अगर हम में से कोई एबसैंट हो जाता था तो दूसरे दिन

[श्री नवल प्रभाकर]

या तो अध्यापक स्वयं या चपड़ासी घर पर पहुंच जाया करता था और पूछा करता था कि भाई स्कूल क्यों नहीं आये, और अगर कोई बीमार होता था, तो उसका हाल चाल पूछा करता था। लेकिन आज हालत यह है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को ले कर किसी स्कूल में जाते हैं दाखिल करवाने के लिए तो उनको जवाब मिलता है कि यहां पर जगह नहीं है और जब वे दूसरे स्कूल में ले जाते हैं तो वहां से भी इसी तरह का उत्तर मिलता है कि जगह नहीं है।

आपने पिछले दिनों और माननीय मंत्री जी ने भी पिछले दिनों अखबारों में छपे फोटो देखे होंगे कि एक स्कूल के आगे तीन दिन पहले से ही माता-पिता चारपाइयां लगा कर लेट गए ताकि उन के बच्चों को उस स्कूल में दाखिला मिल सके। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो सरकार के अपने स्कूल हैं, उन में अध्यापकों के पास ६०-६० और ७०-७० बच्चे पहले से ही है और अगर वहां पर कोई जगह होती है तो दाखिले के लिए एक होड़ सी लग जाती है।

जहां तक मान्यता प्राप्त स्कूल्ज का सम्बन्ध है, यह सही है कि वहां पर देख भाल अच्छी होती है, वहां पर पढ़ाई का ंग भी ठीक है किन्तु वहां पर दुविधायें भी बहुत सी हैं। वहां पर एडमिशन पाने के लिये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और अगर किसी तरह से बच्चा प्रविष्ट हो जाता है तो वहां पर कहने को तो शिक्षा निःशुल्क होती है किन्तु बिल्डिंग फंड के नाम से, बिजली के नाम से और दूसरे कई नए नए तरीकों से चन्दे मांगे जाते हैं। इसको अगर आप निःशुल्क शिक्षा कहें तो मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

तीसरी तरह के वे स्कूल हैं जहां पर पैसे वाले मां बाप ही अपने बच्चों को भेज पाते हैं, वहां पर वे बच्चे आराम से रहते हैं, अच्छा पढ़ते हैं खेलते हैं, कूदते हैं। इन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

एक और तरह के भी स्कूल हैं जिन की ओर विशेष रूप से सरकार का ध्यान जाना चाहिये। सरकार उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। ये स्कूल ऐसे हैं जो कि किन्हीं संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं और सेवा भाव से यहां पर काम होता है। इन में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वे सेवा-भाव से काम करते हैं। मैं इस संबंध में हरिजन शिक्षा समिति का ज़िक्र करना चाहता हूं। इस समिति के द्वारा जो स्कूल चलाये जाते हैं वे बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, वहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कई बहनें हैं जो वहां पर सेवा भाव से पढ़ाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को तीन तीन और चार चार साल के बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इन के अलावा ६ से ११ साल के जो बच्चे हैं उनको भी वहां पर पढ़ाया जाता है। उनकी सहायता करने के लिये यदि सरकार से कहा जाता है तो सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। मैं चाहता हूं कि जो संस्थायें वस्तुतः सहायता की पात्र हैं, सरकार को उनकी सहायता करने के लिये आगे आना चाहिये।

जहां तक दिल्ली में पाठ्य पुस्तकों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि कृपा कर के आप इस तरह का प्रबन्ध कीजिये कि जिस से उन में गलतियां कम हों। आज देखा जाता है कि जो पाठ्य पुस्तकें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, वे अशुद्धियों से भरी हुई होती हैं। यदि आप कहें तो मैं अशुद्धियों पर निशान लगा कर उन पाठ्य पुस्तकों को आप के

पास भेज दूं। जब बच्चा उन अशुद्ध लफ़्ज़ों को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में शुरू से आखिर तक वही अशुद्ध लफ्ज़ बैठे रहेंगे । लेखन की जो बात है, वह भी वैसी ही है । तो मेरा यह निवेदन है कि पाठ्य पुस्तकें जो हों उनको आप अपनी ओर से तैयार करायें, जो शुद्ध होनी चाहियें, जो अच्छी होनी चाहियें। और यह न हो कि हर साल किसी के दबाव में आकर वे बदल दी जाया करें । वे बराबर चालू रहनी चाहियें । जैसा कि माननीय स्पीकर महोदय ने कहा था कि एक पिता के अगर तीन या चार या छ बच्चे हैं तो बड़े बच्चे ने पढ़ा, फिर उस से छोटे ने पढ़ा और फिर उससे छोटे ने पढ़ा और इस तरह से वे पढ़ते जाते थे। मैं चाहता हूं कि पाठ्य पुस्तकों के बारे में आप इसी तरह से करें ।

अब आप अनिवार्य शिक्षा के बारे में कह रहे हैं। इस के बारे में जो स्थिति है उसे भी मैं जानता हूं । स्कूलों के अन्दर यूनिफार्म का भी सवाल आता है । यूनिफार्म गरीब बच्चों के माता पिता बनवा नहीं सकते हैं लेकिन उनके लिये यह अनिवार्य हो जाता है । एक ओर तो अनिवार्यता की तलवार माता पिता पर लटकती रहती है और दूसरी ओर स्कूल जाने पर बालक से कहा जाता है कि यूनिफार्म बनवाओ। माता पिता के पास यूनिफार्म बनवाने के लिये पैसा नहीं है, किताबों के वास्ते पैसा नहीं है तो फिर यूनिफार्म कैसे बना सकेगी । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि वर्दी सब के लिये अनिवार्य करना चाहते हैं तो आपको वर्दी का प्रबन्ध अपनी ओर से करना होगा। बिना इस के उन लोगों का काम नहीं चलेगा। यहां पर मिड-डे-मिल की बात कही जाती है, वह दिया जाय, या न दिया जाय, मैं उस के लिये कोई दबाव नहीं डालना चाहता लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि जब उनको पढ़ाने लिखाने की बात स्वीकार कर ली गई है तो उन को वर्दी जरूर मिलनी चाहिये ।

यहां कारपोरेशन की तरफ से दूध मिलता है। मुझे याद आती है महाभारत की कहानी। द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे अश्वत्थामा । वे अपने पुत्र को दूध तो पिला नहीं सकते थे, इस लिये चूर्ण घोल कर पिलाया करते थे । वही स्थिति यहां पर है । आप देश में लोगों को बतलायेंगे कि बच्चों को स्कूल में दूध मिलता है, लेकिन चूर्ण में पानी मिला कर बच्चों को पिलाया जाता है । आपने कभी देखा कि उसमें कितने पोषक तत्व हैं ? उसमें नाम को भी कोई पोषक तत्व नहीं हैं। पता नहीं किस दूध का चूर्ण होता है और वही सबको पिलाया जाता है, उस में कितना पानी मिलाया जाता है, इसका भी किसी को पता नहीं ।

डा० का० ला० श्रीमाली : वह दूध बहुत अच्छा है ।

श्री नवल प्रभाकर : वह ताजे दूध जैसा होता है ? मेरा खयाल है कि आपने इस का अनुभव किया होगा ?

डा का० ला० श्रीमाली : उस से भी अच्छा है ।

श्री नवल प्रभाकर : बहुत ठीक है, मेरा खयाल है कि आपके घर में वही दूध इस्तेमाल होता है ।

तो मैं अन्त में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो बातें मैंने बतलाई हैं, आशा है आप उन की तरफ ध्यान देंगे ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, यह विधेयक जो सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है उस के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है कि वह एक आदर्श विधेयक है । मुझे दुःख है कि मैं उन माननीय सदस्यों के विचारों से बहुत सीमा तक सहमत नहीं हो सकता । इस विधेयक को देखने के पश्चात् केवल इतना ही प्रतीत होता है कि कुछ स्थानों में आप ने राज्य सरकार को और स्थानीय निकायों को अधिकार दिया है कि वे वहां चाहें अनिवार्य शिक्षा लागू करें । जो अभिभावक विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये नहीं भेजेंगे उन के लिये आप ने अर्थ दंड की व्यवस्था की है । इस विधेयक में यह बात तो प्रमुख मालूम पड़ी लेकिन सचमुच हमारी निःशुल्क, और अनिवार्य शिक्षा का प्रारूप क्या होगा, उस का रूप आगे चल कर क्या होगा, इस में इस बात का दर्शन नहीं होता है ।

मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिये जो अनिवार्य और प्रारम्भिक शिक्षा बच्चों के लिये होती है वह आदर्शमय होनी चाहिये । यदि देश के अन्दर राज्य सरकारों के अन्तर्गत चलने वाली राजकीय और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित पाठशालाओं के भवनों की अवस्था, वहां के बच्चों की अवस्था, वहां की सामग्रियों की अवस्था, पाठ्यक्रम की अवस्था, अध्यापकों की अवस्था को हम देखें तो सचमुच हमें बड़ा दुःख और आश्चर्य होता है, कष्ट होता है । इस विधेयक में केन्द्र या दिल्ली की सीमा के अन्तर्गत जब प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ होगी तो वह दूसरे राज्यों के लिये आदर्शस्वरूप होगी। लेकिन मुझे को पूरा पूरा डर है कि आज राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के द्वारा राज्यों में जहां पर अनिवार्य शिक्षा लागू है, वहां पर उस की जो अधोगति है, वही अधोगति यहां भी होगी ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : ऐसा आप कैसे कह सकते हैं।

श्री जगदीश अवस्थी : वहां पर जो व्यवस्था है, मालूम पड़ता है कि वैसी ही व्यवस्था यहां भी होने जा रही है, क्योंकि आप ने इस में कहीं पर भी स्पष्ट बात नहीं कही है कि किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा रक्खेंगे, साथ ही साथ हम किस उम्र के विद्यार्थी से लेकर किस उम्र तक के विद्यार्थी को कैसे पढ़ायेंगे, यह भी स्पष्ट नहीं है । जो कूछ आपने कहा है वह यही है कि सब कुछ आप ने नियम बनाने वाली समिति को या राज्य सरकारों को या स्थानीय निकायों को अधिकार दे रक्खा है । पता नहीं आपने किस विचार से यह किया है ।

इस के साथ साथ यदि हम इस बात को देखें कि आज की शिक्षा प्रणाली हमारी कितनी दूषित है, तो पता चलेगा कि उस का प्रारम्भिक रूप जो है वही बहुत दूषित है । मैं उदाहरण दूं। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उ साह में आ कर संविधान की निर्देशक नीति के अनुसार सारे प्रदेश में जोकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, राजकीय पाठशालायें खोल दी हैं । अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और स्थानीय निकायों में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी है। वहां की अवस्था को अगर आप देखें तो कष्ट होगा। मैं ने कानपुर, के अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्रा त है, देखा कि राजकीय पाठशालायें खोली गई । लेकिन अगर वहां विद्यार्थी हैं तो उन के बैठने के लिये टाट का इन्तजाम नहीं है, वहां अध्यापक हैं तो अध्यापकों को चार चार महीनों तक वेतन नहीं मिलता है । यदि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों हैं तो उन के बैठने के लिये भवन नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : कुर्सी तो है ?

श्री जगदीश अवस्थी : कुर्सी भी नहीं है। मैं ने देखा है कि वहां के अध्यापक चारपाई पर बैठ कर पढ़ाते हैं। न कुर्सी है, न भवन है ठीक से। और सब से बड़ा दुःख तो तब होता है जब बरसात का समय आता है और चार चार महीनों के लिये स्कूल बन्द कर दिये जाते हैं। कोई छाया नहीं होती, गर्मियों और बरसात में पाठशालायें लगती नहीं हैं। इस प्रकार की अवस्थायें हैं और कहने के लिये हमारी राज्य सरकार घोषणा करती है कि हमने इतनी हजार राजकीय पाठशालायें कायम कर दी हैं। इस लिये मैं कहना चाहूंगा कि जैसा मैं ने निवेदन किया कि मुझे डर है कि आप इस विधेयक के अन्तर्गत इस दिल्ली में एक आदर्श कायम करने के लिये, केवल दिखलाने की दृष्टि से अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ करना चाहते हैं।

इस विधेयक के अन्तर्गत आपने यह रक्खा है कि हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। निःशुल्क शिक्षा का क्या अर्थ होता है ? आप अच्छी तरह से जानते हैं, सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, कई माननीय सदस्यों ने प्रकट किया है कि आज भी निःशुल्क शिक्षा के नाम पर और मुख्य रूप से हमारी निजी प्रबन्ध में शिक्षा पाठशालायें चलती हैं, वहां पर इस प्रकार से व्यावसायिक धन्धा चलता है जिस प्रकार से कि औद्योगिक क्षेत्र में या पब्लिक सेक्टर में, बड़े बड़े मिल मालिक पैसा कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसी प्रकार का हमारा अनुभव है और मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों का अनुभव होगा इस प्रकार की शिक्षा संस्थायें जो निजी रूप से कभी मांटेसोरी शिक्षा पद्धति को लेकर या दूसरा नाम ले कर काम करती हैं वे निःशुल्कता के नाम पर केवल धन कमाती हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर नगर में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दिया, वहां पर जो प्रारम्भिक पाठशालायें माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धकों के अन्तर्गत थीं उन को हटा कर उन के स्थान पर बचत के लिये मांटेसोरी स्कूल्स कायम कर दिये जिन में दूसरे स्कूलों के लोग दखल नहीं दे सकते। मांटेसोरी स्कूलों में बच्चों से बिल्डिंग फंड के नाम पर, कभी पन्खा फीस के नाम पर और कभी किसी और नाम पर अधिक रुपया लिया जाता है अभिभावकों से। वहां पर इस प्रकार बहुत ही मंहगी शिक्षा दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो कि दिल्ली में लागू होने जा रहा है, इस बात को भी हमारे मंत्री महोदय देखें कि कहीं ऐसा न हो कि जब आप अनिवार्य शिक्षा लागू कर दें तो निजी प्रबन्धकगण कानून से बचने के लिये जिस में सरकार दखल न दे सके, मांटेसोरी के नाम पर या दूसरे सिस्टम के नाम पर पाठशालायें खोल कर पैसा कमाने लगें। इस में इस प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं की गई है कि इस तरह की व्यावसायिक संस्थाओं पर कोई नियंत्रण लग सके।

इसी के साथ साथ इस विधेयक में कहीं भी इस के दर्शन नहीं होते कि जो हमारी प्रारम्भिक निःशुल्क शिक्षा होगी उस का सब को समान रूप से अवसर मिलेगा। आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, खास तौर से प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली है और जो आज हमारे विद्यालयों की अवस्था है, उस में कुछ बड़े लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जिन के बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं लेकिन. आज जो देश के ९० फी सदी गरीब, दुखी और अकिंचन लोग हैं उन के बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाती। उन के साथ आज भेद भाव है।

[श्री जगदीश अवस्थी]

मैं चाहूंगा कि अगर आप सचमुच में इस विधेयक को आदर्श बनाना चाहते हैं तो इस विधेयक के द्वारा दिल्ली में जो आप प्राथमिक पाठशालाएं खोलें वह सब के लिए समान होनी चाहिये, उनमें इन्सान इन्सान के बीच भेद नहीं होना चाहिये। जब एक उच्च अधिकारी का लड़का और एक गरीब आदमी का लड़का एक ही जगह शिक्षा ग्रहण करेगा तो उनमें समानता का भाव पैदा होगा। हमें समाजवाद की चर्चा करते हैं, हम समानता की चर्चा करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हवा में उड़कर नहीं आ जाएंगी। यदि इस आदर्श को आप वास्तव में लाना चाहते हैं तो आपको हमारे सब विद्यार्थियों को निश्चित रूप से समान शिक्षा देनी पड़ेगी और उच्च वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए कोई अलग प्रबन्ध नहीं किया जाएगा। चाहे वह किसी उच्च अधिकारी का लड़का हो, या मिनिस्टर का लड़का हो या किसी गरीब आदमी का लड़का हो, जब सब को एक ही स्कूल में शिक्षा मिलेगी तो वह समझेंगे कि देश आजाद हुआ है और हम समान हैं और हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इस विधेयक में इसकी कोई व्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती। और इसलिये वही भेदभाव रहेगा। तो जो आप आदर्श की बात कहते हैं कि सब के साथ समान रूप से व्यवहार होगा, यह कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक में भाषा के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि नियम बनाने वाली समिति को यह अधिकार होगा कि वह यह तै करे कि किस शिक्षा संस्था में किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक में जहां भाषा के बारे में कहा गया है वहां निश्चित रूप से भारतीय भाषा का शब्द जोड़ देना चाहिए। इसमें केवल—लेंग्वेज—शब्द रखा गया है। आज हो यह रहा है कि अंग्रेजी को जहां हम एक तरफ हटाना चाहते हैं वहां कलम से दूसरी तरफ हम उसे घुसेड़ना चाहते हैं। मुझे डर है कि इस शब्द —लेंग्वेज—के कारण कहीं अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम न बना दिया जाए। यह सचमुच इस देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अपने देश के बच्चों को हम अपनी मातृ भाषा में ही शिक्षा दें। इसलिये इस विधेयक में शब्द—लेंग्वेज— के पहले शब्द—इंडियन— जोड़ दिया जाए जिससे कि किसी विद्यार्थी को विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा ग्रहण न करनी पड़े और तो उस पर विदेशी भाषा लादने का प्रयत्न किया जा रहा है वह सफल न हो सके।

इसी के साथ साथ इस विधेयक में यह निश्चित नहीं किया गया है कि स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिये। मेरा अपना सुझाव है कि किसी भी बच्चे को अपने घर से स्कूल जाने के लिये आधे मील से ज्यादा नहीं चलना पड़ना चाहिये। इसकी इसमें निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये।

समय बहुत थोड़ा है। मेरा अन्त में निवेदन है कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है और जो सुझाव मैंने रखे हैं वह इस विधेयक को पारित करते समय ध्यान में रखे जाने चाहिए।

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार) : सभानेत्री जी, इस बिल पर सारे देश की नजर है क्योंकि यह माडल बिल होने वाला है। मगर यह बिल पढ़ने से यह नहीं मालूम होता कि देश में जहां जहां ऐसे ऐक्ट बने हैं उनसे जो खास अनुभव मिला है उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए मुझे अफसोस है कि इतने अनुभव के बाद भी हम कुछ आगे नहीं बढ़ सके।

प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी करना ही चाहिये इसके बारे में तो कोई मतभेद हो नहीं सकता, मगर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इसके बारे में तो बहुत सी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को किस तरह से दूर करके हमें आगे बढ़ना होगा यह हमको सोचना पड़ेगा।

कुछ स्टेट्स में जैसे बम्बई में, सौराष्ट्र में या मैसूर में कम्पलसरी एजूकेशन के एक्ट बने हैं लेकिन वहां वह चीज पेपर पर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। इसके मानी यह नहीं हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में हम अ्रानेस्ट नहीं हैं, पर उसका कारण यह है कि अपने देश में हम जिनको पढ़ाना चाहते हैं उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है और राज्य सरकारों के पास काफी पैसा नहीं है।

और एक बात उसूल की और बुनियादी मैं कहना चाहती हूं। जनता को यह मालूम नहीं होता कि इस एजूकेशन से इन्सान में कुछ ज्यादा लायक बनने की ताकत आती है। लोग ऐसा समझते हैं कि हायर एजूकेशन लेने से तो कुछ लोग अफसर बन सकते हैं, मगर तीन, चार या पांच श्रेणी तक पढ़ने में बेकार समय गंवाना है। इसलिये बहुत से लोग अपने लड़कों को स्कूलों में नहीं भेजते। जो एजूकेशन आज चल रहा है उसमें उनको फायदा नहीं दिखाई देता। इसलिये मैं समझती हूं कि अगर आपको मास एजूकेशन करना है, जो कि पहले नहीं था तो आपको एजूकेशन का ढांचा बदल देना पड़ेगा। जो काम बच्चे करते हैं उससे अगर उस शिक्षा का कुछ ताल्लुक होगा तो हमारी एजूकेशन बढ़ सकती है। इसलिये हमको बुनियादी तौर से सोचना पड़ेगा, नहीं तो यह बिल तो ऐक्ट बनेगा मगर ज्यादातर बच्चे शालाओं में कभी भी नहीं आ सकेंगे।

हम अपने देश की हालत जानते हैं। कांस्टीट्यूशन में यह रखा गया कि दस साल बाद कम्पल्सरी एजूकेशन हो। उस समय कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने सोचा होगा कि दस साल बाद ऐसा समय आ जाएगा और हमारा इकानमिक स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि जिससे सब के सब बच्चे अपना काम छोड़ कर शालाओं में आने लगेंगे। मगर यह अफसोस की बात है कि अभी तक ऐसी हालत नहीं हो पायी है। जो बच्चे जंगलों में काम करते हैं, या खेतों में या कारखानों में काम करते हैं हम उनको कैसे स्कूलों में लाएंगे। उनको अपनी स्थिति के कारण कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। उसको वह छोड़ कर नहीं आ सकते क्योंकि उससे उनकी रोटी का सवाल, उनके कपड़े का सवाल और उनके रहने का सवाल लगा हुआ है। ऐसी हालत में आपकी यह कम्पलसरी एजूकेशन कैसे कामयाब होगी, और जब उनका रोटी का सवाल इसके साथ जुड़ा है तो आप कम्पलसरी एजूकेशन करने में कहां तक जस्टीफाइड होंगे। यह सोचने की बात है। इससे यह न समझ लिया जाए कि मैं इसके खिलाफ हूं। मैं तो चाहती हूं कि एक एक बच्चे को प्राइमरी एजूकेशन मिलनी चाहिये। मगर उसके लिए आपको शिक्षा का ढंग और उसका ढांचा बदलना होगा।

इस बिल में बहुत सी धारायें रखी हैं मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा यह रूल्स पर छोड़ दिया गया है जो कि लोकल आथारिटीज बनाएंगी। वह कैसे रूल बनाएंगी और कैसे क्या काम होगा आज की हालत में यह भी सोचने की बात है। मगर जितने बच्चे हैं .

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): यह जो माननीय सदस्या बोल रही हैं यह हिन्दी में बोल रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्री उपस्थित हैं नहीं और उनकी ओर से कोई हिन्दी जानने वाला नहीं है। इनकी बातों का उत्तर कैसे दिया जा सकेगा ?

†श्री अ० मु० तारिक (जम्मू और काश्मीर): मैं उन्हें बताता जा रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्रीमती जयाबेन शाह : तो मैं कहती हूं कि इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकेगा। इस बिल से इतना ही हो सकता है कि जिन लोगों के पास धन्धा है और जिनके बच्चे आलस्य और अज्ञान के कारण शालाओं में नहीं जा रहे हैं वे शालाओं में जाने लगेंगे। मगर इससे हमको पूरा संतोष नहीं होना चाहिये। जो बच्चे आ ही नहीं सकते उनके लिए हमने क्या सोचा है और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। उनके लिए भी हमको सोचना चाहिये। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि जैसा राजाजी ने बताया उनके लिए हमको पार्ट टाइम स्कूल या नाइट स्कूल खोलने चाहियें ताकि उनको भी शिक्षा मिल सके और जो काम वह करते हैं उसकी उनको शिक्षा मिले। उनके काम की शिक्षा को भी काम के साथ जोड़ना चाहिये तभी हम उन बच्चों को तालीम दे सकेंगे। इसके लिए हमको अपनी शिक्षा का रूप बदलना होगा।

इसमें एक बात और कही गई है और वह है टैक्स्ट बुक्स के बारे में। बहुत से सदस्यों ने उसके बारे में कहा है। मेरे विचार से सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह अच्छे शिक्षक का है। हम देखते हैं कि जो आदमी और किसी काम में नहीं चल सकता वह शिक्षक बन जाता है। उनके दिल में शिक्षा का कोई भाव नहीं होता। तो मैं चाहती हूं कि हम इस बारे में सोचें।

और जो टैक्स्ट बुक्स की बात कही गई, जब हम पढ़ते थे तो प्राइमरी शिक्षा के लिए हमको केवल एक किताब खरीदनी पड़ती थी। आज जो बच्चों को ढेर सारी किताबें ले जानी पड़ती हैं जिनको लेकर वह चल भी नहीं सकते, मेरी समझ में यह जरूरी नहीं हैं। बच्चों को ज्यादा किताबों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, उनकी शिक्षा तो अधिकतर शिक्षक के द्वारा होनी चाहिये। बच्चे डिमांस्ट्रेशन से और कहानियों वगैरह से ज्यादा सीखते हैं। उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि उन के लिये किताबों की ज़रूरत नहीं है। बचपन में हम लोग जो कुछ सीखें हैं, वह आज भी याद है। उनके लिए पैन, पैंसिल और नोटबुक की क्या ज़रूरत है ? उनका ओरल एग्ज़ामिनेशन हो। शिक्षा में जो नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन से बच्चे बड़े परेशान हैं और उन की वजह से एजूकेशन बड़ी कास्टली हो गई है, जिस को ग़रीब लोग एफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं।

हमारे यहां आडियो-विजूअल एजूकेशन का बड़ा काम चल रहा है। जब हम मास एजूकेशन देना चाहते हैं, तो यह बहुत आवश्यक है कि इस मैथड़ को ऐसे स्तर पर लाया जाये कि उससे सब जगह फ़ायदा उठाया जा सके। ऐसा न हो कि बाहर से, अमरीका से साधन आयें और दिल्ली तथा दूसरे स्थानों पर उनका उपयोग हो। होना यह चाहिये कि जहां की जैसी हालत हो, वैसे साधन वहां बनाये जायें, नक्शे बनाए जायें, चार्टस् बनाये जायें, जिससे बच्चे देख कर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं। बच्चों की पढ़ाई को कम्पलसरी करना तो ऐसे भी कठिन है, लेकन कन्याओं की एजूकेशन को, गर्ल्स एजूकेशन को कम्पलसरी करना तो और भी कठिन है, क्योंकि उन की बहुत सी लिमिटेशन्ज़ होती हैं। मैं समझती हूं कि अगर कन्याओं की एजूकेशन को भी कम्पलसरी करना है, तो उनके लिए ज्यादा सुविधायें देनी होंगी। आल इंडिया कौंसिल आफ़ विमेन्ज़ एजूकेशन ने इस विषय में बहुत से सुझाव दिए हैं। अगर हम उनको किसी हद तक इम्प्लीमेंट करें, तो मैं समझती हूं कि हमारा काम कामयाब होगा।

आजकल ऐसी शालाएं भी हैं, जहां प्राइमरी एजूकेशन में इंगलिश को दाखिल किया जाता है। मैं समझती हूं कि छोटे बच्चों पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं है। पहले उनको रिजनल लैंग्वेज सिखाई जाये और फिर नैशनल लैंग्वेज सिखाई जाये। बच्चों पर ज्यादा बोझ डालने से कम्पलसरी एजूकेशन की योजना बिल्कुल नाकामयाब हो जायगी और जिन को इस का लाभ पहुंचना है, वह नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सुविधायें और शिक्षक नहीं हैं।

हमारे देश में शिक्षा का क्वेस्चन बहुत काम्प्लीकेटिड हो गया है। अगर हम नीचे के स्तर पर एजूकेशन को कम्पलसरी बनायेंगे, तो सैकंडरी एजूकेशन के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आयेंगे। उनको हम कैसे पढ़ायेंगे? हम कैसे कहेंगे कि यह हमारा फ़र्ज़ नहीं है, वे जो चाहें करें। तो मैं समझती हूं कि हम शिक्षा का आयोजन ऐसे करें कि बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। उन को ऐसे काम सिखाए जाने चाहियें, जिस से वे कुछ प्रोड्यूस करके शालाओं की मदद कर सकें फिर फिर का सवाल न उठ सके। यदि हम सैकंडरी एजूकेशन को भी इस के साथ जोड़ दें, और सारे का सारा एक इन्टेगरेटिड कोर्स बनायें, तो मैं समझती हूं कि कम्पलसरी एजूकेशन में लोगों को खास दिलचस्पी होगी और हम फ़तेहमन्द होंगे।

†**श्री अमजद अली** (धुबरी): हमें अपने संविधान के अनुरूप विधियां बनानी चाहियें।

हम अभी दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में स्कूल जाने वाली आयु के बच्चों की संख्या ३,२०,००० है। इनमें से २५ प्रतिशत दिल्ली के २२ मदरसों और मकतबों में शिक्षा पा रहे हैं।

श्री रहमान और श्री त्यागी ने इस बात पर जोर दिया है कि उन मदरसों और मकतबों को अनुमोदित स्कूलों की सूची में जगह दी जानी चाहिये। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक खास किस्म की तालीम दी जाती है। उनको कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है। साथ में, आम तालीम भी दी जाती है। हमारे संविधान में इस बात की गारंटी की गई है कि अल्पसंख्यक जनता "अपनी पसंद" के स्कूल चला सकती है। केरल शिक्षा विधेयक के सिलसिले में उचतम न्यायालय निर्णय कर चुका है कि "अपनी पसंद" के क्षेत्र में वे सारी बातें आ जाती हैं जो सम्बन्धित अल्पसंख्यक लोग करना चाहें। ये मदरसे और मकतब मुस्लिम समुदाय की ओर से चलाये जाते हैं; उनकी पसंद के हैं। इसलिये उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने देनी चाहिये। उनको भी अनुमोदित स्कूलों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने उक्त निर्णय में यह भी कहा था कि यदि किसी शिक्षा संस्था के पाठ्यक्रम में धर्म के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा भी शामिल हो, तो उसे मान्यता दी जा सकती है। ऐसे स्कूलों में सामान्य शिक्षा भी दी जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने बम्बई शिक्षा संस्था बनाम बम्बई राज्य के एक मुकदमे के निर्णय में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद ३० का खण्ड (१) अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी अपनी भाषा के माध्यम से अपने स्कूल चलाने का अधिकार देता है। राज्य शिक्षा का कोई दूसरा माध्यम अपनाने के लिये उसे विवश नहीं कर सकता।

संविधान का अनुच्छेद ४५ अनुच्छेद ३० का विरोधी नहीं है। दोनों को एक साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। इसलिये माननीय मंत्री को मेरा संशोधन मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

एक बात और। इसमें व्यवस्था की जा रही है कि ६ से ११ वर्ष तक की उम्र के जो बालक-बालिकायें किसी नौकरी में लगे हैं उनके लिये अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उनकी कक्षायें शाम को लगेंगी। लेकिन बालिकाओं के नैतिक-स्वास्थ्य पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

खण्ड २५ के अन्तर्गत नियम तैयार किये जायेंगे उनके विषय दिये गये हैं, पर उनमें कहीं भी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच का उल्लेख नहीं है। आशा है कि इसे भी उनमें शामिल किया जायेगा।

श्री राधेलाल व्यास : सभापति महोदया, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इस बिल को केन्द्रीय सरकार के आधीन जो दिल्ली स्टेट है, उस में लागू किया जाना है। सारे देश की निगाह इनकी ओर रहने वाली है।

कम्पलसरी और फ़्री एजुकेशन से ज्यादा बड़ी चीज़ जो लोग समझते हैं यह है कि स्टैंडर्ड अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा निकले। आज देखा जाता है कि लड़कों लड़कियों को स्कूल तो भेज दिया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को घरों पर टीचर्स रखने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि जो स्टैंडर्ड है उसकी ओर ज्यादा शासन का ध्यान जाए। एजुकेशन को फ़्री और कम्पलसरी (अनिवार्य) कर देने के बाद स्टैंडर्ड लो न हो, स्टैंडर्ड अच्छा रहे और अच्छा रिजल्ट निकले, इस ओर आप ध्यान दें। जो रिजल्ट निकलते हैं, उनको आपको चाहिये कि आप हर साल एसेस करते रहें और अगर कम रिजल्ट निकलता है तो आप देखें कि क्यों वह कम निकला है। अगर कोई टीचर है जिसका रिजल्ट ठीक नहीं रहता है और लगातार एक दो साल तक ठीक नहीं रहता है तो बजाय इसके कि उसको आप समाज पर लादे रखें, उसको हटाने की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है तो जैसे अब होता है कि लोग फीस दे कर भी बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजने के लिये तैयार हो जाते हैं, वैसे ही आगे भी होता रहेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें।

शिक्षा के बारे में आम शिकायत यह है कि छात्रों के चरित्र निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस ओर दिल्ली स्टेट ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। मॉरल एजुकेशन कम्पलसरी कर दी जानी चाहिये। साथ ही साथ स्पोर्ट्स ड्रिल वगैरह भी कम्पलसरी होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ प्रत्येक बालक के लिए स्काउत बनने की और प्रत्येक बालिका के लिए गाइड बनने की शुरू से ही व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि पंचायतों के आधार पर यहां का शासन चलेगा, सहकारिता के आधार पर काम होगा और कृषि हमारे यहां का एक मुख्य धंधा है। उसको आधार मान कर चला गया है। जो सामुदायिक विकास का विषय है, जिसमें कृषि, सहकारिता और पंचायतें आती हैं, उसको आवश्यक विषय बना दिया जाना चाहिये और उसकी पढ़ाई शुरू से ही प्रारम्भ होनी चाहिये। मुझे मालूम है कि ग्वालियर स्टेट में कृषि व्यवस्था और शील शिक्षा अनिवार्य थी। इन दोनों विषयों की पढ़ाई होती थी और पहली किताब से ले कर छठी किताब तक वहां पर थीं। मैं चाहता हूं कि ये विषय भी अनिवार्य कर दिये जाने चाहियें, जिससे उपयोगी नागरिक हमारे बालक-बालिकायें बन सकें।

जनरल साइंस भी बहुत जरूरी है और वह भी आवश्यक विषय होना चाहिये।

आप अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इससे जो खर्चा है वह काफी बढ़ने वाला है । मैं चाहता हूं कि तीसरी-चौथी क्लास तक लेडी टीचर्स को ही नियुक्त किया जाए और इस क्लास तक लड़के और लड़कियों को साथ साथ शिक्षा दी जाए । लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहियें । जो लेडी टीचर्स रखी जायें, वे अच्छी ट्रेंड होनी चाहियें ताकि वे बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सकें । मैं चाहता हूं कि तीसरी चौथी क्लास तक केवल ट्रेंड लेडी टीचर्स ही रखी जाएं और लड़के-लड़कियों के इस क्लास तक अलग-अलग स्कूल न खोले जायें ।

आज देखा जाता है कि बच्चों के शुद्ध लेखन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वे ठीक नहीं लिखे पाते हैं, उनके अक्षर खराब होते हैं । देखा गया है कि पहले कापियां लिखाई जाती थीं, अक्षरों की तरफ ध्यान दिया जाता था । लेकिन आज ऐसा नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये । गायन की शिक्षा भी उनको दी जानी चाहिये । जनरल नालेज भी उनका बढ़े, ऐसी भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये । स्कूलों में शुरु से ही उनके शुद्ध, स्वच्छ, साफ और अच्छे लेखन की ओर ध्यान दिया जाए ।

अब मैं शिफ्ट सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं इसके खिलाफ हूं । जहां पर शिफ्ट सिस्टम चलता है वहां पर सात बजे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और वे हाथ मुंह धो कर इतनी जल्दी स्कूल जाने के लिये तैयार नहीं हो पाते हैं । तीन घंटे के बाद जब उनको छुट्टी मिल जाती है तो वे दिन भर खेलते हैं । मैं चाहता हूं कि जो भी पढ़ाई होनी है वह स्कूल में ही हो जानी चाहिये और घर के लिये काम नहीं दिया जाना चाहिये । जितनी पढ़ाई हो मुकम्मिल तौर पर स्कूल में ही हो जिससे बच्चे कमजोर पढ़ाई में न रहने पायें ।

जब आप शिक्षा को अनिवार्य करने जा रहे हैं तो स्कूलों की संख्या भी काफी होनी चाहिये और दूर दूर स्कूलों में बच्चों को जाने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये । अगर लड़कियों को दूर के स्कूलों में जाने के लिए मजबूर किया गया तो माता पिता को बहुत दुख सहन करना पड़ेगा । इस वास्ते यह जरूरी है कि लोगों के घरों के पास ही ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जायें ।

मैं यह भी चाहता हूं कि इस काम में जनता का सहयोग हासिल किया जाए । एक ऐसा बोर्ड बनाया जाना चाहिये जिसमें नागरिक भी रहें, बालक भी रहें, टीचर्स भी रहें, शिक्षा विशेषज्ञ भी रहें और उन सभी के सहयोग से, किस तरह से अच्छी से अच्छी शिक्षा इन स्कूलों में दी जा सकती है, इसका पता चला कर, काम किया जाए । पाठ्यक्रम तैयार करने में, स्कूल भवन बनाने में तथा और भी जो काम हैं, उनको पूरा करने में आपको जनता का सहयोग मिल सकता है और उसे लेने की आपको कोशिश करनी चाहिये । यदि आपने ऐसा किया तो यह जो योजना आपकी है, यह बहुत हद तक सफल हो सकती है ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : सभानेत्री जी, तालीम के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और खुशी की बात है कि यह बिल कम्पलसरी एजुकेशन के बारे में बन रहा है । बिल तो बन जायेगा मगर काम करने के वास्ते ठीक व्यवस्था होनी चाहिये । अभी हमारे आनरेबल मेम्बर बोल रहे थे और कह रहे थे कि लेडी टीचर्स रखी जायें । मैं समझती हूं कि वे अनुभव रख कर बोले और ठीक बात कही । इस कानून में इस तरह की बात जरूर होनी चाहिये कि कम्पलसरी एजुकेशन

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

जो कि प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसमें औरतें ही रखी जायें, दूसरे टीचर्स न रक्खे जायें । अगर औरत वहां पर होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी । बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो तजुर्बेकार हैं और ट्रेंड हैं जो कि वहां रक्खी जा सकती हैं । सब बहनें तो तजुर्बेकार नहीं हो सकती हैं पहले से । इसलिये जो तजुर्बेकार बहनें हैं उनको आप फर्स्ट स्टैन्डर्ड, सेकेन्ड स्टैन्डर्ड और थर्ड स्टैन्डर्ड में रक्खें । नई बहनें जो अप्वाइंट की जायें वे दूसरे क्लासेज में रक्खी जा सकती हैं ।

लेडी टीचर्स के रिटायरमेंट टाइम (निवृत्ति) के बारे में भी मैं कहना चाहती हूं कि उसे दो या पांच साल ज्यादा बढ़ा दिया जाय ताकि जो लेडी टीचर्स आज काम कर रही हैं वे इस स्कीम के सक्सेसफुल होने तक, दस या पन्द्रह साल तक काम करती रहें । उनका रिटायरमेंट टाइम ५५ साल से बढ़ा कर दो या चार साल और पढ़ाने का मौका दिया जाय । अगर ऐसा नहीं किया तो काम नहीं चलेगा । अगर शुरू से अच्छे टीचर्स लिये जायें तो पाठशालाओं में गड़बड़ियां कम होंगी और यूनिवर्सिटी वगैरह में उनके बन्द होने का मौका नहीं आयेगा । पढ़ाई के बाद एक साल का समय काम का तजुर्बा हासिल करने के लिये नहीं रक्खा जाना चाहिये । पहले से ही पढ़ाई ठीक ढंग से शुरू होनी चाहिये । मैं कहना चाहती हूं कि सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा औरतें ही होती हैं । आप लोग दुर्गा पूजा तो करते हैं लेकिन औरतों को काम नहीं देते । मैं फिर कहती हूं कि एजुकेशन के क्षेत्र में पुरुषों का लेना मुझे पसन्द नहीं है । प्राइमरी एजुकेशन फौरन नहीं तो एक या दो साल के अन्दर बहनों के हाथ में आ जाना चाहिये ।

किताबों के बारे में हमारी बहन बोल रही थीं । हम लोग एक किताब पढ़ा करते थे, जिसका नाम बाल शिक्षा हुआ करता था । उसमें तरह तरह की चीजें हुआ करती थीं उसमें पांच क्लास तक की नालेज आ जाया करती थी, उतना ज्ञान तो आज पांच साल तक पढ़ने के बाद भी विद्यार्थियों में नहीं आ पाता है । आज तो स्कूलों में सिर्फ दिखावट और बनावट ही होती है, आज इन्स्पेक्टर आ रहा है, इसलिये सब के पास २५ किताबें होनी चाहियें, नोट बुक होनी चाहियें, दो पेन्सिलें होनी चाहियें, दो स्पेल्स होनी चाहियें, चार रबर होने चाहियें । यह सब गलत चीज है । इससे ऐसा मालूम होता है कि फूल जो बनाया है उसमें कोई बास नहीं है, वह आर्टिफिशल है । इसी तरह से आज एजुकेशन कोर्स बनाते जाते हैं । सब कुछ होता है लेकिन बच्चों के पास उनको समझने की ताकत नहीं होती । मैं जोर देकर अपने मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों और टीचर्स का रेशियो होना चाहिये । कम्पलसरी एजुकेशन के लिये पुलिस वाले बच्चों को लेकर आयें, यह बात गलत है । पहले तो बच्चों के लिये स्कूल में जगह होनी चाहिये, फिर एक टीचर के पास सिर्फ २० या २५ या हद्द से हद्द ३० बच्चे होने चाहियें । इससे ज्यादा होना गुनाह है क्योंकि ज्यादा बच्चे होने से उनको सम्भालना मुश्किल हो जाता है । हर प्राइमरी स्कूल के लिये एक स्कूल मदर होनी चाहिये जो कि माता की तरह पर हो ।

किताबों के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि वह तीन साल तक चलनी चाहियें । हर साल किताबों का बदलना एक बोगस बात है । इससे तो सिर्फ किताब बनाने वालों का बिजिनेस होता है । मिड डे मील भी होना चाहिये । हमारे बच्चों की तालीम पुराने जमाने की तरह पर ही होनी चाहिये । हम लोग सुना करते थे पुराने जमाने में जब बच्चे स्कूल जाते थे तो एक ताकत लेकर, एक ढंग लेकर घर आते थे। आजकल कहा यह जाता है कि बच्चा स्कूल जाकर बिगड़ जाता है, वह घर में ही अच्छा रहता है । ऐसा डर नहीं होना चाहिये । आज मुहल्ले मुहल्ले में स्कूल होते हैं, बहनें बहुत पढ़ी लिखी होती हैं । स्कूलों के लिये उनकी एक कमेटी होनी चाहिये । मदर्स कमेटी होनी चाहिये । उनमें जितनी पढ़ी लिखी औरतें हों उनको बुलाना चाहिये । मैं अपने माननीय सदस्यों को बतलाना चाहती

हूं कि किसी भी मुल्क में अकेले गवर्नमेंट के जरिये कोई काम नहीं होता है। जब तक प्रजा साथ में नहीं आयेगी तब तक काम नहीं चलेगा। इस वास्ते एक पेरेन्ट्स कमेटी बनानी चाहिये। बच्चों के लिये तीन इन्स्टिट्यूशन हुआ करते हैं जो उसको बनाने में मदद करते हैं। एक तो घर होता है, दूसरा समाज होता है और तीसरा स्कूल होता है। तीनों की एक ही इम्पार्टेंस हुआ करती है। जब तक तीनों का लिंक नहीं होगा तब तक पढ़ाई का काम नहीं हो पायेगा। हमारा फर्ज है कि प्रजा भी स्कूल के कंट्रोल में हाथ बटाये। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूं हर एक स्टेट में इस तरह का कानून बनना चाहिये और राज्य और प्रजा का कोआर्डिनेशन होना चाहिये। स्कूल बनने से पहले हमारे पास सामग्री होनी चाहिये, टीचर्स तैयार करने चाहियें। अगर टीचर्स की कमी हो तो जो रिटायर्ड टीचर्स हों उनको ही एक या दो साल के लिये बुला लेना चाहिये कुछ पैसा देकर।

मैं सुनती हूं कि हमारे देश में १४ से २० लाख तक साधु हैं। लोगों की इतनी बड़ी शक्ति बेकार जा रही है। क्यों न इन साधुओं से मदद लें, और उनको बुलायें? अगर हम उन लोगों से अपील करें तो उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग निकल आयेंगे जो अच्छा लिटरेचर तैयार करेंगे और बच्चों को पढ़ाने में मदद दे सकेंगे। उनके पास बुद्धि ज्यादा होती है, इसलिये उन लोगों से मदद ली जाय।

मैं फिर इस पर जोर दूंगी कि हमारे यहां प्रारम्भिक शिक्षा के लिये लेडी टीचर्स रक्खी जायें।

श्री त्यागी : लड़कियों के पढ़ाने से बच्चा कमजोर होता है, वह बुजदिल हो जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : हमारे श्री त्यागी जी कह रहे हैं कि औरतों के दिमाग नहीं होता है। लेकिन यह बात गलत है, उनके पढ़ाने से बच्चा कमजोर नहीं हो सकता है।

†**श्री मं० रे० कृष्ण** (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर हमें गर्व है। ब्रिटिश शासन काल में श्री गोखले जैसे राष्ट्रीय नेता ने इसे पेश किया था। हां, इसमें सरकार ने विलम्ब जरूर किया है। बहुत पहले श्री बी० जी० खेर के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई थी ऐसे विधेयक के वित्तीय उपलक्षणों और कठिनाइयों पर विचार करने के लिये। सरकार को इसे बहुत पहले सभा के सामने ले आना चाहिये था। हम चाहते तो यह थे कि प्रथम योजना काल में हमारे ४० प्रतिशत और द्वितीय योजना काल में शेष ६० प्रतिशत बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो जाये। लेकिन वह नहीं हो सका। अब कम से कम दिल्ली में तो यह लागू हो जायेगा।

अन्य उन्नत देशों में शिक्षा की एक निश्चित योजना रहती है। लेकिन हमने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये जो पाठ्यक्रम अपनाया है वह हमारे देश के बच्चों के लिये अधिक उपयुक्त नहीं है।

इस विधेयक के खण्ड १२ के अन्तर्गत व्यवस्थित अंशकालिक शिक्षा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस योजना के प्रणेताओं का मंशा है कि बहुत ही गरीब लोगों को भी शिक्षा दी जा सके। जिन बालक-बालिकाओं को अपनी रोजी कमानी पड़ती है, उनके लिये यह योजना बड़ी लाभदायक रहेगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिये कि उन बालकों को पूरे दिन की मेहनत के बाद अनिवार्यतः स्कूल जाना पड़ेगा। वे केवल दण्ड के भय से स्कूल जायेंगे। आवश्यकता इस बात की है उनके लिये स्कूलों को अनिवार्य बनाने के बजाये, अधिक आकर्षक बनाया जाये। उनमें दोपहर का भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मं० रे० कृष्ण]

हमारे देहाती क्षेत्रों में स्कूल तीन-चार मील के फासले पर होते हैं। इसलिये वहां बच्चों के लिये आने जाने की सुविधायें जुटाई जानी चाहिये।

यदि सरकार इस योजना को सफल बनाना चाहती है, तो उसे इन सरकारी शिक्षण संस्थाओं को निजी शिक्षण संस्थाओं जितना ही आकर्षक और उपयोगी बनाना चाहिये।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : सभानेत्री जी, मैं दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक का स्वागत करती हूं। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की दिशा में जो ध्यान दिल्ली के लिये दिया गया है मैं चाहती हूं कि सारे भारत के राज्यों में इसी तरह निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये।

मैं विधेयक की व्यवस्था में तथा संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन में नहीं जाना चाहती। इसमें कितनी भी त्रुटियां क्यों न हों पर यह एक शुभ कदम है। जनता की ओर ध्यान देने के लिये अक्सर ऐसे विधेयकों की आवश्यकता होती है, और सरकार को जरूर ऐसे विधेयक लाने चाहिए।

मैं देखती हूं कि पिछले सात वर्षों से दिल्ली में पांचवीं श्रेणी तक शिक्षा निःशुल्क थी जो कि कारपोरेशन के हाथ में थी। दिल्ली नगरपालिका ने भी अपने क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा के लिये स्कूल खोले थे लेकिन देखने में आया है कि उनमें वही बच्चे जाते हैं जो फीस नहीं दे सकते या जिनको दूसरे स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पाता क्योंकि इनमें शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है और अध्यापक और अध्यापिकायें विशेष ध्यान नहीं देते। सरकार द्वारा जनता की शिक्षा की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसका परिणाम यह है कि जिसको और कोई काम नहीं मिलता वही शिक्षक बनता है। कोई प्रसन्नता के साथ शिक्षा विभाग में नहीं जाना चाहता इसलिये कि वहां वेतन भी बहुत कम है और अक्सर देखा गया है कि अध्यापकों को बहुत नीची नजर से देखा जाता है। अगर हम अध्यापकों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

मैं यह भी कहूंगी कि अध्यापकों को जो प्रशिक्षण दिया जाए वह भी उच्च कोटि का होना चाहिए। इसका अभाव है इसी कारण अच्छे शिक्षक नहीं हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते। मैं तो चाहती हूं कि प्राथमिक शिक्षा का काम खास कर महिलाओं को देना चाहिये और साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि २५ वर्ष से कम आयु के लोगों को अध्यापक या अध्यापिका नहीं बनाना चाहिये। पच्चीस साल से पहले इतनी बड़ी जिम्मेवारी का काम उनको सौंपना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक कि हम बच्चों की भावना को न समझें तब तक हम उनकी बुनियाद को मजबूत नहीं कर सकते। इसलिये मैं कहती हूं कि २५ साल से कम उम्र के लोगों को अध्यापक या अध्यापिका नहीं बनाना चाहिये। उससे फायदा नहीं हो सकता।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

जहां तक मैं जानती हूं आपने एम० एड० के लिए यह नियम रखा है कि पहले तीन साल पढ़ा ले तब उसको सरकारी खर्च पर आगे के लिए भेजा जा सकता है जहां उसको दो साल पढ़ना होगा और वहां से लौटने के बाद उसे उसी संस्था में तीन साल पढाना होगा। मेरा निवेदन है कि लड़कियों के साथ यह पाबन्दी कैसे निभ सकेगी कि पहले तो वह किसी स्कूल में तीन साल पढ़ाएं, फिर वापस लौट कर उसी स्कूल में ३ साल पढाऐ क्योंकि लड़कियों का विवाह होता है, वह कैसे रुक सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि उनके लिए कुछ ढील होनी चाहिए।

आपने बिल में जुर्माना और खत पत्रों वगैरह के बारे में लिखा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए। हमें तो ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें आसानी हो सके और लोगों को भी ऐसा मालूम हो कि यह आसानी का रास्ता हैं।

देश के प्रत्येक बच्चे को स्कूल जाने के लिए आसानियां मिलनी चाहिएं। मैंने काश्मीर में कुछ ऐसा काम किया है। मैंने उन बच्चों को इकट्ठा किया जो गलियों में फिरते थे और जिनको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं होता था। उनको हमने दूध दिया और पढ़ाया भी। मैं कहती हूं कि बाद में तो उनको इतना शौक हो गया और उनकी संख्या इतनी बढ गई कि उन सबका इन्तजाम करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो हमको ऐसा तरीका अपनाना चाहिए।

आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि काश्मीर में ६-७ साल से राज्य में प्राथमिक शिक्षा से लेकर एम० ए० तक कोई फीस नहीं ली जाती। आपको जानकर खुशी होगी कि आबादी का जो हिस्सा बोटों में रहता है सरकार ने उनके लिए चलते फिरते स्कूल खोले हैं और उनमें उनकी पढाई चलती है। ये लोग एक जगह नहीं रहते हैं। आज हाउस बोट यहां है कल दूसरी जगह होती हैं: लेकिन काश्मीर सरकार ने उनके लिए भी प्रबन्ध किया हैं।

दूसरे जो पहाड़ों में गुज्जर रहते हैं उन के लिए भी शिक्षा का प्रबन्ध है। काश्मीर सरकार अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर लगा रही हैं।

मैं और बोलना चाहती थी लेकिन समय नहीं मिला। लेकिन जो समय आपने मुझे दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है। उन्होंने संविधान के निदेश को क्रियान्वित करने के लिए बड़े मूल्यवान सुझाव दिये हैं। इस विधेयक का विस्तार क्षेत्र अत्यन्त सीमित है अर्थात वह केवल दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा परन्तु माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान के उस निदेश की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसमें देश भर में १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का उपबन्ध है।

मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक ही है कि हम संविधान के निदेश का पालन करने में असफल रहे हैं। परन्तु सरकार की इस असफलता को स्वीकार करने के साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकार में उस निदेश को क्रियान्वित करने की इच्छा का अभाव कदापि नहीं रहा है। जब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था तब संभवतः हमारे अन्दर कुछ अधिक उत्साह था। जब सार्जेन्ट योजना तैयार की गई थी तो उसने ४० वर्षों का कार्यक्रम निर्धारित किया था। हमने अपने उत्साह में सोचा कि हम इस समस्त कार्यक्रम को संविधान के लागू होने के बाद दस वर्षों में ही पूरा कर लेंगे। यह ठीक र कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए क्योंकि वह हमारे देश की जनता द्वारा व्यक्त किया गया था परन्तु साथ ही हमें अपने वित्तीय संसाधनों का ख्याल भी रखना चाहिए जो हमें उपलब्ध हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा का विकास समस्त विश्व में ही कुछ मन्द रहा है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम तेजी से प्रगति नहीं कर सके हैं वरन मेरा तात्पर्य सभा को यह बताना है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके विकास में कुछ समय लगता हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : क्या माननीय मंत्री के कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान निर्माताओं ने इस पहलू पर विचार नहीं किया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : तथ्य हमारे सामने हैं। संवैधानिक निदेश का पालन नहीं हो सका है। इसका कारण इच्छा की कमी नहीं है। माननीय सदस्य तनिक धैर्य रखें क्योंकि मैं अभी आंकड़े बता कर यह सिद्ध करने जा रहा हूं कि इस लक्ष्य को दस वर्षों की अवधि में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड को ले लीजिए जो प्राइमरी शिक्षा का सूत्रपात करने में सबसे आगे रहा है। वहां सार्वजनिक प्राइमरी शिक्षा की मांग १८वीं सदी के अन्त में शुरू हो गई थी। परन्तु राज्य ने १८३३ में ही अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। इंग्लैंड में अनिवार्य शिक्षा के लिए पहला कदम १८७० में उठाया गया था परन्तु उसमें छूट की गुंजाइश थी। वास्तविक अनिवार्य शिक्षा १८८० में प्रारम्भ हुई। हमें यह याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड में भी प्रारम्भ में अनिवार्य शिक्षा केवल ५ से १० वर्ष तक के बच्चों तक ही सीमित थी। बाद में वह १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दी गई और १५ वर्ष तक के बच्चोंके लिए वह १९४४ में की गई थी। इंग्लैंड में अंशकालिक शिक्षा १९१८ तक चलती रही। इस प्रकार इंग्लैंड को १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने में लगभग ४० वर्ष लगे। इंग्लैंड का शिक्षा का समस्त इतिहास लगभग १५० वर्षों में फैला हुआ है। उसने जो कार्य १५० वर्षों में किया वह हम दस वर्षों में कैसे कर सकते थे ?

संयुक्त राज्य अमेरिका का शिक्षा का इतिहास भी इसी प्रकार रहा हैं। अनिवार्य शिक्षा के लिए पहला कानून १६४२ में मैसाचूसेट्स में पारित किया गया था। परन्तु देश के समस्त भागों में सार्वजनिक प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था १८५० में ही की जा सकी। प्रारम्भ में अमेरिका में भी अनिवार्य शिक्षा तीन या चार वर्ष तक के बच्चों तक सीमित थी। बाद में उसे १० या १२ वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया गया। इसी प्रकार अंशकालिक शिक्षा भी अमेरिका में बहुत समय तक चलती रही।

फिर अपने निकटवर्ती देश जापान को ले लीजिए। अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रयत्न १८७० में शुरू हो गये थे परन्तु वातस्व में उसकी व्यवस्था इस सदी के प्रारम्भ में की जा सकी थी। इस प्रकार जापान को भी शिक्षा को अनिवार्य बनाने में ३०—४० वर्ष लगे। हमारा दुर्भाग्य है कि जब ये देश उन्नति कर रहे थे तब हम विदेशी शासन के अधीन थे जिसने सार्वजनिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह सच है कि हमने संविधान के निदेश को क्रियान्वित नहीं किया है और मैं समझता हूं कि अभी कई और वर्षों तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि हमें वास्तविक स्थिति को देखते हुए चलना है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : ये "कई और" वर्ष कितने होंगे—२० या ३० ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह बताना बड़ा कठिन है क्योंकि वह हमारे औद्योगिक विकास पर निर्भर है। अन्ततः पहली आवश्यकता धन ही है क्योंकि आर्थिक संसाधनों के बिना अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कैसे प्रारंभ की जा सकती है ? परन्तु सभा को यह याद रखना चाहिये कि पिछले दस वर्षों में प्राइमरी शिक्षा में बड़ी तेजी से प्रगति हुई है। मैं आशा करता हूं कि आगामी दस वर्षों में इस से भी अधिक तेजी से हम प्रगति कर सकगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि आप स्कूल जाने वाले बच्चों के आंकड़े देखें तो आप पायेंगे कि १९४७ में केवल ३० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते थे । दूसरी योजना के अन्त तक उनका प्रतिशत ६२ तक हो जाने की संभावना है । तीसरी योजना के अन्त तक हम ८० से ९० प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहते हैं । अर्थात् २० वर्षों में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत दुगना हो जाएगा । निवेदन है कि सभा को इस समस्या के आकार का विचार करना चाहिए । म यह नहीं कहता कि यह प्रगति संतोषजनक है । वास्तव में हम इस से कहीं अधिक उन्नति चाहते हैं परन्तु इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली की निन्दा ही करते रहें । हम अन्य देशों में शिक्षा की प्रगति की बात करते हैं । परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे देश में भी प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । अगले २० वर्षों में इतनी प्रगात होगी जितनी कि पिछले १५० वर्षों में भी नहीं हुई थी । यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य योजना में रखे गए उपबन्धों को देख चुके होंगे । यह ठीक है कि हम तीसरी योजना में ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम उच्च स्तर पर शिक्षा का विस्तार नहीं कर रहे हैं । हम आशा करते हैं कि १९६५-६६ में ६ से ११ वर्ष तक के ९० प्रतिशत बच्चे तथा ११ से १४ वर्ष तक के ६० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाने लगेंगे । एक माननीय सदस्य ने कहा कि स्कूलों में एक एक कमरे में बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं । हम ने यह विनिहित किया है कि एक शिक्षक के पास ४० से अधिक विद्यार्थी न रहें । मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो प्रगति हुई है उस से मैं किसी भी प्रकार सन्तुष्ठ नहीं हूं। हम इस क्षेत्र में अधिक कार्य करने का प्रयत्न करेंगे और आशा है कि आगामी वर्षों में पिछले समय से अधिक प्रगति की जा सकेगी।

दूसरी बात जिस के संबंध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए वह है दोपहर के भोजन, छात्रवृत्तियों, पोशाकों और पाठ्य पुस्तकों का उपबन्ध । वास्तव में इस के संबंध में पंडित ठाकुरदास भार्गव अनेक संशोधन पेश करना चाहते हैं। श्री वासुदेवन् नायर ने भी इस संबंध में अनेक सुझाव दिये हैं । मैं उन से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि हम इस योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें बच्चों के लिए कपड़ों, दोपहर के भोजन और पाठ्य पुस्तकों का प्रबन्ध करना होगा । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या अभी राज्य के संसाधन इतने हैं कि उनका प्रबन्ध किया जा सके। सरकार इस मामले में प्रयत्न अवश्य कर रही है । पिछले पांच वर्षों में निःशुल्क भोजन व्यवस्था का आन्दोलन काफी सफल रहा है । उदाहरण के लिए केरल में उन सब बच्चों को भोजन दिया जाने लगा है जिन के माता पिता की आय ९०० रुपये प्रति वर्ष से कम है। इस योजना से २४,१०,९५६ बच्चों को लाभ हुआ है और प्रति बच्चे भोजन का मूल्य ६ नए पैसे है ।

†**श्री त्यागी** : क्या उसका शत प्रतिशत व्यय राज्य ही वहन करता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पहले तो जनता का भी कुछ अंशदान रहता था परन्तु अब सारा व्यय राज्य ही वहन कर रहा है । १९५८-५९ में १० लाख रुपए व्यय किए गए, १९५९-६० में ३१.९० लाख रुपए और १९६०-६१ में अभी तक ७.५० लाख रुपए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : ६ नए पैसे में क्या खाना दिया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह ठीक है कि ६ नए पैसे में संतोषजनक भोजन नहीं दिया जा सकता है परन्तु कुछ न मिलने से तो जो भी मिल जाय अच्छा ही है चूंकि बच्चों को दिन भर कुछ नहीं मिलता है इसलिए थोड़ा बहुत अवश्य मिलना चाहिए। सारे संसार में दोपहर के भोजन का रिवाज है । मद्रास ने इस संबंध में बड़ा अच्छा कार्य किया है । वहां दस नए पैसे में बच्चों को भोजन मिल जाता है जिस में से ६ नए पैसे सरकार देती है । आशा की जाती है कि १९६०-६१ के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत १० लाख विद्यार्थियों को भोजन मिलने लगेगा। तीसरी योजना के अन्त तक प्राइमरी स्कूलों के कुल ५० लाख बच्चों में से लगभग १७ लाख को भोजन मिलने लगेगा । इस योजना के अन्तर्गत प्रायः सभी जरूरत मन्द बच्चे आ जायेंगे । मद्रास राज्य ने १९५८-५९ में २० लाख रुपये खर्च किए, १९५९-६० में ६० लाख रुपये तथा १९६०-६१ में ८० लाख रुपये । इस योजना में कोई जातीय प्रतिबन्ध नहीं है और वह सभी निर्धन बच्चों के लिए है ।

दिल्ली की स्थिति से कुछ भाग्य अच्छी है क्योंकि यहां संयुक्त राष्ट्र बाल आयात निधि से कुछ सहायता मिलती है और हम रेड क्रास की सहायता से निःशुल्क भोजन वितरण कर रहे हैं । १९५९–६० तक ३०,००० विद्यार्थी इस योजना से लाभ उठाने लगे थे। इस साल उनकी संख्या १ लाख हो गई है जब कि कुल विद्यार्थियों की संख्या २,१८,००० है । माननीय सदस्यों ने कहा कि जो दूध का पाउडर दिया जाता है वह अच्छा नहीं है । मेरा निवेदन है कि उस में दूध के समस्त गुण मौजूद हैं और हमें खुशी है कि हम ग़रीब बच्चों को उसका वितरण कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि कालान्तर में समाज बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को समझने लगेगा और हम लोक निधि एकत्रित कर सकेंगे ताकि इन सब बच्चों को भोजन दिया जा सके ।

श्री नवल प्रभाकर : : दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम का जो दूध है और जो पाउडर का दूध है, उस में क्या अन्तर है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जो पाउडर होता है, वह पाउडर भी मिल्क से ही ही बनता है । उस पाउडर में पानी मिला दिया जाता है और फिर वह दूध बन कर जाता है । आप पी कर देखिये, बहुत अच्छा होता है ।

अन्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में भी हमने दोपहर के भोजन का प्रबन्ध किया है जैसे मनीपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में । यह आन्दोलन कई अन्य राज्यों में भी फैल रहा है । कई राज्यों ने अग्रिम योजनायें प्रारम्भ की हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज, राज्य और स्थानीय प्राधिकारी मिल कर प्रयत्न करें । जब तक बच्चों का पेट अच्छी तरह नहीं भरेगा तब तक उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती । इसलिए मैं उन लोगों से पूर्णतः सहमत हूं जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दोपहर के भोजन के लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस अधिनियम में ही राज्य के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था को अनिवार्य बना देना संभव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्यों नहीं ? लोगों पर कर लगाइए, वे भुगतान करने को तैयार हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हम राज्य सरकारों को शिक्षा-कर लगाने के लिए अनेक बार लिख चुके हैं ताकि इस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम को तेजी केसाथ क्रियान्वित किया जा सके । परन्तु एक राज्य को छोड़ कर अन्य कोई भी राज्य अतिरिक्त कर लगा सकने की स्थिति में नहीं है । इसलिए यह कार्यक्रम तेजी से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है ।

मेरा निवेदन है कि यदि समाज द्वारा प्रयत्न किया जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह बच्चों के संधारण के लिए कुछ अंशदान अवश्य कर सकेगा । इस देश में दान की परम्परा रही है और याद प्रयत्न किया जाय तो मुझे इस में तनिक भी संदेह नहीं है कि राज्य स्थानीय प्राधिकारियों और समाज के सम्मिालत सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे । बात केवल इतनी ही है कि हमें उसकी आवश्यकता महसूस करनी चाहिए । सभी कार्य सरकार द्वारा नहीं किये जा सकते हैं । हमें हर बात के लिये सरकार पर नहीं निर्भर रहना चाहिए । इन सब मामलों में सहायता करना सरकार का कर्तव्य अवश्य है परन्तु जनता की ओर से भी कुछ प्रयत्न किए जाना चाहिए । मुझे विश्वास है कि यदि उचित प्रयत्न किए जायें तो हम बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने में सफल होगें । यदि मद्रास और केरल वैसा कर सके हैं तो अन्य राज्य भी वैसा अवश्य कर सकते हैं । इस लिए मेरा निवेदन है िक यद्यपि मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु मैं उसे स्वयं अधिनियम में अनिवार्य बना देने के पक्ष में नहीं हूं ।

फिर श्री रहमान और श्री अमजद अली ने अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक परिमाणों के उपबन्ध पर जोर दिया । मेरा निवेदन है कि संविधान में ही समस्त आवश्यक परिमाण रखे जा चुके हैं । वास्तव में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं है । ये उपबन्ध अत्यन्त उदार हैं और अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जिस से मकतबों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं के खोले जाने पर रोक लगती हो । राज्य केवल यह चाहता है कि स्कूलों में पढ़ाई ठीक हो । यदि कोई स्कूल ठीक चल रहा है तो उसे अनुमोदित समझ लिया जाएगा । यदि आप "अनुमोदित स्कूलों" की व्याख्या देखें तो ज्ञात होगा कि उस में गैर-सरकारी स्कूलों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है । इसलिये यदि कोई धार्मिक संस्था अपने स्कूल खोलना चाहती है तो वह वैसा करने के लिए स्वतंत्र है । राज्य केवल यह चाहता है कि पढ़ाई लिखाई ठीक हो । यदि पढ़ाई ठीक होगी तो अनुमोदन में कोई कठिनाई नहीं होगी । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि लिखाई-पढ़ाई का स्तर ठीक रहे । वास्तव में सरकार की नीति गैर-सरकारी स्कूलों को यथासंभव प्रोत्साहन देने की है । हम उनको सहायता देना चाहते हैं ताकि गैर-सरकारी अभिकरण भी हमारे इस प्रयत्न में सहभागी बनें ।

और भी बहुत से सुझाव हैं जिनका उल्लेख मैं अत्यन्त संक्षेप में करना चाहता हूं । श्रीमती लक्ष्मी बाई ने कहा कि प्राईमरी स्तर की शिक्षा स्त्रियों को सौंप दी जानी चाहिये । मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं और मुझे बड़ी खुशी होगी जब हमें महिला शिक्षक इतनी संख्या में मिलने लगेंगी कि उन्हें सब बच्चों की शिक्षा सौंपी जा सके । मैं चाहता हूं कि वह दिन शीघ्र

†मूल अंग्रेजी में

आए जब कि समस्त स्कूलों में प्राईमरी स्तर पर केवल महिला अध्यापक हों। उस दिन का हम स्वागत करते हैं। परन्तु अभी तो महिला अध्यापकों की इतनी कमी है कि ऐसा करना संभव नहीं है।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमें केवल शिक्षा के विस्तार से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए वरन् उसके स्तर को भी सुधारना चाहिये। मैं उनसे सहमत हूं और हम शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उसके स्तर के सुधार का प्रयत्न भी करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को सुनने के पश्चात् पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने प्रस्तावों पर आग्रह नहीं करेंगे जो वे पेश करना चाहते हैं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे।

खंड २—(परिभाषाएं)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने संशोधन संख्या ३, ४, ५, ६, ७ ८ और ९ की सूचना दी है।

†**सभापति महोदय** : संशोधन ८ और ९ तो खंड ३ के बारे में हैं।

†**श्री अमजद अली** : खंड २ के बारे में मेरे कुछ संशोधन हैं।

†**सभापति महोदय** : नियम प्रक्रिया के नियम ७९ के अधीन वे स्वीकृत नहीं किये जा सकते क्योंकि वे देर से आये हैं। केवल एक दिन की ही सूचना दी गई है। और मेरा विचार है कि माननीय मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय सदस्य चाहें तो अपने विचार उनके बारे में प्रकट कर सकते हैं लेकिन संशोधनों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपने संशोधन संख्या, ३, ४, ५, ६ और ७ प्रस्तुत करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब चेअरमैन साहब, अगर मेरे पास वक्त होता तो इन अमेंडमेंट्स के बारे में काफी वक्त लेता और उन के ऊपर वजाहत से अर्ज करता क्योंकि मेरी राय में यह अमेंडमेंट निहायत जरूरी हैं और फिल वाकया जो सोशलिस्ट पैटर्न की हमारी वेलफेयर स्टेट है, उस के ऐन मताबिक हैं। मुझे न तो सीलिंग अपील करती है और न मुझे और कोई चीज अपील करती है। मुझे तो यह सोशलिस्ट पटर्न पसन्द है कि कौम को हर एक बच्चे के वास्ते सारी कम्यूनिटी सैक्रिफाइस करे और सब को ठीक तालीम दे। यहां आनरेबल

†मूल अंग्रेजी में

मिनिस्टर साहब और यह गवर्नमेंट इस के मुताल्लिक सिम्पैथी रखते हैं और जो इन से बनता है वह कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि वह इतना काफी नहीं है जिस को हम समझें कि तसल्ली-बख्श है। आनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि कम्यूनिटी का फर्ज है इस के बारे में। कम्यूनिटी से काम कराना किस का फर्ज है? मेरा अपना तजुर्बा है कि जिन लोगों को तालीम दी जाती है वहां उनके लिये ठीक से इन्तजाम नहीं है। मैं इस बारे में आप के दो चार मिनट लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा भी कुछ तजुर्बा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कांस्टिट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फरोग देना चाहते हैं तो उसकी एक यही तरकीब है। तालीम का इन्तजाम सब के लिये ठीक से किया जाय। हम यहां पर रोज शेड्यूल्ड कास्ट्स का नाम लेते हैं। उन के बच्चे कैसे पढ़ने के लिये आ सकते हैं, जब कि उन को अपने लिये व घर के लिये काम करना पड़ता है। इस तरह से उन की एजूकेशन नहीं हो सकती। उनकी एजूकेशन का एक ही तरीका है कि आप उन को स्टाइपेंड दें और उन की पढ़ाई का इन्तजाम करें। आप देखें कि उन के जो बच्चे पढ़ने जायें वे इन्फीरियर बन कर न जायें। इस बिल से आखिर आप का क्या नतीजा निकलेगा? अगर आप कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल ४७ के मुताबिक लोगों को न्यूट्रिशन दिलाना चाहते हैं तो बच्चों को न्यूट्रिशन की सब से ज्यादा जरूरतें होती है। मैंने राइट साहब की बात कल पढ़ कर सुनाई थी, अगर आप कोई और आर्टिकल देखना चाहते हैं तो आर्टिकल ३९ को देखिये। कहने को तो हमारे कांस्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल नये हैं लेकिन वह सारे के सारे ऐसे हैं जो कि आप की मिनिस्ट्री के जिम्मे हैं। अगर आप उन को पूरा करेंगे तो सब चीजें अपने आप हो जायेंगी। उस में अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है, अनटचेबिलिटी खत्म हो जाती है अगर सब बच्चे एक साथ बैठ कर स्कूल में पढ़ते हैं और उन को वहां पर तालीम दी जाती है। यह जो ऐक्ट है यह सारी बुनियाद है। लेकिन मुझे अफसोस है कि गवर्नमेंट इस को इम्प्लि-मेंट नहीं कर सकती। मैं इस को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अगर स्टेट इन्कार करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चुप हो कर बैठ जायेगी। जहां गवर्नमेंट को काम करना होता है वहां गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है। आखिर ग्रो मोर फूड किसका फर्ज है? स्टेट्स का, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जोर दे कर कहती है। अगर यह काम स्टेट्स में होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इमदाद से ही होगा। मैं जानता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सारी स्टेट्स इस को कबूल कर लेंगी, इस के वास्ते टैक्स लगायेंगी। लेकिन आप इस के लिये टैक्स नहीं लगाते। आप रोज टैक्स बढ़ाते चले जाते हैं, हर एक चीज के वास्ते बढ़ाते हैं, लेकिन एजूकेशन के वास्ते नहीं बढ़ा सकते। मेरी गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब को जोर दे कर सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज को तय करना चाहिये कि एजूकेशन टैक्स जरूर लिया जाय। इसी तरह से यह चीज हो सकती है। आखिर आप का भी तो इस मामले में कोई फर्ज है।

आनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि गो मंशा यह है हमारे कांस्टिट्यूशन की और उसका हुक्म है आर्टिकल ४५ में कि ८ जमात तक हर एक लड़की-लड़के के वास्ते एजूकेशन प्रोवाइड करनी होगी। भले ही आप दस बरस में करें या कभी करें लेकिन आप को करना होगा। आज मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि आखिर वह क्या करें। उनका इस में क्या बस है जब कि प्लानिंग कमिशन ने सिर्फ ६ से ११ साल की उम्र तक के ही लिये रुपया मंजूर किया है। अगर वह और ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं तो मिनिस्टर साहब क्या कर सकते हैं? लेकिन आप ने प्राइमरी एजूकेशन की तारीफ में क्यों लिखा कि आप १४ साल तक पढ़ायेंगे? मैं चाहता था कि आप जरा रिअलिस्टिक होते। आप लिखते कि हम ६ साल से ११ साल तक एजूकेशन देंगे। आप कहते कि आप एलिमेंटरी एजूकेशन ही हम देना चाहते हैं। भले ही स्टेन्डर्ड कम होता, लेकिन हम को यकीन होता कि आप जो कहते हैं उसे करते हैं। आज तो हालत यह है कि आप कहते कुछ

हैं, करते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। इस से कंफ्यूजन ही बढ़ता है। मैं भी कहता हूं कि एलिमेंटरी एजूकेशन ६ से ११ साल तक हो। आप प्राइमरी एजूकेशन को भले ही सारे देश में कम्पलीटली खत्म कर दें, लेकिन ११ से १४ साल तक की उम्र को न रख कर आप रिअलिस्टिक तो बनते। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। आप वही बात करते हैं जिस को आप अच्छा समझते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि भले ही आर्टिकल ४५ भी खत्म हो जाय लेकिन लोगों को यकीन हो जाय कि बच्चा प्राइमरी एजूकेशन १४ साल तक हासिल करेगा। १४ साल तक वह सिर्फ पांच जमात पास करेगा। इससे ज्यादा सख्ती हमारी कौम के साथ और क्या हो सकती है? आप कहिये कि ६ से ११ साल तक पढ़ाएंगे और पांचवीं जमात तक ले जायेंगे बजाय इसके कि आप कहें कि १४ बरस तक पढ़ाएंगे और पांचवीं जमात तक का आइडियल रखेंगे।

मैं इन अमेंडमेंट्स पर जोर नहीं दूंगा। मैंने मूव तो इसलिये कर दिए हैं कि आयन्दा के वास्ते हमें यह दिखाई दे कि हमें किस तरफ चलना है। मैं उनको विदड्रा नहीं करना चाहता। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आप मेरे इन अमेंडमेंट्स पर गौर फरमायेंगे और आयन्दा के वास्ते देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं।

श्री अमजद अली : खंड में जो अधिकार दिया गया है उसको बनाये रखने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी संस्था में पाठ्यक्रम अल्पसंख्यक जातियों के धर्म अथवा उनकी भाषा को पढ़ाने तक ही सीमित रहना चाहिये। इन संस्थाओं में कितने विषय पढ़ाये जायेंगे इस पर कोई बन्धन नहीं है और न इस बात का ही बन्धन है कि वे सामान्य जानकारी की शिक्षा नहीं दे सकतीं।

मेरा तो यही निवेदन है कि यदि इन संस्थाओं को भी अनुमोदित स्कूलों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया तो इसका भी वही प्रभाव पड़ेगा। अनुमोदित सूची में उनका नाम आ जाने से सभी बातों की पूर्ति हो जाती है।

संविधान के अनुसार इन संस्थाओं को भी सहायता मिल सकती है। यह बात दूसरी है कि वह सहायता लेती है अथवा नहीं। ये संस्थायें बहुत ही उपयोगी शिक्षा दे रही हैं।

मेरा तो यही निवेदन है कि जो संस्थायें आज मकतब या मदरसों के नाम से चल रही हैं उन्हें भी अनुमोदित सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये। क्योंकि ये संस्थायें भी लड़के तथा लड़कियों को शिक्षा दे रही हैं। यदि उनको सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे भी प्राथमिक शिक्षा दे सकती हैं। मेरा निवेदन है कि इन संस्थाओं को भी मान्यता दी जाये। अधिकारियों द्वारा इन्हें स्वीकृत किया जाये। इन्हें अनुमोदित करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि सामान्य शिक्षा भी वहां दी जानी चाहिये तो वह भी यह संस्थायें दे सकती हैं। संविधान के अनुसार भी ऐसा हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करें।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** (किशनगंज) : क्या श्री अमजद अली का संशोधन स्वीकार कर लिया गया है?

†**सभापति महोदय** : उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है। उन्हें केवल भाषण करने की छूट दी गई है। यह माननीय मंत्री महोदय की इच्छा पर है कि वह इसका उत्तर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जिन भावनाओं के वशीभूत होकर ये संशोधन रखे हैं मैं पूर्णतः उनसे सहमत हूं । वस्तुतः तो केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारें दोनों ही पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों को काफी संख्या में छात्रवृत्तियां दे रही हैं । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाने वाली केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन वे छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निर्धन बच्चों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता देने के लिये अपनी अपनी योजनायें हैं । तृतीय योजना के अधीन हम छात्रवृत्ति की एक ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं जिसके अनुसार राज्य सरकारें कुछ निर्धन एवं जरूरतमन्द बच्चों की पढ़ाई का भार अपने ऊपर ले लेंगी । ये सुविधायें सीमित होंगी । अन्ततोगत्वा हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि किसी भी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा आर्थिक दृष्टि से नहीं रुकनी चाहिये । हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिये कि हमारे इस लक्ष्य की पूर्ति हो सके । यदि इस समय इस कार्यक्रम को आप अनिवार्य बना देंगे तो इसे क्रियान्वित करना बड़ा कठिन हो जायेगा । लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी आदि सभी इस बात का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक निर्धन व्यक्ति को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ।

श्री अमजद अली की बात मेरी समझ में नहीं आई कि वे व्यर्थ में ही क्यों चिंतित हैं । संविधान में अल्प संख्यकों की शिक्षा के लिये पूरी पूरी सुविधा दी गई है । उनको इस बात की पूरी पूरी छूट है कि वे किसी भी संस्था में शिक्षा ग्रहण करें । साथ ही हम राज्य सरकारों पर भी बराबर यह दबाव डाल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार की पूरी पूरी सुरक्षा की जाये । जहां तक कि किसी संस्था को मान्यता देने की बात है इस सिलसिले में तो एक स्तर देखना पड़ता है । इस अधिनियम में यह कहीं नहीं कहा गया है कि धार्मिक संस्थायें शिक्षण संस्थायें चालू नहीं कर सकतीं । बल्कि हम तो उन्हें यह प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें और इस शिक्षा देने के कार्य में हमारी सहायता करें । लेकिन जहां तक कि इन संस्थाओं द्वारा सामान्य जानकारी की शिक्षा देने की बात है राज्य सरकारें अथवा स्थानीय प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चय अवश्य करेंगी कि इस मामले में एक स्तर रखा जाता है अथवा नहीं । वर्ना उन्हें इस अधिनियम के क्षेत्र में लाना कठिन हो जायेगा । इसलिये मान्यता देना नितांत आवश्यक है । आशा है कि इस आश्वासन से माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो जायेंगे ।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : मान्यताप्राप्त तथा अनुमोदित स्कूलों में अन्तर है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अनुमोदित स्कूल की परिभाषा यहां दी गई है । अनुमोदित स्कूल को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मान्यता मिलनी चाहिये ।

जहां तक कि दिल्ली में स्कूलों की बात है । यहां इतने स्कूल नहीं हैं जितने कि आगामी ३–४ वर्षों में आवश्यकता पड़ेगी । तीसरी योजना में नये स्कूल खोलने की व्यवस्था कर दी गई है ताकि ६ से ११ साल के बच्चों तक को शिक्षा मिल सके ।

†**सभापति महोदय** : मैं संशोधन संख्या ३ से ७ सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ से ७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(प्राथमिक शिक्षा के लिये योजनायें)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपने संशोधन संख्या ८, ६, १० और ११ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : मैं संशोधन संख्या ८ से ११ मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ से ११ मतदान के लिय रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ से ७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ८—(उपस्थिति प्राधिकारी बच्चे के प्रति अपने कर्त्तव्य की सूचना माता पिता को देंगे)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० —(अनुपस्थिति के लिये युक्तियुक्त कारण)

†**श्री मुहम्मद ताहिर** : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

इस संशोधन को प्रस्तुत करने के दो कारण हैं ; एक तो यह कि इससे संविधान के उपबन्धों का महत्व बढ़ेगा और दूसरे संविधान के अनुच्छेद ३० द्वारा अल्पसंख्यकों को दिये गये संरक्षण पूर्ण रूप से कायम रहेंगे । संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसन्द के शिक्षास्थल खोलने का अधिकार दिया है । यह अधिकार मूलभूत है और इसे कम नहीं किया जा सकता । यदि इस अधिकार का हनन करने वाली कोई विधि बनाई जाय तो वह शून्य होगी ।

केरल के शिक्षा संबंधी विधेयक के बारे में उच्च न्यायालय ने कहा था कि हमने एक धर्म निरपेक्ष संविधान अपनाया है । यद्यपि अनुच्छेद ४५ के अन्तर्गत राज्य को सभी बच्चों को शिक्षित करने की कार्यवाही करनी है पर राज्य भी अल्पसंख्यकों को हानि पहुंचा कर ऐसा नहीं करसकता । इसलिवे जब तक यह संविधान इसी प्रकार का है तब तक हमें अल्पसंख्यकों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करना होगा । मेरे संशोधन का भी यही उद्देश्य है । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद ४५, मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं कर सकता । इसलिये माननीय मंत्री को इस संशोधन पर विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं वैसे तो इस विधेयक का उद्देश्य ठीक मानता हूं किन्तु हमें अनुच्छेद ३५०-क का भी ध्यान रखना चाहिये जिसके अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा बच्चों की मातृ-भाषा में ही होगी । दिल्ली में हर भाषा भाषी प्रांत के लोग हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पता लगा लिया गया है कि यहां पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी कितनी है । यहां पर दक्षिण, आसाम, बंगाल तथा पंजाब के लोग हैं ।

†**श्री ब० कु० मायर** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि धार्मिक शिक्षा संस्थाओं का स्तर सामान्य से नीचा होता है ?

†**श्री मुहम्मद ताहिर** : उनका स्तर तो सदैव ऊंचा होता है। यदि सरकार ने संविधान की ओर ध्यान न दिया तो मुसलमानों के धार्मिक मकतब बन्द हो जायेंगे। अब उनमें बच्चों को कुरान तथा हदीस को पढ़ना पड़ता है। यदि उन्हें स्कूलों से छूट न दी गयी तो वे कुरान तथा हदीस को कंठस्थ नहीं कर पायेंगे ।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : मैं समझता हूं कि हम इस विधेयक द्वारा उपस्थिति प्राधिकारी को अत्यधिक अधिकार दे रहेहैं। स्कूल में उपस्थित न होने के अनिवार्य कारण का निर्णय भी उसके हाथ में रख दिया गया है । इस कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें सावधानी से ऐसे सिद्धांत बना देने चाहियें जिससे कि अनुपस्थिति के कारण कुछ स्पष्ट हो जायें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं समझता कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कैसे करेगा । ऐसी कोई बात भी इसमें नहीं है। शायद माननीय सदस्य को किसी प्रकार की गलतफहमी हुई है ।

विधेयक में व्यवस्था है कि बच्चा किसी मान्य स्कूल में जायगा । "मान्य स्कूल" की परि-भाषा खंड २ (ख) में दी गयी है। इसमें गैर-सरकारी स्कूल भी सम्मिलित हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें जिस भी स्कूल में भर्ती कराना चाहें करा सकते हैं। वह चाहे पाठशाला में भेजें या मकतब में। अल्पसंख्यक अपनी मनपसन्द के स्कूल खोल सकते हैं। इस बात से उन्हें रोका नहीं जा सकता। यदि कोई बच्चा मदरसे में जाता होगा उसे मान्य स्कूल में जाने को विवश नहीं किया जायगा। खंड १० में लिखा है कि यदि बच्चा किसी दूसरी प्रणाली से शिक्षा पा रहा है जिसे राज्य सरकार ने सन्तोषजनक घोषित कर रखा है तो उसे स्कूल न भेजने के लिये युक्तियुक्त कारण समझा जायेगा। यदि किसी संस्था के शिक्षण से राज्य सरकार सन्तुष्ट है तो उसमें कोई बाधा ही नहीं है। इस कारण माननीय सदस्य की आशंकायें निराधार हैं ।

जो बात श्री ओझा ने कही है वह भी ठीक नही है। यह व्यवस्था इस कारण की गयी है कि यदि इस समय हम सारे कारणों का निश्चय न कर पायें तो उनका निश्चय बाद में अनुपस्थिति अधि-कारी कर लें ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजो में

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२--(कुछ मामलों में अंश-कालिक शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं इस खंड को लोकतंत्र विरोधी मानता हूं । भारत में विदेशों की सी स्थिति नहीं है । यहां तो हर निर्धन पिता अपने पुत्र को स्कूल भेजना चाहता है ।

खंड १२ में व्यवस्था है कि यदि उपस्थिति अधिकारी यह समझे कि कोई अभिभावक अपने बच्चों को निर्धनता के कारण स्कूल नहीं भेज सकते तो वह आदेश द्वारा उन्हें छोड़ सकता है । परन्तु यह सिद्धान्त गलत है ; दो प्रकार के स्कूलों की स्थापना से आप सामाजिक वैषम्य की वृद्धि ही करेंगे । गरीबों के बच्चों को घटिया स्कूलों में भेजना कोई रियायत नहीं है । जब आप ही ऐसे काम करेंगे तो संविधान में वर्णित समानता आदि के सिद्धान्त कैसे पूरे होंगे ?

यह खंड संविधान के खंड १४ के भी विरुद्ध है । जो बच्चे घटिया स्कूलों में जायेंगे उन्हें ठीक प्रकार की शिक्षा कैसे मिल पायेगी । इसकी बजाय तो आपको इन बच्चों को वजीफे ही दे देने चाहिएं । पांच रुपये प्रति मास देने से आप पर ज्यादा भार न पड़ेगा । इस कारण मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विधेयक पुरःस्थापित करते समय यह खंड उसमें नहीं था । यह व्यवस्था संयुक्त समिति ने की । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार तो दो प्रकार के स्कूल नहीं चाहती । किन्तु संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों ने कहा कि यदि वे अंशकालिक स्कूलों में न गये होते तो वे संसद् सदस्य न बनते । आशय यह कि वे जीविकोपार्जन करते हुए शिक्षा भी पाते रहें ।

हाल ही में पूना की गोखले इंस्टीट्यूट ने कुछ अध्ययन किया था । यह काम सतारा जिले में किया गया । उससे यह पता चला कि लगभग ५० प्रतिशत बच्चे कुछ न कुछ काम करते हैं । कुछ पशु चराते हैं और कुछ घर ही पर बच्चों की देखभाल करते हैं । यह काम बच्चों को करने ही पड़ते हैं । इस कारण अब इस के लिए क्या रास्ता हो ? यदि उन्हें पूर्णकालिक स्कूलों में भेजा जाय तो परिवारों को काम में कष्ट होगा । इसी कठिनाई को दूर करने लिये यह व्यवस्था की गई थी । यह चीज सामान्य रूप से नहीं होगी । खास हालतों में ही अंशकालिक स्कूलों की स्थापना की जायगी । इससे गरीबों को भी कठिनाई न होगी । इसी कारण मैंने इस खंड को स्वीकार कर लिया है । मैं चाहता हूं कि यह विधेयक सफल हो । जैसे जैसे हम प्रगति करते जायेंगे वैसे वैसे इस खंड को समाप्त कर देंगे जैसा कि अन्य प्रगतिशील देशों में होता आया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या विशेष क्षेत्रों में दो प्रकार के स्कूल होंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इन बातों का निर्णय स्थानीय अधिकारी करेंगे । सामान्यतया हमारे यहां पूर्ण स्कूल होंगे । यह व्यवस्था खास हालतों के लिये की गई है । शायद अंशकालिक स्कूल खोले ही न जांय । यदि हालात ऐसे हों तो स्थानीय अधिकारी उन्हें खोल सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पं० ठाकुर दास भार्गव : इस के लिये गणना भी नहीं की गई। मुझे स्कूलों का अनुभव है। वहां ऐसी कठिनाई नहीं थी।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : माननीय मंत्री को यह खंड वापस ले लेना चाहिये।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १३—(संशोधन आदेश)

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १४—(बच्चों को इस प्रकार नौकरी में नहीं रखा जायगा जिससे उनको स्कूल जाने में रुकावट हो)

†श्री ब्रजराज सिंह : खंड १२ हम इस लिये बना रहे हैं कि बच्चे काम करें और इसमें उलट बात कही गई है। इसका स्पष्टीकरण किया जाय।

†डा० का० ला० श्रीमाली : कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को इस तरीके से नौकर नहीं रख सकेगा जिससे कि वह स्कूल से वंचित रह जाय। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे दंड दिया जायगा।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १५—(प्राथमिक शिक्षा निश्शुल्क होगी)

†श्री वासुदेवन् नायर (तिरुवल्ला) : मैं संशोधन संख्या १६ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मोहम्मद इमाम : मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९ और २० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १६ से २० विधयक में जोड़ दिये गये।

नया खण्ड २०-क

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं। मैं ऐसा उपबन्ध करने के हक में नहीं जिसमें नौकरी करने के लिये या लड़के का स्थानान्तरण होने पर तुरन्त सूचना न दी जाने पर सज़ा दी जाये। अपील तक की व्यवस्था नहीं की गई है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इसे स्वीकार नहीं करता। दंड थोड़ा ही है। यदि हम अपील की व्यवस्था करेंगे तो मामला पेचीदा हो जायगा। वैसे भी गुणों के आधार पर अपील की गुंजायश नहीं है। क्योंकि दिल्ली पंचायत राज अधिनियम १९५४ की धारा २६ तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४३५ तथा ५ एवं २९ में भी इस के लिये गुंजायश है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१, २२, २३, २४, २५ और २६ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २१, २२, २३, २४, २५ तथा २६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। हमारे देश में यह शांत सामाजिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव है। आशा है कि अन्य सभी राज्यों में इस प्रकार की विधियां बनेंगी ताकि हम अपने उस स्वप्न को साकार कर सकें जो हम दीर्घकाल से देखते आये हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह बात स्पष्ट नहीं की गई कि इस सम्बन्ध में हम कब तक संविधान के निदेशक तत्वों को पूरा करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० श्रीमाली :** जिस समय मैं इन सब बातों पर बोल रहा था, उस समय माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये थे ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार अमर सिंह सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ७ सितम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत हैं ।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ७ सितम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

हड़ताल प्रतिषेध विधेयक

†**श्री पु० र० पटेल :** (मेहसाना) मैं प्रस्ताव करता हूं कि हड़तालों का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** इससे पहले कि प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये, मैं माननीय प्रस्तावक को बताना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाने की सोच रही है । अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस समय इस विधेयक के पुरस्थापन पर आग्रह न करें ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मुझे खुशी है कि सरकार इस विषय पर एक विधेयक लाने का विचार कर रही है । मैं विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

†**सभापति महोदय :** वापस लेने का सवाल नहीं उठता क्योंकि वह अभी पुरस्थापित ही नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा १६२ का संशोधन)

†**श्री संगामणि** (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री संगामणि** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

व्यवहार प्रक्रिया, (संशोधन) विधेयक

(धारा ९२ का संशोधन)

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४०५ आदि का संशोधन)

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दंड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय (संशोधन) विधेयक

(नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २६३ का संशोधन)

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मी० रु० मसानी :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक--जारी

†**सभापति महोदय :** अब सभा श्री मोहनस्वरूप द्वारा प्रस्तुत वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक पर और आगे चर्चा करेगी।

श्री रामसेवक यादव।

श्री रामसेवक यादव (बाराबांकी) : सभापति जी, यह जो विधेयक माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं। जहां तक पचास वर्ष या इससे ऊपर के पुरुषों का, बीस वर्ष या इससे नीचे की लड़कियों की शादी करने का संबंध है, मैं समझता हूं कि यह समाज के लिये कलंक है और बहुत ही बुरी बात है। इसको रोकना चाहिये। कुछ माननीय सदस्य यह भी कहेंगे कि इस तरह से कानून बनाने से कोई काम चलने वाला नहीं है और अपनी इस दलील के पक्ष में वे शायद शारदा एक्ट का हवाला देकर कहेंगे कि इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के मंशा को दृष्टि में रखते हुये इस कानून को तो बनाना ही चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह एक अच्छा खासा कानून इस सदन में लायें, क्योंकि इसमें कुछ खामियां हैं, जिन की तरफ मैं इशारा करूंगा। अगर उनका निराकरण कर दिया जाये, तो यह एक बहुत अच्छा विधेयक बन जाता है।

आज समाज में स्त्री और पुरुष में कितनी असमानता है, उसको देखते हुये यह विधेयक बहुत ही जरूरी हो जाता है। यों तो तमाम तरह की नाबराबरी इस देश में है। हिन्दुओं में जात पात का भेद है। पहले तो हिन्दू मुसलमान का फर्क है और फिर हिन्दुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र हैं। और शुद्र की पंक्ति में स्त्री भी आती है। जिस तरह शुद्र का समाज में कोई दर्जा नहीं है, उसी तरह स्त्री का भी समाज में कोई दर्जा नहीं है। आज हम क्या देखते हैं कि हमारे समाज में स्त्री जैसे कोई वस्तु हो, कोई इस्तेमाल की चीज हो। आज हमारे समाज में स्त्री का वही आदर है। जब हम शादी के सिलसिले में देखते हैं, तो कितना घृणित और नग्न चित्र हमारे सामने आ जाता है कि हमारे यहां स्त्री का कोई आदर नहीं है। पुरुष को अधिकार है कि वह एक नहीं, अनेक शादियां कर सकता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसेवक यादव]

है हिन्दू धर्म के अनुसार। अगर मैं मुसलमान भाइयों के बारे में कहूं, तो एक पुरुष को चार स्त्रियां के साथ एक साथ ब्याह करने का अधिकार मिला हुआ है। एक तो फर्क यह है। फिर चाहे पुरुष पचास, साठ साल का हो, वह बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने अस्सी अस्सी बरस के लोगों को शादी करते हुये देखा है। मैं एक कलंक की बात आपको बतलाना चाहता हूं और वह बाराबांकी की ही है। एक राजा साहब थे जिनकी उम्र ८० वर्ष थी। उनको एक कुर्सी में बिठा कर जिसमें पहिये लगे हुये थे मंडप तक ले जाया गया और वहां पर १६ साल की एक लड़की के साथ उनकी शादी सम्पन्न की गई। उसका नतीजा वही हुआ जो होना था, कि एक साल के बाद वह स्वर्ग धाम या मैं हूं नरक धाम पहुंच गये। इस तरह की जो शादियां होती हैं वे चूंकि आदमियों के पास धन होता है, इस वास्ते होती हैं। यह कितनी घृणित चीज है कि जो स्त्री है उसे लोगों के भोग विलास और आये दिन जिन्दगी के इस्तेमाल की वस्तु बना दिया गया है। उसका स्थान मनुष्य से कहीं नीचे है, उसका कोई आदर नहीं है।

[श्री मूलचन्द दूबे पीठासीन हुये] :

अगर इस तरह की चीजें समाज में चलती हैं तो जो विधेयक रखा गया है, उसको पास करना आवश्यक हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इसको कुछ संशोधनों के साथ पास कर दिया जाना चाहिये। इसमें जो कमियां हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पहली बात तो लड़की की रजामन्दी की है। जब तक वह रजामन्द न हो तब तक उसकी उससे शादी नहीं होनी चाहिये। अगर कहीं पर किसी लड़की की ५० या ५० से ऊपर उम्र वाले व्यक्ति से शादी होती है तो उसमें लड़की की इच्छा जान लेना जरूरी कर दिया जाना चाहिये। यह चीज माता पिता की इच्छा पर ही नहीं छोड़ दी जानी चाहिये। माता-पिता तो राजी इस बिना पर हो सकते हैं कि जिस से शादी वे कर रहे हैं वह धनी है या इस बिना पर भी शादी करने के लिये राजी हो सकते हैं कि उनको डावरी नहीं देनी पड़ेगी या डावरी देने की उनकी हैसियत नहीं है, तौफीक नहीं है और इसलिये मजबूरी में वे ऐसे लोगों के साथ अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। लड़कियां कई केसिस में देख गया है ऐसे पुरुषों के साथ शादियां करना पसन्द नहीं करती हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था इसमें हो जानी चाहिये कि लड़की की राय लिये बिना शादी नहीं हो सकती है और उसकी राय लेना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।

यहां पर सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट की बात भी कही गई है और कहा गया है कि वह जरूरी है यह जानने के लिये कि वह पुरुष ५० साल से ऊपर है या नीचे है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ५० साल या इससे ऊपर के जो लोग शादियां करते हैं वे धनी लोग होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, वे २० साल की या १६ साल की लड़कियों की ऐसे बूढ़ों के साथ कभी शादियां नहीं करते हैं। धनी लोंगों में ही ऐसी शादियां होती हैं। वे पैसे के बल पर शादियां कर लेते हैं। अब सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट के बारे में क्या कहा जाये। मैं आपको उत्तर प्रदेश की मिसाल देना चाहता हूं। वहां पर एक कानून बना है जमीनों की बेदखलियों के बारे में। उसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि जो कोई अपने हाथ से खेती नहीं कर सकता है डिसएबल्ड है खेती, के वह अपनी रिआया को, जो असामी है, बेदखल कर सकता है भूमि से। यह योग्य है या नहीं इसका सर्टिफिकेट भी वहां पर सिविल सर्जन देता है। आये दिन वहां पर देखा जाता है कि सिवल सर्जन को अयोग्यता का सर्टिफिकेट देने के लिये पैसा दे दिया जाता है और वह सर्टिफिकेट इशू कर देता है। वहां तो अयोग्यता के सर्टिफिकेट लिये जाते हैं और यहां पर योग्यता के सर्टिफिकेट लेने होंगे। यहां पर इस बात के लिये सर्टिफिकेट लिया जायेगा कि ५० साल से नीचे है और शादी करने के योग्य है। इसमें भी रिश्वत चलेगी, श्रीमान्। इसको कोई

न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये। इस तरह का सर्टिफिकेट लिया जाये, इसको तो जरूरी माना जाये लेकिन इसके साथ साथ और भी बंदिशें लगाई जा सकती हैं। इस तरह के जो लोग शादी करते हैं उनके पास हाई स्कूल की परीक्षा का या जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा का सर्टिफिकेट रहता है और साथ ही साथ इस तरह के जो लोग होते हैं वे अपनी हौरोस्कोप जरूर बनवाते हैं, जन्मकुंडली जरूर बनवाते हैं और उनका भी इसमें जिक्र हो जाना चाहिये। इसमें स्कूल के सर्टिफिकेट का, कुंडली का और सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट का, तीनों का जिक्र हो जाना चाहिये ताकि पता चल सके कि वह ५० साल से ऊपर का है या नीचे का है।

इस कानून में यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो इस तरह के लोग शादी करना चाहें, यानी ४० साल या इससे ऊपर के लोग शादी करना चाहें तो जो भी संबंधित अधिकारी हो, जो भी इस काम के लिये एप्वांइट किया गया हो, कलैक्टर हो या कोई भी हो, उसको इस शादी की सूचना पहले से दे दी जाये। जो भी इस तरह के लोग शादी करना चाहें वह यह सूचना उस अधिकारी को दें कि मैं फलां लड़की के साथ फलां तारीख को और फलां जगह पर शादी करने जा रहा हूं और मेरी उम्र इत्यादि यह है। इस तरह की अगर इसमें व्यवस्था नहीं की जाती है तो कई शादियां ऐसे ही हो जाया करेंगी और उन पर कोई चैक नहीं होगा। अगर शादी करने वाले को शादी की सूचना पहले से ही देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा तो जो इस तरह के गैर कानूनी केस आपकी नजर में आयेंगे वे या तो दुश्मनी के कारण जब कोई आदमी शिकायत करेगा तब आयेंगे या फिर अचानक ही अगर किसी केस का पता चल जाये, तब आयेंगे। अगर इस तरह की सूचना देने की व्यवस्था नहीं की जाती है तो यह जो बिल है यह सरकार की लाइब्रेरी में, या वकीलों की लाइब्रेरी में शोभा बढ़ाने मात्र के लिये ही पड़ा रहेगा, इसका कोई उपयोग नहीं हो सकेगा। इस वास्ते यह जरूरी कर दिया जाना चाहिये कि जो इस तरह की शादी करे वह इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को पहले से दे दे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनको अगर इसमें इनकारपोरेट कर लिया जाये, तो इस बिल का जो मंशा है वह पूरा हो सकता है और अगर सरकार चाहे तो एक खासा अच्छा विधेयक इसके लिये अपनी तरफ से पेश कर सकती है।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मुझे इस विधेयक के सिद्धांत से हमदर्दी है, लेकिन फिर भी मुझे इसका विरोध करना पड़ेगा। मेरी अवस्था ५५ से ऊपर है, लेकिन मेरे विरोध से उसका कोई संबंध नहीं।

विवाह एक व्यक्तिगत, एक अन्तरंग संबंध होता है।

इसके अपवाद इतने थोड़े से होंगे, जो इस अन्तरंग संबंध न मानते हों, वे इतने मुट्ठीभर होंगे कि मैं उनको अनदेखा कर सकता हूं और आप उसके लिये मुझे क्षमा करेंगे।

विवाह एक बिल्कुल व्यक्तिगत मामला होता है, ऐसे अन्तरंग संबंधों को विधि द्वारा विनियमित करना अच्छा नहीं लगता। व्यक्तिगत पसन्द के आधार पर बनने वाले संबंधों के मामले में विधि यदि टांग अड़ाये तो ठीक नहीं।

अभी कल मैं अमरीकी नाटककार यूजेनओं नील की पत्नी द्वारा लिखे गये उनके संस्मरण पढ़ रहा था। उनकी पुत्री ने बड़ी ही कच्ची आयु में एक बड़े प्रहसन अभिनेता चार्ली चैपलिन से शादी कर ली थी। उस समय उनकी पुत्री की आयु तेरह-चौदह वर्ष से कुछ ही अधिक शायद हो। और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीहजरनवीस]

उसने शादी की थी एक ऐसे अभिनेता से जिसकी अवस्था उसके पितामह के बराबर होगी। दोनों के सुखी वैवाहिक संबंध दस बारह वर्ष से भी अधिक रहे। जब उसकी माता ने अपनी पुत्री से कहा कि वह अभिनेता उसके पितामह के बराबर की आयु का है, तो पुत्री ने उत्तर दिया था। "मां, आप नहीं जानती कि मैं उन्हें कितना प्रेम करती हूं।"—दोनों ने विवाह कर लिया।

विवाह एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा मानवीय व्यापार है जिसमें दो मानव परस्पर एक मधुर तम सूत्र में बन्ध जाते हैं। उनकी आयु पर वह निर्भर नहीं रहता। आपको कई बड़े पुराने सर्वविदित उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनमें पति-पत्नी की आयु में बड़-अन्तर था। ऐबेलार्ड और हीलोइजे की प्रेम कथा किवदन्ती बन गई है।

यदि इस विधेयक का मंशा यह हो कि अर्थ के लोभ में, उसके आधार पर विवाह न हों और लड़की के अभिभावक या उसके माता पिता उसे रुपये पैसे के लोभ में किसी पकी उमर के आदमी से शादी करने के लिये विवश न कर सकें, तो ठीक है। मुझे भी इससे पूरी हमदर्दी है। लेकिन इतना ही तो नहीं। इस विधेयक में तो यह भी कहा गया है कि यदि लड़की भी चाहे और महसूस करे कि वह किसी व्यक्ति विशेष से शादी किये बिना खुश नहीं रह सकेगी, तो भी कानून उसका मार्ग रोक देगा। संविधान की भी यह भावना नहीं है और न हमारा समाज ही चाहेगा कि ऐसे विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। यदि ऐसा प्रतिबन्ध लगाया भी जाये, तो कई कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। हमारे यहां जन्म और मृत्यु का ठीक ठीक लेखा नहीं रखा जाता। इसलिये कई बुरे लोग, इसका बड़ा अनुचित लाभ उठाने लगेंगे। मुकदमेबाजी भी खूब चलेगी और बेचारे पति पत्नी का जीवन दूभर हो जायेगा। विधि समाज को सुखी बनाने की बजाय उसे दुखी बना देगी।

इसलिये मैं इस संबंध को विधि से विनियमित करना उचित नहीं समझता। इस व्यक्तिगत मधुर संबंध में विधि को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : सभापति महोदय, बिल के सिलसिले में बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार जाहिर किये। मेरे दोस्त दीवान चन्द जी ने कहा कि डी० एम० को बहुत से काम करने पड़ते हैं और उस के पास इतना समय नहीं है कि वह इस किस्म की बातों पर भी विचार कर सके। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जिलों में कानून के मुताबिक जो काम प्रोवाइड किये गये हैं वह उन के अलावा भी बहुत से काम करता है, जो कि उसे करने भी चाहियें। वह बहुत सी चीजों की देख भाल करता है। जहां तक शारदा ऐक्ट का सवाल है, वह भी उस की जिम्मेदारी है। इस लिये इस चीज को भी अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देखे तो कोई ऐसी बात नहीं है जो कि गलत हो और जो कि वह न देख सकता हो। इस तरह की शादियां बहुत कम होती है और बड़ी आसानी से उसे मालूम किया जा सकता है।

इसी के साथ साथ मेरे बहुत से मित्रों ने कई चीजों के सिलसिले में कहा। जैसा मेरे लायक दोस्त राम सेवक जी ने कहा जन्म पत्री वगैरह के बारे में। मैं बड़ा खुश हूं कि उन्होंने एक नई बात कही। मिनिस्टर साहब ने चार्ली चैप्लिन की बात कही कि इस तरह की शादी हुई थी, लेकिन इस तरह की शादियां बहुत कम होती हैं, जहां एक बुड्ढे खाविन्द के साथ कोई लड़की खुश रह सकती हो। बहुत रेअर केसेज ऐसे है। इंडिया में चार्ली चैप्लिन बहुत कम होंगे। उन्होंने कहा कि यह दो मिलने वाले व्यक्तियों के बीच में रोड़े अटकाना बुरी बात है। ऐसे तो

---

†मूल अंग्रेजी में

शारदा बिल भी पास किया गया था। जहां तक शादी का सवाल है पुराणों में भी और ईसाई मत में और इसलाम धर्म के मुताबिक भी यह बतलाया गया है कि ८ साल से ले कर १२ साल तक की लड़की की शादी हो सकती है। जब इस पर रोक लगाई जा सकती है तो यह चीज भी रोकी जा सकती है जो समाज के खिलाफ है और समाज में विषमता पैदा करने जा रही है। जहां तक कांस्टिट्यूशन का सवाल है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर आज रोक लगी है और लगाई जा रही है।

इसी के साथ साथ मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह कांस्टिट्यूशन की स्पिरिट के भी खिलाफ है। मैं नहीं समझता कि इस में कांस्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ कौन सी बात है। मैं ने अपने विचार जाहिर करते वक्त कहा था कि ५० वर्ष के अन्दर आदमी कमजोर हो जाता है और वह इस योग्य नहीं रहता कि अच्छे बच्चे पैदा कर सके। जैसा कि मैं ने उस रोज फिगर्स दिये थे बहुत इंन्फैन्टाइल मोर्टेलिटी बच्चों की मत्यु संख्या इंडिया में बढ़ रही है। हर साल बच्चे मर जाते हैं, इस लिये बुड्ढों को इजाजत देना कि वे इस तरह के बच्चे पैदा करे जो मर जायें, यह मुनासिब बात नहीं है। मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि यह एक सोर्स आफ मिस्चिफ हो जायेगा अगर इस तरह का कानून बनाया जाय। मैं नहीं समझा कि इस में मिस्चिफ की क्या बात है। स्पष्ट बात है कि ५० साल से ऊपर के लोगों को शादी नहीं करने देना चाहिये। इस में तो मिस्चिफ की कोई बात है नहीं। मैं तो सोचता था कि सरकार अगर इसे हाथ में ले ले, इस तरह का कोई अच्छा कानून बनाये तो बेहतर बात होती। लेकिन मुझे दुःख है कि सरकार की तरफ से इस की मुखालफत हो रही है।

अन्त में मैं फिर अपील करूंगा हाउस से और मिनिस्टर साहब से कि वे इस पर दुबारा गौर करें और इसे जरूरत के मुताबिक कानून में, स्टैटयूट बुक (संविधि पुस्तक) में लायें। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास किया जाये।

†**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि वृद्धावस्था में विवाह पर रोक लगाने को व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक

(धारा ६६ और १२९ का संशोधन)

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० च० सामन्त]

देश के कई वकीलों ने मेरा ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है। ब्रिटिश शासन काल में पहले तो उन्होंने इंगलैण्ड की विधि को ही ज्यों का त्यों यहां लागू कर दिया था। बाद में इस विधेयक का रूप मिला, और वह एक प्रवर समिति को सौंपा गया, जिसने अपना प्रतिवेदन २० फरवरी, १८७२ को गवर्नर जनरल की कौंसिल के सामने रखा था। कुछ संशोधन के बाद उसे स्वीकार करके अधिनियम का रूप दे दिया गया था।

यदि आप इस संविदा अधिनियम को देखें, तो एक बड़ी दिलचस्प बात आपको यह पता लगेगी कि इसकी हर धारा में दृष्टांत भरे पड़े हैं। एक शब्द में, संविदा की परिभाषा है : एक करार जिसे विधि द्वारा वृत किया जा सकता हो।"

वर समिति के प्रतिवेदन की चर्चा के दौरान, बंगाल के गर्वनर ने इसकी धारा १६ का एक संशोधन रखा था, अनुचित प्रभाव के सम्बन्ध में। उसने अपने संशोधन में भी अनुचित प्रभाव की परिभाषा करने के लिये दृष्टांत का सहारा लिया था। उसे दृष्टांत देकर समझाया था। इस पर अन्य सदस्यों ने विरोध प्रकट किया था और वह संशोधन अस्वीकृत हो गया था।

मेरा संशोधन अधिनियम की धाराओं ६९ और १२९ के बारे में है। इस धारा में जो दृष्टांत दिया गया है वह बंगाल के जमींदारों के सम्बन्ध है। लेकिन अब बंगाल में जमींदारी प्रथा नहीं रही है। इसलिये उस दष्टांत को रखना ठीक नहीं। वह दृष्टांत हटा दिया जाना चाहिये और विधि करे आधुनिक बना देना चाहिये।

इसी तरह "जारी रहने वाली गारंटी" की जो परिभाषा की गई है, उसमें भी दृष्टांत एक जमींदारी का दिया गया है। उसे भी निकाल देना चाहिये।

आशा है सरकार को इन संशोधनों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** यह तो ठीक है कि ये दष्टांत जमींदारी प्रथा पर आधारित है, फिर भी ये बिल्कुल पुराने या बे मतलब नहीं हुए हैं। इसलिये कि जमींदारी के सम्बन्ध में अभी भी कुछ दावे किये जा सकते हैं, या जिनको लेकर मुकदमे चल सकते हैं। जमींदारी को हटे अभी दिन ही कितने हुए हैं। अभी भी धारा ६९ या १२९ के अन्तर्गत दावे करने के लिये समय शेष है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसे इसी तरह रहने दिया जाये। सभा जानती ही है कि विधि आयोग लगातार सभी संविधियों का पुनरीक्षण करता रहता है; और इसे भी जब विधि आयोग के पास भेजा जायेगा, तो वह एक बार इस पूरी संविधा की परीक्षा करेगा और पुराने पड़े दृष्टांतों को या तो हटा देगा, या उनकी जगह उपयुक्त दृष्टांत रख देगा।

मैं आश्वासन देता हूं कि यह पूरा अधिनियम विधि आयोग के सामने परीक्षा के लिये जायेगा। मेरा सुझाव है कि अभी श्री सामन्त अपना विधेयक वापस ले लें।

विधि आयोग इसकी परीक्षा करेगा, और इसके पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जो भी किया जाना चाहिये उसका सुझाव तो वास्तव में विधि आयोग ही दे सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस आश्वासन को देखते हुए, मैं अपना विधेयक वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

†**सभापति महोदय :** अब हम अगला विषय लेंगे ।

श्री अजितसिंह सरहदी-अनुपस्थित ; श्री झूलन सिंह-अनुपस्थित ; श्री चं० का० भट्टाचार्य—अनुपस्थित ; श्री भरुचा–उपस्थित नहीं हैं ; श्री तंगामणि–यह भी उपस्थित नहीं है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सभा को बैठक स्थगित कर दी जाये ।

†**सभापति महोदय :** सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात, लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६०
१८ भाद्र, १८८२ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३७३१—५६

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२३०	संस्कृत आयोग	३७३१–३५
१२३१	निवेली लिग्नाइट परियोजना में उत्पादन . .	३७३६–३७
१२३२	नई दिल्ली में बालकों के लिये संग्रहालय .	३७३८
१२३३	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा .	३७३८–३९
१२३५	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण	३७४०–४१
१२३६	अनुशासन समिति की रिपोर्ट . .	३७४२—४४
१२३८	मैसूर की सोने की खानें . .	३७४४—४६
१२४०	पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम राशि	३७४६
१२४१	विश्वविद्यालयों की परीक्षा-पद्धति	३७४७–४८
१२४२	कोयले से संश्लिष्ठ तरल ईंधन का उत्पादन .	३७४८—५०
१२४३	इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास .	३७५०—५२
१२६४–ख	बम्बई में इथोपिया के सालिसिटर और अवैतनिक व्यापार प्रतिनिधि (कोंसल) की गिरफ्तारी . .	३७५२–५३

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१०	प्रूफ़ एंड एक्सपेरिमेंट सेन्टर, बालासोर	३७५४–५५
११	भारतीय श्रम सम्मेलन .	३७५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . ३७५७—३८९३

तारांकित
प्रश्न संख्या

११९३	जवाहर सुरंग	३७५७
११९४	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में योगी पर प्रयोग .	३७५७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

*अतारांकित
प्रश्न संख्या

११६५	रेलगाड़ियों में जंजीर का खींचा जाना	३७५७–५८
११६६	उच्चस्तरीय तुंगभद्रा नहर	३७५८
११६७	ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी	३७५८
११६८	विलम्ब-शुल्क और घाट-शुल्क	३७५८–५९
११६९	"पुनर्नवा"	३७५९
१२००	मालवाही जहाजों और मुसाफिरों के ले जाने वाले जहाजों की खरीद	३७५९
१२०१	ग्रामीण दस्तकारों का प्रशिक्षण	३७६०
१२०२	दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मैडिकल आफिसर	३७६०
१२०३	यूनानी जहाज का मार्मागोआ के निकट जमीन से टकराना	३७६०–६१
१२०४	बिजली से चलने वाली गाड़ियां	३७६१
१२०५	माल ढोने वाली मोटर गाड़ियों में होने वाले लदान का रजिस्टर्ड भार	३७६१–६२
१२०६	हिमाचल प्रदेश में वृक्षों को काटना	३७६२
१२०७	महाराष्ट्र और गुजरात को मध्य प्रदेश से गेहूं तथा चावल का संभरण	३७६२
१२०८	मथुरा में दुर्घटना	३७६२–६३
१२०९	त्रिपुरा में पंचायतों के निर्वाचन	३७६३
१२१०	रेनिगुन्टा-तिरूपति लाइन	३७६३–६४
१२११	भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा बिना टिकट यात्रा	३७६४
१२११-क	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	३७६४–६५
१२१२	दक्षिणी चावल जोन	३७६५
१२१३	रेलवे के ठेके	३७६५–६६
१२१४	नगर आयोजन संगठन, दिल्ली	३७६६
१२१५	मध्य प्रदेश में एक पशु-चिकित्सक द्वारा आत्म-हत्या	३७६६–६७
१२१६	हावड़ा और कटक के बीच रेलवे लाइन	३७६७
१२१६-क	हावड़ा और पुरी के बीच रेल-सेवा	३७६७–६८
१२१६-ख	रेलवे में आम हड़ताल	३७६८
१२१६-ग	ओजवकोट में क्रियोजिंग संयंत्र	३७६९
१२१६-घ	दिल्ली में बाढ़	३७६९–७०

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२१७	जापान को मत्स्य-पालन प्रतिनिधिमंडल .	३७७०
१२१८	भाखड़ा दुर्घटना जांच की रिपोर्ट .	३७७०–७१
१२१९	राज्य परिवहन उपक्रम	३७७१
१२२०	गंडक परियोजना .	३७७१–७२
१२२१	बकिंघम नहर . .	३७७२
१२२२	हावड़ा-नागपुर मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियां	३७७३
१२२३	ऐलोपैथिक औषधियों की टिकियां .	३७७३
१२२४	विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन .	३७७३–७४
१२२५	दिल्ली में टिटेनस के रोगी . .	३७७४
१२२६	पाकिस्तान पर नहरी पानी सम्बंधी बकाया रकम .	३७७४–७५
१२२७	बरवाडीह विजुरी लाइन . .	३७७५
१२२८	दिल्ली पटना ट्रंक टेलीफोन लाइन	३७७५–७६
१२२९	रेडियो लाइसेंसों का नवीकरण .	३७७६
१२२९-क	रेंड बांध परियोजना .	३७७६–७७
१२३४	हिरी खानों से प्राप्त डोलोमाइट	३७७७
१२३७	झीलों में जलजीव अनुसन्धान	३७७७–७८
१२३९	बाली राझरा खानों का यंत्रीकरण	३७७८
१२४४	त्रिपुरा में ईसाई धर्म प्रचारक . .	३७७८
१२४५	पाकिस्तान से पेंशनों की रकमों का प्राप्त होना .	३७७८–७९
१२४६	निकोबार में सहकारी समिति .	३७७९
१२४७	मध्य प्रदेश में खनन .	३७७९–८०
१२४८	सामाजिक अन्याय .	३७८०
१२४९	विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी .	३७८०–८१
१२५०	जैसलमेर में तेल के लिये सर्वेक्षण	३७८१
१२५१	कुर्क न हो सकने वाले वेतन की अधिकतम सीमा .	३७८१–८२
१२५२	बहरों को फोटोग्रफी का प्रशिक्षण .	३७८२
१२५३	बाल नाट्यशालाएं . .	३७८२
१२५४	एम० ई० एस० (मेरठ) का पम्प कर्मचारी .	३७८३
१२५५	कर्मचारियों को मिलने वाले उपदान (ग्रैच्युटी) पर कई	३७८३–८४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२५६	सामान्य बीमा व्यवसाय . . .	३७८४—८५
१२५७	भारतीय वायु सेना केन्द्र, गुड़गांव .	३७८५
१२५८	हिमाचल प्रदेश में विपणन अधिनियम लागू करना . .	३७८५
१२५९	घोड़ों की अफ्रीकी बीमारी	३७८५—८६
१२६०	भारतीय हज नोट .	३७८६
१२६१	बंगाल में तेल की खोज	३७८६
१२६२	औद्योगिक प्रबंध पूल . .	३७८६
१२६३	भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाएं .	३७८७
१२६४	बैंकरों का प्रतिनिधिमंडल .	३७८७
१२६४-क	अकाली आन्दोलन . .	३७८७—८८
१२६४-ग	बैंक आफ चाइना .	३७८८
१२६५	आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन .	३७८८—८९
१२६६	पन्ना की हीरे की खानें .	३७८९
१२६७	घाटे वाली कोयला खानों का मिलाया जाना	३७८९
१२६८	ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमे .	३७८९—९०
१२६९	आंध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र . . .	३७९०
१२७०	प्रादेशिक सेना के पदाधिकारियों के लिये स्टाफ कालेज कोर्स .	३७९०
१२७१	नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व . .	३७९०—९१
१२७२	लिग्नाइट परियोजना, पालना	३७९१
१२७३	उत्तर प्रदेश में तेल का सर्वेक्षण .	३७९१—९२
१२७४	नई दिल्ली नगर पालिका में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधि	३७९२
१२७४-क	दिल्ली में हथगोला .	३७९२—९३
१२७५	असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट परीक्षा .	३७९३—९४
१२७५-क	पंजाबी विश्वविद्यालय . . .	३७९४
१२७६	अखिल भारतीय विनियोजन केन्द्र	३७९५
१२७७	कारगिल-लेह सड़क . . .	३७९५
१२७८	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन . .	७३९५—९६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२३४९	आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए लोहा तथा इस्पात .	३७९६
२३५०	गांवों में बिजली . . .	३७९६
२३५१	पाल वाले जहाज	३७९७
२३५२	केरल में डाक तथा तार कर्मचारी	३७९७
२३५३	पंजाब में आटे की खपत	३७९७–९८
२३५४	दिल्ली में ढोर	३७९८
२३५५	दिल्ली की सड़क दुर्घटनाओं में डी० टी० यू० की बसें	३७९८–९९
२३५६	विशाखापटनम पत्तन .	३७९९
२३५७	बिना टिकट यात्रा . .	३७९९
२३५८	पंजाब से स्लीपरों का संभरण .	३८००
२३५९	गोशालाओं के प्रबन्ध का प्रशिक्षण .	३८००
२३६०	लक्ष्मीबाई नगर में सी० एच० एस० डिस्पेंसरी	३८००
२३६१	मानसिक स्वास्थ्य सेवायें .	३८००–०१
२३६२	यमुना जलविद्युत परियोजना .	३८०१
२३६३	विमान भाड़े की दरें	३८०१
२३६४	भाण्डागार निगम .	३८०२
२३६५	हसन-मंगलौर रेलवे लाइन . .	३८०२
२३६६	दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियां .	३८०३
२३६७	टिनेवेली-केप कमोरिन लाइन .	३८०३
२३६८	रेलवे समय सारिणी	३८०३–०४
२३६९	महाराष्ट्र को खाद्यान्नों का संभरण . . .	३८०४–०५
२३७०	दिल्ली में मत्सयपालन	३८०५
२३७१	खराब स्लीपरों का संभरण	३८०५–०६
२३७२	अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ और सामुदायिक विकास कार्यक्रम	३८०६
२३७३	सामुदायिक विकास खण्डों में उद्योग . . .	३८०६–०७
२३७४	इर्विन अस्पताल	३८०७
२३७५	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे किये गये व्यक्ति .	३८०७
२३७६	अजनी में रेल की टक्कर	३८०८

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३७७	भ्रष्टाचार के मामले . .	३८०८–०९
२३७८	रेल की पटरियों का बदलना .	३८०९
२३७९	स्थानीय करों की बकाया रकम . .	३८०९–१०
२३८०	रेलवे पर दुर्घटनायें	३८१०
२३८१	सियालदह डिवीजन में बिजली की रेलगाड़ियां . .	३८१०–११
२३८२	विनयनगर के निकट नीचे का पुल	३८११
२३८३	उपनगरीय क्षेत्र का विस्तार . . .	३८११–१२
२३८४	पहले दर्जे के डिब्बे . .	३८१२
२३८५	विमानों की खरीद . .	३८१२
२३८६	गया मुगलसराय विद्युतीकरण	३८१२–१३
२३८७	कोयले के वैगनों का बीच में रोक लिया जाना	३८१३
२३८८	श्रीसेलम विद्युत परियोजना . .	३८१४
२३८९	पोर्टब्लेयर में जलाने की लकड़ी तथा मछली की कमी	३८१४–१५
२३९०	अन्दमान के वन . . .	३८१५
२३९१	लाटू-कटीमगंज रेलवे लाइन . .	३८१५
२३९२	बर्दवान यार्ड स्टेशन पर गोलीकांड .	३८१६
२३९३	खड़गपुर में लोहे के कबाड़ की बिक्री .	३८१६
२३९४	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर जले हुए कोयले की बिक्री .	३८१७
२३९५	मध्य प्रदेश के लिये डाक तथा तार विभाग का सर्कल	३८१७
२३९६	मथुरा के लिये विशेष रेलगाड़ियां	३८१७–१८
२३९७	मथुरा में दुर्घटना .	३८१८
२३९८	पश्चिम रेलवे पर पानी वाले .	३८१८–१९
२३९९	मध्य प्रदेश में जल संभरण योजनायें . .	३८१९
२४००	दक्षिण-पूर्व रेलवे की रेलगाड़ियों पर से योजन यान को हटाना .	३८१९–२०
२४०१	वातानुकूलित डिब्बे .	३८२०
२४०२	माल-डिब्बों का आवंटन	३८२०–२१
२४०३	चीनी के कारखाने . .	३८२१
२४०४	फसल प्रतियोगिताएं . .	३८२१–२२
२४०५	अरानियार परियोजना . . .	३८२२

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४०६	रेलवे के खलासी और भंगी	३८२२–२३
२४०७	दक्षिण रेलवे में आमिषभोजी संस्थापन	३८२३
२४०८	यात्री सुविधाएं	३८२३
२४०९	अनाज की दुकानों के कर्मचारी	३८२३–२४
२४१०	तम्बारम्-चिंगलपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	३८२४
२४११	अतिरिक्त भाड़ा लेना	३८२४
२४१२	स्टेशन पहुंचाने वाली सड़कें	३८२५
२४१३	उड़ीसा में ऊपरी तथा नीचे के पुल	३८२५–२६
२४१४	हिमाचल प्रदेश के पंगी क्षेत्र में अनाज का अभाव	३८२६
२४१५	बिजली के उत्पादन के लिये कम शक्ति वाले टर्बाइन	३८२६–२७
२४१६	भारत मलेरिया संस्था, दिल्ली	३८२८
२४१७	उड़ीसा में सड़क परिवहन निगम	३८२८
२४१८	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	३८२८–२९
२४१९	यमुना समिति	३८२९–३०
२४२०	कृष्ण नगर, पश्चिमी बंगाल में परिवार नियोजन केन्द्र	३८३०
२४२१	खसौली में रेलवे स्टेशन	३८३०
२४२२	रेलों पर उपाहार गृहों के ठेके	३८३०–३१
२४२३	कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के लिए पुरस्कार	३८३१
२४२४	नगर आयोजन संगठन	३८३१
२४२५	दिल्ली सम्भरण योजना	३८३१–३२
२४२६	नौरोजीनगर नई दिल्ली के निकट शमशान भूमि	३८३२
२४२७	टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	३८३२–३३
२४२८	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	३८३३
२४२९	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का विस्तार	३८३३
२४३०	कर्मतार स्टेशन के निकट रेल में डकैती	३८३३–३४
२४३०-क	राज्यों को चीनी का दिया जाना	३८३४
२४३०-ख	अंडमान द्वीपसमूह	३८३४–३५
२४३१	आंध्र प्रदेश में हाल तथा ओडीटोरिया	३८३५
२४३२	आयुध कारखानों का उत्पादन	३८३५

विषय	पृष्ठ

• प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४३३	जहाजों को लोड लाइन के प्रमाण पत्र जारी किया जाना	३८३५—३६
२४३४	एम० वी० अण्डमान तथा एम० वी० निकोबार	३८३६
२४३५	मैसूर में ऐतिहासिक स्मारकों का सर्वेक्षण	३८३६—३७
२४३६	अस्पृश्यता का निवारण . .	३८३७
२४३७	पंजाब में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कृषक	३८३७
२४३८	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय .	३८३८
२४३९	हमीरपुर (पंजाब) में पोलीटेक्नीक	३८३८
२४४०	औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजन	३८३९
२४४१	मुरादपुर में पैट्रोलियम निक्षेपों का सर्वेक्षण	३८३९
२४४२	पंजाबी भाषा का विकास . .	३८३९
२४४३	सोने के नेपाली तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही	३८४०
२४४४	केन्द्रीय अंग्रेजी संस्था, हैदराबाद	३८४०
२४४५	पंजाब में इस्पात पुनर्वेतन मिलें . .	३८४०—४१
२४४६	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ के अधीन कार्य .	३८४१—४२
२४४७	कोणार्क मन्दिर, उड़ीसा . .	३८४२
२४४८	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान	३८४२
२४४९	भारत के लिये क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड .	३८४२
२४५०	भूमि का अर्जन और अधिग्रहण .	३८४३
२४५१	प्रतिरक्षा संस्थापनों में आग बुझाने वाले कर्मचारी	३८४३
२४५२	नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति .	३८४४
२४५३	देहरादून में वयस्क अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	३८४४
२४५४	घी का अपमिश्रण . .	३८४४—४५
२४५५	दिल्ली में सरकारी इमारतों पर सम्पत्ति कर	३८४५
२४५६	विदेशी मुद्रा . . .	३८४५
२४५७	दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की पुलिस तथा असैनिक सेवाओं के नियम	३८४५—४६
२४५८	जीवन बीमा निगम की विनियोजन समिति . .	३८४६
२४५९	प्रतिरक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल मुख्यालय में असैनिक कर्मचारी	३८४६
२४६०	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी .	३८४६—४७

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४६१	हिमाचल प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण	३८४७
२४६२	हिमाचल प्रदेश में बौद्ध मठ	३८४७
२४६३	दिल्ली विश्वविद्यालय की सामान्य शिक्षा योजना	३८४८
२४६४	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लेखे	३८४८
२४६५	बन्देमातरम् की तर्ज	४८४८–४६
२४६६	दिल्ली में सिनेमा के टिकटों की चोर-बाजारी	३८४६
२४६७	शेरपुर गांव (दिल्ली) के निवासियों को गृह-निर्माण ऋण	३८४६
२४६८	दिल्ली में वृद्धा की हत्या	३८४६–५०
२४६९	भिलाई में गन्धक के तेजाब का कारखाना	३८५०
२४७०	दिल्ली की एक स्त्री का अपहरण	३८५०–५१
२४७१	आयुध कारखाना, खमरिया	३८५१
२४७२	दिल्ली में महिला कालेज	३८५१
२४७३	भारतीय नौ-सेना के जहाज़ की यात्रा	३८५१–५२
२४७४	एस० एस० ऐक्सचैंकर	३८५२
२४७५	ऐ० ओ० सी० (सेना आयुध कोर) में क्लर्क	३८५२–५३
२४७६	देशी शराब का तस्कर व्यापार	३८५३
२४७७	लेनिनग्राड प्रदर्शनी में भारतीय दुर्लभ पाण्डुलिपियों का प्रदर्शन	३८५३
२४७८	उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले	३८५३
२४७९	नोट	३८५४
२४८०	विदेशों में उच्च शिक्षा	३८५४
२४८१	प्रादेशिक सेना	३८५४–५५
२४८२	प्रादेशिक सेना	३८५५
२४८३	जीवन बीमा पालिसी का अभ्यर्पण मूल्य	३८५५
२४८४	अनुसूचित आदिम जातियों की सूची	३८५६
२४८५	कोयला खानों का ऐच्छिक सविलयन	३८५६
२४८६	हिमाचल प्रदेश में हत्यायें	३८५७–५८
२४८७	सरकारी कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तें	३८५८
२४८८	गंगा की घाटी में पुरातत्वीय खुदाई	३८५९
२४८९	दिल्ली में चिट फण्ड सोसाइटियां	३८५९

विषय		पृष्ठ
•प्रश्नों के लिखित उतर] (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४९०	नव हिन्द गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, दिल्ली . .	३८६०
२४९१	आय-कर विभाग के लिये भवन . . .	३८६१--६६
२४९२	मनीपुर में आदिम जातियों के उपद्रव . . .	३८६६
२४९३	छोटा छतर मंजिल, लखनऊ	३८६६---६७
२४९४	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का पुस्तकालय .	३८६७
२४९५	दिल्ली के स्कूलों के छात्रों से वसूल की जाने वाली निधियां .	३८६७–६८
२४९६	भारतीय सांस्कृति सम्बन्ध परिषद् . . .	३८६८
२४९७	अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सदन	३८६८
२४९९	त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद्	३८६९
२५००	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति की मृत्यु की न्यायिक जांच .	३८६९
२५०१	रद्दी लोहे का निर्यात	३८६९–७०
२५०२	बैंकिंग समवायों को लाइसेंस . . .	३८७०–७१
२५०३	विज्ञान मन्दिर	३८७१–७२
२५०४	तीर्थ यात्री जहाज से सोना पकड़ा जाना . . .	३८७२
२५०५	उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाना	३८७३
२५०६	खांडसारी पर उत्पादन शुल्क . . .	३८७३
२५०७	मिशन सम्पत्तियां	३८७३–७४
२५०८	जिला सिरमूर की रामका तहसील के तहसीलदार . .	३८७४
२५०९	हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम . .	३८७४
२५१०	चिरिया गांव के आदिवासी . . .	३८७५
२५११	रामनाढ़ में लोह अयस्क के निक्षेप . . .	३८७५
२५१२	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां .	३८७५
२५१३	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्टेनोग्राफर की परीक्षा .	३८७६
२५१४	दिल्ली का नारायण गांव . . .	३८७६–७७
२५१५	दिल्ली में भूमि अर्जन आदेश के विरुद्ध अपीलें . .	३८७७–७८
२५१६	दिल्ली स्कूल अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के माता-पिता की संस्था	३८७८
२५१७	दिल्ली छावनी में पुलिस का छापा . . .	३८७८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५१८	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां	३८७९
२५१९	हिन्दी असिस्टेंट	३८७९
२५२०	राजस्थान में जिप्सम के निक्षेप	३८७९–८०
२५२१	खेतरी में तांबे के निक्षेप	३८८०
२५२४	पाकिस्तान से वापस आये व्यक्ति	३८८०
२५२५	स्टाक एक्सचेंज में सट्टा	३८८०
२५२६	दिल्ली के अध्यापक	३८८१
२५२७	सोने की कोलार की खानें	३८८१–८२
२५२८	"एड इंडिया" क्लब की बैठक	३८८२
२५२९	पूर्व यूरोप के देशों के साथ ऋण सम्बन्धी करार	३८८२
२५३०	अमरीकन ऋण की वस्तुएं	३८८२–८३
२५३१	औद्योगिक वित्त निगम	३८८३
२५३३	कोलम्बो योजना से सहायता	३८८३
२५३४	कुरूक्षेत्र संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति	३८८३–८४
२५३५	"चेना-वासव-नायक"	३८८४
२५३६	कोल्हुओं पर उत्पादन शुल्क	३८८४–८५
२५३७	प्रादेशिक सेना के सैनिकों को कमीशन	३८८५–८६
२५३८	प्रादेशिक सेना के कमांडिंग अफ़सर	३८८६
२५३९	श्रमजीवी महिला होस्टल, कर्जन रोड, नई दिल्ली	३८८६
२५४०	गृह कल्याण केन्द्र में दस्तकारी के अध्यापक	३८८७
२५४१	पुरातत्वीय महत्व की मूर्तियां	३८८७
२५४२	दिल्ली में चोरियां	३८८८
२५४४	नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी स्कूल	३८८८
२५४५	इस्पात की रोलिंग और रिरोलिंग मिलें	३८८८–८९
२५४६	विश्वविद्यालयों में मुद्रणालय	३८८९–९०
२५४७	विद्युत् निरोध और शीत कोठार सम्बन्धी अनुसंधान	३८९०
२५४८	दिल्ली के संध्याकालीन कालेजों में भर्त्ती	३८९०–९१
२५४९	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये यूनेस्को को सहायता	३८९१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५५० दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये यूनेस्को की सहायता ३८९१–९२
२५५१ नागाओं द्वारा सम्पत्ति की लूट ३८९२
२५५२ उड़ीसा में बाढ़ . ३८९२–९३
२५५३ नयी दिल्ली का श्रमजीवी महिला होस्टल ३८९३

स्थगन प्रस्ताव . . . ३८९३–९५

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उन के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) आसनसोल की डाबर कोयला खान में कोयला खान श्रमिक पंचाट के कथित लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति — सूचना सर्वश्री बि० दासगुप्त और अरविन्द घोषाल द्वारा दी गई ।

(२) रासायनिक खाद के अन्तर्राज्यीय वहन के बारे में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री का वक्तव्य — सूचना श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दी गयी ।

(३) केन्द्रीय सरकार के कुछ हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही — सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी, तंगामणि और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दी गयी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३८९६–९८

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) फरीदाबाद विकास निगम अधिनियम, १९५६ को लागू न करने के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

(२) मझले पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) इंजीनियर्स स्टील फाइल्स उद्योग को प्रदत्त संरक्षण को जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(ख) दिनांक ७ सितम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या १८(२)–टी० आर०/६० ।

(ग) दिनांक ७ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या १८(२)–टी० आर०/६० ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमशः)

(घ) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत की गई अवधि के अन्दर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण।

(४) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २९ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९८ की एक प्रति।

(५) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८६।

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८७।

(३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९८९ जिसमें दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६८६ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(६) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(क) दिनांक २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९९७।

(ख) दिल्ली गेहूं तथा गेहूं की चीज़ें (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९९९।

(ग) उत्तर प्रदेश, खाद्यान्न (सीमा से पार लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १०२९।

(७) चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत चावल कूटने का उद्योग (विनियमन तथा लाइसैंसिंग) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२८ की एक प्रति।

विषय	पृष्ठ
संसदीय समितियों की कार्यवाही—सारांश सभा पटल पर रखे गये	३८६८–६६
(१) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की ग्यारहवें सत्र में हुई (छियासठवीं से इकहत्तरवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।	
(२) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की ग्यारहवें सत्र में हुई (सत्ताईसवीं और अट्ठाईसवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।	
(३) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की ग्यारहवें सत्र में हुई इक्कीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश ।	
(४) याचिका समिति की ग्यारहवें सत्र में हुई (पैंतालीसवीं से सैंतालीसवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।	
(५) लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति की (सातवीं से तेरहवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।	
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३८६६
नवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
याचिका समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	३८६६
दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित । . .	३८६६
दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना । .	३८६६—३६०२

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पुनर्वास वित्त प्रशासन के बन्द होने के परिणामस्वरूप २५० कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

ध्यान दिलाने वाली निम्नलिखित पांच अन्य सूचनाओं के उत्तर में, जो सम्बन्धित सदस्यों के नामों के सामने दी गयी हैं, सम्बन्धित मंत्रियों ने वक्तव्य सभा-पटल पर रखे :—

(१)	श्री स० मो० बनर्जी .	केन्द्रीय सरकार के शेष कर्मचारियों के संशोधित वेतन-क्रमों को निश्चित करना और केन्द्रीय सरकार के लगभग सभी उपक्रमों में कर्मचारियों के नये वेतन-क्रम लागू न किये जाना ।
(२)	श्री केशव	मैसूर के कुछ जिलों में विद्यमान दुर्भिक्ष की स्थिति और सहायता के प्रस्तावित उपाय ।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—क्रमशः

(३) श्री प्र० गं० देव — पंजाब सरकार द्वारा खुले बाज़ार से गेहूं खरीदे जाने और पंजाब की आटा मिलों के, अधिक मूल्य पर गेहूं मिलने के कारण, बन्द होने की आशंका।

(४) श्री खुशवक्त राय — गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची के प्रकाशन में विलम्ब।

(५) श्रीमती इला पालचौधरी — लखनऊ की छतर मंजिल में दरारें आ जाने का समाचार और वहां से केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था को हटाने के लिये किये गये उपाय।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . . ३९०२—०७

(१) प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) ने आस्ट्रेलिया से घोड़ों का आयात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ पर श्री जयपाल सिंह द्वारा २० अगस्त, १९५० को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(२) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(४) परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) ने एक रजिस्टर्ड पत्र के गलती से पंजाब के मुख्य मंत्री को दिये जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(५) निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) ने फरीदाबाद स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय में प्लास्टिक एबोनायड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

विधेयक पुरःस्थापित . . ३९०७

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६०।

(२) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९६०।

विधेयक—पारित . . . . ३९०८—४५

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६४५

सत्तरवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३६४६–४७

(१) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० धारा १६२ का (संशोधन) [श्री तंगामणि का]

(२) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ६२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का]

(३) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का]

(४) समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क तथा ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रु० मसानी का]

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत . . . ३६४७–५१

श्री मोहन स्वरूप द्वारा प्रस्तुत वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा के पश्चात् प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया . . . ३६५१—५३

श्री स० चं० सामन्त ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ६९ तथा १२९ का संशोधन) पर विचार किया जाये। चर्चा के पश्चात् विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई।

दूसरी लोक-सभा के ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि .	१ अगस्त से ६ सितम्बर, १९६०/१० श्रावण से १८ भाद्र, १८८२ (शक)
२. बैठकों की संख्या . . .	३१
३. बैठकों के कुल घण्टों की संख्या .	२०३.३३ घण्टे
४. मत-विभाजनों की संख्या . . .	५

५. सरकारी विधेयक—

(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन .	१३
(२) पुरःस्थापित किये गये . . .	१६
(३) राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये	७
(४) संयुक्त समिति को सौंपे गये . .	२
(५) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित . .	१
(६) पारित किये गये . . .	२३
(७) राज्य-सभा द्वारा बिना संशोधन के वापस किये गये	७
(८) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१३

६. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—

(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	११०
(२) पुरःस्थापित किये गये	१८
(३) वापस लिये गये	३
(४) अस्वीकृत हुए	१
(५) पारित किया गया . .	कोई नहीं
(६) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१२४

७. सरकारी संकल्प—

प्रस्तुत किये गये	कोई नहीं
स्वीकृत	कोई नहीं

८. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(१) प्राप्त हुए	११०४
(२) स्वीकृत .	कोई नहीं
(३) कार्य-सूची में सम्मिलित किये गये	७६९

	पृष्ठ
(४) वापस लिये गये	कोई नहीं
(५) अस्वीकृत . .	३
(६) जिन पर अंशतः चर्चा हुई	१
९. सरकारी प्रस्ताव—	
(१) प्रस्तुत किये गये	७
(२) स्वीकृत .	६
	(तीन स्थानापन्न प्रस्ताव सहित)
१०. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव—	
(१) प्राप्त हुए .	७७
(२) गृहीत किये गये .	५५
(३) प्रस्तुत किये गये . .	६
(४) स्वीकृत .	५
	(१ स्थानापन्न प्रस्ताव सहित)
११. संविहित संकल्प—	
(१) प्राप्त हुआ .	१
(२) गृहीत किया गया :	१
(३) प्रस्तुत किया गया	१
(४) स्वीकृत हुआ . . .	१
१२. अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा	२
१३. आधे घंटे की चर्चा	६
१४. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की संख्या जिनकी ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कराया गया तथा जिन पर मंत्रियों न वक्तव्य दिया या वक्तव्य को सभा पटल पर रखा	
१५. स्थगन प्रस्ताव—	
(१) प्राप्त हुए	२२
(२) गृहीत किया गया . .	कोई नहीं
(३) जिन पर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी	२२
१६. पूछे गये प्रश्न —	
(१) तारांकित .	१२८७
(२) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत जिन को अतारांकित बना दिया गया) .	२५४०
(३) अल्प सूचना प्रश्न	११

१७. **संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित—**

(१)	कार्य मंत्रणा समिति	४
(२)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	१
(३)	याचिका समिति	१
(४)	लोक लेखा समिति	२
(५)	अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . .	१
(६)	लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति . .	१
(७)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	६